भाग दो-क

टिप्पणी- परिषद् के निश्चयानुसार इन विनियमों में समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं। ऐसे समस्त संशोधनों की सूचना राजकीय गजट में दी जाती है।

अध्याय एक
प्रशासन की योजना
(धारायें 16-क, 16-ख और 16-ग)
प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य

1- किसी संस्था की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित पदेन सदस्य सम्मिलित होगें-

(1) प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य, जैसी स्थिति हो।

(2) एक वर्ष की अवधि के लिए दो अध्यापक जिनमें से प्रत्येक का बारी-बारी से ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित ढंग से चयन होगा--

2- ज्येष्ठता के आधार पर बारी-बारी से चयन किए जाने के लिए प्रबन्ध समिति द्वारा संस्था के समस्त मौलिक सेवा वाले अध्यापकों की एक ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी। यह सूची उस संस्था में उसकी स्थायी नियुक्ति की तिथि तथा इस प्रकार दो अथवा उससे अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में उनकी ज्येष्ठता, उनकी आयु की ज्येष्ठता पर निर्धारित की जायेगी।

3- प्रथमतः इसी सूची में से दो ज्येष्ठतम अध्यापकों का प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य के रूप में चयन किया जायेगा। निदेशक द्वारा प्रशासन की योजना स्वीकृत होने के पश्चात् प्रबन्ध समिति गठित होने की तिथि से उनकी अवधि प्रारम्भ होगी। उनकी अवधियाँ समाप्त होने पर अथवा उससे पूर्व एक अथवा दोनों अध्यापकों द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने अथवा संस्था की सेवा में न रहने पर हुए रिक्त स्थान या स्थानों की पूर्ति के लिए ज्येष्ठता सूची में आने वाले अध्यापक/अध्यापकों का उसके/उनके स्थान पर पूरी अवधि के लिए चयन किया जायगा। एक अध्यापक की पदेन सदस्यता एक पद क्रम अथवा वर्ग से दूसरे में पदोन्नत अथवा पदावनत होने पर अपनी अवधि के बीच समाप्त न होगी।

4- प्रबन्धक ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा और उसका लेखा रखेगा, जिसमें दिखाया जायेगा कि एक अध्यापक किसी तिथि से अपने ज्येष्ठता की गणना करने का अधिकारी है। सूची को अन्तिम रूप देने के पूर्व वह उसकी एक प्रति संस्था के प्रत्येक अध्यापक को देगा और प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर किसी अध्यापक द्वारा की गयी आपत्ति का प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।

5- समिति के निर्णय से असन्तुष्ट कोई भी अध्यापक उसे निर्णय की सूचना मिलने के पन्द्रह दिन के भीतर निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका के यहाॅं, जैसी कि स्थिति हो, अपील करेगा, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा।

6- अन्तिम रूप दिए जाने के बाद सूची की एक प्रति प्रत्येक अध्यापक को, संस्था के प्रधान को, निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका को निर्देश एवं अभिलेख हेतु दी जायेगी। अध्यापकों की संख्या या एक वर्ग के अध्यापकों के पद-क्रम में हुए परिवर्तन सूची में यथाविधि कर दिए जायेगें और समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को इसकी सत्वर सूचना दे दी जायेगी। परिवर्तन से असन्तुष्ट कोई भी अध्यापक सूचना मिलने के एक माह के भीतर प्रबन्ध समिति के समक्ष आपत्ति कर सकता है और उस आपत्ति पर विनियम 4 के अन्तर्गत की गई आपत्ति के समान विचार किया जायेगा।

7- समिति की, जिसके लिए उसका चयन हुआ है, पदेन सदस्यता अस्वीकार करने पर अथवा किसी भी कारणवश अपनी अवधि का उपयोग करने में असमर्थ होने पर एक अध्यापक सदस्यता का तब तक पुनः पात्र न हो सकेगा जब तक कि ज्येष्ठता सूची का पूरा चक्र पूर्ण न हो जाय।

8- पदेन-सदस्य किसी चन्दा का देनदार न होगा।

<u>आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य</u>

9- प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य एक प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के समस्त कर्तव्यों के अतिरिक्त उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसके पद से सम्बन्धित होगा। प्रबन्ध समिति के प्रति संस्था के प्रबन्धक द्वारा इन समस्त कर्तव्यों का यथाविधि पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए उसे आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे।

10- प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य अपनी संस्था के आन्तरिक प्रबन्ध एवं अनुशासन जिसमें अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मिलित होगें, के प्रति पूर्णरूपेण उत्तरदायी रहेगा और उसे उसके लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे--

(1) छात्रों की भर्ती तथा विद्यालय छोड़ना और उन्हें दण्ड, जिसमें निष्कासन एवं निष्कासन के लिए संस्तुति भी सम्मिलित है,पाठ्य-पुस्तकों का चयन, पुस्तकालय, वाचनालय एवं पुरस्कारों के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का चयन, समय-सारिणी की व्यवस्था करना तथा अध्यापक-वर्ग के विद्यालय कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्तव्यों का नियत करना, परीक्षायें एवं जांच कराना, छात्रों की पदोन्नति एवं निरोध, समस्त प्रपत्रों और विद्यालय पंजिकाओं तथा छात्रों की प्रगति आख्याओं का अनुरक्षण तथा उनके अभिभावकों को सूचित करना, विद्यालय के लिए आवश्यक उपस्कर (फर्नीचर), सज्जा एवं साधित के लिए तथा उसकी मरम्मत और बदलवाने के लिए अधियाचन तैयार करना, खेल-कूद एवं पाठ्यानुवर्ती कार्यकलापों का संगठन,छात्रों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए व्यवस्था करना,

अध्यापक वर्ग की सेवाओं का विद्यालय परिसर के भीतर अथवा बाहर शैक्षिक कार्यक्रम के लिए उपभोग करना, निम्न कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति नियन्त्रण एवं दण्ड, जिसमें पृथक्करण एवं विसर्जन भी सम्मिलित है, अधीक्षक द्वारा छात्रावास का नियन्त्रणः

(2) अध्यापकों, लिपिकों, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं निम्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें एवं चरित्र पंजियां रखना, उनकी चरित्र-पंजियों में प्रविष्टियां करना तथा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना देना, लिपिकों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का नियन्त्रण तथा देखभाल उनका निलम्बन तथा उनके स्थायीकरण, पदोन्नति तथा दक्षता-रोक पार करने की संस्तुति करना, संस्था के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना, प्रबन्ध समिति को अध्यापकों, लिपिकों तथा पुस्तकाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना, शैक्षिक परीक्षाओं में बैठने के प्रार्थना-पत्रों को आदेशार्थ समिति को संस्तुत करना, अध्यापकों को निजी-गृह शिक्षण की अनुमति देना। बालकों की समस्त निधियों का नियन्त्रण तथा प्रशासन, प्रधानाचार्य का यह कर्तव्यों होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि जो निधि जिस कार्य के लिए स्वीकृत है, उसी मद में व्यय की जाय। यदि किसी मद में बचत हो तो उस निधि का शुल्क लेना बन्द करना। प्रबन्ध द्वारा स्वीकृत संख्या में निःशुल्कता तथा अर्द्ध निःशुल्कता प्रदान करना, वृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों की धनराशि का निकालना तथा वितरण।

11- वित्तीय एवं अन्य मामलों में, जिनके लिए वह पूर्णतः उत्तरदायी नहीं हैं, प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य प्रबन्धक के द्वारा निर्गत प्रबन्ध समिति के निर्देशों का पालन करेगा।

12- प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य संस्था के अध्यापक वर्ग तथा प्रबन्ध समिति के बीच पत्र-व्यवहार का माध्यम होगा।

प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्तव्यों एवं कार्य

13- प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य निम्नलिखित होंगे-

(1) अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रधानाध्यापक, आचार्य,अध्यापक, मेट्रेन, लिपिक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति, दक्षतारोक पार करने की स्वीकृति, निलम्बन तथा दण्ड विधान (जिसमें पृथक्करण एवं नियुक्ति भी सम्मिलित है)।

(2) संस्था के प्रधान प्रबन्धक द्वारा कर्मचारियों की सेवा पंजियों में की गयी प्रविष्टियों के विरूद्ध अपीलों पर निर्णय देना।

(3) जहाँ प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य को अधिकार प्राप्त है, उनके अतिरिक्त संस्था के कर्मचारियों को ग्राह्य समस्त अवकाश स्वीकृत करना।

(4) बालकों की निधियों को छोड़कर संस्था की समस्त धनराशियों, प्रतिभूतियों(जमानतों), सम्पत्तियाँ तथा सन्दानों का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध एवं उनकी निरापद परिरक्षा, विनियोग, मरम्मत, अनुरक्षण और विधिक रक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

(5) शासन से प्राप्त अनुरक्षण और विकास अनुदानों तथा प्रतिपूर्तियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना।

(6) संस्था के लिए समस्त आय(छात्रवृत्तियों और बालकों की निधियों को छोड़कर) चन्दा, दान, भेंट, लाभांश, ब्याज, अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उसके अधिकारों एवं कार्यो से उठने वाले वित्तीय दायित्वों को पूरा कराना।

प्रशासन की योजना का अनुमोदन

14- मुख्य सिद्धान्त जिस पर प्रशासन को योजना का अनुमोदन किया जायेगा यह होगा कि वह निम्नांकित नियमों के अनुसार हो-

(अ) प्रशासन की योजना प्रबन्ध समिति के उचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन की व्यवस्था करें।

(आ) प्रबन्ध समिति गठित करने की विधि, उसके सदस्यों की योग्यतायें, एवं अयोग्यतायें, उनके कार्यकाल की अवधि, उसकी बैठकें बुलाने और उनमें कार्य संचालित करने की विधि निर्धारित की जायेगी।

(इ) समस्त निर्णय प्रबन्ध समिति द्वारा किए जायेंगे और प्रतिनिधान के अधिकार, यदिकोई हुए तो सीमित होगें तथा स्पष्ट रूप से कथित होगें।

(ई) प्रबन्ध समिति एवं उसके सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से कथित होंगे।

(उ) अधिकारों का वितरण भली-भाँति संतुलित रहेगा तथा व्यक्तिगत और वर्गीय हितों की प्रधानता का परिहार होगा।

(ऊ) आचार्य, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के चयन के लिए समिति का गठन एवं अधिनियम और विनियमों के अन्तर्गत उसके कार्यान्वयन का प्राविधान।

(ए) प्रशासन की योजना यह व्यवस्था करेगी कि संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्त और दशायें अधिनियम और विनियमों से अनुशासित होगी।

(ऐ) प्रशासन की योजना संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण एवं सुरक्षा और निधियों के विनियोग एवं उपयोग के साथ ही लेखा की नियमित जाँच और सम्परीक्षण की व्यवस्था करेगें और उनके दुर्विनियोग, दुरूपयोग एवं क्षय के विरूद्ध उपाय निश्चित करेगी।

(ओ) योजना में मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक अथवा उप-शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा घोषित प्रबन्ध के अधिकार सम्बन्धी झगड़ों के तुरन्त निपटारे की तथाझगड़े की अवधि में संस्था के प्रबन्ध की व्यवस्था होगी।

(औ) योजना का कोई उपबन्ध शिक्षा संहिता के सम्बद्ध अनुच्छेदों के विपरीत न होगा जहाँ कि ये अनुच्छेद अधिनियम और विनियमों से असम्बद्ध नहीं है।

(अं) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी, परन्तु यदि किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा प्रदेश के कम से कम 50 प्रतिशत जनपदों को आच्छादित करते हुए न्यूनतम सौ से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का संचालन/अनुरक्षण किये जाने की दशा में उस निकाय या प्राधिकारी की संस्थाओं के लिए अधिनियम में विहित व्यवस्था के अनुसार एक ही प्रशासन योजना हो सकेगी।

(विज्ञप्ति संख्याःपरिशद-9/740 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा संषोधित राजकीय गजट प्रकाषन दिनांक 01 जनवरी, 2022)

15- निदेशक को प्रशासन की योजना प्राप्त होने के मास की प्रथम तिथि से छः मास की अवधि दी जायेगी, जिसमें वे या तो उसे स्वीकार कर लेगें अथवा उसको उपधारा 16-ग (1) के अन्तर्गत परिवर्तनों अथवा अशोधनों के सुझावों के साथ लौटा देंगे।

16- निदेशक द्वारा परिवर्तनों अथवा अशोधनों की सूचना प्राप्त होने की तिथि से संस्था को प्रत्यावेदन करने हेतु प्रत्येक बार 3 मास की अवधि उपधारा 16-ग (1) और 16-ग (2) के अन्तर्गत मिलेगी।

17- प्रत्येक अध्यापक अपनी संस्था के प्रधान द्वारा कक्षा शिक्षण, लिखित कार्य, सहपाठ्यक्रमीय कार्यकलाप, गृह परीक्षा एवं परिषदीय परीक्षाओं एवं अन्य विद्यालयी कार्यों के सम्बन्ध में प्रदत्त आदेशों का पालन करेगा।

18- प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई अध्यापक/कर्मचारी विभाग के किसी अधिकारी/कार्यालय से किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित नहीं करेगा।

19- परिषदीय परीक्षाओं के अन्तरीक्षण, मूल्यांकन, सारणीयन आदि कार्यो के सम्बन्ध में परिषद् के नियमों के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक या परिषद् के द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के निर्देशों का पालन करेगा।

20- प्रत्येक अध्यापक अपने कर्तव्य-पालन में समय की नियमितता बरतेगा।

21- कोई भी अध्यापक बिना प्रधान की अनुमति के विद्यालय में उपस्थित होने पर विद्यालय समय के अन्तर्गत विद्यालय नहीं छोड़ेगा।

22- कोई भी अध्यापक किसी ऐसी प्रकार की पुस्तक जिन्हें कुन्जी/गाइड आदि कहा जाता है के प्रकाशन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं देगा।

23- कोई भी अध्यापक निदेशक की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए कोई चन्दा या दान नहीं वसूल करेगा।

24- कोई भी अध्यापक किसी छात्र की जातिवाद, क्षेत्रीयता या अस्पृश्यता की भावनाओं को भड़काने में प्रवृत्त नहीं करेगा।

25- कोई भी अध्यापक विद्यालय की सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुँचाने में न प्रवृत्त होगा और न प्रवृत्त करेगा।

26- विभाग द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत कोई अध्यापक विद्यालय में कोई बैठक न बुलाएगा और न ही किसी ऐसी बैठक में भाग लेगा जब तक कि ऐसी बैठक उसके प्रधान द्वारा अनुमोदित कार्यो के दायित्व निर्वहन के अन्तर्गत न हो।

27- परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में किसी असामान्य परिस्थितियों के उत्पन्न होने की आशंका की स्थिति में, जिसमें किसी प्रकार से परिषदीय परीक्षाओं का बहिष्कार अथवा असहयोग सम्मिलित है, परीक्षाओं के संचालन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, अवकाश प्राप्त प्रधानों, अन्य अध्यापकों अथवा राज्य कर्मचारियों, अध्यापक-अभिभावक एसोसियेशन के सदस्यों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों आदि की एक सूची समय के भीतर तैयार करेगा तथा ऐसी किसी भी असामान्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परीक्षाओं के संचालन में उनका सहयोग प्राप्त कर सकेगा।

अध्याय-दो

संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति

(धारा 16-ङ, 16-च और 16-चच)

1- किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान और अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए, चाहे वह सीधी भर्ती से हो या अन्यथा, न्यूनतम अर्हतायें ''**परिशिष्ट-क**'' में दी गई है।

1-क- विखण्डित

2-(1) संस्था के प्रधान का पद, यथास्थिति, धारा 16-च की उपधारा (1) के अधीन या धारा 16-चच की उपधारा (1) अधीन गठित चयन समिति को निर्देश करने केपश्चात् खण्ड (2) में किए गए उपबन्धों के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी संस्था की दशा में जो धारा 16-चच में निर्दिष्ट संस्था न हो, संस्था के प्रधान के पद में ऐसी अस्थायी रिक्ति जो किसी पदधारी को किसी शिक्षा सत्र के दौरान छः माह से अनाधिक अवधि की छुट्टी प्रदान करने या किसी पदधारी की मृत्यु या सेवा-निवृत्ति या उसके निलम्बन के कारण हुई हो, संस्था में उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम अर्ह अध्यापक की, यदि कोई हो, पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

(2)(क) जहाँ कोई संस्था हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट कालेज में क्रमोन्नति की जाय वहाँ ऐसे कालेज के प्रिंसिपल का पद ऐसे हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, यदि वह तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार मौलिक रूप से प्रधान अध्यापक के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और उसका सेवा-अभिलेख अच्छा हो वह इस निमित्त विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो या उसे परिषद् द्वारा ऐसी अर्हता से छूट दी गई हो।

(ख) ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति सम्बद्ध प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का प्रस्ताव सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत करेगी।

(ग) उप खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति के उस प्रस्ताव की एक प्रति जिसमें ऐसे प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का अनुमोदन किया गया हो, उसकी सेवा-पुस्तिका और चरित्र-पंजी संलग्न होगी और उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिया होगा, अर्थात्-

(1) जन्म का दिनांक,

(2) उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षाएं जिसमें ऐसी परीक्षाओं के विषय-श्रेणी और उत्तीर्ण करने का वर्ष उल्लिखित होगा।

(घ) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ऐसे प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय उसकी प्राप्ति के दिनांक

से दो सप्ताह के भीतर संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

(ङ) उपखण्ड (घ) के अधीन सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक का विनिश्चय प्रबन्ध समिति को और सम्बद्ध प्रधानाध्यापक को भी संसूचित किया जायगा।

(च) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति भी है, उप खण्ड (ङ) के अधीन आदेश के संसूचित किए जाने के दिनांक से दस दिन के भीतर उसके विरूद्ध निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

(छ) किसी हाईस्कूल का कोई प्रधानाध्यापक जो क्रमोन्नत इण्टरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य न पाया जाय या किसी ऐसे जूनियर हाईस्कूल का कोई प्रधानाध्यापक जिसका उसके हाईस्कूल के रूप में क्रमोन्नत किए जाने पर चयन समिति द्वारा ऐसे क्रमोन्नत हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के लिए चयन न किया गया हो, ऐसे उच्चतम पद पर, जिसके लिए वह अर्ह हो, सहायक अध्यापक के रूप में रखा जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका वेतनमान घटाया नहीं जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपखण्ड में दी गयी कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे दिनांक को, जब संस्था को यथास्थिति, हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया था स्थायी न रहा हो या विधि के अनुसार सम्यक्रूप से नियुक्त न किया गया हो।

(3) जहाँ संस्था के प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति तीस दिन से अनाधिक की अवधि के लिए हो, वहाँ उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम अध्यापक को संस्था के कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा दी जा सकती है, किन्तु वह उस श्रेणी से जिसमें वह अध्यापक के रूप में वेतन पा रहा हो, उच्चतर श्रेणी में वेतन का हकदार न होगा।

(4) ऐसे सभी मामलों में, जिनमें इस विनियम के अधीन पदोन्नति की जाय, प्रबन्ध समिति के संकल्प की प्रति परिशिष्ट 'ख' में विहित प्रारूप (प्रोफार्मा) में विवरण के साथ शीघ्र ही प्रबन्धक द्वारा निरीक्षक और सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी।

3-(1) प्रत्येक संस्था की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करायेगी--

(क) प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों की, जो किसी मौलिक पद पर स्थायी या अथायी हों, ज्येष्ठता सूची पृथक-पृथक तेयार की जायगी।

(ख) किसी श्रेणी में अध्यापकों की ज्येष्ठता उस श्रेणी में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर अवधारित की जायगी।

यदि एक ही दिनांक को दो या दो से अधिक अध्यापक इस प्रकार नियुक्त किए गए थे, तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायगी।

(खख) जहाँ किसी श्रेणी में काम करने वाले दो या अधिक अध्यापक एक ही दिनांक को अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नत किए जाये तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जायेगी, जिसकी गणना उस श्रेणी में, जिससे पदोन्नति की जाय, उनका मौलिक नियुक्ति के दिनांक से की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सेवा की अवधि समान हो तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(ग) सेवा काल की अवधि चाहे कुछ भी हो उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निम्नतर श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा।

(घ) यदि कोई अध्यापक जो निलम्बित किया गया हो अपने मूल पद पर बहाल कर दिया जाय तो श्रेणी में उसकी मूल ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) अध्यापक की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्येक विवाद प्रबन्ध समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण देते हुए उसका विनिश्चय करेगी।

(च) उपखण्ड (ङ) के अधीन प्रबन्ध समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय ऐसे अध्यापक को सूचित किए जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को अपील कर सकता है, और अपील पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उप शिक्षा निदेशक अपना निर्णय कारणों सहित देगा, जो अन्तिम होगा और प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यान्वित किया जायगा।

(छ) यदि एक ग्रेड में कार्यरत दो या अधिक अध्यापक किसी एक ही तिथि पर पदोन्नत किए जांय तो उनकी ज्येष्ठता का आधार उस ग्रेड का सेवाकाल होगा जिसमें वे कार्यरत थे,परन्तु यदि सेवा-काल बराबर है तो पदोन्नति की दशा में आयु के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(2) ज्येष्ठता सूची प्रतिवर्ष पुनरीक्षित की जायेगी और खण्ड(1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे पुनरीक्षण पर लागू होंगे।

(3)-क (1) किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था की स्थिति में, विनियम 3 में यथा व्यवस्थित ज्येष्ठता सूची सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की जायेगी और उसका अनुरक्षण किया जायेगा।

(2) जहां किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं की संख्या एक से अधिक हो वहां संस्थाओं के प्रधानों की एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची और अध्यापकों की एक अन्य संयुक्त ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी। बालकों और बालिकाओं की संस्थाओं की स्थिति में ऐसी सूचियां पृथक-पृथक रखी जायेगी।

(3) उप विनियम (1) और (2) के अधीन ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए नियम 3 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होगें और उक्त विनियम में और अध्याय 2 के अधीन अन्य विनियमों में प्रबन्ध समिति के प्रति निर्देश को उप विनियम (1) में निर्दिष्ट संस्थाओं की स्थिति में सम्बद्ध स्थानीय निकाय के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

4- जहाँ किसी जूनियर हाईस्कूल को धारा 7 के अधीन हाईस्कूल के रूप में मान्यता दी जाय वहाँ ऐसे स्कूल के ऐसे स्थायी या अस्थायी अध्यापक को, जो विनियम 1 के अधीन न्यूनतम अर्हता रखता हो, ऐसे हाईस्कूल का यथास्थिति स्थायी या अस्थायी अध्यापक समझा जायगाय प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अस्थायी अध्यापक की सेवायें, जिसका अधिनियम और विनियम के अनुसार नियुक्ति के लिए चयन न किया गया हो, उसे उस निमिŸा एक माह का नोटिस देने या नोटिस के बदले में एक माह का वेतन देने के पश्चात् समाप्त हो जायगी।

स्पष्टीकरण- इस विनियम में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि हाईस्कूल के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक भी है।

’5- (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापक के पद की प्रत्येक रिक्ति खण्ड (2)में किए गए अन्यथा उपबन्ध के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा भरी जायगी।

(2)-(क) प्रवक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत संस्था में क्रमशः एल0टी0 और सी0टी0 श्रेणी में कार्यरत अध्यापकों में से केवल पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा और पदोन्नति ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति के लिए उपलब्धता तथा पात्रता के अधीन रहते हुए की जायेगी।

शासनादेश संख्याः 1689/15-7-69-1990 दिनांक 15 सिंतम्बर 1990 द्वारा धारा 9(4) के अन्तर्गत प्रमोशन के कोटे को 40 से बढ़ाकर 50 किया गया। विज्ञप्ति संख्या परिषद-9/715 दिनांक 19-11-90 द्वारा।

(ख) यदि यथास्थिति प्रवक्ता (लेक्चरार) श्रेणी में एल0टी0 श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक पद पहले ही पदोन्नति द्वारा भर लिए गए हों तो पहले से पदोन्नत किए गए व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन पचास प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधा से कम भाग छोड़ दिया जायगा और आधा या आधा से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-

(1) पद ''स्वीकृत पद'' का तात्पर्य किसी ऐसे पद से है जिसका सृजन किसी विर्निदिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से न किया गया हो वरन् जो ऐसे पद का सृजन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा सृजित किया गया हो और उसके अन्तर्गत ऐसा पद भी है जिस पर नियुक्ति निरीक्षक के अनुमोदन से की गई हो।

(2) यह नहीं समझा जायेगा कि कोई ऐसा पद पदोन्नति द्वारा भरा गया है, जिस पर कोई ऐसा अध्यापक था, जो संस्था में निम्नतर श्रेणी में कार्य करते समय सीधी भर्ती द्वारा उस संस्था में उच्चतर श्रेणी द्वारा उस संस्था में उच्चतर श्रेणी में नियुक्त किया गया था।

(3) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1958) के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी रीति से, सम्यक् रूप से नियुक्त अध्यापक सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए समझें जायेगें।

6-(1) जहां विनियम 5 के अधीन यथा अवधारित प्रवक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहाँ यथास्थिति एल0टी0 या सी0टी0 श्रेणी में कार्यरत ऐसे सभी अध्यापकों के सम्बन्ध में, जिनकी उक्त रिक्ति होने के दिनांक को न्यूनतम पाँच वर्ष की लगातार मौलिक सेवा हो, प्रबन्ध समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उसके निमित्त उनके आवेदन किए बिना ही विचार किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि वे उस विषय में जिसमें प्रवक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में अध्यापक की आवश्यकता हो, अध्यापन के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हों।

टिप्पणी- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए किसी अध्यापक द्वारा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में एल0टी0 श्रेणी या सी0टी0 श्रेणी में की गयी सेवा की गणना पात्रता के सम्बन्ध में की जायेगी यदि उसमें सेवा से हटाये जाने, पदच्युत होने या निम्नतर पद पर पदोन्नति होने से व्यवधान न हुआ हो।

(2) अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए चयन सेवाकाल, सेवा में उपलब्ध शैक्षिक

अर्हता और सत्यनिष्ठा के आधार पर की जायेगी।

(3) खण्ड(2) के अधीन रहते हुए जहाँ किसी विषय में प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के लिए एल0टी0 श्रेणी में एक से अधिक अध्यापक पात्र हों वहाँ ऐसे अध्यापक को अधिमानता दी जायेगी जो उनमें से उस श्रेणी में सेवा में ज्येष्ठतम हों।

(4)(क) किसी ऐसे अध्यापक के दावे की जो पदोन्नति के लिए पात्र हो, केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह लम्बी छुट्टी पर चला गया है या उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर अस्थायी रूप से स्थानापन्न है या कार्य कर रहा है।

(ख) किसी ऐसे अध्यापक की दशा में जो निलम्बित हो, पदोन्नति के लिए दावे की उपेक्षा नहीं की जायेगी यदि वह पदोन्नति के चयन किए जाने के पूर्व बहाल कर दिया जाय।

(5) किसी ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में जिसका इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किया गया है, संस्था का प्रबन्धक ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर निरीक्षक की सहमति के लिए प्रस्ताव के साथ ऐसे संकल्प की एक प्रति और एक विवरण-पत्र भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जायेगें:

(1) उस श्रेणी में जिसमें पदोन्नति की जानी हो, स्वीकृत पदों की कुल संख्या;

(2) ऐसे पदों की संख्या जो पदोन्नति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे;

(3) ऐसे पदों की संख्या जो पहले ही पदोन्नति द्वारा भर दिए गए हों और पदाधिकारियों के नाम;

(4) ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या जो हो गयी हो;

(5) प्रबन्ध समिति द्वारा अवधारित रिक्तियों की संख्या जो--

(क) पदोन्नति

(ख) सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी।

(6) पदोन्नति के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम, उनकी अर्हता और उस श्रेणी में, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से उनकी सेवा की अवधि, और

(7) पदोन्नति के लिए चयन किए गए व्यक्तियों के नाम।

(6) खण्ड (5) के अधीन प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर निरीक्षक उस पर अपना विनिश्चय प्रबन्धक को संसूचित करेगा। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि निरीक्षक ने प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प पर अपनी सहमति दे दी है।

(8) जहाँ प्रबन्ध समिति खण्ड (6) के अधीन निरीक्षक के विनिश्चय से व्यथित हो, वहाँ वह प्रबन्धक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना दिए जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर, उसके विरूद्ध

सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

7-(1) ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज, एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, के सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में बी0टी0सी0 श्रेणी में अध्यापकों के पद की प्रत्येक रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी। स्नातक परीक्षा के साथ सी0टी0/बी0टी0सी0/एच0टी0सी0 या समकक्ष अर्हता किन्तु बी0टी0सी0 प्रशिक्षित उपलब्ध न होने की दशा में बी0एड0 अर्हताधारी नियुक्त किये जा सकेगे।

(2) ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में उपलब्ध प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत पदों को प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत ऐसे अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जिन्होंने प्राइमरी अध्यापक के रूप में पांच वर्षो की सेवा पूरी कर ली है तथा वह प्रशिक्षित स्नातक हो और ऐसी पदोन्नति की सूचना निरीक्षक को तुरन्त दी जायेगी।

(3) यदि निरीक्षक को यह विश्वास करने का कारण हो कि खण्ड (2) के अधीन कोई पदोन्नति उक्त अधिनियम और विनियमों के उल्लंघन में की गई है तो इस निमित्त की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह मामले का निर्देश निदेशक को कर सकता है जिसका विनिश्चय इस विषय में अंतिम होगा।

8- यदि कोई अध्यापक विनियम 5, 6 या 7 के अधीन प्रबन्ध समिति के किसी विनिश्चय से व्यथित हो तो वह उसके विरूद्ध ऐसे विनिश्चय के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अभ्यावेदन कर सकता है। निरीक्षक ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने के तीनसप्ताह के भीतर उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे, जो प्रबन्ध समिति द्वारा शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा।

9(1) सहायक अध्यापक/प्रवक्ता के आकस्मिक निधन, सेवाच्युक्त किये जाने या सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप पद रिक्त होने की स्थिति में अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी आने अथवा 01 जुलाई से ग्रीष्मावकाश होने की अवधि तक जो भी पहले घटित हो तक के लिये अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों पर सेवा निवृत्त सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं से इस विनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निरीक्षक द्वारा 70 वर्ष से अनधिक आयु के सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं का बालक एवं बालिका विद्यालय के लिये जनपद स्तर पर अलग-अलग

पूल का गठन किया जाय। सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(2) जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अल्पकालिक रूप से रिक्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं के पदों हेतु जनपद स्तर पर एक पूल से, संस्था के अनुरोध पर सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता को सम्बन्धित संस्था में अवश्यकतानुसार अध्यापन कार्य हेतु लिया जायेगा।(विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/964 दिनांक 15 नवम्बर, 2017 द्वारा संशोधित)।

(3) यदि खण्ड (2) के अधीन कोई रिक्ति निकटतम निम्नतर श्रेणी में संस्था के किसी ऐसे अध्यापक के जो उस पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, उपलब्ध न होने के कारण भरी न जा सके तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा कुल मिलाकर छः माह से अनाधिक अवधि के लिए सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ आधार पर भरी जा सकती है

(4) खण्ड (2) या खण्ड (3) के अधीन भरी गई सभी रिक्तियाँ उनके भरे जाने के एक सप्ताह के भीतर परिशिष्ट (ख) में विहित प्रारूप (प्रोफार्मा) में निरीक्षक को सूचित की जायेगी।

9(क) किसी स्थायी अध्यापक की निम्नस्तर श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के परिणामस्वरूप हुई किसी रिक्ति को भरने के लिए किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई अध्यापक उस पद पर ऐसे स्थायी अध्यापक के उच्चतर श्रेणी में स्थायीकरण के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

10- किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को सीधे भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगीः-

(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों में जिनमें एक व्यापक प्रचलन का स्थानीय अथवा संस्था के निकटतम स्थान से प्रकाशित होने वाला कोई समाचार पत्र हो और दूसरा राज्य में व्यापक परिचालन वाला समाचार पत्र हो पद विज्ञापित किए जायेगें, प्रतिबन्ध यह है कि समाचार पत्रों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक अपने सम्भाग के सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित करेगें और उनमें से ही दो समाचार पत्रों में जनपद के समस्त प्रबन्ध समितियों द्वारा विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् स्थायी है या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या एल0टी0,सी0टी0 या जे0टी0सी0,बी0टी0सी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विषय जिसमें या जिनमें प्रवक्ता या अध्यापक की आवश्यकता हो), वर्तमान और अन्य भत्ते अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता और न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिए गए हों और अन्तिम दिनांक(जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम

न होना चाहिए) विहित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गए आवेदन-पत्र निम्नलिखित के कार्यालय में प्राप्त किए जायेगें--

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक, या

(2) बालिकाओं की संस्थाओं की दशा में सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका।

विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र किसी निरीक्षक के कार्यालय से 9 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट से भुगतान करने पर या कोषागार के चालान से निरीक्षक द्वारा बताये गए शीर्षक के अधीन स्टेट बैंक आफ इण्डिया में धनराशि जमा करके प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी दशा में निरीक्षक के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जायगा। इसके साथ-साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञप्ति किए जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायगी।

टिप्पणी- (1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की सभी रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।

(ख) आवेदन का प्रपत्र ऐसा होगा जैसा कि निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र को, जो संस्था में नियोजित हो और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा,किन्तु शीघ्र ही सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षकों को और धारा 16-चच में निर्दिष्ट संस्था में किसी पद की दशा में, उसके प्रबन्धक को भेज दिया जायगा।

(घ) प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र निरीक्षक के कार्यालय में निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र रखे गए रजिस्टर में क्रमानुसार संख्याकित और प्रविष्ट किए जायेगे और अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण-विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेगें। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण-विषयक अंक परिशिष्ट 'घ' में अधिकथित मानदण्ड के अनुसार अधिमानतया निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए स्थानीय सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों या सेवानिवृत्त प्रिंसिपलों या उपाधि महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के अध्यापकों या संस्था के सेवानिवृत्त प्रधानों द्वारा दिए जायेगें और इसकी जांच निरीक्षक या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन आवेदन-पत्रों का विज्ञापन में आवेदन-पत्र

प्राप्ति के लिए विज्ञापित अंतिम दिनांक से पांच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध समिति द्वारा तीन दिन के भीतर निरीक्षक के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर, निरीक्षक आवेदन-पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्ध को भिजवा देगा। प्रबन्धाधिकरण भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा गुण-विषयक प्राप्तांकों के अनुसार किया जायेगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वालों की संख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी, प्रतिबन्ध यह है कि यह संख्या ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ायी जा सकती है जो प्रथम सात स्थानों में समान गुण-विषयक अंक प्राप्त करें। निरीक्षक चयन करने के लिए ऐसे दिनांक, समय और स्थान को जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, सूचना ऐसे दिनांक के कम से कम दो सप्ताह पूर्व प्रबन्ध समिति को उसके प्रबन्धक के माध्यम से भेजेगा। सूचना प्राप्त होने पर प्रबन्धक शीघ्र ही विशेषज्ञों से भिन्न चयन समिति के अन्य सदस्यों को सूचना भेजेगा और साक्षात्कार के लिए चयन किए गए सभी अभ्यर्थियों को ऐसे चयन के कम से कम दस दिन पूर्व रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा साक्षात्कार-पत्रक जारी करेगा जिसमें चयन किए जाने का दिनांक, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा। चयन समिति तदनुसार चयन करने के लिए अपनी बैठक करेगी। निरीक्षक यथास्थिति धारा 16-च की उपधारा (1) या (2) के खण्ड(3) के अधीन नाम-निर्दिष्ट विशेषज्ञों को संस्था के नाम के साथ-साथ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान की सूचना ऐसे दिनांक के पर्याप्त समय पूर्व भेजेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई विशेषज्ञ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक को उपस्थित न हो सके तो निरीक्षक तुरन्त ही प्रतीक्षा सूची में से विशेषज्ञ का प्रबन्ध करेगा। दो विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी और उसके लिए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

(घघ) जहां खण्ड (क) के अधीन विज्ञापित पद किसी संस्था के प्रिंसिपल के पद के लिए हो, वहाँ ऐसी संस्था के प्रवक्ता श्रेणी के दो ज्येष्ठतम अध्यापक और जहाँ विज्ञापित पद किसी संस्था के प्रधानाध्यापक के पद के लिए हो वहाँ ऐसी संस्था के एल0टी0 श्रेणी के दो ज्येष्ठतम अध्यापक, जो ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हों और जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में कम से कम दस वर्ष की लगातार सेवा, जिसके अन्तर्गत ऐसी अवधि यदि कोई हो, जिसके दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा की हो, भी है, उस पद के लिए साक्षात्कार के निमित्त बुलाये जाने के हकदार होगें, भले ही वे खण्ड (घ) के अधीन प्रथम सात स्थानों में न आते हों।

(ङ) परीक्षा शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित दरों पर भुगतान करना होगाः-

रू0

(1) संस्था के प्रधान के पद के लिए

सामान्य अभ्यर्थी को - रू0 1,200.00 तथा

अनुसूचित जाति/जन-जाति अभ्यर्थी को रू0- 700 देय होगा।

(2) अध्यापक के पद के लिए-

सामान्य अभ्यर्थी को रू0 600.00 तथा

अनुसूचित जाति/जन-जाति के अभ्यर्थी को रू0 400.00 देय होगा।

परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट/ऑन लाइन सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम से प्रेषित किया जायेगा। परीक्षा शुल्क नगद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(विज्ञप्ति संख्य-परिषद-9/2094 दिनांक 19 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित)।

(च) प्रबन्ध समिति द्वारा परिशिष्ट ''ग'' में दिए गए प्रपत्र में एक विवरण-पत्र (6 प्रतियों में) तैयार कराया जायेगा जिसमें साक्षात्कार के लिए बुलाये गए प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम उसकी अर्हतायें और उसके सम्बन्ध में अन्य विवरण दिए जायेगें ओर उन्हें साक्षात्कार के समय पर चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष रखा जायेगा। सभी आवेदन-पत्र जिसके अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र भी हैं जिन्हें साक्षात्कार के लिए न बुलाया गया हो, खण्ड (घ) में निर्दिष्ट संस्था द्वारा रखा गया रजिस्टर,चयन समिति के सदस्यों को भेजें गए सभी पत्रों को और सभी साक्षात्कार पत्रकों की कार्यालय प्रतियों को भी जिसमें उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे जाने की डाकखाने की रसीद और प्राप्ति स्वीकृति, यदि कोई हो, सम्मिलित है, प्रबन्धाधिकरण द्वारा संस्था के माध्यम से चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(छ) चयन समिति द्वारा चयन गुण-विषयक अंकों और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के योग के आधार पर किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए अंकों का योग गुण-विषयक अंकों जैसा कि खण्ड (घ) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए जायें और चयन समिति के सदस्यों द्वारा 50 में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर लगाया जायेगा। उदाहरणार्थ- ऐसे अभ्यर्थी को जो खण्ड (घ) के अधीन 90 गुण-विषयक अंक प्राप्त करें। साक्षात्कार में निम्नलिखित अंक दिए जांयेः-

सदस्य संख्या 1	35
सदस्य संख्या 2	30
सदस्य संख्या 3	40
सदस्य संख्या 4	45

सदस्य संख्या 5 25

योग- 175

तो अंकों का योग 90+175/5=125 होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेषज्ञ भी खण्ड(च) में निर्दिष्ट विवरण पत्र में यह अंकित करेगा कि वह अभ्यर्थी के चयन से सहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह संक्षेप में उसके कारण लिखेगा। किसी पद के लिए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति या तो स्वयं या उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थी के नाम के साथ उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार अवधारित योग्यता क्रम में तैयार की गयी प्रतीक्षा-सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम और कम से कम दो ऐसे विशेषज्ञों के नाम भी दिए जायेगें जो ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से सहमत हों। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेगें जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम और पता और दिनांक दिया जायेगा। इस टिप्पणी की एक प्रति के साथ खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण-पत्र की एक प्रति सभापति द्वारा शीघ्र ही प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्धाधिकरण को भेजी जायेगी और दूसरी प्रति सम्बन्धित निरीक्षक को भेजी जायेगी।

स्पष्टीकरण- धारा 16-च की उपधारा(3) में निर्दिष्ट मामलों में, इस विनियम में प्रबन्ध समिति या उसके अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) या सदस्य के प्रति कोई निर्देश प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति निर्देश समझा जायेगा जिसे खण्ड (घ) के अधीन, साक्षात्कार में अंक देने के प्रयोजनार्थ चयन समिति का एकल सदस्य समझा जायेगा।

(छ) खण्ड (छ) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों का योग बराबर हो तो आयु में ज्येष्ठतम अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

11(1) किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक के चयन में उपस्थित विशेषज्ञों का यह कर्तव्य होगा कि वे चयन से सम्बन्धित अभी कागज-पत्रों की छान-बीन करें और विशेष रूप से यह परीक्षण करे कि साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों को अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार ठीक तौर से बुलाया गया और यह कि किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के ऐसे अवसर से वंचित तो नहीं रखा गया जो उसे उचित रीति से मिलना चाहिए था। वे परिशिष्ट 'ग' में विवरण में यथा प्रस्तावित चयन की कार्यवाहियों में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देगें। यदि वे यह अनुभव करें कि किसी अभ्यर्थी को किसी त्रुटि या चूक के फलस्वरूप साक्षात्कार के विधि संगत अवसर से वंचित रखा गया है तो वे मामले के पूरे ब्योरे के साथ निरीक्षक को सूचित करेगें। यदि निरीक्षक का यह समाधाना हो जाय कि इससे साक्षात्कार की कार्यवाहियां दूषित हो गयी हैं तो वह साक्षात्कार की कार्यवाहियों को अकृत और शून्य घोषित कर देगा और ऐसे मामलों में फिर से चयन

करने के लिए आदेश देगा। इस सम्बन्ध में निरीक्षक के आदेश अन्तिम और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए आबद्ध कर होंगे।

(2) चयन से सम्बन्धित सभी आवेदन-पत्र, कागज पत्र और रजिस्टर प्रबन्धाधिकारण द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेगें जैसा कि निदेशक द्वारा विहित की जाये और निरीक्षक, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या निदेशक को जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किए जायेगे।

12- संस्था का प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि चयन करने के पूर्व अधिनियम और विनियम के अधीन की जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा चयन समिति के सभापति या सदस्य का नाम-निर्देशन भी है, यथासमय कर ली जाय और साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक पर चयन समिति की बैठक और साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों के बैठने का सभी प्रबन्ध कर दिया गया है।

13- निरीक्षक एक या अधिक संस्थाओं के एक या अधिक चयन ऐसे स्थान, समय और दिनांक पर निर्धारित कर सकता है, जो सुविधाजनक हो।

14- संस्था के प्रधान और अध्यापकों का चयन करने के लिए प्रत्येक सम्भाग के लिए धारा 16-च की उपधारा (4) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों की पृथक-पृथक नामिका (पैनल) निदेशक द्वारा निम्नलिखित प्रवर्ग के व्यक्तियों में से जब उन्होने विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी हो, तैयार की जायेगीः-

(क) वे व्यक्ति जो संस्था के प्रधान का चयन करने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकेगें-

(1) उपाधि महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और पोलिटेक्निक जिसके अन्तर्गत सेन्ट्रल स्कूल भी है, के प्रिंसिपलय

(2) शिक्षा विभाग के प्रान्तीय शिक्षा सेवा के स्तर से अनिम्न प्रवर्ग के राजपत्रित अधिकारी चाहे वे सेवा में हो या सेवा निवृत्त हो गए होंय

(3) विश्वविद्यालयों और उपाधि महाविद्यालयों के आचार्य(प्रोफेसर) और उपाचार्य (रीडर);

(4) विश्वविद्यालयों और उपाधि महाविद्यालयों के प्रवक्ताय किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे इस रूप में कम से कम दस वर्ष तक कार्य कर चुके हों;

(5) कोई अन्य व्यक्ति जिसे निदेशक द्वारा उपयुक्त समझा जाये।

(ख) वे व्यक्ति जो अध्यापकों के चयन के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकेगें-

(1) किसी इण्टरमीडिएट कालेज, हाईस्कूल या राजकीय नार्मल स्कूल के प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक चाहे वे सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो गए हों;

(2) शिक्षा विभाग के उप जिला विद्यालय निरीक्षक के पद से अनिम्न प्रवर्ग के राजपत्रित अधिकारी, चाहे वे सेवा में हो या सेवा-निवृत्त हो गए हों;

(3) उपाधि महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय या पोलीटेक्निक के प्रवक्ता और शिक्षा विभाग के कम से कम पाँच वर्ष की अवस्थिति के राजपत्रित अधिकारी;

(4) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे निदेशक द्वारा उपयुक्त समझा जाय।

प्रत्येक सम्भागीय नामिका में विशेषज्ञों की संख्या उतनी होगी जितनी निदेशक द्वारा आवश्यक समझी जाय किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इण्टरमीडिएट कक्षाओं के चयन के लिए नियुक्त विशेषज्ञ अपने विषय में विशेषज्ञ होगें (अर्थात् उनके पास सम्बद्ध विषय में इण्टरमीडिएट कक्षाओं के अध्यापक के लिए परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए)। सम्भागीय नामिका तीन वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगी, किन्तु निदेशक उपर्युक्त अवधि के दौरान भी नामिका में किसी व्यक्ति को बढ़ा सकता है या उससे कोई व्यक्ति को हटा सकता है। जहाँ आवश्यक हो एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक नामिकाओं में सम्मिलित किया जा सकता है।

15- जैसे ही शिक्षा विभाग के सम्भागीय उप निदेशक को किसी संस्था के प्रधान के लिए विज्ञापित किसी पद के सम्बन्ध में विज्ञापन की प्रति प्राप्त हो जाय, वह सम्बद्ध संस्था के लिए अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञों की एक सूची जिसके साथ एक और नाम भी प्रतीक्षा सूची में होगा निरीक्षक को चयन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजेगा। उसी प्रकार निरीक्षक भी जैसे ही उसे विज्ञापन की प्रति प्राप्त हो ऐसी संस्था या संस्थाओं के लिए, जिसके लिए अध्यापक का चयन किया जाना हो, तीन विशेषज्ञ और एक अन्य जो प्रतीक्षा सूची में होगा को नाम-निर्दिष्ट करेगा, और उन्हें चयन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।

16- चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करें, यात्रा भत्ता दिया जायगा।

17- धारा 16-चच में निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सीधी भर्ती द्वारा संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगीः-

(क) प्रबन्धाधिकरण द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तयों की संख्या अवधारित किए जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम एक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार-पत्र में जिसका राज्य में अधिक एवं पर्याप्त परिचलन हो, पद विज्ञापित किए जायेगें, जिसमें रिक्तियों की

संख्या, पद का विवरण, (अर्थात् प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक या सम्बद्ध प्राइमरी श्रेणी के अध्यापक) तथा ऐसे विषय जिसमें प्राध्यापक या अध्यापक की आवश्यकता हो, पद के लिए विहित वेतनमान और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, न्यूनतम् अर्हता और आयु आदि कोई हो तो उनके सम्बन्ध में विवरण दिये जायेगें और ऐसे दिनांक(जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) जिस तक निदेशक द्वारा चयनित संस्था(राज्य सरकार द्वारा यथा-निर्दिष्टि आदेशों के क्रम में शिक्षा निदेशक द्वारा चयनित) के माध्यम से प्रबन्धाधिकरण ऑन लाइन आवेदन-पत्र प्राप्त करेगा, का उल्लेख होना चाहिए। प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/निरीक्षक को भी भेजी जायेगी।

टिप्पणी- (1) अध्यापकों और संस्था के प्रधान के पदों की समस्त रिक्तियाँ जो विज्ञापन के समय विद्यमान हों, विज्ञापित की जायेगी।

(2) कोई नया पद विज्ञापित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण द्वारा उनके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

(ख) प्रबन्धाधिकरण चयनित संस्था के माध्यम से सभी आवेदन-पत्र विहित प्रारूप में ऑन लाइन प्राप्त करेगा, जिसमें अर्हताएं, शिक्षण अनुभव और अन्य किसी क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण होंगे। आवेदन-पत्र के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां ऑन लाइन प्राप्त की जायेगी।

(ग) किसी संस्था में नियोजित और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आवेदन-पत्र उसके नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा बल्कि उसे सम्बद्ध प्राधिकारी को तुरन्त अग्रसारित किया जायेगा।

(घ) चयनित संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑन लाइन समस्त आवेदन-पत्रों की सूची प्रबन्धाधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त संस्था प्रधान के सम्बन्ध में सम्बन्धित संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं अध्यापकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को भी उक्त सूची की प्रति उलब्ध करायी जायेगी।

प्रधान पद हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा शिक्षकों हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्क्रीनिंग /लिखित परीक्षा एव साक्षात्कार के सम्बन्ध में प्रबन्धाधिकरण एवं स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा हेतु चयनित संस्था के मध्य समन्वय/परिवेक्षण का कार्य किया जायेगा।

उक्त प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर सम्बन्धित चयनित संस्था द्वारा संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक तथा सम्बद्ध प्राइमरी अध्यापक हेतु 90 अंको की स्क्रीनिंग/लिखित परीखा करायी जायेगी। साक्षत्कार 10 अंको का होगा।

उक्त स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा में प्रत्येक रिक्त पद के प्रति 05 अभ्यर्थियों की सूची चयनित संस्था द्वारा तैयार की जायेगी। चयनित संस्था द्वारा उक्त सूची प्रबन्धाधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी प्रति सम्बन्घित संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियो के प्रमाण-पत्रो का समयक परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित चयन समिति संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक/सम्बन्ध प्राइमरी अध्यापक पद हेतु 10 अंकों का साक्षत्कार आयोजित करेगी।

संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक/सम्बन्ध प्राइमरी अध्यापक पद के प्रत्येक पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व साक्षात्कार का दिनाक, समय और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा संस्था प्रबन्धक द्वारा प्रेषित की जायेगी। निर्धारित तिथि पर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा। चयन समिति स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के स्थान पर संस्था प्रधान एवं शिक्षक का चयन करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा-16-चच की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निधारित तिथि को चयन समिति की बैठक में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी।

(ङ) विनियम 10 के खण्ड (ङ) और (च) के और विनियम 11,12 तथा 16 के उपबन्ध संशोधन सहित, इस विनियम के आधीन किए गए चयन पर लागू होंगे।

(च) प्रत्येक मण्डल के लिए निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक-एक नामिका(पैनल) जिसमें विनियम 14 में निर्दिष्ट प्रवर्ग (क) से चुने गए 15 या अधिक व्यक्ति होगें, तैयार की जायेगी और उसे सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पास भेज दी जायेगी, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण से विशेषज्ञों के नाम भेजने का अनुरोध प्राप्त होते ही उक्त नामिका में से तीन विशेषज्ञों के नाम मुहरबन्द आवरण में प्रबन्धाधिकरण को उसके प्रबन्धक के माध्यम से संसूचित करेगा। विशेषज्ञों की मण्डलीय नामिका (पैनल) तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई नई नामिका(पैनल) न रखी जाय।

(छ) किसी पद के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति विनियम-17 घ में वर्णित प्रक्रिया के अधीन चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक्षा सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम उल्लिखित किए जायेगें। इसी प्रकार तैयार की गयी सूची पर चयन समिति के सभापति तथा अन्य सदस्य हस्ताक्षर करेगें और अपना-अपना पूर्णनाम, पदनाम और पता तथा दिनंाक उल्लिखित करेगें। सभापति इस सूची की एक प्रति तथा विनियम 10 के खण्ड (च) में

निर्दिष्ट विवरण की प्रति धारा 16-चच के अधीन यथा अपेक्षित अनुमोदन के लिए, यथास्थित, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या निरीक्षक को तुरन्त अग्रसारित करेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के प्राप्त होने के दिनांक के दो सप्ताह के भीतर, यथास्थिति, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, या निरीक्षक, उन पर अपना निर्णय देगें और ऐसा न करने पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया समझा जायेगा।(विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/674 दिनाक 12 सितम्बर, 2019 द्वारा संशोधित)।

18(1) धारा 16-च की उपधारा (1) या (2) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश और धारा 16-चच में निर्दिष्ट किसी संस्था की स्थिति में उसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ङ' में दिए गए प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्य-भार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी, कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।

(2) पदोन्नतियों और तदर्थ नियुक्तियों की स्थिति में भी, पदोन्नति या नियुक्ति का औपचारिक आदेश खण्ड(1) में निर्दिष्ट प्रपत्र के यथा-सम्भव निकटतम प्रपत्र में प्रबन्धक के हस्ताक्षर से सम्बद्ध व्यक्ति को जारी किया जायेगा।

(3) खण्ड (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश की एक प्रति निरीक्षक को और किसी संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, उसकी एक प्रति सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायेगी।

19- जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के उपबन्धों का उल्लंघन करके या किसी स्वीकृत पद से भिन्न किसी पद पर संस्था का प्रधान या अध्यापक नियुक्त किया जाये या संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी पद पर कोई पदोन्नति की जाये तो निरीक्षक जहां संस्था उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत आती हो, ऐसे व्यक्ति को वेतन और अन्य भत्ते, यदि कोई हों देने से इनकार करेगा और अन्य मामलों में ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में वेतन और भत्ते के लिए कोई अनुदान देने से इनकार करेगा।

20- जहां प्रबन्ध समिति इस अध्याय में दिए गए विनियमों के अनुसार किसी ऐसे स्वीकृत पद को जो, रिक्त हो गया हो, ऐसी रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर विज्ञप्ति नहीं करती है तो ऐसा पद अभ्यर्पित कर दिया गया समझा जायेगा और तब तक नहीं भरा जायेगा जब तक कि निदेशक द्वारा उसका सृजन फिर से स्वीकृत न कर दिया जाये।

2-परिशिष्ट-क

(अध्याय-दो, विनियम 1 के सन्दर्भ में)

अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मे प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें।

किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या निर्गमित किसी विश्वविद्यालय की या किसी ऐसे संस्था की, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझी जाती हो या संसद के किसी अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी ऐसी संस्था की सम्बद्ध विषय में उपाधि और डिप्लोमा इसके अधीन विहित न्यूनतम अर्हताओं के प्रयोजनार्थ मान्य होंगे।

इसके अधीन विहित अर्हताओं के सम्बन्ध में शब्द 'प्रशिक्षित' से तात्पर्य स्नातकोŸार प्रशिक्षण अर्हता जैसे पूर्ववर्ती पैरा में यथानिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या संस्था की, एल0टी0, बी0टी0, बी0एड0, बी0एड0 एस-सी0 या एम0एड0 या किसी समकक्ष अर्हता (उपाधि या डिप्लोमा) से है। इसके अन्तर्गत विभागीय ए0टी0सी0 और कम से कम पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव वाला सी0टी0 भी होगा। जे0टी0सी0/बी0टी0सी0 वाला अध्यापक भी सी0टी0 समझा जायेगा यदि उसने सी0टी0 श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष कार्य किया हो।

अनिवार्य अर्हतायें

क्रम संख्या	पदनाम	शैक्षिक	प्रशिक्षण	अनुभव	आयु	वरीयमान अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
1-	संस्था का प्रधान (1) प्रशिक्षित एम0ए0 या एम0एस0सी0 याएम0काम0 या एम0एस0सी0 (कृषि) या इसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर या अन्य उपाधि जो, उपर्युक्त पैरा में निर्दिष्ट निकाय द्वारा प्रदान की गयी हो और विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण संस्था में या उपर्युक्त प्रथम पैरा में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से सम्बद्ध किसी उपाधि महाविद्यालय में, या परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से सम्बद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिनकी परीक्षाएं परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाईस्कूल के प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो, प्रतिबन्ध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का/की न हो। या (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ-साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या पन्द्रह वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की					न्यूनतम 30 वर्ष

	स्नातकोत्तर उपाधि। या (3) विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारीय प्रतिबन्ध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो।	

टिप्पणी-

(1) कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्था की इण्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का विशिष्ट शिक्षण अनुभव होने पर सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण योग्यताओं से छूट दी जा ससकती है (अधिनियम में निहित प्राविधान के अनुसार)।

(2) शिक्षण अनुभव में प्रशिक्षण पूर्व अथवा पश्चात् का शिक्षण अथवा दोनों मिलाकर सम्मिलित है।

(3)उच्चतर कक्षाओं का तात्पर्य कक्षा 9 से 12 तक का है और इन कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य पद के लिए मान्य है।

अध्यापक

राजाज्ञा संख्या 1559/15-8-3031-1973, दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के अनुसार इस राजाज्ञा की निर्गमन की तिथि को अथवा उसके पश्चात् मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले समस्त भाषाओं के अध्यापकों की न्यूनतम शैैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होंगी जो समय-समय पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित की गई हों या की जायेगी। परन्तु जिन भाषाओं के अध्यापन की व्यवस्था राजकीय विद्यालयों में नहीं है और अशासकीय विद्यालयों में उनका अध्यापन किया जाता है, अशासकीय विद्यालयों में उन भाषाओं के अध्यापकों की न्यूनतम अर्हतायें वहीं होंगी जो परिषद् द्वारा निर्धारित है। ऐसे भाषा अध्यापकों के लिए बाद में राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति हेतु जो अर्हतायें निर्धारित की जायेगी वही अर्हतायें सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए लागू होंगी--

क्रम संख्या	पदनाम	शैक्षिक	प्रशिक्षण	अनुभव	आयु	वरीयमान अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
2-	हिन्दी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा11,12) के लिए	1-हिन्दी में एम0ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0ए0 अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी।				प्रशिक्षित

		2-प्रशिक्षण योग्यता वरीयान राजाज्ञासंख्याः मा/4428/ 15-72 (13)-76, दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल,1975 के पूर्व हाईस्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए, यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यतायें रखते हों, इण्टरमीडिएट कक्षाओं के हिन्दी प्रवक्ता पद पर प्रान्नति हेतु संस्कृत विषय से बी0ए0 उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। 3- हिन्दी में एम0ए0 के साथ संस्कृत विषय में स्नात्कोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता धारी को इण्टरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्त अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बी0ए0 में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी।				
	हाईस्कूल(कक्षा9,10) के लिए	1-बी0ए0 हिन्दी तथा संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री। **अथवा** 2-बी0ए0 हिन्दी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री। **नोटः-** विज्ञप्ति संख्याः परिषद-9/133 दिनांक 04मई, 2016 द्वारा संशोधित।				
3-	गणित अध्यापक	(1) एम0 ए0 अथवा एम0				प्रशिक्षित

	इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	एस0 सी0 गणित अथवा (2)गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी0ए0 (आनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (आनर्स)				प्रशिक्षित
	हाईस्कूल(कक्षा 9, 10) के लिए	बी0ए0 अथवा बी0एस0सी0 गणित				प्रशिक्षित
3(क)	सांख्यिकी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	सांख्यिकी में एम0ए0 या एम0एस0सी0 या बी0ए0 या बी0एस0सी0 में पूर्ण विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ गणित में एम0ए0 या एम0एस0सी0 या गणित में प्रशिक्षित एम0ए0 या एम0एस0सी0 और किसी विश्वविद्यालय का सांख्यिकी में एक वर्ष का डिप्लोमा				
4	गृह-विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	(1) गृह-विज्ञान में एम0 एस0 सी0 या गृह अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या गृह कला(होम आर्ट) में एम0ए0 या (2) गृह विज्ञान या गृह-अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइन्स) या गृह कला (होम आर्ट) में प्रशिक्षित स्नातक या राजकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का वर्ष, 1950-54 के बीच का तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम				
	हाईस्कूल (कक्षा9,10) के	(1) गृह विज्ञान या गृह-अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स)				

	लिए	या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइन्स) या गृह कला (होम आर्ट) में प्रशिक्षित स्नातक या (2) गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का टी0सी0 या (3) राजकीय गृह-विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का वर्ष, 1950-54 के बीच का तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम या (4) लेडी इरविन कालेज, दिल्ली का डिप्लोमा				
5-	अरबी अध्यापक (कक्षा11-12)के लिए	एम0ए0 अरबी				प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा9,10) के लिए	(1) अरबी के साथ बी0ए0 अथवा (2) इण्टरमीडिएट तथा निम्नलिखित में से एक योग्यता- (क) फाजिल, इलाहाबाद अथवा (ख) फाजिल, लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा (ग) मौलवी फाजिल, पंजाब विश्वविद्यालय				प्रशिक्षित प्रशिक्षित
6-	अर्थशास्त्र अध्यापक (कक्षा 11-12) के लिए	(1) एम0 ए0 (अर्थशास्त्र) अथवा (2) एम0 काम0 तथा अर्थशास्त्र सहित बी0 काम0 अथवा (3) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित

		अर्थशास्त्र में बी0ए0(आनर्स)				
	हाईस्कूल (कक्षा 9,10) के लिए	(1)अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय सहित बी0एस0सी0(कृषि) अथवा (2) बी0 काम0 अथवा (3) अर्थशास्त्र सहित बी0ए0				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
7-	इतिहास अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	(1) इतिहास में एम0ए0 अथवा (2) प्राचीन भारतीय इतिहास में एम0 ए0 (3) इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0ए0 (आनर्स) **टिप्पणी-** मध्यकालीन और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु अर्ह माने जायेंगे				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
	हाईस्कूल(कक्षा9,10) के लिए	(1) इतिहास विषय के साथ बी0ए0 अथवा (2) प्राचीन भारतीय इतिहास में बी0ए0(आनर्स) अथवा (3) इतिहास में बी0ए0 सहित राजनीति (इलाहाबाद विश्व-विद्यालय) में एम0 ए0 1951 के पश्चात् की उपाधि				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
8-	उर्दू अध्यापक इण्टरमीडिएट (11-12) के लिए	एम0ए0 (उर्दू) प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान				
	हाईस्कूल (कक्षा9,10) के लिए	बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0 टी0 या बी0 टी0 या बी0 एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा				

	अंग्रेजी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री)। किसी ट्रेनिंग कालेज से एल0 टी0 कालेज से डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजूकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी				
	हाईस्कूल(कक्षा9,10) के लिए	(1) बी0ए0(अंग्रेजी साहित्य) सहित अथवा (2)यू0जी0सी0द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ।				प्रशिक्षित
10-	चित्रकला तथा व्यावसायिक कला अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	(1)इण्टरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट(जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सार्टीफिकेट कहलाता था) अथवा (2)प्राविधिक कला के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा- (क)ड्राइंग अथवा पेन्टिग के साथ बी0 ए0 अथवा (ख) कला भवन,शन्ति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा (ग) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा				प्रशिक्षित

		अथवा (घ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा टिप्पणी- उपर्युक्त(2) के अन्तर्गत इण्टरमीडएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिए आवश्यक है, परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी।				
	हाईस्कूल (कक्षा9,10) के लिए	(1) राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सार्टीफिकेट(जो पहले ड्राइंग टीचर्स सार्टीफिकेट कहलाता था) अथवा (2) प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा (3) प्राविधिक कला के साथ हाईस्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यताः- (क) ड्राइंग अथवा पेंटिग के साथ बी0ए0 अथवा (ख) कला भवन, शान्ति-निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा (ग) राजकीय ड्राइंग और				

		हैन्डीक्रैफ्ट सेन्टर, इलाहाबाद का सर्टीफिकेट अथवा (घ) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर्सशिप परीक्षा अथवा (ङ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा अथवा (च)बम्बई की इण्टरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा अथवा (छ) बम्बई की थर्ड ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा अथवा **<u>टिप्पणी-</u>** (1) उपर्युक्त (2) के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। परन्तु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी। (2)उपर्युक्त (3) के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिए आवश्यक हैयपरन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का					

		प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी।				
11-	तर्कशास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	दर्शनशास्त्रमें एम0ए0 अथवा बी0ए0(आनर्स)त्रिवर्षीयपाठ्यक्रम दर्शनशास्त्र सहित, साथ में इण्टरमीडिएट अथवाबी0ए0 अथवा एम0ए0 में तर्कशास्त्र एक ऐच्छिक विषय रहा हो				प्रशिक्षित
12-	नागरिक शास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	(1) एम0ए0(राजनीति) अथवा (2) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बी0ए0 (आनर्स) बी0ए0 राजनीति शास्त्र सहित				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
13-	पाली अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	1- पाली में एम0ए0 अथवा 2- कलकत्ता का पालीतीर्थ पूर्ण इण्टरमीडिएट सहित 3-पूर्ण इण्टरमीडिएट सहित लंका का त्रिपिटकाचार्य 1- पाली के साथ बी0ए0 अथवा 2- लंका का प्रशिक्षित पंडित, पूर्ण इण्टरमीडिएट सहित				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
14	पंजाबी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा11-12)के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	पंजाबी में एम0ए0 1- पंजाबी के साथ बी0ए0 अथवा				प्रशिक्षित प्रशिक्षित

		2- पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी (पंजाबी में ज्ञानोपाधि)पूर्ण इण्टरमीडिएट के साथ				प्रशिक्षित
15-	फारसी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	एम0ए0 फारसी (प्रशिक्षण वरीयान) 1- बी0ए0 फारसी सहित तथा एल0टी0 या बी0टी0 या अन्य समकक्ष् शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा अथवा 2- कामिल (इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय) रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण सहित				प्रशिक्षित
16-	बंगाली अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	यथा संभव बंगाली में एम0ए0 न मिलने पर बंगाली विषय सहित बी0ए0 बंगाली विषय के साथ बी0ए0				प्रशिक्षित
17-	भूगोल अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	1-भूगोल में एम0ए0 अथवा एम0एस0सी0 अथवा 2- भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमसहित बी0ए0 (आनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (आनर्स) भूगोल के साथ बी0ए0 अथवा बी0 एस-सी0				प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रशिक्षित
18-	मनोविज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	1- एम0ए0 (मनोविज्ञान) अथवा 2- एम0 एड0				प्रशिक्षित

19-	मराठी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	एम0 ए0 (मराठी) बी0ए0 मराठी सहित				 प्रशिक्षित

20	शिक्षा शास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा-11,12) के लिये	1- शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0 ए0) अथवा 2- एम0 एड0 के साथ बी0ए0 अथवा बी0 एस0 सी0 3- एल0टी0 अथवा बी0टी0 अथवा बी0 एड0 के साथ मनोविज्ञान में एम0 ए0	
21	समाज शास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	1- एम0 ए0 (समाज शास्त्र) अथवा 2- समाज शास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0ए0 (आनर्स)	प्रशिक्षित प्रशिक्षित
22	सिन्धी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	इण्टरमीडिएट परीक्षा में सिन्धी अथवा फारसी सहित बी0ए0	एल0टी0 सी0टी0 अथवा आर0एस0टी0सी0
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	इण्टरमीडिएट परीक्षा में सिन्धी अथवा फारसी सहित इण्टरमीडिएट	सी0टी0 अथवा एस0 टी0 सी0
23	सैन्य विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडियट	1-डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान	

	(कक्षा 11-12) के लिये	वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने एक वर्ष के लिये कमीशन प्राप्त किया हो। अथवा 2- कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इण्टरमीडिएट अथवा परिषद् से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष् परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अथवा 3- कोई यू0 ओ0टी0 सी0 अथवा ए0 एफ0 (1) अथवा एन0 सी0 सी0 अधिकारी अथवा 4- हाईस्कूल स्तर तक ज्ञान रखने वाला वायसराय कमीशन अथवा 5- हाईस्कूल स्तर तक का अग्रेंजी ज्ञान सहित आई0 एन0 ए0 का आफिसर ट्रेनिंग सर्टीफिकेट रखने वाला। या 6- सैन्य विज्ञान या प्रतिरक्षा अध्ययन एम0 एस-सी0 या सैन्य शिक्षा में एम0 ए0 **टिप्पणी -** मद 6 के अधीन अर्हता नये व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वर्तमान अध्यापक को जो संबंधित विषय में स्नातक हो या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिसे कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, उपर्युक्त् मद (6) में दी गयी अर्हता से छूट होगी।
24	संगीत अध्यापक इण्टरमीडिएट	(क) संगीत में एम0 ए0

(कक्षा 11-12) के लिये

या

(ख) भातखंडे विद्यापीठ, लखनऊ की निपुण परीक्षा,

या

(ग) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा,

या

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा--

1- भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा।

अथवा

2- प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा

अथवा

3- गन्धर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा

अथवा

4- माधो संगीत विद्यालय,ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न)

अथवा

5- शंकर गन्धर्व विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा

अथवा

6- इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा

अथवा

(ड़) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ बी0 ए0

अथवा

(च) प्रयाग संगीत समिति,इलाहाबाद का बी0 टी0 डिप्लोमा

अथवा

(छ) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ

	का एल0 टी0 एम0 डिप्लोमा
हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा-- 1- भातखंडे संगीत विद्यापीठ,लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा अथवा 2- प्रयाग संगीत समिति,इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा अथवा 3- गंधर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अथवा 4- माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न) अथवा 5- शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा अथवा 6- इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा (ख) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद का बी0 टी0 डिप्लोमा (ग) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का एल0 टी0 एम0 डिप्लोमा बालिका विद्यालयों में 31 मार्च,1957 से पूर्व कार्य करने वाले पुरूष संगीत अध्यापक किसी भी संस्था में संगीत अध्यापक के पद के पात्र समझे जायं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि अपनी नियुक्ति के समय वे परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करते हैं तथा उन्होनें 31 मार्च, 1957 से पूर्व 3 वर्ष की अविरल सेवा की है। 31 मार्च,1957 के पश्चात् निर्धारित नवीन न्यूनतम

		योग्यतायें उनके लिए लागू न होंगी। अथवा (घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का भारतीय संगीत डिप्लोमा, उपर्युक्त् डिप्लोमा सम्पन्न तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पहले से पढ़ाने वाले और जून,1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जायेगें।	
25	संस्कृत अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	1- संस्कृत में एम0 ए0 अथवा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी (अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी) अथवा हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी का सम्पूर्ण आचार्य 2- प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान	प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	1- बी0ए0 संस्कृत सहित तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष् शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा अथवा 2- वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एल0टी0 या बी0टी0 या अन्य समकक्ष् अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा	
26	औद्योगिक रसायन अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	1- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम0 एस0-सी0 (प्राविधिक) अथवा 2- एम0 एस-सी0 (रसायन शास्त्र) तथा राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से औद्योगिक रसायन में एल0 टी0 अथवा	प्रशिक्षित

		3- एफ0 एच0 बी0टी0आई0 के साथ बी0 एस-सी0 अथवा ए0 एच0बी0टी0आई0, कानपुर के साथ बी0 एस-सी0 अथवा 4- राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 के साथ बी0 एस-सी0 (औद्योगिक रसायन) अथवा 5- राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 डिप्लोमा के साथ बी0 एस-सी0 (प्राविधिक)	
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	1- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी0एस0सी0 (औद्योगिक रसायन) अथवा 2- राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से औद्योगिक रसायन से एल0टी0 के साथ बी0 एस-सी0 (रसायन शास्त्र) अथवा 3- एफ0 एच0 बी0 टी0 आई0 के साथ बी0 एस-सी0 अथवा ए0 एच0बी0टी0आई0, कानपुर के साथ बी0 एस-सी0	
27	कुलाल विज्ञान अध्यापक,हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (कक्षा 9-12) के लिए	कुलाल विज्ञान के साथ बी0 एस-सी0, एल0टी0 (रचनात्मक) अथवा कुलाल विज्ञान के साथ बी0 एस-सी0 (प्राविधिक)	प्रशिक्षित

28	जीव विज्ञान अध्यापक, इण्टरमीडिएट	1- वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु	
	प्रशिक्षित		
	(कक्षा 11-12) के लिये	विज्ञान में एम0 एस-सी0	
		अथवा	
		2- कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान	प्रशिक्षित
		के साथ एम0 एस-सी0, बी0 एस-	
		सी0 में जन्तु विज्ञान	
		अथवा	
		3- कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के	प्रशिक्षित
		साथ एम0 एस-सी0, बी0 एस-सी0	
		में वनस्पति विज्ञान	
		अथवा	
		4-यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त	
	प्रशिक्षित		
विश्वविद्यालय/डिग्री			
		कालेज से एम0एस0सी0 लाइफ साइंस	
		अथवा	
		5-किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज	प्रशिक्षित
		से शिक्षा विभाग उ0प्र0 द्वारा आयोजित	
		जीवविज्ञान में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के साथ	
		बी0एस0सी0	
हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए		जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान तथा	
		वनस्पति विज्ञान) के साथ बी0एस0	
		सी0	
29	भू-विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट	एम0एस-सी0 (भूगर्भ शास्त्र)	प्रशिक्षित
	(कक्षा 11-12) के लिये		
30	भौतिक विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट	1-एम0 एस-सी0, (भौतिक	प्रशिक्षित
	(कक्षा 11-12) के लिए	विज्ञान)	
		अथवा	
		2-किसी विश्वविद्यालय या डिग्री	
		कालेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश	
		द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में	

		स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस-सी0	
31	रसायन विज्ञान अध्यापक,इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	1- रसायन विज्ञान में एम0एस-सी0	प्रशिक्षित
		अथवा	
		2- रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0एस-सी0 (आनर्स)	प्रशिक्षित
		अथवा	
		3-यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिग्रीकालेज से एम0एस0सी0 बायो केमिस्ट्री	प्रशिक्षित
		अथवा	
		4-किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग उ0प्र0 द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस0सी0	प्रशिक्षित
32	विज्ञान अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा 9 और 10) के लिए	भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बी0 एस-सी0	प्रशिक्षित
33	विज्ञान के प्रदर्शक	बी0 एस-सी0	प्रशिक्षित
34	आशुलेखन - टंकण अध्यापक (क) अग्रेंजी में	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का आशुलेखन टंकण के साथ इण्टरमीडिएट वाणिज्य-ग-वाणिज्य द्वितीय वर्ग की वरीयता--	
	(ख) हिन्दी में	इण्टरमीडिएट तथा निम्नलिखित में से एक योग्यता	
		(1) नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी का शीध्र लिपि में हिन्दी संकेत लिपि विशारद	
		अथवा	
		(2) हिन्दी साहित्य सम्मेलन,इलाहाबाद का शीध्र लिपि विशारद	
		अथवा	
		आशु टंकण (हिन्दी) के साथ	

		इण्टरमीडिएट वाणिज्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के ग-वाणिज्य-दो वर्ग की वरीयता देते हुए
35	वाणिज्य अध्यापक--	
	इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	एम0 काम0
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	प्रशिक्षित बी0 काम0
36	कताई और बुनाई अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	क-कताई और बुनाई में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा ख- इण्टरमीडिएट तथा (1) राजकीय केन्द्रीय वयन संस्थान, वाराणसी से वयन प्रोद्योग में डिप्लोमा तथा हाईस्कूल कक्षाओं में विषय में 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव (2) राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल्स इन्स्टीट्यूट, कानपुर का डिप्लोमा अथवा (3) उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कताई और बुनाई में एडवान्स्ड क्लास परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)
हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिये		(क) कताई और बुनाई में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा टी0 सी0 अथवा (ख) 1- कताई और बुनाई के साथ इण्टरमीडिएट अथवा

		2- राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल्स इन्स्टीट्यूट, कानपुर से इण्टर-मीडिएट प्राविधिक, अथवा 3- हाईस्कूल तथा राजकीय केन्द्रीय वयन संस्थान, वाराणसी से वयन उद्योग में डिप्लोमा, अथवा 4- हाईस्कूल तथा उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कताई और बुनाई में एडवान्स्ड क्लास परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)

टिप्पणी- हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिये (ख) के अन्तर्गत् योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिये। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

37	काष्ठ कला अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	(क) काष्ठ में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0, अथवा (ख) इण्टरमीडिएट, और (1) राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली में एडवान्स केबिनेट मेकिंग डिप्लोमा, अथवा (2) राजकीय कारपेन्टरी स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वकिंग इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद)
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	(क) काष्ठ कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा टी0 सी0 अथवा

		(ख) 1- काष्ठ कला के साथ इण्टरमीडिएट 2- हाईस्कूल तथा राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली की एलीमेन्टरी केबिनेट मेकिंग सर्टीफिकेशन, अथवा 3- हाईस्कूल तथा राजकीय कारपेन्टर स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वकिंग इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद) से जनरल वुड वर्किगं सर्टीफिकेट।

टिप्पणी- हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिये (ख) के अन्तर्गत् योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापक विज्ञान सम्बन्धी

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

38	ग्रन्थ शिल्प अध्यापक,इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	ग्रन्थ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ एल0टी0
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	1- ग्रन्थ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 अथवा टी0सी0 अथवा 2- ग्रन्थ शिल्प से साथ इण्टर-मीडिएट सी0 टी0
39	चर्मकला अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	चर्मकला सहित इण्टरमीडिएट तथा लेदर वर्किग इन्स्टीट्यूट कानपुर, आगरा अथवा मेरठ से एडवांस्ड कोर्स
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	हाईस्कूल तथा उद्योग विभाग द्वारा संचालित लेदर वर्किंग इन्स्टीट्यूट कानपुर, आगरा अथवा मेरठ का डिप्लोमा

टिप्पणी- चर्मकला की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को समान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

40	धातुकला अध्यापक,इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	क- धातुकला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय से एल0टी0 अथवा ख- 1- धातु कला के साथ इण्टरमीडिएट तथा राजकीय आकुपेशनल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद में जनरल मैकेनिकल का ए पाठ्यक्रम। 2- इण्टरमीडिएट तथा सरकार से मान्यता प्राप्त प्राविधिक संस्थान से धातु कला में डिप्लोमा।
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	(क) धातु कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय से एल0टी0 अथवा सी0टी0 अथवा (ख) हाईस्कूल तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के पश्चात् सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से दिया जाने वाला डिप्लोमा।

टिप्पणी-'ख' अन्तर्गत् योग्यता रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

41	धुलाई, रफू और बखिया तथा रंगाई शिक्षक हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल, इन्स्टीट्यूट, कानपुर से वस्त्र रसायन में डिप्लोमा अथवा बालकों की संस्थाओं के लिए उद्योंग विभाग द्वारा मान्य समकक्ष योग्यता अथवा पोलीटेक्निक,रामपुर और बापू इन्डस्ट्रियल स्कूल, देहरादून अथवा उसके समकक्ष

		बालिकाओं की संस्थाओं के लिए प्रमाणपत्र।	
42	रंगाई तथा छपाई अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल्स इन्स्टीट्यूट कानपुर से वस्त्र रसायन में डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष्।	

टिप्पणी- ऊपर की योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

43	सिलाई अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	(क) सिलाई के साथ इण्टरमीडिएट	सी0टी0 सिलाई में विशेष योग्यता
		(ख) इण्टरमीडिएट तथा 1- प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन से डिप्लोमा अथवा 2- आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टी-ट्यूट लखनऊ से डिप्लोमा तथा हाईस्कूल कक्षाओं में विषय के 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव, अथवा 3- सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात् दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा।	
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	(क) 1- इण्टरमीडिएट सी0टी0 (इण्टरमीडिएट में सिलाई सहित अथवा सी0टी0 में सिलाई में विशेष योग्यता) (ख) हाईस्कूल तथा (1) प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन से डिप्लोमा अथवा (2) आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टीट्यूट आर्य समाज रोड, लखनऊ से डिप्लोमा अथवा (3) सरकार से मान्यता प्राप्त किसी	

		भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा

टिप्पणी- (ख) के अन्तर्गत् योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

44	नृत्य अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता सहित-- (1) भातखंड संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की नृत्य विशारद् परीक्षा (2) प्रयाग संगीत समिति,इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा (3) माधो संगीत विद्यालय,ग्वालियर की फाइनल परीक्षा नृत्य विशारद् (4) अखिल भारतीय गन्धर्व महा-विद्यालय मंडल, बम्बई के 1961 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद्
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा, निम्न-लिखित में से कोई एक योग्यता सहित-- 1- भातखंड संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की नृत्य विशारद् परीक्षा, 2- प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा, 3- माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा नृत्य विशारद् 4- अखिल भारतीय गन्धर्व महा-विद्यालय मंडल, बम्बई के 1961 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद्

		(ख) नृत्य के साथ बी0 ए0।	
45	मूर्ति कला अध्यापक, इण्टरमीडिएट कक्षा (11-12) के लिए	हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय से मूर्तिकला विषय सहित ललित कला में डिप्लोमा।	
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय जैसे - मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन से मूर्तिकला में प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा।	
46	रंजन कला अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय से चित्र लेखन सहित ललित कला में डिप्लोमा।	
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से चित्र लेखन सहित विद्यालय (जैसे- मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई औौर शान्ति निकेतन) से रंजन कला सहित ललित कला अथवा व्यावसायिक कला में डिप्लोमा।	
47	कृषि अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए--		
	(1) कृषि	एम0 एस-सी0 (कृषि)	प्रशिक्षित
	(2) कृषि अभियंत्रण	बी0 एस-सी0 (कृषि अभियंत्रण)	प्रशिक्षित
	(3) गणित	गणित अथवा स्टेटिस्टिक्स में एम0 ए0 अथवा एम0 एस-सी0	प्रशिक्षित
	(4) हिन्दी, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, (जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के लिए)	इन विषयों में वही न्यूनतम अर्हताएं लागू होगीं जो मुख्य विषयों के लिए इसी सूची में दी गई है।	
	(5) प्रदर्शक कृषि	कृषि में बी0 एस-सी0	

	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	बी0 एस-सी0 (कृषि)	प्रशिक्षित
48	कृषि गोपालन अध्यापक, इण्टरमीडिएट एल0टी0(बेसिक) (कक्षा 11-12) के लिए	एम0 एस-सी0 (कृषि)	
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	बी0 एस-सी0 (कृषि)	प्रशिक्षित
	एल0टी0(बेसिक)		
49	बागवानी अध्यापक, इण्टरमीडिएट तथा हाईस्कूल (कक्षा 9-12) के लिए	बी0 एस-सी0 (कृषि)	प्रशिक्षित
50	वस्त्र उद्योग अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	स्नातक तथा कताई-बुनाई सहित इण्टरमीडिएट परीक्षा, साथ में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई के क्षेत्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग विद्यालय का डिप्लोमा।	प्रशिक्षित
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	कताई-बुनाई के साथ हाईस्कूल परीक्षा	रचनात्मक अथवा एल0टी0(बेसिक)
51	सामान्य वस्त्रोद्योग अध्यापक	उपर्युक्त् 51 के समान	
52	गुजराती अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	एम0 ए0, गुजराती	
	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए प्रशिक्षित	बी0 ए0 गुजराती	
53	शारीरिक शिक्षा अध्यापक,इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	1- स्नातक तथा 2- राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण (एल0टी0) महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता।	

	हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सी0पी0एड0 प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष् कोई अन्य अर्हता।
54	सामाजिक विज्ञान, हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	निम्नलिखित किन्हीं प्रशिक्षित दो विषयों के साथ बी0 ए0। 1- इतिहास 2- राजनीति शास्त्र 3- भूगोल 4- अर्थशास्त्र
55	सामुदायिक रहन-सहन तथा संबंधित विज्ञान, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	एम0 ए0 (इतिहास) अथवा एम0 ए0 (समाज शास्त्र) अथवा एम0 ए0 (राजनीति शास्त्र) अथवा एम0 ए0 (अर्थशास्त्र)
56	कम्प्यूटर अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	एम.टेक.(कम्प्यूटर विज्ञान) अथवा वी.ई./बी.टेक.(कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अथवा एम.सी.ए. अथवा एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से अथवा ´बी´ लेविल आफ डी.ओ.ई.ए.सी.सी.। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्व-

	विद्यालय से।
	अथवा
	स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बी.एम.एस. (कम्प्यूटर कोर्स कम्पोनेन्ट कनसेसटिंग आफ एट लिस्ट 1/3 आफ साइंस कोर्स) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से।
	अथवा
	स्नातकोत्तर डिग्री के साथ श्एष्ष् लेविल आफ डी.ओ.ई.ए.सी.सी.।
हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	बी0 एस-सी0 कम्प्यूटर विज्ञान के साथ
	अथवा
	बी0एस0सी0 कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ
	अथवा
	बेचलर कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ
	अथवा
	डी0ओ0ए0ई0 से श्एष्ष् लेविल कोर्स के साथ स्नातक
	अथवा
	पी0जी0 (डिप्लोमा) (कम्प्यूटर विज्ञान के साथ) किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से।
	नोटः- बी0एड0 के साथ उपर्युक्त् में से किसी भी योग्यता वालों को प्राथमिकता दी जायेगी।
57. मानव विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए	मानवविज्ञान से एम0ए0 अथवा एम0एस0सी0
हाईस्कूल कक्षा 9-10 के लिए	मानवविज्ञान विषय के साथ स्नातक तथा प्रशिक्षित

प्राविधिक विषयों के अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यतायेः-

	(1) सामान्य अभियंत्रण लेक्चरर हाईस्कूल के लिए	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था के अभियंत्रण की किसी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)
	(2) वास्तु अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण (इंटरमीडिएट कक्षाओं) के लिए लेक्चरर (3) नक्शानवीन में लेक्चरर	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था के अभियंत्रण की संबंधित शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) डिप्लोमा
		अथवा
(3)	नक्शानवीन में लेक्चरर	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से नक्शानवीनी अथवा अभियंत्रण की किसी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)
(4)	रेखांकन शिक्षक	हाईस्कूल परीक्षा के बाद नक्शानवीनी अथवा अभियंत्रण में डिप्लोमा
(5)	मिस्त्री	लोहारी, सांचे का काम, खराद का काम, सज्जीकरण आदि में से एक दो व्यवासायों में कम से कम दो वर्ष के कार्य का अनुभव, मान्यता प्राप्त संस्था से व्यवसाय या व्यवसायों में प्रमाण-पत्र रखने वालों को वरीयता दी जायेगी।
(6)	मुद्रण कार्य के अध्यापक (कक्षा 9 से 12)	1- स्नातक विज्ञान में वरीयमान जिन्होनें राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 में ग्रन्थ शिल्प तथा मुद्रण में अपना-अपना विशेष विषय दिया हो और जिन्हें कम से? कम 6 मास का क्रियात्मक प्रशिक्षण किसी मुद्रण संस्थान में हो, 2- एक उच्चतर स्तर के मुद्रण संस्थान में कम्पोजिंग, मुद्रण और जिल्दबाजी के कम से कम पांच वर्ष के क्रियात्मक प्रशिक्षण के साथ

हाईस्कूल।

अथवा

3- मुद्रण प्रद्योग के किसी मण्डलीय विद्यालय का डिप्लोमा रखने वाले।

(1) हाईस्कूल प्राविधिक के लिये अध्यापक

(1)	काष्ठ कला में	एक मान्यता प्राप्त संस्था से (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) विशेष विषय में डिप्लोमा।
(2)	बुनाई में	उपर्युक्त्
(3)	चर्म कला	1- उपर्युक्त् अथवा 2- हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित फूटवियर टेक्नोलाजी (लेदर गुड्स मैनफैक्चर सहित) का दो वर्ष का डिप्लोमा।
(4)	विद्युतकार के लिए विद्युत वायरिंग	
(5)	हलके यांत्रिक	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त
(6)	बढ़ईगीरी	संस्था से यांत्रिक अथवा विद्युत अभियंत्रण
(7)	धातु फलक कर्म	में (तीन वर्ष का) डिग्री अथवा डिप्लोमा।
(8)	वेल्डिंग और सोल्डरिंग	

<u>(2) इण्टरमीडिएट प्राविधिक के लिये लेक्चरर</u>

(1)	वस्त्र निर्माण	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त
(2)	वस्त्रों का रासायनिक प्रोद्योग	संस्था से वस्त्र उद्योग में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)
(3)	प्राथमिक इलेक्ट्रानिक्स	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत अभियंत्रण अथवा दूरसंचार अथवा इलेक्ट्रानिक्स में डिग्री अथवा डिप्लोमा।
(4)	प्राथमिक मोटरयान अभियंत्रण	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्री

अथवा डिप्लोमा।

टिप्पणी- (क) लैटिन और फ्रान्सीसी के अध्यापकों के लिये न्यूनतम योग्यतायें नहीं निर्धारित की गयी हैं।

(ख) आनर्स स्नातक (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) कक्षा 11 और 12 को उन विषयों के पढ़ाने के पात्र समझे जायेगें जिनमें उन्होनें आनर्स किया है।

अन्य अध्यापक

(1)	अध्यापक जूनियर कक्षाओं (कक्षा 6,7 और 8) के लिये	सी0टी0,सवर्ग मृत घोषित होने के कारण श्रेणी विलुप्त।
(2)	हटा दिया गया।	
(3)	ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत् वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में होने वाली रिक्तियों की भर्ती हेतु (कक्षा 1 से 5 तक)।	स्नातक परीक्षा के साथ सी0टी0/बी0टी0सी0/एच0टी0सी0 या समकक्ष अर्हता किन्तु बी0टी0सी0 प्रशिक्षित उपलब्ध न होने की दशा में बी0एड0 अर्हताधारी नियुक्त किये जा सकेगे।

हाईस्कूल परीक्षा(पूर्व व्यावसायिक शिक्षा)

ट्रेड का नाम	अनुदेशकों हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता
(एक) सुरक्षा	1-पी0जी0 डिप्लोमा इन सिक्योरिटी आपरेन्शन्स अथवा इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी/सिक्योरिटी मैनेजमेन्ट में स्नातक की डिग्री अथवा स्नातक के साथ एन0सी0सी0 का सी0 प्रमाणपत्र धारी अथवा स्नातक के साथ सब फायर आफीसर डिप्लोमा तथा एक वर्ष का सुरक्षा सेवाओं का अनुभव अनिवार्य।
(दो) रिटेल ट्रेडिंग	1-पी0जी0 डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेण्ट। अथवा डिप्लोमा इन ई-कामर्स अथवा बी0काम0/बी0बी0ए0/बी0एम0एस0/ 50 प्रतिशत अंको के साथ अथवा

	बी0काम0+इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा में कामर्स ट्रेड से उत्तीर्ण। तथा एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव अनिवार्य।
(तीन) टूरिज्म एवं हास्पिटलिटी	होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग टेक्नोलाॅजी का तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक के साथ कैटरिंग एवं हास्पिटलिटी का छब्टज्द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र।
(चार) मोबाइल रिपेयरिंग	1-स्नातक के साथ मोबाइल रिपेयरिंग/कम्प्यूटर मेन्टीनेन्स का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। तथा एक वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य।
(पाँच) आटोमोबाइल	1-आटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ आटोमोबाइल अथवा 10+2 के साथ आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आई0टी0आई0प्रमाण पत्र। अथवा स्नातक तथा (10+2) इन्टरमीडिएट व्यावसायिक वर्ग के साथ 01 वर्ष का अध्यापन अनुभव तथा कम से कम 01 वर्षीय कार्य अनुभव अनिवार्य।

इण्टरमीडिएट परीक्षा(व्यावसायिक शिक्षा)

ट्रेड का नाम	अनुदेशकों हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता
(एक) सुरक्षा	1-पी0जी0 डिप्लोमा इन सिक्योरिटी आपरेशन्स अथवा इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी/सिक्योरिटी मैनेजमेन्ट में स्नातक की डिग्री। तथा दो वर्ष का उद्योग जगत का अनुभव अनिवार्य। 1-पी0जी0 डिप्लोमा इन सिक्योरिटी आपरेशन्स अथवा इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी/सिक्योरिटी मैनेजमेन्ट में स्नातक की डिग्री। तथा

	दो वर्ष का उद्योग जगत का अनुभव अनिवार्य।
(दो) रिटेल ट्रेडिंग	1-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0काम0 अथवा एम0बी0ए0 की डिग्री। अथवा पी0जी0 डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेन्ट तथा एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव अनिवार्य।
(तीन) टूरिज्म एवं हास्पिटलिटी	1-होटल प्रबन्धन एवं पर्यटन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अथवा स्नातक के साथ तीन वर्ष का होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग टेक्नॉलाजी का डिप्लोमा तथा तीन वर्ष का सम्बन्धित क्षेत्र में अनुभव अनिवार्य।
(चार) मोबाइल रिपेयरिंग	1-स्नातक के साथ मोबाइल रिपेयरिंग/कम्प्यूटर मेन्टीनेन्स का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। तथा दो वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य।
(पाँच) आटोमोबाइल	1-स्नातक तथा डिप्लोमा (मैकेनिकल/आटोमोबाइल) अथवा डिग्री इन आटोमोबाइल अथवा मैकेनिकल इंजी0 अथवा स्नातक तथा IIT (मेके0) एवं 5 वर्ष का कार्य अनुभव

<u>हाईस्कूल परीक्षा(पूर्व व्यावसायिक शिक्षा)</u>

क्रम	ट्रेड का नाम	न्यूनतम अर्हता
1-	आई0टी0/आई0टी0ई0एस0	कम्प्यूटर साइन्स स्नातक/इंजीनियरिग /इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी-"ओ" लेवल या समकक्ष

<u>इण्टरमीडिएट परीक्षा-व्यावसायिक शिक्षा</u>

क्रम	ट्रेड का नाम	न्यूनतम अर्हता
1-	आई0टी0/आई0टी0ई0एस0	कम्प्यूटर विज्ञान/प्रौद्योगिकी/अनु प्रयोग या सूचना तकनीकी में परास्नातक-"बी" लेवल

रिवाइज्ड व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत
कक्षा- 9,10,11 एवं 12

आई0टी/आई0टी0ई0एस0

क्रम	योग्यता	न्यूनतम दक्षताए	आयु सीमा
1- (कक्षा-9 से 12)	किसी भी यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0सी0 ए0/बी0 एस0 सी0 (कम्प्यूटर साइन्स), बी0 एस0सी0(आई0टी0) या कम्प्यूटर साइन्स और इंजीनियरिंग या आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 या डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 स्तर में तीन वर्ष का डिप्लोमा वांछनीय। उद्योग में एक वर्ष का अनुभव।	प्रभावी संचार कौशल(मौखिक और लिखित) मूलभूत कम्प्यूटर कौशल	18-37 वर्ष। सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जायेगी।

आटोमोबाइल

क्रम	योग्यता	न्यूनतम दक्षताए	आयु सीमा
कक्षा 9-12	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा एवं दो वर्षों का अनुभव या आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चार वर्षीय स्नातक उपाधि एवं एक वर्ष का अनुभव या आटोमोबाइल तकनीकी में डिप्लोमा न उपलब्ध होने की स्थिति में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर विचार किया जा सकता है।	मूलभूत कम्प्यूटर कौशल।	18-37 वर्ष। सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जायेगी।

सुरक्षा

क्रम	योग्यता	न्यूनतम दक्षताए	आयु सीमा
कक्षा 9-12	1- किसी भी वर्ग में स्नातक उपर्युक्त के साथ सुरक्षा में एक वर्ष के कार्यानुभव के साथ सुरक्षा में डिप्लोमा या डायरेक्टर जनरल री-सेटेलमेण्ट द्वारा संचालित सहायक सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रमाणन कोर्स या सिक्योरिटी नाॅलेज एण्ड स्किल डेवलपमेण्ट कौसिंल द्वारा	1-प्रभावी संप्रेषण कौशल (मौखिक और लिखित) 2-आधारभूत संगणना कौशल 3-तकनीकी दक्षताएं	18-37 वर्ष। सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जायेगी।

	संचालित प्रशिक्षक प्रशिक्षण कोर्स सुरक्षा में दो वर्ष के कार्यानुभव के साथ। 2- पूर्व कर्मचारियों को वरीयता दी जायेगी। 3- पूर्व कर्मचारी जिन्होंने सशस्त्र बलों में 10 वर्ष सेवा प्रदान की है वे अनुभव वाली शर्त से मुक्त रहेंगे।		

<u>रिटेल</u>

क्रम	योग्यता	न्यूनतम दक्षताए	आयु सीमा
कक्षा 9-12	कम से कम 50 प्रतिशत अंक और एक वर्ष के अनुभव के साथ मार्केटिंग में रिटेल मैनेजमेण्ट, पी0जी0 डिप्लोमा में स्नातक या डिप्लोमा। रिटेल मैनेजमेण्ट में एम0बी0ए0(रिटेल मार्केटिंग) और पी0जी0 डिप्लोमा के साथ उच्च शिक्षा के लिए तैयारी योग्य।	तकनीकी दक्षताएं उदाहरण के लिए मार्केटिंग, बिक्री, संवर्द्धन, स्टोर रख - रखाव और मर्चेण्डाइजिंग आदि जैसे क्षेत्रों में ।	18-37 वर्ष। सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जायेगी।

अध्याय–दो (विनियम-1 के संदर्भ में)

क्रमांक	ट्रेड का नाम	शैक्षिक अर्हता
1	2	3
1	खाद्य एवं फल संरक्षण	बी0एस0सी0 (ए0जी0)/बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फ्रूट एवं वेजिटेबिल टेक्नालाजी स्नातक तथा एक वर्षीय डिप्लोमा/स्नातक तथा न्यूनतम 6 माह का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
2	पाक शास्त्र	बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा/स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 6 माह का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
3	हाथ की कढ़ाई/परिधान रचना एवं सज्जा	पालिटेक्निक डिप्लोमा/स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय प्रशिक्षण के साथ 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
4	धुलाई रंगाई	स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा/एक वर्ष का सर्टीफिकेट कोर्स या एडवांस ड्राइंग कोर्स मान्यता प्राप्त संस्था से एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
5	बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी	स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा/स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 6 माह का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
6	टेक्सटाइल डिजाइन	स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
7	बुनाई-तकनीक	स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
8	नर्सरी शिक्षण प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध	स्नातक तथा नर्सरी ट्रेनिंग अथवा समकक्ष अर्हता।
9	पुस्तकालय विज्ञान	स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण-पत्र एवं पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव।
10	बुनियादी स्वास्थ्य कार्मिक	स्नातक तथा फार्मेसिस्ट ट्रेनिंग/पब्लिक हेल्थ एण्ड हाइजीन डिप्लोमा/बी0एस0सी0 (जीव विज्ञान) एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
11	फोटोग्राफी	स्नातक तथा मान्यता प्राप्त संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा अथवा स्नातक, आकिल इन्स्ट्रूमेन्टेशन डिप्लोमा अथवा एम0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान) स्ट्रेप्टोस्कोपने के साथ/स्नातक तथा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
12	रंगीन टी0वी0/रेडियो	स्नातक तथा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रानिक्स अथवा डिग्री इन इलेक्ट्रानिक्स।
13	आटोमोबाइल्स	स्नातक तथा डिप्लोमा अथवा डिग्री इन आटोमोबाइल्स अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
14	मधुमक्खी पालन	एम0एस0सी0(ए0जी0), उद्यान विज्ञान, कीट विज्ञान अथवा कृषि स्नातक सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा।
15	डेरी उद्योग	एम0एस0सी0(ए0जी0), पशुपालन विज्ञान अथवा दुग्ध विज्ञान या डेरी डिप्लोमा या कृषि स्नातक एवं सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा या बी0एस0सी0(कृषि एवं पशुपालन विज्ञान)।

1	2	3
16	रेशम कीट पालन	एम0एस0सी0(ए0जी0) तथा विषय में विशेष योग्यता अथवा कृषि स्नातक सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा।
17	बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी	एम0एस0सी0(ए0जी0) बीज प्रौद्योगिकी शस्य विज्ञान/वनस्पति विज्ञान अथवा कृषि स्नातक और सीड टेक्नोलाजी में डिप्लोमा।
18	फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी	एम0एस0सी0(ए0जी0), पादप रोग विज्ञान/कीट विज्ञान/शस्य विज्ञान अथवा कृषि स्नातक (सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा)।
19	पौधशाला प्रौद्योगिकी	एम0एस0सी0(ए0जी0) उद्यान अथवा शस्य विज्ञान/कृषि स्नातक एवं एक वर्षीय प्रशिक्षण तथा पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव।
20	भूमि संरक्षण प्रौद्योगिकी	एम0एस0सी0(ए0जी0) भूमि संरक्षण/शस्य विज्ञान।
21	फल संरक्षण प्रौद्योगिकी	क्रम संख्या 1 में समाहित कर दिया गया है।
22	आशुलिपिक एवं टंकण	एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता/बी0काम0 एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आशु0 एवं टंकण में डिप्लोमा/बी0काम0 तथा सम्बन्धित ट्रेड में प्रमाण-पत्र तथा 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
23	एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण	एम0काम0 तथा विषय में विशेष योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता।
24	बैंकिंग	एम0काम0 तथा विषय में विशेष योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता।
25	विपणन एवं विक्रय कला	एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता।
26	सचिवीय पद्धति	एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता।
27	बीमा	एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता।
28	सहकारिता	एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता।
29	टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी	एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता/बी0काम0 तथा सम्बन्धित ट्रेड में प्रमाण-पत्र तथा 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।
30	मुद्रण	स्नातक तथा मुद्रण में डिप्लोमा।
31	कुलाल विज्ञान	कुलाल विज्ञान के साथ बी0एस0सी0 तथा रचनात्मक अथवा कुलाल विज्ञान में बी0एस0सी0 प्राविधिक कुलाल विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री।
32	कम्प्यूटर	स्नातक तथा पी0जी0डी0सी0ए0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर के0जी0सी0ए0 अथवा बी0टेक0 अथवा बी0टेक0 इन कम्प्यूटर।

<u>परिशिष्ट-ख</u>

<u>(अध्याय दो के विनियम 2 (4) के सन्दर्भ में)</u>

क- ऐसे व्यक्ति का विवरण जो पद पर अन्तिम बार था:-

1- पदनाम।

2- वेतनमान।

3- रिक्त होने का दिनांक और उसका कारण।

4- रिक्ति का प्रकार-छुट्टी, अस्थायी या मौलिक।

5- पद के लिये विहित अर्हतायें।

6- पिछले पदधारी का नाम तथा वेतन।

7- अभ्युक्ति।

ख- नियुक्त किये गये व्यक्ति का विवरण:-

1- नाम।

2- जन्म दिनांक।

3- अर्हतायें-परीक्षायें, उन्हें उत्तीर्ण करने के दिनांक के साथ-साथ विषय, श्रेणी सहित।

4- उस वेतनक्रम में जिससे पदोन्नति की गयी हो, ज्येष्ठता के अनुसार स्थिति।

5- ऐसी अवधि दिनांक सहित जिसके लिये नियुक्ति की गयी हो।

6- अनुज्ञात वेतन और वेतनमान।

7- अभ्युक्ति।

<u>परिशिष्ट-ग</u>

<u>(अध्याय दो के विनियम 10 (च) तथा 11 (1) के संदर्भ में)</u>

संस्था का नाम ....साक्षात्कार का स्थान ....
पद का विवरण जिसके लिये साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार का दिनांक..................................

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम पते सहित	क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है।	जन्म दिनांक
1	2	3	4

<u>पूर्व अनुभव अवधि</u>

उत्तीर्ण	परीक्षा	विषय	वर्ष	श्रेणी	वेतनमान	संस्था का नाम	................से ....तक
5	6	7	8	9	10	11	12

अन्य कार्यकलाप	दिये गये गुण विषयक अंक	चयन समिति के सदस्यों का पर्यवेक्षण	साक्षात्कार अंक
13	14	15	16

गुण विषयक और साक्षात्कार के अंकों का योग	क्या सदस्य चयन से सहमत है (हैं या नहीं) यदि नहीं तो संक्षेप में कारण बताइये	अभ्युक्ति, यदि कोई हो।
17	18	19

प्रमाणित किया जाता है कि मैनें चयन से सम्बन्धित सभी अभिलेखों की जांच कर ली है और विशेष रूप से परीक्षा कर ली है कि कोई भी अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के आधार पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने के विधि सम्मत दावे से वंचित नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद नाम ....

पता ....

परिशिष्ट-घ

(अध्याय दो के विनियम 10 (घ) के सन्दर्भ में)

किसी संस्था के प्रधान और अध्यापक के लिये गुण विषयक माप मान संस्था के प्रधान के लिये गुण विषयक अंक

साक्षात्कार में बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक	..	..	50
	1	2	3
--			
हाईस्कूल	10	7	4
इन्टरमीडिएट	20	15	8
स्नातक परीक्षा	30	23	12
स्नातकोत्तर उपाधि	40	30	16
	सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण उपाधि डिप्लोमा	1	1	20
	1	2	18
	2	1	16
	2	2	12
	2	3	10
	3	2	10
	अन्य	..	8

शिक्षण अनुभव - प्रत्येक वर्ष के लिये
2 अंक और अधिकतम 15 अंक।
प्रशासनिक अनुभव - प्रति वर्ष के लिये
2 अंक और अधिकतम 15 अंक
इण्टरमीडिएट के अध्यापकों के लिये गुण विषयक अंक--

साक्षात्कार में बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिये अधिकतम अंक - -			50
	1	2	3
हाईस्कूल	10	7	4
इन्टरमीडिएट	20	15	8
स्नातक परीक्षा	30	23	12

स्नातकोत्तर उपाधि	50	38	20
	सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण	1	1	10
	1	2	9
	2	1	8
	2	2	6
	2	3 }	5
	3	2 }	-
	अन्य -		4
शिक्षण अनुभव - प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक।			
सह- पाठ्यचर्या कार्य कलाप - -			15

<u>हाईस्कूल के अध्यापकों से लिये गुण विषयक् अंक</u>

साक्षात्कार के लिये बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक् अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिये अधिकतम अंक	..	..	50
	1	2	3
हाईस्कूल	15	12	6
इन्टरमीडिएट	25	18	10
स्नातक उपाधि	40	30	16
स्नातकोत्तर उपाधि	20	15	18
	सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण	1	1	20
	1	2	18
	2	1	16
	2	2	12
	2	3	10
	3	2	
	अन्य -		8
शिक्षण अनुभव-- प्रतिवर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक।			
सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप -		8	5

सी0टी0 ग्रेड अध्यापकों और अन्य के लिए
गुण विषयक अंक

साक्षात्कार में बुलाने के लिये गुण विषयक अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए	..	..	50

अधिकतम अंक

	1	2	3
हाईस्कूल	40	31	16
इण्टरमीडिएट	60	45	24
	सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण	1	1	20
	1	2	18
	2	1	16
	2	2	12
	2	3	10
	3	2	
	अन्य	..	..
शिक्षण अनुभव -- प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक।			
सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप	..	..	15

सभी मामलों में सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप के लिए दिये गये गुण विषयक् अंकों के ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

III	सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप	सक्रिय रूप से भाग लिया	
(क)	खेल/खेलकूद	विद्यालय एकादश	1
		कालेज एकादश	2
		विश्वविद्यालय एकादश	3
		राज्य एकादश	5
(ख)	स्काउटिंग	द्वितीय श्रेणी	1
और		प्रथम श्रेणी	3
		राष्ट्रपति	5
राष्ट्रीय कडेट कोर या पी0 एस0 डी0		कारपोरल	1
		सार्जेट	2
		कम्पनी सार्जेट मेजर	3
		बटालियन सार्जेट मेजर	4
		अन्डर आफीसर	5
(ग)	अन्य दक्षता अर्थात्	विद्यालय स्तर	1
	वाद-विवाद, नाट्यकला	कालेज स्तर	2
	यूनियन पार्लियामेन्ट	विश्वविद्यालय स्तर	3
		राज्य स्तर	5

अवधेय (1) गुण विषयक अंकों की गणना करने के लिये इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा को हाईस्कूल के समकक्ष् और पी0 यू0 सी0 को इन्टरमीडिएट के समकक्ष् समझा जायेगा।

(2) जिन अभ्यर्थियों ने कोई परीक्षा पूरक परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो उन्हें यदि सम्बन्धित परीक्षा में कोई श्रेणी न दी गई हो तो उनके गुण अंक "तृतीय श्रेणी" के अन्तर्गत् और यदि कोई श्रेणी दी गई हो तो गुण अंक उस श्रेणी के अन्तर्गत् प्रदान किये जायेगें।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी ने दो या अधिक विषयों में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की हो तोः-

(क) यदि वह प्रवक्ता पद का अभ्यर्थी हो तो जिस विषय को पढ़ाने हेतु वह अभ्यर्थी है केवल उस विषय की मास्टर्स डिग्री के आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(ख) यदि वह एल0टी0 ग्रेड के पद का अभ्यर्थी हो तो जिस मास्टर्स डिग्री की श्रेणी अच्छी हो उसके आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(4) एम0एड0 अथवा पी0 एच0 डी0 डिग्री धारी अभ्यर्थियों को निम्नवत् अतिरिक्त गुण अंक केवल उस दशा में प्रदान किये जायेगें जबकि वे संस्था के प्रधान अथवा प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी हो, किन्तु अतिरिक्त अंक इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जायेगें कि अतिरिक्त अंक मिलाकर किसी अभ्यर्थी के गुण अंक 150 से अधिक न हों-

(क) मास्टर्स डिग्री के साथ एम0 एड0 होने पर 5 अतिरिक्त अंक,

(ख) मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र (Education) या मनोविज्ञान (Psychology) में पी0एच0डी0 या डी0फिल0 होने पर 10 अतिरिक्त अंक,

(ग) मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान में पी0एच0डी0 या डी0फिल0 के अतिरिक्त यदि एम0 एड0 हो तो 15 अतिरिक्त अंक,

(घ) यदि प्रवक्ता पद हेतु कोई अभ्यर्थी मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान से भिन्न ऐसे विषय में पी0 एच0 डी0 या डी0 फिल0 हो जिस विषय को पढ़ाने हेतु वह अभ्यर्थी हो तो 10 अतिरिक्त अंक।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्नातक डिग्री के अतिरिक्त एम0एड0 डिग्री भी हो तो एम0 एड0 हेतु उसे 5 अतिरिक्त गुण अंक प्रदान किये जावेगें। (उसे स्नातक डिग्री व बी0 एड0 डिग्री के गुण अंक मिलेगें ही)। यह अतिरिक्त अंक भी इस प्रतिबन्ध के साथ दिये जावेगें कि कुल गुण अंक 150 से अधिक न हों।

(6) सी0 टी0 ग्रेड पद के अभ्यर्थी जो स्नातक भी हों को निम्नवत् अतिरिक्त गुण अंक इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जावेगें कि कुल गुण अंक 150 से अधिक न हों:-

	1	2	3
स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि जो भी श्रेष्ठ हो	15	10	5

(7) प्रशिक्षण उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी जिन्हें 1-3 या 3-1 श्रेणियां मिली हो को 11 गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(8) जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण योग्यता से छूट दी गई हो, उन्हें "अन्य" की श्रेणी के अन्तर्गत् 8 गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(9) जिन अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से छूट दी गयी हो उन्हें सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित न्यूनतम गुण अंक अर्थात् तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित गुण अंक प्रदान किये जावेगें।

(10) जो अभ्यर्थी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (P.G.D.) प्राप्त हों उन्हें संबंधित विषय की स्नातकोत्तर डिग्री के तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित गुण अंक के आधे अंक प्रदान किये जायेंगे। किन्तु यह सुविघा केवल प्रवक्ता और एल0टी0 ग्रेड के पदों के अभ्यर्थियों को ही प्रदान की जायेगी।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के पास आचार्य, साहित्यरत्न, विशारद्, मध्यमा, विद्याविनादिनी आदि की योग्यता हो तो इसे उस योग्यता के समकक्ष मान्य स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री अथवा इण्टर या हाईस्कूल हेतु निर्धारित गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(12) ऐसे अभ्यर्थी जो जे0टी0सी0/बी0टी0सी0 ग्रेड से सी0टी0 ग्रेड में पदोन्नत हुये हों और उन्होनें सी0टी0 ग्रेड अध्यापक के रूप में पांच वर्ष की सेवा कर ली हो उन्हें भी परिशिष्ट-क के द्वितीय पैरा में उल्लिखित शब्द "प्रशिक्षित" के अन्तर्गत् माना जायेगा।

(13) जहां किसी पद के लिये आवेदक, यथास्थिति, कोई नेत्रहीन व्यक्ति या कोई विधवा हो तो उसे 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेगे।

(14) जहां आवेदक ने कोई परीक्षा कम्पार्टमेन्टल अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो और उसे कोई श्रेणी प्रदान न की गयी हो या केवल उत्तीर्ण घोषित किया गया हो, तो उसे गुण-विषयक् अंक इस प्रकार प्रदान किये जायेगें मानो वह परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की गयी थी।

(15) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान पद के लिये आवेदन किया हो तो उसे उपखंड (5) के अधीन रहते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेगेः-

(1) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त एम0 एड0 उपाधि रखता हो तो एम0एड0 के लिये 5 अतिरिक्त अंक।

(2) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त किसी विषय में पी0एच0डी0 या डी0फिल0 हो तो पी0-एच0 डी या डी0 फिल0 के लिए 10 अतिरिक्त अंक।

(3) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि और पी0 एच0 डी0/डी0फिल0 के अतिरिक्त एम0एड0 की उपाधि रखता हो तो पी0एच0डी0/डी0फिल0 के लिए 10 अतिरिक्त अंक और एम0एड0 के लिये 5 अतिरिक्त अंक।

(16) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता पद के लिये आवेदन किया हो तो उसे निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेगें-

(1) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त एम0एड0 की उपाधि रखता हो तो एम0एड0 के लिए 5 अतिरिक्त अंक।

(2) यदि स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त वह शिक्षा या मनोविज्ञान या उस विषय में जिसमें उसने प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया हो, पी0एच0डी0 या डी0 फिल0 हो तो, पी0एच0डी0/डी0 फिल0 के लिये 10 अतिरिक्त अंक।

(3) यदि वह उपर्युक्त् उपखंड (2) में निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और पी0एच0डी0/डी0फिल0 के अतिरिक्त एम0एड0 उपाधि रखता हो तो पी0एच0डी0/डी0फिल0 के लिए 10 अतिरिक्त अंक और एम0एड0 के लिये 5 अतिरिक्त अंक।

(17) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिए आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषय के अंक उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेगें जिनमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि एम0 एड0 की उपाधि अन्य स्नातकोत्तर उपाधि की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी में हो तो आवेदक उपखंड (3) के अधीन किसी अतिरिक्त अंक का हकदार न होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि आवेदक केवल एम0एड0 हो और उसके पास कोई स्नातकोत्तर उपाधि न हो तो एम0एड0 के लिये स्नातकोत्तर उपाधि के रूप में गुण विषयक् अंक प्रदान किये जायेगें।

(18) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता के लिये आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0 एड0 से भिन्न) रखता हो तो गुण विषयक् अंक उस विषय में जिसमें उसने प्रवक्ता के पद के लिये आवेदन किया हो, स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

(19) जहां किसी व्यक्ति ने एल0 टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषयक् अंक उस विषय में जिसमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो, स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेगें।

(20) जहां किसी अध्यापक के पद के लिये आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति किसी विषय के लिये निहित एक से अधिक वैकल्पिक अर्हतायें रखता हो तो उसे उन वैकल्पिक अर्हताओं के सम्बन्ध में केवल एक ऐसी उपाधि, प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा के लिये जिसमें अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो गुण-विषयक् अंक प्रदान किये जायेगे।

(21) जहां किसी व्यक्ति के पास आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न, विशारद्, मध्यमा या विद्याविनोदिनी की अर्हता हो वहां उसे स्नातकोत्तर या स्नातक उपाधि के लिये या इण्टरमीडिएट या हाईस्कूल अर्हता के लिये जिनके समतुल्य प्रथम उल्लिखित अर्हताओं को परिषद् द्वारा मान्यता दी गयी है, गुण विषयक् अंक प्रदान कर दिये जायेगें।

(22) जहां किसी व्यक्ति ने सी0टी0 ग्रेड में किसी पद के लिये आवेदन किया हो, वह उसे उसकी स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि जो भी प्रथम श्रेणी में हो, के सम्बन्ध में अथवा यदि स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में हो तो किसी एक उपाधि के सम्बन्ध में 15 अतिरिक्त गुण अंक दिये जायेगें, द्वितीय अथवा तृतीय में उपरोक्त उपाधियाँ होने की दशा में कोई अतिरिक्त गुण अंक नहीं दिया जायेगा।

(23) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिये या एल0 टी0 या सी0टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये या सी0टी0 श्रेणी से निम्न स्तर श्रेणी के लिये आवेदन किया हो, और अपने प्रशिक्षण उपाधि डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में सिद्धान्त और व्यवहार में क्रमशः प्रथम और तृतीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो, वहां उसे 11 गुण विषयक् अंक दिये जायेगें।

(24) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन किया हो और अपने प्रशिक्षण उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में सिद्धान्त और व्यवहार में क्रमशः प्रथम और द्वितीय श्रेणी या तृतीय और प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो वहां उसे 5 1/2 गुण विषयक् अंक दिये जायेगें।

(25) जहां प्रशिक्षण अर्हता के सम्बन्ध में किसी उपाधि प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा में केवल प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी उल्लिखित हो, वहां आवेदक (सिद्धान्त और व्यवहार के लिये) क्रमशः प्.प्ए प्प्.प्प्ए या प्प्प्.प्प्प् के बराबर गुण विषयक् अंक का हकदार होगा।

(26) जहां किसी पद के लिए किसी आवेदक को अपेक्षित प्रशिक्षण अर्हता की छूट दी गयी हो या उसने अपने प्रशिक्षण उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में सिद्धान्त और व्यवहार में तृतीय श्रेणी प्राप्त की हो, या वह परिशिष्ट-क की क्रम संख्या-1 के खंड (2) में संस्था के प्रधान के लिये निहित अर्हतायें रखता हो, जहां से परिशिष्ट में दी गयी गुण विषयक् सारणी में शीर्षक “प्रशिक्षण” के सामने शीर्षक “अन्य” के अधीन गुण विषयक् अंक दिये जायेगें।

(27) जहां किसी आवेदक को किसी पद के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की छूट दी गयी हो, वहां ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में उसे न्यूनतम गुण विषयक अंक दिये जायेगें अर्थात् जो अंक तृतीय श्रेणी के लिये विहित हो।

(28) जहां प्रवक्ता पद के लिये या एल0टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये किसी आवेदक के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में, स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो, वहां उसे ऐसे डिप्लोमा के लिये, ऊपर उल्लिखित किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के सम्बन्ध में तृतीय श्रेणी के लिये विहित गुण विषयक् अंक के आगे गुण विषयक अंक दिये जायेगें।

(29) कोई आवेदक केवल एक प्रशिक्षण अर्हता अर्थात् प्रशिक्षण उपाधि, प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा, इसमें जो भी उच्चतम् प्रशिक्षण अर्हता के होने पर लिये गुण विषयक् अंक पाने का हकदार होगा। उदाहरणार्थ यदि आवेदक सी0टी0 या और बाद में वह बी0एड0 उपाधि या एल0टी0 प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले तो वह **केवल उच्चतम प्रशिक्षण** अर्हता के लिये गुण विषयक अंक का हकदार होगा।

टिप्पणी - इस उपखंड के प्रयोजनार्थ, एम0 एड0 को प्रशिक्षण अर्हता नहीं समझा जायेगा।

(30) खंड (1), (3), (4) या (10) के अधीन अतिरिक्त गुण विषयक अंक इस शर्त पर दिये जायेगें कि समस्त गुण विषयक अंकों का योग 150 से अधिक न हो।

(31) संस्था के प्रधान-पद के लिये प्रशासनिक अनुभव में प्रयोजनार्थ केवल निम्नलिखित अनुभव का विचार किया जायेगा--

(1) जहां आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की या किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के प्रिसिंपल की हैसियत से कार्य किया हो।

(2) जहां आवेदक शिक्षा विभाग में किसी राजपत्रित पद पर रहा हो।

(3) जहां आवेदक कम से कम तीन वर्ष तक एन0 सी0 सी0 में कमीशन अधिकारी के रूप में किसी पद पर रहा हो। वहां समस्त उपर्युक्त् अनुभव।

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (3) में निर्दिष्ट प्रशासनिक अनुभव की स्थिति में गुण विषयक अंक देने के लिए प्रथम तीन वर्ष के अनुभव को एक वर्ष माना जायेगा और प्रत्येक अनुवर्ती एक वर्ष को एक वर्ष समझा जायेगा।

(32) किसी पद के लिये शिक्षण अनुभव के प्रयोजनार्थ, केवल ऐसे समस्त अनुभव पर विचार किया जायेगा जिसे आवेदक किसी मान्यता प्राप्त संस्था में, जिसमें प्राथमिक विद्यालय भी हो, अध्यापक की हैसियत से कार्य करके अर्जित किया हो। किसी मान्यता प्राप्त एवं प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में अर्जित अनुभव का विचार केवल जे0 टी0 सी0/बी0टी0सी0 श्रेणी में अध्यापक पद के लिये किया जायेगा। यदि आवेदक ने संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद के लिये आवेदन किया हो तो शिक्षण अनुभवश् के लिये किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधानाध्यापक या प्रिसिंपल के रूप में कार्य करने के उसके अनुभव का भी विचार किया जायेगा।

(33) उपर्युक्त् उपखंड (19) और (20) के प्रयोजनार्थ--

(क) छः मास से कम का अनुभव कोई गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह नहीं बनायेगा, किन्तु छः मास या अधिक, किन्तु एक वर्ष से कम का अनुभव एक वर्ष के लिये गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह बनायेगा।

(ख) किसी संस्था के निर्देश में पद श्मान्यता प्राप्तश् का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा या विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या सृजित किसी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त से है जिसके अन्तर्गत् सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली, कौंसिल आफ इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, दिल्ली, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई उपाधि महाविद्यालय भी है।

परिशिष्ट-ड़

(अध्याय दो के विनियम 18(1) के सन्दर्भ में)

रजिस्ट्रीकृत आवरण में

संख्या .... दिनांक ....

संस्था का नाम ....

स्थान ....

जिला ....

विषय - संस्था के अध्यापक/प्रधान की नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि चयन समिति द्वारा आपका चयन .... के पद के लिये किया गया है। संस्था की प्रबन्ध समिति ने अपने संकल्प संख्या .... दिनांकः .... द्वारा आपको ....रूपये के मानक्रम में ....रूपये के प्रारम्भिक वेतन तथा नियमावली के अधीन यथा अनुमन्य महंगाई भत्ते पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर .... तक अस्थायी रूप से .... के रूप में नियुक्त कर लिया है।

आपसे इस पत्र के प्राप्ति के दिनांक से दस दिन के भीतर संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के समक्ष उपस्थित होने और कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो इस नियुक्ति को रद्द किया जा सकेगा।

भवदीय,

प्रबन्धक।

प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक/सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिक ....सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक .... को सूचनार्थ अग्रसारित।

अध्याय तीन

सेवा की शर्ते

(धारा 16-छ)

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा पदोन्नति

1- **प्रधानाध्यापक, आचार्य तथा अध्यापक** - प्रबन्ध समिति द्वारा स्कूल, वर्ष आरम्भ होने से पूर्व होने वाले किसी प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक के स्पष्ट रिक्त स्थान की मौलिक रूप से पूर्ति आने वाले 31 जुलाई तक कर दी जानी चाहिय। 07 अगस्त तक सम्भावित रिक्त स्थान की पूर्ति इसी प्रकार आने वाले 31 अगस्त तक होनी चाहिए।

2-(1) किसी संस्था में नियुक्ति हेतु लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वही होगी जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षीय कर्मचारियों के लिये समय-समय पर निर्धारित की गई हो।

(2) प्रधान लिपिक एवं लिपिक श्रेणी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत संस्था में कार्यरत् लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा यदि कर्मचारी पद हेतु निर्धारित अर्हता रखता हो तथा वह आगे पद पर 5 वर्ष की अविरल मौलिक सेवा कर चुके हों तथा उनका सेवा अभिलेख अच्छा हो पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

इस सम्बन्ध में यदि कोई कर्मचारी प्रबन्ध समिति के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित हो तो वह उसके विरूद्ध, ऐसे निर्णय या आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अभ्यावेदन कर सकता है निरीक्षक ऐसे अभ्यावेदन पर ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे। निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा और प्रबन्धाधिकरण द्वारा शीध्र कार्यान्वित किया जाऐगा।

टिप्पणी - पचास प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधे से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा और आधे या आधे से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

3- शासन के अधीन सेवा से अथवा एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था की सेवा से विमुक्त, प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक, अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नियुक्त नहीं किया जायेगा।

4- कोई भी अध्यापक, जो प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य अथवा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य का सम्बन्धी है, संस्था में अस्थायी अथवा स्पष्ट रिक्त स्थान पर नहीं नियुक्त किया जाएगा और न संस्था में किसी की प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य नियुक्त किया जायगा जो प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य का सम्बन्धी हो।

इस विनियम के प्रयोजन के लिये “सम्बन्धी” में निम्नलिखित का तात्पर्य है:

पिता, बाबा, ससुर, चाचा या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, पुत्री, पौत्री, पत्नी, दादी, भतीजा, चचेरा या ममेरा भाई, साला, बहनोई, पति, देवर, ज्येष्ठ, नन्द, साली, पुत्र-बधु, बहिन, भावज, चचेरा भाई की पत्नी, माँ, सास, चाची या मौसी।

5- अध्यापक वर्ग में से कोई अथवा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध-समिति के पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

6- नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति से समस्त नियुक्तियां औपचारिक आदेशों अथवा नियुक्ति-पत्रों के अन्तर्गत् की जायेगी।

7- स्पष्ट रिक्त स्थान में मौलिक नियुक्ति हेतु चुना हुआ व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवीक्षाधीन रखा जायगा।

8-(1) संस्था के प्रधान या अध्यापक के लिये चाहे वह सीधी भर्ती से नियुक्त किया गया हो अथवा पदोन्नति द्वारा परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी।

(2) उक्त अवधि--

(क) ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाईयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त किया गया समझा जाय, 27 नवम्बर, 1976 से।

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में, मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

9- संस्था का कोई भी अध्यापक अथवा प्रधान अपनी नियुक्ति में स्थायी नहीं किया जायगा जब तक कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को अपने एक विषय के रूप में लेकर अथवा एक हिन्दी क्षेत्रीय भाषा वाले राज्य में स्थित परीक्षा निकाय की हिन्दी (नियमित, प्रारम्भिक नहीं) के साथ समकक्ष् परीक्षा उत्तीर्ण हो।

10- परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी किया जायगा यदि वह ऊपर के विनियम-9 की शर्तो को पूरा करता है, उसने परिश्रम से कार्य किया है, उसने स्वयं को नियुक्त हुए पद के योग्य सिद्ध किया है तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हैं।

11- यदि परिवीक्षाकाल की समाप्ति से पूर्व किसी प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक की सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती है अथवा प्रधानाध्यापक या आचार्य का परिवीक्षा-काल नीचे के विनियम 12 के अन्तर्गत् बढ़ाया नहीं जाता है, तो उसे अपने पदों एवं पदक्रम में परिवीक्षा काल की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा।

12- प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य का परिवीक्षा-काल अधिकतम 12 मास के लिये बढ़ाया जा सकता है।

13- जिस तिथि को एक अध्यापक का स्थायीकरण नियत है, उससे कम से कम छः सप्ताह पूर्व प्रधानाध्यापक या आचार्य उसके स्थायीकरण का कागज-पत्र तैयार करेगा और उन्हें अपनी अभियुक्तियों, अध्यापक की शील पंजी की प्रतियों तथा नियुक्तिक्रम के साथ प्रबन्धक के पास भेजेगा जो उन्हें प्रबन्ध समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के स्थायीकरण के कागज-पत्र प्रबन्धक द्वारा तैयार किये जायेगें तथा समिति के समक्ष् प्रस्तुत किये जायेगें। प्रबन्ध-समिति का निर्णय प्रत्येक मामले में प्रस्ताव के रूप में अभिलिखित किया जायेगा।

14- किसी व्यक्ति को स्थायी किये जाने के प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की एक प्रति उसे दी जायेगी तथा एक अन्य प्रति अध्यापक के सम्बन्ध में निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका को तथा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के सम्बन्ध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक अथवा उप शिक्षा निदेशक (महिला) को प्रेषित की जायेगी। संबंधित व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में इस आशय की प्रविष्टि भी की जायेगी।

15- किसी आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक के परिवीक्षाकाल में एक संस्था ने दूसरी संस्था में स्थानान्तरण होने पर उनकी परिवीक्षा भंग न होगी और उसके स्थायीकरण की कार्यवाही उस संस्था द्वारा की जायेगी, जिसमें वह स्थानान्तरित हुआ है।

(16 से 20 हटाया गया)

21- यदि किसी आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक का उपर्युक्त् अधिवर्ष वय 2 अप्रैल और 31मार्च के मध्य में किसी तिथि को पड़ता है तो उसे, उस दशा को छोड़ कर जबकि वह स्वयं सेवा विस्तरण न लेने हेतु लिखित सूचना अपने अधिवर्ष वय की तिथि से 2 माह पूर्व दे दें, 31 मार्च तक सेवा विस्तरण स्वयंमेव प्रदान किया गया समझा जायेगा ताकि ग्रीष्मावकाश के उपरान्त जुलाई में प्रतिस्थानी की व्यवस्था हो सके। इसके अतिरिक्त सेवा विस्तरण केवल उन्हीं विशिष्ट दशाओं में प्रदान किया जा सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

यदि किसी लिपिक अथवा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के अधिवर्ष वय की तिथि किसी माह के मध्य किसी तिथि को पड़ती है तो उसका सेवा विस्तरण उस मास की अन्तिम तिथि तक प्रदान किया गया समझा जायेगा। किन्तु यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि किसी माह की पहली तारीख को पड़े तो उसे पूर्ववर्ती माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा।

22- (निकाला गया)

23- शासन के अधीन सेवा से अथवा एक शैक्षिक संस्था की सेवा से विमुक्त लिपिक, पुस्तकाध्यक्ष अथवा निम्न कर्मचारी को अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, जहां नियुक्ति खोजी जा रही है अथवा उप शिक्षा निदेशक (महिला) जो भी स्थिति हो, की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं नियुक्त किया जायेगा।

सेवा की समाप्ति

24- अस्थायी रूप से एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्त अथवा अवकाश रिक्त में अथवा सत्र के एक भाग के लिये होने वाली रिक्ति में नियुक्त कर्मचारी की सेवा, यदि नियमानुसार उसका विस्तार न हुआ हो तो उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिये उसकी नियुक्ति हुई थी अथवा जब

रिक्ति समाप्त हो, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायगी और इस प्रकार की समाप्ति के लिये किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

25- अस्थायी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन के अतिरिक्त) अथवा अपनी परिवीक्षा की अवधि में परिवीक्षाधीन की सेवा किसी भी समय उसे एक मास की नोटिस अथवा उसके बदले में एक मास का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

26-(1) स्थायी कर्मचारी की सेवा उसे तीन मास की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर, जिस पद पर कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका अन्त करने के आधार पर समाप्त की जा सकती है, पद का अन्त निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है:-

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण निश्चित छटनी।
(ख) एक विषय का हटाया जाना।
(ग) श्रेणी अथवा कक्षा की समाप्ति।

(2) खण्ड (1) में उल्लिखित नोटिस की अवधि संगणित करने के लिये अथवा उसके बदले में दी जाने वाली धनराशि निर्धारित करने में ग्रीष्मावकाश का समय छोड़ दिया जायेगा।

27- सामान्यतः एक स्थायी प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य की सेवा की समाप्ति का नोटिस दिसम्बर के प्रथम दिवस तथा आने वाले वर्ष की फरवरी के अन्तिम दिवस के बीच अथवा स्थायी अध्यापक का किसी वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस तथा मार्च के अन्तिम दिवस के बीच नहीं दिया जायेगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि दीर्घ शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च के स्थान पर क्रमशः अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर पढ़ा जाय।

28- समिति स्थायी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति निरीक्षक को उस समय तक नहीं प्रस्तावित करेगी जब तक कि इस उद्वेश्य से विशेष रूप से संयोजित बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव नहीं पारित हो जाता है।

29- कोई कर्मचारी नोटिस देकर अथवा उसके बदले में वेतन देकर, जिसके लिये वह प्रबन्ध द्वारा उसकी सेवायें समाप्त किये जाने की स्थिति में अधिकारी होता, त्याग पत्र दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि --

(1) कोई कर्मचारी जनवरी, फरवरी तथा मार्च के मास में समाप्त होने वाला नोटिस नहीं देगा।

(2) ग्रीष्मावकाश नोटिस की अवधि में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(3) राजकीय सेवा अथवा किसी स्थानीय निकाय की सेवा की नियुक्ति हेतु चुने गए कर्मचारी को आवश्यक नोटिस देने की आवश्यकता न होगी और उसे नई नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के लिए

समय से अपनी सेवा से त्याग-पत्र देना होगा यदि पद के लिए उचित सरणी से प्रार्थना पत्र दिया गया है।

उपरोक्त प्राविधान लिपिक, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष भी सम्मिलित है, पर लागू होगें किन्तु चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक खंड के प्राविधान लागू नहीं होगें।

(4) प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि नोटिस के दावे में छूट दे दें।

30- किसी कर्मचारी को त्याग पत्र देने की अनुमति नहीं मिलेगी यदि उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ अनिर्णित है जब तक कि उसे प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसा करने की विशेष अनुमति नहीं प्राप्त हो जाती है।

दण्ड, जांच तथा निलम्बन

31- कर्मचारियों को प्राप्य दण्ड, जिसके लिए निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, निम्नलिखित में से किसी एक रूप में हो सकती है:--

(क) वियुक्ति।
(ख) पृथक्करण अथवा प्रमुक्ति।
(ग) श्रेणी में अवनति।
(घ) परिलब्धियों में कमी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपरोक्त कोई दण्ड देने हेतु प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक सक्षम् होगा। सक्षम् अधिकारी द्वारा दण्ड दिये जाने की दशा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध समिति को अपील की जा सकेगी। यह अपील दण्ड सूचित किये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रस्तुत हो जानी चाहिये और उस पर प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णय कर अपील की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम् 6 सप्ताह के भीतर दे दिया जायेगा। समस्त आवश्यक अभिलेखों पर विचार करने एवं कर्मचारी की, यदि वह प्रबन्ध समिति के समक्ष् स्वयं उपस्थित होना चाहे, सुनवाई के पश्चात् प्रबन्ध समिति अपील पर निर्णय देगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को यह भी अधिकार होगा कि उसकी अपील पर किये गये प्रबन्ध समिति के निर्णय के विरूद्ध वह जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका को, निर्णय सूचित किये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर अभ्यावेदन कर सकेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि प्रबन्ध समिति उपर्युक्त् निर्धारित छः सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय उपरोक्त अपील पर न दे तो संबंधित कर्मचारी अपना अभ्यावेदन सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को उपरोक्त छः सप्ताह की अवधि बीत जाने पर दे सकता है।

जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा उपरोक्त अभ्यावेदन पर अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह के भीतर निर्णय दे दिया जायेगा और यह निर्णय अन्तिम होगा।

अभ्यावेदन के प्रस्तुतीकरण विचार एवं निर्णय के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन के साथ इस अध्याय के विनियम 86 से 98 लागू होगें।

32-(1) कर्मचारी की सेवा से घोर अनधीनता, जानबूझकर अथवा गम्भीर कर्तव्य की उपेक्षा, घोर दुराचरण अथवा दण्डनीय कार्य के लिये बेईमानी, भ्रष्टाचार, निधियों का दुर्विनियोग, यौन प्रतिकूलता अथवा नैतिक अधमता जैसे कार्यो के आधार पर सेवा से वियुक्त किया जा सकता है।

(2) कर्मचारी को ऊपर उल्लिखित आधारों पर तथा प्रशासन अथवा शैक्षणिक कार्य की अदक्षता अथवा अनधिकृत शिक्षण अथवा सेवा पर नौकरी से पृथक किया जा सकता है।

(3) कर्मचारी को प्रशासन में न्यूनता, असंतोषजनक कार्य अथवा आचरण, पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप की अभिरूचि अथवा परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों के पालन में कमी अथवा संदेहपूर्ण सत्यनिष्ठा जैसे आधारों पर श्रेणी में अवनत् किया जा सकता है अथवा उसकी परिलब्धियों में कमी की जा सकती है। यह कमी एक निम्नस्तर पर अथवा वेतन के कालमान अथवा वेतन के कालमान के निम्नतर सोपान में हो सकती है।

33-(1) कर्मचारी को एक वेतन कालमान में किसी अवधि के लिये अस्थायी अथवा स्थायी रूप से वेतन वृद्धि रोक कर भी दण्डित किया जा सकता है।

(2) ऐसा आदेश कर्मचारी को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उसके विरूद्ध निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका को अपील की जा सकती है और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

34- दण्ड दिये जाने का निश्चय करने में अपराध को कम करने वाली बातें, यदि कोई हों तथा कर्मचारी की सेवा के विगत् अभिलेख को ध्यान में रखा जा सकता है।

35- शिकायत अथवा गम्भीर प्रकृति के आरोपों की प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने पर समिति, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के विषय में प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य अथवा प्रबन्धक को जांच अधिकारी नियुक्ति करेगी, (अथवा प्रबन्धक स्वयं जांच करेगा यदि समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत् उसे यह अधिकार प्रतिनिहित हो गये हैं) और प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के विषय में एक छोटी उपसमिति होगी जिसे आख्या यथाशीध्र प्रस्तुत करने के निर्देश होगें।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सम्बन्ध में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा किसी वरिष्ठ अध्यापक को जांच अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

36-(1) वे आधार, जिन पर कार्यवाही करना प्रस्तावित है, एक निश्चित आरोप अथवा आरोपों के रूप में करके दोषी कर्मचारी को प्रेषित किये जायेगें और जो इतने स्पष्ट और सही होगें कि दोषी कर्मचारी को उसके विरूद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत कर देगें। आरोप पत्र प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उसे अपने प्रतिवाद का लिखित वक्तव्य देना होगा और यह बताना होगा कि क्या वह स्वयं व्यक्तिगत् रूप से कुछ कहना चाहता है। यदि वह अथवा जांच अधिकारी चाहता है तो उन आरोपों के सम्बन्ध में, जो स्वीकार नहीं किये गये हैं, मौखिक जांच की जायेगी। उस जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्य सुने जायेगें जिन्हें जांच अधिकारी आवश्यक समझता है। दोषी व्यक्ति साक्षी से जिरह करने का, स्वयं साक्ष्य देने का और ऐसे साक्षियो को बुलाने का, जिन्हें वह चाहे, अधिकारी होगा, प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी पर्याप्त कारणें से, जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेगें, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है। कार्यवाहियों में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलेख और जांच का विवरण तथा उसके आधार होगें। जांच करने वाला जांच अधिकारी इन कार्यवाहियों से पृथक कर्मचारी को दिये जाने वाला दण्ड के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति भी कर सकता है।

(2) खण्ड (1) वहां लागू नहीं होगा जहां संबंधित व्यक्ति फरार हो गया हो अथवा जहां अन्य कारणें से उससे पत्र व्यवहार करना अव्यवहारिक है।

(3) खण्ड (1) के किसी अथवा समस्त प्रतिबन्धों से पर्याप्त कारणों सहित, जिनका लिखित रूप से अभिलेख होना चाहिये, छूट दी जा सकती है जहां उसकी आवश्यकताओं का ठीक-ठीक पालन करने में कठिनाई हो और उन आवश्यकताओं की जांच अधिकारी के मत से दोषी व्यक्ति के प्रति बिना अन्याय हुए, छोड़ा जा सकता है।

37- जांच अधिकारी से कार्यवाही की आख्या तथा संस्तुति प्राप्त होने के बाद शीध्र ही कर्मचारी को नोटिस देने के बाद प्रबन्ध समिति की बैठक कार्यवाही की आख्या तथा संस्तुति पर विचार करने के लिये होगी और उस मामले पर निर्णय लेगी। कर्मचारी को, यदि वह चाहता है, समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होने की आज्ञा दी जायेगी जिससे वह अपना अभियोग प्रस्तुत कर सके और बैठक में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर दे सके। तब समिति पूर्ण आख्या, समस्त सम्बन्धित कागज पत्र सहित निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी।

किन्तु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में निरीक्षक/निरीक्षिका की स्वीकृति हेतु कोई आख्या नहीं भेजी जायेगी। इनके सम्बन्ध में उपरोक्त सारी कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

38- यदि किसी स्थिति में यह अनुभव किया जाता है कि मामले में नोटिस सेवा नियुक्ति द्वारा अधिक भली प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है, तो यह निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका की स्वीकृति से किया जा सकता है।

39-(1) संस्था के प्रधान या अध्यापक के निलम्बन से सम्बन्धित रिपोर्ट में जो धारा 16-छ की उपधारा(6) के अधीन निरीक्षक को प्रस्तुत की जायेगी, निम्नलिखित विवरण दिये जायेगें और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होगें-

(क) निलम्बित किये गये व्यक्ति के नाम के साथ-साथ निलम्बन के समय तक उसकी मूल नियुक्ति के दिनांक से उसके द्वारा धृत पदों (श्रेणी सहित) का विवरण जिसके अन्तर्गत् निलम्बन के समय पर धृत पदावधि के प्रकार अर्थात् अस्थायी, स्थायी या स्थानापन्न से सम्बन्धित विवरण भी हैं,

(ख) ऐसी रिपोर्ट की एक प्रमाणित प्रति जिसके आधार पर ऐसे व्यक्ति को अन्ततः स्थायी किया गया था या दक्षतारोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो,

(ग) ऐसे सभी आरोपों के ब्योरे जिनके आधार पर ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था,

(घ) ऐसी शिकायतों रिपोर्टो और जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रतियां जिनके आधार पर ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था,

(ङ) प्रबन्ध समिति के उस संकल्प की प्रमाणित प्रति जिससे ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था,

(च) ऐसे व्यक्ति को जारी किये गये निलम्बन के आदेश की प्रमाणित प्रति,

(छ) यदि ऐसा व्यक्ति पहले भी निलम्बित किया गया था तो जिन आरोपों के आधार पर और जितनी अवधि के लिये वह पिछले अवसरों पर निलम्बित रहा, उनके ब्योरे के साथ-साथ ऐसे आदेशों की प्रमाणित प्रतियां जिनके आधार पर वह बहाल किया गया था।

(2) संस्था के प्रधान या अध्यापक से भिन्न किसी अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा धारा 16-छ का उपधारा (5) के खण्ड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट कारणों से निलम्बित किया जा सकता है।

(3) उप विनियम (2) के अन्तर्गत् निलम्बन का कोई आदेश प्रभाव में नहीं रहेगा जब तक कि ऐसे आदेश के दिनांक से साठ दिन के भीतर निरीक्षक द्वारा उसका, लिखित रूप से अनुमोदन न कर दिया जाय।

40-(क) कर्मचारी का अरोप अथवा आरोपों को उसके विरूद्ध औपचारिक कार्यवाहियां आरम्भ करने का निर्णय लेने की तिथि से सामान्तया 15 दिनों के भीतर दे देना चाहिये।

(ख) कर्मचारी को सामान्यतः अपने प्रतिवाद का लिखित वक्तव्य तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दे देना चाहिये और किसी भी दशा में इस कार्य के लिये एक मास से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिये।

(ग) लिखित वक्तव्य देने के एक मास के भीतर सामान्यतः साक्षी की जांच मौखिक परीक्षा सहित पूर्ण हो जानी चाहिये।

(घ) जांच करने वाली एजेन्सी की आख्या, जहां वह स्वयं दंड प्राधिकारी नहीं है, यथा सम्भव शीघ्रता के साथ और सामान्यतः जांच समाप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत होनी चाहिये।

(ड़) दण्ड प्राधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना निर्णय ले लेना चाहिये।

41- निलम्बित कर्मचारी को अपने वेतन का आधा निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

42- निलम्बित कर्मचारी को बहाल होने पर अपने वेतन तथा प्राप्त निर्वाह भत्ते का अन्तर दिया जायेगा।

43- निलम्बित कर्मचारी, दण्ड प्राधिकारी की स्वमति से निलम्बन की अथवा किसी अन्य बाद की तिथि से दण्डित किया जा सकता है।

44- निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका द्वारा अधिनियम की धारा 16-छ की उपधारा (3) (ए) में उल्लिखित कार्यवाही के लिये अथवा किसी लिपिक वर्ग के कर्मचारी के विरूद्ध किये गये दण्ड प्रस्ताव पर निर्णय करने हेतु पूर्ण रूप में प्राप्त प्रस्ताव की प्राप्ति छः सप्ताह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को अपने निर्णय की सूचना प्रेषित कर दी जायगी। यदि प्रबन्धाधिकरण से अपूर्ण कागज पत्र प्राप्त होते हैं तो स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी प्रस्ताव को पूर्णरूप में पुनः पस्तुत करने को कहेगा और इस विनियम में प्रस्तावित छः सप्ताह की अवधि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के पास पूर्ण कागज पत्र पुनः प्राप्त होने की तिथि से संगणित की जायेगी। ये कागज पत्र या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा या विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किये जायेगें।

44-क (1)लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता/सकती है या उसे घटाया बढ़ा सकता/सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका , आदेश जारी करने के पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी को इस बात का एक अवसर देगें कि वह नोटिस के प्राप्ति के दिनांक के 15 दिन के भीतर कारण बतायें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय:

(2) कोई भी पक्ष खंड (1) के अधीन निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका के आदेश के विरूद्ध आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर संभागीय उप-शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत

कर सकता है और सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझें, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है, जो अन्तिम होगा। सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा किसी कर्मचारी के अपील पर निर्णय 3 माह की अवधि के भीतर दे दिया जायेगा।

45- समिति निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर लागू करेगी, प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक/शिक्षा उप निदेशक (महिला) प्रबन्धक द्वारा प्रत्यावेदन किये जाने पर, अपील पर विचार किये जाने तक, कर्मचारी के निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन के शेष अंश को रोक सकता है।

वेतनमान तथा वेतनों का भुगतान

46- कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान प्रदान किये जायेगें।

47- कर्मचारी का वेतन संस्था में प्रथमतः सेवाभार ग्रहण करने पर उसके पद से संलग्न काल-मान का आरम्भिक सोपान निर्धारित किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसने इससे पूर्व अन्य संस्था में कार्य किया है तथा वेतनवृद्धियां अर्जित की हैं, तो उसे इन वेतन-वृद्धियों का लाभ शासन अथवा विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार दिया जा सकता है।

यह भी प्रतिबन्ध है कि अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ विशेष दशाओं में शासन की पूर्व स्वीकृति से ही दी जायेगी।

48- एक उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर कर्मचारी का आरम्भिक वेतन नये वेतनमान के निम्नतम् पर निर्धारित किया जायेगा, यदि उसका वेतन इस न्यूनतम से कम है, अन्यथा नये काल मान के उसके वेतन से अगले सोपान पर।

49- समिति कर्मचारी के एक मास के वेतन का भुगतान अगले मास की 20वीं तिथि तक कर देगी।

50- वेतन का भुगतान नकद या चेक द्वारा किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी, नकद के स्थान पर चेक द्वारा नियमित भुगतान चाहता है तो बैंक की सुविधायें स्थानीय रूप से उपलब्ध होने पर समिति द्वारा इसका आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा। अपना वेतन चेक द्वारा अथवा नकद प्राप्त करके कर्मचारी इस भुगतान के प्रतीक स्वरूप यथाविधि टिकट लगे हुये, यदि आवश्यक हो, वेतन पंजी पर हस्ताक्षर करेगा।

51- संस्था में स्थानापन्न अथवा मौलिक रूप से की गई अवरिल सेवा, वेतन के कालमान एवं वार्षिक वेतनवृद्धि के लिये संगणित की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि कर्मचारी की ग्राह्य से अधिक बिना वेतन के अवकाश की अवधि अथवा चिकित्सकीय आधार अथवा निजी कार्य पर लिये गये अवकाश की अवधि के लिये वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। किसी विशेष वर्ष में अवकाश की अवधि में पड़ने वाली वेतन वृद्धि की तिथि उस तिथि तक स्थगित कर दी जायेगी, जिसको कर्मचारी अवकाश की समाप्ति पर कार्यभार ग्रहण करता है।

अध्यापक वेतन वृद्धि की तिथि के दो माह पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित स्वमूल्यांकन प्रपत्र पर सूचनायें भरकर प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रबन्धतंत्र को देगा। प्रबन्धतंत्र आवश्यक अभिलेख जिसे वह उचित समझे, मांगेगा तथा वेतन वृद्धि समय से अनुमन्य किये जाने हेतु प्रधानाचार्य/अध्यापक को निर्देश देगा। यदि वेतन वृद्धि की तिथि तक कोई निर्देश नहीं देता तो मान लिया जायेगा कि अनुमति दे दी गई है।

52- कर्मचारी को वेतन के कालमान में वार्षिक वेतन वृद्धियां ग्राह्य होगी, जब तक कि उसकी वेतन वृद्धियां रोकने का दण्ड नहीं दिया जाता है अथवा वह दक्षतारोक पर निरूद्व नहीं किया जाता है।

ऐसे किसी कर्मचारी को वेतनवृद्धि ग्राह्य नहीं होगी अथवा उसकी दक्षता रोक पार नहीं की जायेगी, जिसे सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों को निर्धारित समय के पूर्व प्रकाशित (प्रकटित) करने अथवा कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक होने अथवा परिषद् परीक्षाओं में परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों को नकल कराने अथवा नकल कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायक होने अथवा अनुचित साधन के प्रयोग के प्रकरणों से संबंधित अवैध सामग्री नष्ट करने अथवा

प्रकरण को दबाने अथवा जिला प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों अथवा सचल दलों के निरीक्षण कार्य में बाधा डालने तथा उनके साथ हिंसा, मारपीट करने अथवा संकलन/मूल्यांकन केन्द्रों से उत्तर पुस्तकों के गायब होने अथवा जानबूझकर गायब किये जाने अथवा उत्तर पुस्तकों में किसी भी प्रकार की हेरा-फेरी करने अथवा परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं के आरोप में दोषी पाया गया हो।

53- किसी आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को दक्षता रोक पार करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपने को छात्रों एवं अध्यापकों के लिए योग्य पथ प्रदर्शक तथा दक्ष पर्यवेक्षक नहीं सिद्व कर लेता। संस्था में उचित वातावरण का निर्माण नहीं कर लेता, संतोषजनक शैक्षिक मान दण्ड उपलब्ध नहीं कर लेता, पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों का संतोषजनक संगठन नहीं कर लेता, अपने को

प्रगतिशील शैक्षिक विचार और विकास की धारा के साथ नहीं रखता तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं होती।

ऐसे किसी आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को दक्षता रोक पार करने को अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जिसे सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों को निर्धारित समय के पूर्व प्रकाशित (प्रकटित) करने अथवा कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक होने अथवा परिषदीय परीक्षाओं में परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों को नकल कराने अथवा नकल कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक होने अथवा अनुचित साधन के प्रयोग के प्रकरणों से सम्बन्धित अवैध सामग्री नष्ट करने अथवा प्रकरण को दबाने अथवा जिला प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों अथवा सचल दलों के निरीक्षण कार्य में बाधा डालने तथा उनके साथ हिंसा, मारपीट करने अथवा संकलन/मूल्यांकन केन्द्रों से उत्तर पुस्तकों के गायब होने अथवा जानबूझकर गायब किए जाने अथवा उत्तर पुस्तकों में किसी भी प्रकार की हेरा फेरी करने अथवा परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं के आरोप में दोषी पाया गया हो।

54- किसी अध्यापक को दक्षता रोक पार करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपने की एक सुयोग्य अध्यापक नहीं सिद्ध कर लेता, छात्रों पर स्वस्थ प्रभाव नहीं रखता, अनुशासन बनाये रखने में तथा पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों में सहयोग नहीं देता, संस्था के प्रति स्वामिभक्त नहीं होता तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं होती।

उपर्युक्त् के अतिरिक्त उन अध्यापकों को भी दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जिन्हें सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों की निर्धारित समय के पूर्व प्रकाशित (प्रकटित) करने अथवा परिषदीय परीक्षाओं में परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों को नकल करने अथवा नकल कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायक होने अथवा अनुचित साधन के प्रयोग के प्रकरणों से सम्बन्धित अवैध सामग्री नष्ट करने अथवा प्रकरण को दबाने में अथवा जिला प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों अथवा सचल दलों के निरीक्षण कार्यो में बाधा डालने अथवा उनके साथ हिंसा, मारपीट करने अथवा संकलन/मूल्यांकन केन्द्रों से उत्तर पुस्तकों के गायब होने अथवा जानबूझकर गायब किये जाने अथवा उत्तर पुस्तकों में किसी भी प्रकार की हेरा फेरी करने अथवा परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं के आरोप में दोषी पाया गया हो।

54-(क) यदि किसी प्रिसिंपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को विनियम 53 या 54 के अधीन दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा नहीं दी गई हैं तो वह आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अग्यावेदन कर सकता है। निरीक्षक ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

54-(कक) विनियम 54 (क) के अधीन निरीक्षक द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार सम्बन्धित सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को होगा और वह अपेक्षित अभिलेखों को निरीक्षक द्वारा दिये गये किसी आदेश को सही होने या उसके औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकता है, और उसका परीक्षण कर सकता है। वह दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् उस पर ऐसा निर्णय दे सकता है, जिसे वह उचित समझे। इस विषय पर सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा और उसे प्रबन्धाधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।

नोट-उक्त 54(कक) गैर सहायता प्रापत अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।

54-(ख) किसी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापिका या अध्यापक को विनियम 53 व 54 के अधीन दक्षता रोक पार करने की आज्ञा देने की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित है परन्तु दक्षता रोक अनुमन्य किये जाने के दो माह के पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित स्वमूल्यांकन प्रपत्र भरकर प्रबन्धतंत्र को देना होगा और प्रबन्ध तंत्र एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक अभिलेख जिसे वह उचित समझे, माँग सकता है तथा दक्षता रोक पार करने की तिथि से पूर्व अपना निर्णय दे देगा।

एक संस्था से दूसरी में स्थानान्तरण

55- किसी अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी संस्था का कोई स्थायी अध्यापक, जो किसी दूसरी संस्था में स्थानान्तरण चाहता है, अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) के स्तर पर तैयार की गई वेबसाइट पर प्रत्येक वर्ष 01 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य ऑनलाइन आवेदन करेगा। तथा पूर्ण आवेदन पत्र की हार्ड कापी अध्यापक के मामले में प्रधानाचार्य को तथा प्रधान के मामले में प्रबन्धक को प्रस्तुत करेगा।

56- जहाँ आवेदन पत्र संस्था के प्रधान को प्रस्तुत किया है, वहाँ वह उसे अपनी संस्तुति के साथ संस्था के प्रबन्धक को निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित करेगा।

57- संस्था का प्रबन्धक मामले को प्रबन्धतंत्र के समक्ष रखेगा और प्रबन्धतंत्र द्वारा सहमति दिये जाने के पश्चात् वह विनियम-55 में उल्लिखित आवेदन पत्र को प्रबन्धतंत्र के संकल्प की, जिसमें उसकी सहमति इंगित की गयी हो, एक प्रति सहित आवेदक की सेवा-पुस्तिका और चरित्र पंजी की एक-एक प्रति के साथ उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित करेगा तथा हार्ड कापी भी भेजेगा, जिसमें उनकी संस्था स्थित है।

58- निरीक्षक विनियम 57 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र को इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में दर्ज करायेगा और उसे जहां वह संस्था, जिसमें स्थानान्तरण चाहा गया हो, उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित हो, वहां वह संस्था में पद रिक्त होने एवं अधियाचित न होने की पुष्टि करने के पश्चात्

निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अग्रसारित करेगा तथा हार्ड कापी भी भेजेगा।

59-(1) विनियम-58 के अधीन निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित आवेदन पत्र की प्राप्ति पर मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में इसे दर्ज करायेगा और आवेदन पत्र को शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 को निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित करेगा तथा अपनी संस्तुति सहित हार्ड कापी निदेशालय को उपलब्ध करायेगा।

(2) उक्त प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशालय द्वारा इस हेतु संरक्षित रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

(3) प्रधान/अध्यापक द्वारा जिस संस्था में स्थानान्तरण चाहा गया हैं, उससे सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक से पद रिक्त होन, अधियाचित न होने तथा शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अन्तर्गत होने की पुष्टि करायी जायेगी। उक्त कार्यवाही 15 मार्च के पूर्व पूर्ण करा ली जायेगी।

(4) पद रिक्त होने, अधियाचित न होने तथा शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अन्तर्गत होने की पुष्टि होने पर निदेशालय द्वारा अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) के स्तर पर तैयार वेबसाइट पर ऑनलाइन स्थानान्तरण आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त स्थानान्तरण आदेश 20 मार्च से 31 मार्च के मध्य निश्चित रूप से निर्गत कर दिये जायेगे। इस अवधि के अतिरिक्त अन्य किसी अवधि में ऑनलाइन/ऑफलाइन कोई स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।

60- एक संस्था से दूसरी संस्था में अध्यापक के स्थानान्तरण एक मास के भीतर पूर्ववर्ती संस्था का प्रबन्धक यथास्थिति सम्बन्धित निरीक्षक या मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को सूचना देते हुये चरित्र-पंजी, अवकाश का लेखा, भविष्य निधि लेखा, सामूहिक बीमा लेखा और अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र भेजेगा।

61-(1) स्थानान्तरित अध्यापक यात्रा-भत्ता का हकदार नहीं होगा। फिर भी उसे 300 किलो मीटर के लिये एक दिन के दर से यात्रा समय जो अधिकतम 03 दिन तक होगा, स्वीकृत किया जायेगा। यात्रा समय के वेतन का भुगतान, किसी प्रतिकूल करार के अभाव में, उस संस्था द्वारा किया जायेगा, जहां वह स्थानान्तरण होने पर कार्य ग्रहण करेगा।

(2) इस अध्याय के अधीन स्थानान्तरित अध्यापकः-

(क) उस संस्था का कर्मचारी हो जायेगा, जहां वह स्थानान्तरित कर दिया गया है और उसका वेतन और सेवा की अन्य शर्ते जब तक कि सम्यक रूप से उन्हें परिवर्तित न कर दिया जाय, वही होगी, जिनके लिये वह यदि स्थानान्तरित न किया गया होता, हकदार होगा।

(ख) अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को संस्था में उसी संवर्ग और उसी श्रेणी में कार्यरत् अन्तिम अध्यापक से कनिष्ठ हो जायेगा।

(ग) उपर्युक्त् खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुपालन मे वह उस संस्था में जिससे वह स्थानान्तरित किया गया है, की गयी सेवाओं के लिये समस्त लाभों का हकदार होगा और उस संस्था में, जिससे वह स्थानान्तरित किया गया है, की गयी सेवा उस संस्था में, जिससे वह स्थानान्तरित किया गया है, की गयी सेवा समझी जायेगी।

टिप्पणी-(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी संस्था के सम्बन्ध में प्रबनधतंत्र का तात्पर्य प्रबन्धतंत्र की समिति से या उस व्यक्ति या प्राधिकारी से है, जिसमें उस संस्था का प्रबन्ध करने और उसके कार्य-कलापों का संचालन करने की शक्ति निहित की गयी हो।

(2) स्थानान्तरण किसी एक अशसकीय सहायता प्राप्त संस्था से दूसरी अशसकीय सहायता प्राप्त संस्था में सम्भव हो सकेगा।

(3) किसी आरक्षित श्रेणी के किसी अध्यापक के स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप होने वाली रिक्ति उसी आरक्षित श्रेणी, जिससे स्थानान्तरित अध्यापक का सम्बन्ध हो, के किसी व्यक्ति द्वारा भरी जायेगी।

(4) विवादित प्रकरणों के अधीन कार्यरत अध्यापकों का स्थानान्तरण ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया जायेगा।
(विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/291 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा संशोधित)।

62- विखण्डित।

<u>शिक्षण अंशकालीन सेवा एवं अन्य लाभ</u>

63- सहाय्यिक मान्यता प्राप्त संस्था का कोई प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अध्यापक व्यक्तिगत् शिक्षण (ट्यूशन) नहीं करेगा।

64- विनियम 63 का उल्लंघन घोर कदाचार समझा जायेगा और इस अध्याय के विनियमों के उपबन्धों के अनुसार दण्डनीय होगा।

65- निकाल दिया गया।

66- कर्मचारी, परिषद्, शिक्षा विभाग अथवा मान्यता प्राप्त परीक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित पारिश्रमिक युक्त कार्य स्वीकार कर सकता है अथवा साहित्यिक कार्यक्रमों में

भाग ले सकता है प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार के कार्य से उसके सामान्य कर्तव्यों में व्यवधान न पड़े।

67- कर्मचारी को शिक्षा निदेशक के आदेशों के अनुसार, यदि कोई हो, शैक्षिक, प्रशिक्षण सम्बन्धी अथवा व्यावसायिक परीक्षाओं की जो शिक्षण अथवा प्रशासन में उसकी दक्षता सुधारने में सहायक हो, तैयारी करने तथा उनमें बैठने की अनुमति प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा दी जा सकती है।

<u>कार्य एवं सेवा का अभिलेख रखना</u>

68- प्रत्येक कर्मचारी के लिये एक चरित्र-पंजी तथा एक सेवा-पुस्तिका रखी जायेगी। चरित्र-पंजी का प्रपत्र परिशिष्ट-ग में दिये हुये के अनुसार होगा। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा पंजी एवं चरित्र-पंजी उसी प्रपत्र में रखी जायेगी जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षीय कर्मचारियों के लिये निर्धारित है।

69- अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में उसकी चरित्र-पंजी में वार्षिक प्रविष्टियां संस्था के प्रधान द्वारा की जायेगी जब कि संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में ये प्रविष्टियां प्रबन्धक द्वारा की जायेगी। उनके द्वारा आकस्मिक प्रविष्टियां किसी भी समय पर की जा सकती है।

70- सम्बन्धित व्यक्ति के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रविष्टि के साथ निम्नलिखित प्रपत्र में एक सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा--

"मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिससे श्री ....की सत्यनिष्ठा पर आंच आये। ईमानदारी के लिये उनकी सामान्य प्रसिद्वि अच्छी है और मैं उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता हूँ।"

71- प्रमाण-पत्र देने वाले प्राधिकारी को इन प्रमाण-पत्रों के देने अथवा रोक लेने में अत्यधिक ध्यान देना चाहिये और इसे एक गम्भीर और अत्यन्त आवश्यक मामला समझना चाहिये। सत्यनिष्ठा के प्रमाण-पत्र को रोकने से पूर्व प्रमाण-पत्र देने वाले प्राधिकारी की जानकारी में आने वाले प्रत्येक शिकायत अथवा आरोप की भली-भांति जांच होनी चाहिये और यदि वह स्थापित हो जाय अथवा उसकी पुष्टि हो जाय तो सम्बन्धित व्यक्तियों के सामने स्पष्टीकरण हेतु रखी जानी चाहिये। यदि व्यक्ति का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न हो और उनकी सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो गया हो तो उसकी सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र रोका जा सकता है।

72- जहां एक वर्ष विशेष में किसी व्यक्ति की चरित्र-पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाती है, उस पूरे वर्ष की प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों प्रविष्टियां प्रविष्ट किये जाने के 30 दिन के भीतर सूचित की

जायेगी और उसकी प्राप्ति की स्वीकृति ली जायेगी। इसी प्रकार सत्यनिष्ठा के प्रमाण-पत्र रोके जाने की सूचना भी दी जायेगी।

73- चरित्र-पंजी की प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन प्रबन्ध समिति को किया जा सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

74- राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित प्रपत्र पर एक सेवा-पुस्तिका संस्था के कर्मचारी को उसके अपने मूल्य पर प्रथम नियुक्ति पर दी जायेगी और चरित्र-पंजी के साथ अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रधान की तथा संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में प्रबन्धक की परिरक्षा में रखी जायेगी।

75- संस्था के कर्मचारी को किसी भी समय अपनी सेवा-पुस्तिका की जांच करने की अनुमति दी जायेगी, यदि वह इस बात के लिये संतुष्ट होना चाहे कि उसकी सेवा-पुस्तिका भली-भाँति रखी जा रही है। वह अपनी सेवा-पुस्तिका को वार्षिक वेतन-वृद्धि, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और सेवा में कोई भी व्यवधान (जैसे अवकाश) उसकी अवधि के पूर्ण विवरण सहित अभिलिखित होगा। अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के विषय में संस्था के प्रधान द्वारा तथा संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में प्रबनधक द्वारा सेवा-पुस्तिका की समस्त प्रविष्टियां प्रमाणित की जायेगी।

76- संस्था के कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका उसके अवकाश-ग्रहण अथवा सेवा समाप्ति के समय उसमें इस विषय की प्रविष्टि करने के बाद उसे दे दी जायेगी।

निर्वाह-निधि

77- इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन जैसा कि शिक्षा संहिता (1958 संस्करण) के परिशिष्ट-आठ में हैं, पेंशन रहित सेवा के स्कूल/कालेज अध्यापकों के लिये, निर्वाह-निधि योजना यथासम्भव समस्त कर्मचारियों के लिये लागू होगी।

78- प्रतिमास कर्मचारी के वेतन के भुगतान के समय प्रबन्ध का अंशदान कर्मचारी के अंशदान के साथ उसके खाते में जमा किया जायेगा।

79- प्रबन्धक प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 31 दिसम्बर तक कर्मचारी को उसके निर्वाह-निधि खाते के पास बुक दिखाने की व्यवस्था करेगा और उसके परिशीलन के प्रतीक स्वरूप उसके हस्ताक्षर नियमित रूप से करा लेगा।

80- कर्मचारी का खाता, जो निर्वाह-निधि योजना के अधीन अंशदानिक है, एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरित होने पर दूसरी संस्था में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और वह निर्वाह-निधि स्थानान्तरित होकर पहुंचने वाली संस्था में अंशदान करता रहेगा।

81-(क) कर्मचारी की सेवा-निवृत्त होने, त्यागपत्र देने, स्थानान्तरित होने अथवा सेवा-विमुक्ति होने पर उसके निर्वाह-निधि खाते की पासबुक उसके अवमुक्त होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर प्रबन्धक द्वारा निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका के लिये अग्रसारित कर दी जायेगी।

(ख) जिला निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका द्वारा खाते की जांच करने तथा उसका आवश्यक अभिलेख रखने के पश्चात् कर्मचारी को उसके निर्वाह निधि खाते की पासबुक प्रबन्धक से प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर भेज दी जाएगी।

82-(क) कर्मचारी को शासन के अंशदान का भुगतान करने के लिये प्रबन्धक यथाविधि तैयार करके बिल को निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका के पास कर्मचारी के अवमुक्त होने के तिथि से दो मास के भीतर भेज देगा।

(ख) निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका द्वारा आवश्यक सन्निरीक्षा के पश्चात् बिल 15 दिन के भीतर महालेखकार को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

<u>अपील</u>

83 से 85- निरस्त

86- अपील ज्ञापिका में संक्षेप में अपील के आधार तथा वांछित अनुतोष या उल्लेख किया जायेगा जिन आदेश के विरूद्ध अपील की गयी है उसकी तथा लेख-पत्रों की प्रतियां, यदि कोई हों, के साथ अपीलकर्ता द्वारा अपील ज्ञापिका दो प्रतियों में सम्बन्धित सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, शिक्षा उप निदेशक (महिला), जिसे आगे के विनियमों में अपील अधिकारी कहा जायेगा, को प्रस्तुत की जायेगी।

87- अपील ज्ञापिका की प्रतिलिपि सहित, अपील की नोटिस अपील अधिकारी द्वारा उत्तरवादी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी और उससे नोटिस में हुई तिथि तक उत्तर देने को कहा जायेगा।

88- उत्तरवादी लेखपत्रों की प्रतियों सहित, यदि कोई हों, उत्तर की दो प्रतियां अपील अधिकारी को नोटिस में निर्धारित तिथि तक अथवा अपील अधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी अन्य तिथि तक देगा।

उत्तर की एक प्रतिलिपि अपीलीं को उसके प्रार्थना पर दी जायेगी।

89- अपील अधिकारी निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका से समस्त आवश्यक कागज पत्र मंगा लेगा और सुनिश्चित कर लेगा कि वे सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त हो जाते हैं।

90- अपील अधिकारी अपील सुनने की तिथियाँ नियत करेगा और वह समय-समय पर तिथियों में परिवर्तन करेगा अथवा सुनवाई स्थगित करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जब भी किसी पक्ष की अनुपस्थिति में तिथि नियत की जाती है तो उस पक्ष को कम से कम एक सप्ताह की नोटिस अवश्य दी जायगी जब तक कि इसके विपरीत दोनों पक्षों में सहमति न हो जायः

यह भी प्रतिबन्ध है कि एक पक्ष को इस प्रकार के किसी नोटिस की आवश्यकता न होगी जब एक सुनवाई की तिथि पर तिथि नियत की जाती है और वह पक्ष उस तिथि के नोटिस के होते हुए भी अनुपस्थित है।

91- किसी भी पक्ष को, अधिकार के रूप में, अपील अधिकारी के समंक्ष् किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अधिकार न होगा जो निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका के समक्ष न प्रस्तुत हुआ हो, परन्तु अपील अधिकारी किसी ऐसे साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है, जिसे वह अभियोग के उचित निर्णय तक पहुँचने में सहायक समझे।

92- अपील अधिकारी अपील के अनिर्णीत रहने के दौरान में किसी समय किसी भी पक्ष में किसी ऐसे उद्वरण, सूचना, आख्या स्पष्टीकरण, मामले से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को कह सकता है, जो उस पक्ष के पास अथवा उसके अधिकार में है और उस पक्ष को अधियाचन का पालन अपील अधिकारी द्वारा नियत उचित अवधि में करना पड़ेगा।

93- अपील अधिकारी के समक्ष किसी पक्ष का वकील के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जायेगा।

94- अपील अधिकारी किसी अपील को एक पक्षीय सुन और निर्णीत कर सकती है यदि कोई पक्ष नोटिस दिये जाने पर भी सुनवाई की नियत तिथि पर नहीं उपस्थित होगा।

95- अपील अधिकारी का निर्णय लिखित रूप में होगा। उसमें संक्षेप में निर्णय के विषय, निर्णय और अंतिम आदेश उल्लिखत होगें।

96- निरस्त।

97- निर्णय की प्रतियां यथासंभव शीघ्रता के साथ सम्बन्धित पक्षों और निरीक्षक/ मण्डलीय निरीक्षिका को भेजी जायेगी।

98-(1) सूचना प्राप्त होने के दो मास के भीतर प्रबंध, अपील अधिकारी के निर्णय को लागू करेगा। ऐसा न होने पर निरीक्षक/मण्डलीय निरीक्षिका उसके लिये अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा कर्मचारी के लिये खुले किसी मार्ग पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए उसे वहां तक लागू करेगा जहां तक कि उस संस्था को प्राप्य सहायक अनुदान से उसका भुगतान हो सकता है।

(2) उपर्युक्त् अवधि के भीतर प्रबंध द्वारा अपील अधिकारी के निर्णय को लागू न किया जाना इण्टरमीडिएट एजुकेशन ऐक्ट की धारा-16-घ की उपधारा (2) के अर्थ के अधीन के दोष माना जायेगा।

99-(1) आचार्य, प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, व्यक्तिगत् कार्य अवकाश तथा असाधारण अवकाश उतनी अवधि के लिये तथा उन प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है जो राज्य सरकार समय-समय पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के इन्हीं श्रेणी के कर्मचारियों के लिये निश्चित करें या अपने किसी विशिष्ट आदेशों द्वारा किन्हीं अपवादों सहित, जो किसी विशेष परिस्थितिवश अपेक्षित हों, निर्धारित करें। आकस्मिक अवकाश आचार्य अथवा प्रधानाघ्यापक के मामले में प्रबन्धक द्वारा तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अन्य अवकाश प्रबन्धक द्वारा (आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/अग्रसारित किये जाने पर) स्वीकृत किये जायेगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के सम्बन्ध में अन्य अवकाश भी आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

परन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार ऐसा अवकाश और ऐसी शर्तो पर जो वह उचित समझे, स्वीकृत कर भी सकती है।

(2) अवकाश अधिकार स्वरूप नहीं मांगा जा सकता परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए संमोदन प्राधिकारी किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत किये गये अवकाश को भी रद्द कर सकता है।

टिप्पणीः-

यदि कोई आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक, राज्य विधान मंडल या संसद का सदस्य हो तो उसे विधान मंडल, संसद अथवा उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु उसके द्वारा ऐसी बैठक तथा उसमें भाग लेने हेतु जाने के अपने इरादे की सूचना दिये जाने पर, उसे संस्था से अवमुक्त कर दिया जायेगा और संस्था से उनकी ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में उसे ऐसे अवकाश पर समझा जायेगा जैसा उसे देय हो तथा जिसके लिये वह आवेदन करें। यदि उसे कोई अवकाश देय न हो तो ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में बिना वेतन के अवकाश पर समझा जायेगा।

100- लिपिक, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में आचार्य/प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्राधिकारी होगा। लिपिकों, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष भी सम्मिलित है, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति परिवीक्षा (जिसकी अवधि एक वर्ष होगी) स्थायीकरण एवं सेवा नियम आदि के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित ऊपर के विनियम 1,4 से 8,10,11,15, 24 से 26,30, 32 से 34, 36 से 38, 40 से 43, 45 से 52, 54, 66, 67, 70 से 73 तथा 76 से 82 लागू होगें, किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में विनियम 77 से 82 के प्राविधान तभी लागू होगें जब इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेगें। इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में विनियम 9,12,13,14, 16 से 20, 27, 28,, 54, 55 से 65 तथा 97 के प्राविधान लागू नहीं होगे।

101(1) <u>विद्यालयवार चयन समिति-</u>

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगाः-

1	सम्बन्धित विद्यालय का प्रबंधक अथवा प्रबंध समिति द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो वर्तमान प्रबंध समिति का सदस्य हो। (विद्यालय प्रबन्ध समिति का अस्तित्व न होने की दशा में प्राधिकृत नियंत्रक उपरोक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।)	अध्यक्ष
2	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सह जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी-	सदस्य सचिव
3	जिला सेवायोजन अधिकारी- (जिला सेवायोजन अधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जनपद स्तरीय अधिकारी)	सदस्य
4	जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य-	सदस्य
5	क्रम संख्या-1,2,3 व 4 में नामित सदस्यगण में से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व न होने पर जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व हेतु उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी/अधिकारियों को नामित किया जायेगा।	

<u>(2) आवेदन हेतु पात्रता-</u>

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सम्पन्न करायी गयी उपरोक्त प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) में 50 प्रतिशत एवं अधिक पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत चयन के लिये

आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। (PET स्कोर से तात्पर्य आवेदन की तिथि पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घोषित वैध स्कोर से है।)

(3) आवेदन की प्रक्रिया-

प्रश्नगत चयन हेतु प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) में 50 प्रतिशत एवं अधिक पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न् प्रक्रिया के अनुसार आमंत्रित किया जायेगाः-

- जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना सम्बन्धित प्रबन्धतन्त्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जायेगी।
- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त पदों की पुष्टि औचित्य, मृतक आश्रित एवं अधिसंख्य पद का समायोजन, आरक्षण के नियमों का अनुपालन करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा नियमो के आलोक में औचित्य एवं आवश्यकता के परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत पदों को भरे जाने हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा। शिक्षा निदेशक के आदेश के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय-तीन के विनियम-101 की प्रतिस्थापित व्यवस्थानुसार पदों को भरने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी (प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकार नियंत्रक) को अनुमति प्रदान किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी/प्रबंध तंत्र माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले (जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूची के प्रथम 5 में से) कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार/ आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।
- विज्ञापन में पद का वेतनमान व अन्य भत्ते, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिये जायेगें तथा आवेदन पत्र भरे जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश अंकित किया जायेगा। आवेदन पत्र भरने हेतु ऐसा अंतिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए) विहित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा तथा उसकी छायाप्रति सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के ई-मेल आई0 डी0 पर प्रेषित किया जायेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की ई-मेल आई0डी0 को विज्ञप्ति में प्रकाशित कराया जायेगा।

(4) **आरक्षण-** उ0प्र0 की अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों को उ0प्र0 सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा-उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम

सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजनों तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों/अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार रिक्तियां बनने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-3/2019 /4/1/2002/का-2/19 टी0सी0-।। दिनांक 14 मार्च, 2019 में विहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राविधानानुसार देय होगा।
- दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों पर क्षैतिज आरक्षण दिव्यांग/विकलांग कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 35/65-3-11-78/99, दिनांक 13.01.2011 के अनुसार देय हागा।

(5) **<u>आयु सीमा</u>**-

- प्रश्नगत विज्ञापन में अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

नोटः- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-22/21/1983- कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने एवं आरक्षण का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में विहित ''भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा'' के अन्तर्गत परिभाषित होना आवश्यक है और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन की अन्तिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है। समाज के दिव्यांगजनों को उ0प्र0 सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(6) **<u>आवेदन शुल्क</u>**-

- लिपिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु निम्नानुसार श्रेणीवार आवेदन शुल्क अनुमन्य होगाः-

क्रम सं0	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	अनारक्षित (सामान्य)/ अन्य पिछड़ा वर्ग	750.00
2	अनुसूचित जाति/जनजाति/ई0डब्ल्यू0एस0	500.00

(**नोट-** आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर एवं एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित संस्था के प्रबंधक/प्राधिकृत नियंत्रक/प्रबंध संचालक के पदनाम से संचालित खाते में जमा किया जायेगा)

(7) **<u>चयन हेतु शैक्षिक अर्हताः-</u>**

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइन्स विषय को लिया गया हो।

अथवा

कम्प्यूटर संचालन का डोएक/निलिट द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र।

अथवा

कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा/डिग्री।

अथवा

कम्प्यूटर में उच्च योग्यता धारी यथा-कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पी0जी0डी0सी0ए0, बी0सी0ए0, एम0सी0एम0 तथा ग्रेजुऐशन अथवा उच्च डिग्री (बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0टेक, एम0एस0सी0, एम0बी0ए0) में कम्प्यूटर के रूप अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स धारित।

3. कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होगी।

(8) **<u>चयन प्रक्रिया-</u>**

- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की क्वालीफाईंग टंकण परीक्षा आयोजित की जायेगी। टंकण परीक्षा जनपद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की जायेगी। टंकण परीक्षा का अनुश्रवण तालिका के कॉलम-2 के बिन्दु (1) के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
- टंकण परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा 01 पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। यदि 01 पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है तो च्म्ज् में सर्वाधिक पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।
- कम्प्यूटर टंकण परीक्षा क्वालीफाईंग होगी। प्रबंधक द्वारा टंकण परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व अभ्यर्थियों को प्रेषित की

जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों के ई-मेल आई0 डी0 पर भी टंकण परीक्षा की तिथि की सूचना दी जायेगी।

- टंकण परीक्षा क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों की च्म्ज् में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। उक्त मेरिट सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार लिया जायेगा।
- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के च्म्ज् परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्त तैयार कराकर, अभिलेखों का सम्यक् परीक्षण करते हुए अपने अभिमत सहित प्रस्ताव मण्डलीय समिति को प्रेषित किया जायेगा।
- मण्डलीय समिति द्वारा नियमो के आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरांत वित्तीय अनुमन्यता निर्गत की जायेगी।
- चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन मूल संस्था से किया जायेगा तथा व्यय शुल्क सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- चयन हेतु पदों एवं चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय में नियुक्ति के सम्बन्ध में विवाद होने की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण मण्डलीय समिति द्वारा किया जायेगा।
- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सक्षम प्राधिकारी एवं अभिसूचना इकाई (एल0आई0 यू0) द्वारा चरित्र/आपराधिक रिकॉर्ड विषयक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात संस्था प्रबंधक द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(9) **<u>अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-</u>**

- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांगजन उ0प्र0 शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते है, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग के

कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 में निर्धारित प्रारूप पर हो तथा प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

- ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जो विवाहित है तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां है अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं माने जायेंगे।
- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनके प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर प्रश्नगत चयन से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक ही अभ्यर्थियों द्वारा धारित अर्हता स्वीकार की जायेगी। आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता/अर्हता पात्रता हेतु मान्य नहीं होगी।
- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

102- किसी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था में शिक्षणेत्तर पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के फलस्वरूप होने वाली रिक्ति की सूचना उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक से तीन मास पूर्व दी जाएगी और मृत्यु, पद त्याग के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से हुई किसी रिक्ति की सूचना उसके होने के दिनांक से सात दिन के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरीक्षक को दी जाएगी।

103- यदि किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था का शिक्षण या शिक्षणेत्तर स्टाफ के किसी कर्मचारी की जो विहित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो, सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के एक सदस्य को जो 18 वर्ष से कम आयु का न हो, भर्ती की विहित प्रक्रिया में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी शिक्षणेत्तर पद पर नियुक्त किया जा सकेगा यदि ऐसा सदस्य पद के लिए विहित आवश्यक अर्हतायें रखता हो और नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त हो।

स्पष्टीकरण- इस विनियम के प्रयोजनार्थ "कुटुम्ब का सदस्य" का तात्पर्य मृतक की विधवा/ विधुर, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री से होगा।

टिप्पणी- यह विनियम और विनियम 104 से 107 उन मृत कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होगा जिनकी मृत्यु 1 जनवरी,1981 की या उसके पश्चात् हो गई हो।

104- किसी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध तंत्र या यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक मृत्यु होने की दशा में मृत्यु होने के सात दिन के भीतर निरीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें मृत कर्मचारी का नाम, द्यृत पद, वेतनमान, नियुक्ति का दिनांक, मृत्यु का

दिनांक उसके नियोजनक संस्था का नाम और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का नाम उनकी शैक्षिक अर्हतायें और आयु आदि दिया जाएगा। निरीक्षक अपने द्वारा रक्खे जाने वाले रजिस्टर में मृतक की विशिष्टियाँ दर्ज करेगा।

105- विनियम 104 में निद्रिष्ट मृत कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य संबंधित निरीक्षक को शिक्षणेत्तर संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा और समिति द्वारा उसकी नियुक्ति की संस्तुति किए जाने के पश्चात् उस संस्था के जिसमें आवेदक को विनियम 106 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार सेवायोजित किया जाना है, प्रबन्धतंत्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक, को आवेदन पत्र नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेजेगा। समिति में निम्नलिखित होगें-

1-	निरीक्षक	-	अध्यक्ष
2-	जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में लेखाधिकारी	-	सदस्य
3-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य

106- मृत कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य की नियुक्ति यथा सम्भव उसी संस्था में की जायेगी जहां मृत कर्मचारी अपने मृत्यु के समय सेवारत् था। यदि ऐसी संस्था में शिक्षणेत्तर संवर्ग में कोई रिक्ति न हो तो उसकी नियुक्ति, जिले के किसी अन्य मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था में जहां ऐसी रिक्ति हो की जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि संबंधित जिले के किसी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था में ऐसी रिक्ति तत्समय विद्यमान न हो तो उस संस्था में जहां मृतक अपनी मृत्यु के समय सेवारत् था नियुक्ति किसी अधिसंख्य पद के विरूद्ध तुरन्त की जाएगी। ऐसे अधिसंख्य पद को इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा और उसे तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कोई रिक्ति उस संस्था में या जिले की किसी अन्य मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था में उपलब्ध न हो जाय और ऐसी स्थिति में अधिसंख्य पद के पदधारी द्वारा की गई सेवा की गणना वेतन निर्धारण और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए की जाएगी।

107- जिन मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था द्वारा जिसको निरीक्षक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया है, वह आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को सूचना देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करेगा।

108- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, शिक्षक अथवा कर्मचारी, जिन्हें उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन तथा मूल्यांकन केन्द्र से सम्बन्धित परिषद् अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कोई दायित्व/कार्य सौंपा जायेगा, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों को लाने, ले जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन

का कार्य भी सम्मिलित है, उनकी सेवा का अंग माना जायेगा। उक्त कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता व्यक्त करने अथवा जान-बूझकर अनुपस्थित रहने पर कर्तव्यों की अवहेलना मानी जायेगी और ऐसे व्यक्तियों को जनहित में ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

109- परिषदीय परीक्षाओं में जिन व्यक्तियों की ड्यूटी केन्द्र वयवस्थापक/वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक के रूप में लगाई जायेगी, ऐसे व्यक्ति केन्द्र व्यवस्थापक/वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षण कार्य हेतु सौपें गए दायित्व का निर्वहन करने में आना-कानी करें या जान-बूझकर अनुपस्थित हों, तो ऐसे व्यक्तियों को जनहित में ड्यूटी से अनुपस्थित माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-क

(अध्याय-तीन के विनियम 51 तथा 54 (ख) के संदर्भ में)

स्वमूल्यांकन प्रपत्र

अवधि जिसका स्वमूल्यांकन किया जा रहा है:-

(1) सामान्य सूचनायें--

(क) विद्यालय का नाम

(ख) अध्यापक का नाम, प्रथम नियुक्ति तिथि ....पदनाम.....................वेतनक्रम....................................वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि..................................

(ग) शैक्षिक योग्यता ....

(घ) उक्त अवधि में कितने दिन उपस्थित रहे.........................

(2) शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन परीक्षाफल का वर्षः

क्रम संख्या	कक्षा का नाम तथा वर्ग/अनुभाग जिसका अध्यापन किया है	विषय	छात्रों की सम्मिलित संख्या	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत	श्रेणी संख्या प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6	7(1)	7(2)	7(3)

(3) शैक्षिक स्तर को उठाने हेतु कृत प्रयासः

क्रमांक संख्या	मद/विषय	प्रतिक्रिया	
1	2	3	
1-	नियमित समय-सारिणी के अनुसार भरसक प्रयास करने पर भी कक्षाओं में पाठ्यक्रम का कितना अंश छूट गया।		
2-	गत् वर्ष पाठ्यक्रम के इस छूटे हुए अंश को पूरा करने के लिए की गई अतिरिक्त कक्षाओं की सख्या/विषय व कक्षानुसार उल्लेख कीजिये।		
3-	पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित कठिनाईयों के संबंध में आपने किससे कितनी बार परामर्श किया।		
4-	आप भी अनुभव करते होगें कि आज चारों ओर नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई है। आप अपने छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए क्या करते हैं।		
5-	सम्बन्धित अवधि में छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के लिये क्या किया।		
6-	शिक्षण के समय सहायक सामग्रियों का तथा छात्रों के स्थानीय पर्यावरण का किस प्रकार प्रयोग किया।		
7-	कमजोर वर्गो को कितने उपचारात्मक पाठ पढ़ाये गये।		
8-	विद्यालय के किन कार्यक्रमों का संचालन आपने इस अवधि में किया।		
9-	निम्नलिखित के सन्दर्भ में आपने क्या प्रयास किया और उनका क्या प्रभाव हुआ? (क) बच्चों की व्यक्तिगत् स्वच्छता में सुधार (ख) कक्षा की स्वच्छता में सुधार (ग) विद्यालय की स्वच्छता में सुधार		प्रयास	प्रभाव
10-	क्या आप बच्चों के सतत् मूल्यांकन का क्रमबद्व रूप से अभिलेख रखते हैं तथा उससे अभिभावकों को सूचित करते हैं।	अभिलेख रखते हैं/नहीं रखते हैं अभिभावकों को सूचित करते हैं/नहीं करते हैं।	
11-	विद्यालय तथा समुदाय को परस्पर निकट लाने के		

आपने क्या-क्या प्रयास किये।

12- सामान्यतया प्रति सप्ताह छात्रों को कितने दिन गृह कार्य देते हैं, क्या छात्रों को कार्यभार बढ़ जाने की आशंका से सप्ताह में बढ़ाये गये कुछ प्रकरण गृह कार्य के लिये छूट जाते हैं।

13- चाहते हुए भी सम्बन्धित अवधि में विभिन्न विद्यालयों या व्यक्तिगत! कारणों से समयाभाव के कारण कितने गृहकार्य का संशोधन आप नहीं कर सके।

14- सामान्य शिक्षण से पूरा लाभ न उठा पाने वाले बच्चों की सहायता आप कैसे करते हैं।

15- परीक्षाफल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप सतत् परिश्रम करते रहते होगें, इस संबंध में अपनाये गये प्रभावी उपायों को उल्लेख करें।

(4) व्यक्तिगत् शैक्षिक प्रगति तथा उपलब्धियां--

1- इस अवधि में आपने किन-किन संदर्भ पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया।

2- आपने यदि किसी शैक्षिक सेमिनार गोष्ठी में भाग लिया हो तो उसका विवरण दें।

3- नवीनतम् शिक्षण विधियों की जानकारी के लिये क्या आपने कोई प्रोजक्ट चुना है? यदि हां, तो विवरण दें।

4- आपने यदि कोई पुस्तक लेख, आदि लिखा हो तो विवरण दें।

5- अपनी शैक्षिक प्रगति से आप किस सीमा तक अत्यन्तसंतुष्ट/काफी सन्तुष्ट/ संतुष्ट हैं। उसका मूल्यांकन करें। साधारण संतुष्ट/असन्तुष्ट।

(5) अन्य विद्यालय कार्य--

1- शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त क्या आपको विद्यालय में कोई अन्य कार्यभार सौंपा गया है? यदि हां, तो उल्लेख करें।

2- आप द्वारा संचालित साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद आदि कार्यक्रमों के अन्तर्गत् विभिन्न स्तरों जनपदों, मण्डल, राज्य, राष्ट्र स्तर पर प्रति-निधित्व करने वाले छात्रों का उल्लेख करें।

3- आप कितने दिन विद्यालय में समय पर उपस्थित नहीं हो सके?

4- आपने कितने दिन निर्धारित समय से पूर्व

विद्‌यालय छोड़ दिया?

5- सामूहिक प्रार्थना में आप कितने दिन सम्मिलित नहीं हुए?

6- विद्‌यालय में उन कार्य दिनों का उल्लेख करें जिनमें आपके सहयोग की सराहना की गई।

7- विद्‌यालय के उन कार्यो/क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनमें आप विभिन्न कारणें से रूचि नहीं ले पाते।

8- क्या आपको पिछले वर्ष राज्य या किसी अन्य संस्था में सम्मानित किया है?

9- क्या आपने पिछले वर्ष विद्‌यालय के लिए कोई विशेष कार्य किया है?

10- अन्य विवरण जो अपने बारे में देना चाहते हैं।

तिथिः

पूर्ण हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद नाम ....

परिशिष्ट-ख - (निकाल दिया गया)।

<u>चरित्र-पंजी का प्रपत्र</u>

<u>परिशिष्ट-ग</u>

<u>(अध्याय तीन के विनियम 63 के अन्तर्गत)</u>

<u>चरित्र-पंजी का प्रपत्र</u>

(क) आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा (मैट्रन सहित) अध्यापक

गोपनीय- उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्‌यालयों के अध्यापकगण के कार्य एवं आचरण पर वार्षिक आख्याः

(1) संस्था का नाम

(2) कर्मचारी का पूरा नाम

(3) पिता का नाम

(4) उत्तीर्ण परीक्षायें, विश्वविद्‌यालय, परिषद्, संस्था इत्यादि के नाम सहित, वर्ष एवं श्रेणीं (यह अद्‌यावधिक रखा जाना चाहिए)।

(5) शासन, शिक्षा विभाग अथवा सार्वजनिक संस्था द्‌वारा प्रदत्त किसी कार्य अथवा योग्यता प्रमाण-पत्र का अभिलेख।

(6) विशेष योग्यता, यदि कोई हो, जैसे स्काउटिंग, फस्टएड, रेडक्रास इत्यादि।

(7) जन्मतिथि तथा स्थान

(8) स्थायी निवास, तथा पता

(9) वर्तमान संस्था में सेवा प्रारम्भ करने की तिथि

(10) वर्तमान पद में स्थायी नियुक्ति की तिथि

(11) पूर्व सेवा का स्थानों तथा तिथि सहित विवरण

(12) (क) प्रथम मान्यता प्राप्त संस्था में निर्वाह-निधि योजना में सम्मिलित होने की तिथि।

(ख) वर्तमान संस्था में निर्वाह निधि लेखा के स्थानान्तरण की तिथि

(13) वर्तमान पद

(14) 31 मार्च, 19 को वेतनक्रम तथा वेतन

संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के हस्ताक्षर

--------- ---------------

जन्मतिथि सामान्यतः हाईस्कूल प्रमाण-पत्र अथवा शासन के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त किसी अन्य प्रमाण-पत्र में लिखित तिथि होना चाहिये।

टिप्पणी-- इस प्रपत्र पर प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा तथा अध्यापक/मैट्रन के सम्बन्ध में आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिये।

तिथि 19

(आ) 20 जून, 19 को समाप्त होने वाले स्कूल वर्ष के लिए कर्मचारी के कार्य एवं आचरण पर आख्या।

अध्यापक का नाम ....

उसके कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में अभ्युक्तियां तथा हित की अन्य अभ्युक्तियां भीः-

वर्ष	संस्था के प्रधान की अभ्युक्तियां अध्यापक के सम्बन्ध में	प्रबन्धक की अभ्युक्तियां संस्था के प्रधान के संबंध में	प्रतिकूल अभ्युक्तियां, यदि कोई हो अथवा चेतावनी देने की, यदि कोई हो, तिथि
1	2	3	4

अभ्युक्तियों में, पद में, कार्यक्षमता, परीक्षाफल, पाठ्यानुवर्ती कार्यकलाप में भाग, सहयोगियों एवं जनता से सम्बन्ध तथा संस्था की भावना एवं अनुशासन पर प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये।

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र.................................

प्रधानाध्यापक/आचार्य अथवा
प्रबन्धक के हस्ताक्षर दिनांक

दिनांकः

***भाग-दो-क**

अध्याय-चार

अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली 1986

*राजकीय गजट दिनांक 07-11-92 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद-9/897 दिनांक 23-10-92 द्वारा संशोधित।

अध्याय - एक- प्रारम्भिक

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ --(1) यह विनियमावली अभिभावक - अध्यापक एसोसिएशन (संशोधन) विनियमावली, 1988 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- जब तक कि विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में--

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 से है।

(2) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था के अध्यापक से है और इसमें प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष और तकनीकी सहायक भी सम्मिलित हैं।

(3) "अभिभावक" का तात्पर्य किसी संस्था में अध्ययनरत् छात्र के स्थानीय अभिभावक से है।

(4) "अध्यक्ष" "उपाध्यक्ष", उपमंत्री या कोषाध्यक्ष का तात्पर्य इस विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार चुने गये एसोसिएशन की कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमंत्री या कोषाध्यक्ष से है।

(5) "एसोसियेशन" का तात्पर्य प्रत्येक संस्था में गठित अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन से है, जिसके सदस्य अभिभावकगण और अध्यापकगण होगें।

(6) "संस्था" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में परिभाषित किसी इण्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेण्डरी स्कूल या हाईस्कूल से है।

(7) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य किसी संस्था की प्रबन्ध समिति से है। जिन संस्थाओं में प्रबन्ध समिति नहीं है उनमें प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में इस विनियमावली में किये गये उपबन्ध लागू नहीं होगें।

3- एसोसिऐशन के उद्देश्य - एसोसियेशन के निम्नलिखित उद्देश्य होगें--

(1) संस्था और स्थानीय समाज के पारम्परिक संबंध को बढ़ाना।

(2) संस्था की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना और स्थानीय समाज के भौतिक, आर्थिक और नैतिक सहयोग से उनके निराकरण के लिए प्रयास करना।

(3) संस्था में नई शैक्षिक योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन के लिए स्थानीय समाज का सहयोग प्राप्त करना।

(4) स्थानीय समाज की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पहचानकर उनके अनुकूल नवीन विषयों को पाठ्य विषयों में समावेश करने की संस्तुति करना।

(5) "विद्यालय यथार्थ में स्थानीय समाज का आलोक स्तम्भ है।" इस भावना को सन्तुष्ट करना।

(6) संस्था में अध्ययनरत् छात्रों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए योजनायें एवं कार्यक्रम बनाने में मार्गदर्शन एवं सहयोग देना, और

(7) प्रबंध समिति एवं प्रधानाचार्य को संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए परामर्श एवं सहयोग देना, जिसमें संस्था के प्रबन्धकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं हैं।

अध्याय-दो - कार्यकारिणी का गठन

4- कार्यकारिणी और उसके पदाधिकारी और सदस्य-एसोसिएशन के उद्धेश्यों की पूर्ति और उसके कार्य के सम्पादन के लिए एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी होगी जिसके पदाधिकारी और सदस्य निम्नलिखित होगें:-

(1) अध्यक्ष (कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों में से देवनागरी वर्णमाला के अनुसार चुना जायेगा)।

(2) उपाध्यक्ष - प्रधानाचार्य (पदेन)।

(3) मंत्री (देवनागरी वर्णमाला के क्रमानुसार कार्यकारिणी के अध्यापक सदस्यों में से चुना जायेगा)।

(4) उपमंत्री (सह संयोजक) (देवनागरी वर्णमाला के क्रमानुसार कार्यकारिणी अभिभावक सदस्यों में से चुना जायेगा)।

(5) कोषाध्यक्ष (देवनागरी वर्णमाला के क्रमानुसार कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों में से चुना जायेगा)।

(6) **सदस्य निम्नवत् होगें:-**

(अ) अभिभावक सदस्य-कक्षा 6 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा-7 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा 8 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा 9 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले, कक्षा-10 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 11 में सबसे कम एवं कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक

प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा के अभिभावक सदस्य होगें। दूसरे वर्ष कक्षा 6 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले और कक्षा 7 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले। इसी तरह प्रत्येक वर्ष क्रम बदलेगें।

(ब) प्रयास यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की एक ग्राम सभा से एक सदस्य होगा तथा शहरी क्षेत्र में एक वार्ड से एक अभिभावक सदस्य होगा।

(स) हाईस्कूल में स्नातक वेतनक्रम के दो अध्यापक और यदि इण्टर कालेज है तो तीन अध्यापक जिसमें दो स्नातक वेतनक्रम के और एक प्रवक्ता वेतनक्रम के सदस्य होगें।

(द) प्रबन्ध समिति का एक सदस्य (प्रबन्ध समिति का पदाधिकारी छोड़कर) होगा।

5- विलुप्त

6- विलुप्त

7- विलुप्त

7ए-(1) शैक्षिक सत्र के आरम्भ में 15 जुलाई के पूर्व प्रत्येक छात्र अपने अभिभावक का विवरण एक निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में विद्यालय के प्रधानाचार्य को देगा। छात्र के कक्षा-अध्यापक इस प्रपत्र की प्रथम प्रति विद्यालय के अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगें तथा द्वितीय प्रति अपने हस्ताक्षर करके छात्र को लौटा देगें।

एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में वही अभिभावक भाग ले सकेगें जिनका नाम उसे प्रपत्र पर अंकित होगा और जो वह प्रपत्र प्रस्तुत करेगें।

7ए-(2) विलुप्त।

7ए-(3) यदि किन्हीं कारणों से जुलाई माह के अन्तिम शनिवार या रविवार को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन संभव न हो तो किसी अन्य तिथि को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया जायेगा किन्तु ऐसे आयोजन के लिये मंत्री द्वारा विलम्ब का कारण बताते हुये 21 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी। 21 दिन की गणना सूचना जारी किए जाने के दिनांक से की जायेगी।

8- कार्यकारिणी के गठन की तिथि - (1) प्रत्येक वर्ष अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव नियम-4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी कारणवश अगस्त माह के प्रथम रविवार को बैठक आयोजित करना सम्भव न हो तो प्रधानाचार्य द्वारा उसकी लिखित सूचना जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जिला विद्यालय निरीक्षक को विलम्ब का कारण बताते हुए देनी होगी।

(2) हटाया गया।

(3) यदि किन्हीं कारणों से अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन संभव नहीं हो सकेगा तो किसी अन्य तिथि को रविवार के दिन आयोजन किया जा सकेगा किन्तु ऐसे आयोजन के लिये उपाध्यक्ष द्वारा एसोसियेशन के सभी

सदस्यों को जुलाई के तीसरे सप्ताह तक विलम्ब का कारण बताते हुये 21 दिन की पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी, 21 दिन की गणना सूचना जारी किये जाने के दिनांक से की जायेगी।

स्पष्टीकरण-- विनियम 7-ए के उप-विनियम (3) के इस उपविनियम के अन्तर्गत् अभिभावकों की सूचना छात्रों के माध्यम से उपाध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से दी जाएगी और सूचना की एक प्रति सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

9- विलुप्त।

10- विलुप्त।

11- कार्यकारिणी की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना - यदि किन्हीं कारणों से कार्यकारिणी के पदाधिकारियों या सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे कार्यकारिणी द्वारा एसोसियेशन के सदस्यों में से विनियम-4 के अनुसार भरा जायेगा।

12- कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य उपाध्यक्ष को लिखित आवेदन पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकता है।

परन्तु त्याग पत्र तब तक प्रभावी नहीं माना जायेगा जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जायेगा।

13-**त्याग-पत्र के स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया-** किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य का त्याग-पत्र प्राप्त होने पर उपाध्यक्ष उसे कार्यकारिणी के विचार के लिए भेजेगा। कार्यकारिणी का विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात् उपाध्यक्ष त्याग-पत्र को स्वीकार करेगा।

14-**आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक** - एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार होगा जो सामान्यतः अगस्त मास के प्रथम रविवार और जनवरी मास के प्रथम रविवार को होगा। आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की कार्य सूची (एजेण्डा) परिशिष्ट-1 में दिये गये विवरणानुसार होगी।

15-**आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता-** एसोसियेशन की प्रथम (अगस्त माह की) आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगें और उसके बाद की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यख द्वारा प्रस्तावित कार्यकारिणी के पदाधिकारी-अभिभावक सदस्य द्वारा की जायेगी।

अध्याय-तीन

कार्यकारिणी के कृत्य, कर्तव्य एवं अधिकार

16- कार्यकारिणी के कर्तव्य - कार्यकारिणी के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित होगें:-

(1) अध्यापकों और अभिभावकों की कक्षावार बैठक आयोजित करना। कक्षावार बैठक आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार किया जाएगा जो सामान्यतः जनवरी और अगस्त माह के प्रथम रविवार को होगा। कक्षावार बैठक की कार्यसूची **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार होगी।

(2) संस्था के शिक्षण स्तर एवं आवश्यकता का आंकलन करके उनको बढ़ाने तथा समाधान करने का निर्णय लेना।

(3) संस्था के गत् तथा चालू वर्ष के शिक्षण दिवसों की समीक्षा करना।

(4) संस्था के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधन जुटाना।

(5) भौतिक संसाधनों में भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पुस्तकें, खेल का मैदान काष्ठोपकरण, पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन कक्षों आदि की व्यवस्था करना है।

(6) संस्था के पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों-जैसे राष्ट्रीय और महापुरूषों के जन्म-दिन, धार्मिक त्यौहार, सामुदायिक कार्य आदि के आयोजन में समाज का योगदान प्राप्त करना।

(7) संस्था की सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना।

(8) संस्था के शैक्षिक उन्नयन हेतु कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग देना तथा श्रेष्ठ छात्रों, श्रेष्ठ अध्यापकों, श्रेष्ठ अभिभावकों को सम्मानित करना।

(9) संस्था के संचालन में जिसमें संस्था के प्रबन्धकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं है प्रबन्ध समिति और प्रधानाचार्य को परामर्श और अपेक्षित सहयोग देना।

17- कार्यकारिणी की बैठक - (1) कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को विद्यालय परिसर में होगी। इसके अतिरिक्त सात दिन की पूर्व सूचना जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सहमति से उपमंत्री (सहसंयोजक) द्वारा दी जायेगी, पर किसी भी समय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकेगी। कार्यकारिणी की बैठक को कार्यसूची **परिशिष्ट-3** में दिये गए विवरणानुसार होगी।

(2) कार्यकारिणी, मासिक बैठक में अगले मास का कार्यक्रम तैयार करेगी और पिछले महीने के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति को देखेगी।

(3) कार्यकारिणी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा और सर्वसम्मति से निर्णय न हो सकने की दशा में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

18- एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा और कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवृत्त उपाध्यक्ष द्वारा नामित कार्यकारिणी के अध्यापक सदस्य द्वारा अलग-अलग रजिस्टरों में लिखा जाएगा तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। दोनों कार्यवृत्त रजिस्टर उपाध्यक्ष के संरक्षण में रखे जायेगें।

19- बैठक में भाग लेने के लिये हकदार व्यक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक और अन्य अधिकृत राजपत्रित अधिकारी कार्यकारिणी के आमंत्रण पर बुलाये गये व्यक्ति कार्यकारिणी की बैठक अथवा एसोसिऐशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में किसी भी समय भाग ले सकते हैं और राय दे सकते हैं।

20- विशेष बैठक बुलाया जाना- कार्यकारिणी की विशेष बैठक या आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की विशेष बैठक कार्यकारिणी अथवा एसोसियेशन के एक चैथाई सदस्यों की प्रार्थना पर उपाध्यक्ष द्वारा बुलाई जा सकती है।

21- कार्यकारिणी एवं एसोसियेशन का कारोबार एसोसिएशन तथा कार्यकारिणी का समस्त कारोबार हिन्दी में सम्पादित किया जायेगा।

22- छात्रों की समस्यायें और उनका समाधान -

(1) कार्यकारिणी प्रत्येक मास उच्चतम एवं न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले सभी कक्षाओं के छात्रों को अपनी बैठक में आमंत्रित कर छात्र समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेगी और उनका समाधान करेगी।

(2) कार्यकारिणी से खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में विशिष्ट रूचि रखने वाले छात्रों को समय-समय पर अपनी बैठक में आमंत्रित करेगी और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर इनका समाधान करेगी।

23- शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी विषयों पर कक्षाअध्यापकों की आमंत्रित करना - शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिए कार्यकारिणी प्रत्येक कक्षा अध्यापक (ब्सं◌े◌े ज्मंबीमत)को समय-समय पर आमंत्रित करेगी और विषय समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में प्रयास करेगी।

24- आमंत्रित करने का अधिकार - कार्यकारिणी समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, खेलकूद निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, सामुदायिक विकास विभाग या विकास कार्यो से सम्बन्धित अन्य एजेन्सीज के प्रतिनिधि को अपनी बैठक में विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित कर सकती है।

25- कार्यकारिणी का कार्यकाल - कार्यकारिणी का कार्यकाल एक शैक्षिक वर्ष होगा।

अध्याय-चार

एसोसियेशन के वित्तीय संसाधन और लेखा परीक्षा

26- संस्था के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधन कार्यकारिणी संस्था के लिए समाज के उदार और सम्पन्न व्यक्तियों से स्वैच्छिक दान लेने के लिए अधिकृत होगी।

(1) दान प्राप्त करने के लिए संस्था के एसोसियेशन के नाम छपी हुई रसीद दी जायेगी। इस रसीद को कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर होगें।

(2) एसोसियेशन कोष के नाम पर अनुसूचित अथवा पोस्ट आफिस में संयुक्त खाता खेला जायेगा जिसमें प्राप्त धनराशि को जमा किया जायेगा। खाते का रख-रखाव उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पांच सौ की वार्षिक धनराशि का आहरण कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इससे अधिक धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। पांच सौ रूपये से अधिक के आहरण पर कार्यकारिणी का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा।

(3) एसोसियेशन कोष में जमा धनराशि का उपयोग कार्यकारिणी द्वारा संस्था की समस्याओं का निराकरण, आवश्यकताओं का निराकरण, आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास कार्य में किया

जायेगा। हर वर्ष बजट पहले कार्यकारिणी में और तत्पश्चात् आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा के समक्ष् अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) एसोसियेशन कोष में जमा धनराशि तथा उसमें से किये गये व्यय का लेखा उपाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में एक रोकड़ बही में रखा जायेगा, यह रोकड़ बही मांगे जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को उपाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

27- लेखा परीक्षक - प्रत्येक वर्ष लेखों का संप्रेक्षण करने के लिए कार्यकारिणी द्वारा किसी राजकीय अधिकृत आडिटर को नियुक्त किया जायेगा, जो कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा। यह नियुक्ति प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास तक की जायेगी और प्रत्येक माह के लेखें का संप्रेक्षण साथ-साथ कराया जायेगा। कार्यकारिणी के अनुमोदन के पश्चात् सामान्य सभा में उक्त लेखा एवं सम्प्रेक्षण आख्या का विवरण एसोसियेशन के समक्ष् प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय-पाँच
विविध

28- संस्था की प्रबन्ध समिति में कार्यकारिणी सदस्यों का आमंत्रण -

1- एसोसियेशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था की प्रबन्ध समिति के विशेष आमंत्री अथवा सदस्य के रूप में भाग लेगें।

2- संस्था की प्रबन्ध समिति का यह दायित्व होगा कि प्रबन्ध समिति की प्रशासन योजना में दो अभिभावक सदस्यों की सदस्यता के लिये प्रावधान कराये और जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक विनियमावली के उपर्युक्त् 28(1) के अनुसार एसोसियेशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रबन्ध समिति में विशेष आमंत्री के रूप में बुलायें।

29-**संस्था के विभिन्न कार्यकलापों में अभिभावक सदस्यों का प्रतिनिधित्व** -संस्था में गठित की जाने वाली विभिन्न विषय समितियों, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित समितियों के प्रत्येक विषय में से एक-एक अभिभावक का नामन, जो पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में रूचि रखता हो, कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।

30-**अभिभावकों को सम्मानित किया जाना** - एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में अथवा कार्यकारिणी की बैठक में अधिकतम उपस्थित अभिभावक सदस्य तथा संस्था के लिये अधिकतम सहयोग देने वाले अभिभावकों को संस्था द्वारा समय-समय पर सम्मानित किया जायेगा।

31- छात्रों की प्रगति - (1) प्रत्येक वर्ष मास अगस्त के प्रथम रविवार को आयोजित एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा कार्यकारिणी एवं अन्य कार्यवाही के उपरान्त कक्षवार अभिभावक अध्यापक बैठक में विभक्त की जायेगी और प्रत्येक कक्षा के छात्रों को आगामी

सत्र की पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना बनायेगी जिसका कार्यान्वयन संस्था की प्रबन्ध समिति एवं अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन की कार्यकारिणी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यदि एसोसियेशन द्वारा प्रस्तावित किसी योजना अथवा कार्यक्रम के संबंध में प्रबन्ध समिति सहमत न हो अथवा अन्य किसी बात पर एसोसियेशन और प्रबन्ध समिति में मतभेद हो तो संस्था के उपाध्यक्ष दोनों के विचारों का विवरण देते हुये अपनी आख्या के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजेगें और इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

परन्तु यह प्रावधान संस्था की प्रबन्धकीय प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित मामले में लागू नहीं होगा।

(3) हटाया गया।

32- संशोधन - इस विनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन शासन की पूर्वानुमति से बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-एक

अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन की अगस्त माह के प्रथम रविवार तथा जनवरी माह के प्रथम रविवार को आयोजित आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक का एजेण्डा।

1- गत् आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा के कार्यवृत्त का पढ़ा जाना व उसकी पुष्टि।

2- प्रधानाचार्य द्वारा पिछली बैठक के बाद से सम्पन्न कार्य-कलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

3- अभिभावक - अध्यापक एसोसियेशन के उद्देश्यों का पढ़ा जाना एवं यह विचार किया जाना कि किस हद तक इसकी पूर्ति हो रही है।

4- वार्षिक विद्यालय पंचाग की घोषणा एवं उपस्थित व्यक्तियों को उसकी विशेषताओं से अवगत् किया जाना (अगस्त की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा) तथा वार्षिक विद्यालय पंचांग के अनुपालन की स्थिति जनवरी की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा।

5- गृह तथा परिषदीय परीक्षाओं के परीक्षाफलों की चर्चा एवं उनमें सुधार लाने पर विचार।

6- कोषाध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेखा की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

7- सम्प्रेक्षक द्वारा वार्षिक लेखा की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

8- कार्यकारिणी का गठन।

परिशिष्ट-दो

कक्षावार अभिभावक - अध्यापक सम्मेलन हेतु प्रस्तावित एजेण्डा

1- शिक्षण स्तर में सुधार के लिए अपनाये गये कार्यक्रमों की जानकारी एवं समीक्षा।

2- कक्षा के परीक्षाफल की समीक्षा।

3- पाठ्यक्रम का समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किए जाने की योजना एवं समीक्षा।

4- सत्रवार अध्यापक हेतु पठ्यांश का निर्धारण एवं उसकी घोषणा

5- कमजोर छात्रों के लिए निदानात्मक व्यवस्था पर चर्चा।

6- कक्षा के समस्याग्रस्त छात्रों के अध्यापकों से विद्यालय में सम्पर्क एवं अनुरक्षण के कार्यक्रम।

7- कक्षा के समस्याजनक बिन्दुओं में सुधार के सुझावों पर विचार।

8- उत्कृष्ट छात्रों की पहचान एवं उनके विकास की योजनाओं पर विचार।

9- प्रतिभावान छात्रों द्वारा पढाई में कमजोर छात्रों की सहायता देने की योजना बनाना व उस पर विचार तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की योजना बनाना व उनके अभ्यास की व्यवस्था पर विचार।

परिशिष्ट-तीन

कार्यकारिणी की बैठकों के लिए प्रस्तावित एजेण्डा

1- गत् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

2- पिछली बैठक/बैठकों में लिए गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति:

3- अगले माह के लिए शैक्षिक उन्नयन की योजनाओं पर विचार तथा कार्यकारिणी के उद्देश्यों के अनुरूप अन्य बिन्दुओं पर, योजनाओं पर विचार व निर्णय किया जाना।

4- विद्यालय के लिए अपनाये गये शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन।,

5- वित्तीय आवश्यकताओं की पहचान और स्वैच्छिक संचालन उपलब्ध कराये जाने पर विचार।

6- कक्षा-9 व कक्षा-11 के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र, छात्राओं एवं खेल तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेषता प्राप्त छात्रों/छात्राओं को आमंत्रित कर उनकी समस्याओं (छात्र समस्याओं) पर विचार व उनका समाधान।

7- उत्तम शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम।

8- उत्कृष्ट छात्रों व उनके अभिभावकों को सम्मानित एवं अलंकृत करने के कार्यक्रमों का निर्धारण।

9- समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की कक्षावार योजना पर विचार व उनके अभ्यास की व्यवस्था किया जाना।

10- कार्यकारिणी की अगली बैठक की तिथि तय करना।

भाग दो-ख

अध्याय-एक

परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि कोई बात, विषय अथवा संदर्भ में प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित शब्दों का निम्नांकित अर्थ होगा:-

(1) "सभापति" का अर्थ सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश है।

(2) "कालेज" का अर्थ परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली तथा इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था है।

(3) "विभाग" का अर्थ उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग है।

(4) विलोपित।

(5) "अभिभावक" का अर्थ प्राकृतिक अथवा विधिक अभिभावक अथवा इन विनियमों के लिए सम्बन्धित संस्था के प्रधान द्वारा एक छात्र के अभिभावक के रूप में अनुमोदित व्यक्ति है।

(6) "प्रधानाध्यापक" का अर्थ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल का प्रधान है।

(7) "हाईस्कूल" का अर्थ परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली तथा इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था है।

(8) विलोपित।

(9) ''आचार्य'' का अर्थ कालेज का प्रधान है।

(10) "व्यक्तिगत् परीक्षार्थी" का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो बिना अपेक्षित उपस्थिति के एक परीक्षा में बैठना चाहता है, जिसके लिए मान्यता प्राप्त संस्था में नियमित उपस्थिति निर्धारित है।

(11) "नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम" का अर्थ परिषद् द्वारा निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम है।

(12) "छात्र पंजी" का अर्थ छात्र की प्रगति का अभिलेख रखने वाली पंजी है, जो उस संस्था द्वारा, जिसका कि वह है, निर्धारित प्रपत्र पर रखी जाती है।

(निर्धारित प्रपत्र उ0प्र0 शिक्षा संहिता में दिया हुआ है।)

(13) 'सचिव" का अर्थ सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश है।

(14) "सत्र का अर्थ" नयी कक्षायें बनाने से आरम्भ होने वाली 12 मास की अवधि है, जिसमें एक संस्था अध्यापन हेतु खुली रहती है।

(15) "शैक्षिक वर्ष" का अर्थ 01अप्रैल से उसके पश्चात् आने वाली 31मार्च तक की अवधि है।

(16) "उम्मीदवार" का अर्थ परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने की इच्छा रखने वाला अथवा उसमें प्रविष्टि प्राप्त करने वाला व्यक्ति है।

(17) "क्षेत्रीय सचिव" का तात्पर्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों के सर्वोच्च पद को धारण करने वाले अधिकारी से है और इसमें क्षेत्रीय सचिव के समस्त

या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

अध्याय-दो

परिषद्

1- परिषद् की बैठक साधारणतः नवम्बर और फरवरी मासों में होगी।

2- नवम्बर मास में हुई परिषद् की बैठक परिषद् की वार्षिक बैठक समझी जाएगी।

अध्याय-तीन

सचिव

1- परिषद् की समस्त बैठकें सचिव द्वारा बुलाई जाएगी।

2- सचिव, सभापति के प्राधिकार से परिषद् के सरकारी पत्र-व्यवहार का संचालन करेगा।

3- परिषद् के लिए देय समस्त शुल्क एवं पावना तथा सचिव के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियाँ अविलम्ब सरकारी कोषागार में जमा कर दी जायेंगी।

4- सचिव अनुवर्ती अध्यायों के विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् की परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत् परीक्षा केन्द्रों और मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण भी है और परीक्षाफल का प्रकाशन, उसकी घोषणा करने या उन्हें रोकने के लिए प्रबन्ध करेगा, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसके लिए आवश्यक हों।

5- सचिव परिषद् की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करेगा और परिषद् या परीक्षा समिति के निर्देशों या अनुदेशों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, उन पर कार्यवाही करेगा।

6- सचिव को परीक्षाफल समिति द्वारा पारित ऐसे परीक्षाफल में मिली किसी गलती या लोप या भिन्नता को युक्ति युक्त समय के भीतर जो साधारणतया परिषद् की मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के प्रकाशित होने के दिनांक से छः मास से अनधिक होगा, दूर करने की शक्ति होगी।

7-सचिव,परिषद की ओर से सफल उम्मीदवारों को परिषद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में देगा और बाद में उसकी प्रविष्टियों में कोई शुद्धि करेगा,बशर्ते कि प्रमाण-पत्र में किसी ऐसी गलत प्रविष्टि, किसी अविचारित लिपिकीय भूल या लोप के कारण या किसी ऐसी लिपिकीय भूल के कारण की गई हो,जो असावधानी से परिषद के स्तर के या उस संस्था के जहाँ से अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की हो, स्तर पर अभिलेख में हो गई हो। यह शुद्धि सचिव द्वारा उसी स्थिति में की जा सकेगी जबकि अभ्यर्थी ने सम्बन्धित परीक्षा के प्रमाण-पत्र को परिषद द्वारा निर्गमन करने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर ही लिपिकीय त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये सम्बन्धित प्रधानाचार्य/अग्रसारण अधिकारी को त्रुटि के संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हो और उसकी प्रतिपंजीकृत डाक से सचिव,परिषद को भी प्रेषित की हो।

प्रतिबन्ध यह है कि अभ्यर्थी के अंकपत्र तथा प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी के नाम,पिता के नाम अथवा माता के नाम में यदि कोई वर्तनी त्रुटि है,तो अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने पर उसे परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय सचिवों द्वारा पुष्टित एवं प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर तत्काल शुद्ध कर दिया जायेगा।

8- यदि सचिव को यह समाधान हो जाय कि किसी उम्मीदवार का मूल प्रमाण पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है या अनुपयोगी हो गया है तो वह परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विहित शुल्क लेकर उसकी द्वितीय प्रति दे सकता है। वह विहित शुल्क लेकर परिषद् की परीक्षा के अंक पत्र की द्वितीय प्रति भी दे सकता है।

9- परिषद् का पुस्तकालय, सचिव की देख-रेख में होगा और वह समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाठ्य पुस्तकों इत्यादि के लिए विचारार्थ प्राप्त पुस्तकों को सम्बन्धित समितियों के समक्ष् प्रस्तुत करेगा।

10- सचिव, प्रतिवर्ष 31 मई, तक विभाग को परिषद् की परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों और कालेजों की सूची वैकल्पिक विषय अथवा विषयों को निर्दिष्ट करते हुए जिनमें मान्यता प्राप्त हुई है, देगा।

11- सचिव, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे परिषद् द्वारा सौपें जाय अथवा उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

12- सचिव को परिषद् की किसी समिति और उसकी उप-समिति की किसी बैठक में पदेन सदस्य सचिव के रूप में उपस्थित होने, भाग लेने और बोलने का हक होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि विभिन्न विषयों की पाठ्यक्रम समितियों, अनुचित साधनों के मामले के निस्तातरण के लिए समितियों और स्त्री शिक्षा समिति की स्थिति में यह अपनी ओर से उनकी किसी बैठक में भाग लेने और बोलने के लिये अपर सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है।

13- सचिव को अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, परिषद् की किसी समिति या उसकी किसी उप समिति की बैठक बुलाने की शक्ति होगी जब कभी उसकी राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।

अध्याय-चार

परिषद् की समितियां

1- इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समितियों के अतिरिक्त, परिषद् निम्नलिखित अन्य समितियाँ नियुक्त करेगीः-

(एक) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम समिति।

(दो) परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग, सामूहिक नकल किए जाने और प्रतिरूपण के संदिग्ध मामलों और अन्य तत्सदृश या सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए समितियाः

(तीन) परिषद् को स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों पर सलाह देने के लिए एक समिति।

2- परिषद् द्वारा किसी पाठ्यक्रम समिति में नियुक्त सदस्यों की संख्या, जैसा परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाय तीन से कम और सात से अधिक न होगी, सिवाय निम्नलिखित विषयों के पाठ्यक्रम समितियों की स्थिति में जिनमें सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या वहीं होगी जो प्रत्येक के सामने उल्लिखित है:-

	न्यूनतम	अधिकतम

(क) कृषि	7	9
(ख) प्राविधिक विषय	9	11
(ग) रचनात्मक विषय	11	11

3- किसी विषय की पाठ्यक्रम समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगाः-

(क) परिषद् के ऐसे सदस्य, जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों, सम्बद्ध विषय के पाठ्यक्रम समिति में निर्वाचित किए जायेगें।

(ख) यदि परिषद् के ऐसे सदस्य, जो सम्बद्घ विषय के विशेषज्ञ हों, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो बाहर से सम्बद्घ विषय के विशेषज्ञ, जिनके नाम का प्रस्ताव परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाय, नियुक्त किए जायेगें, परन्तु ऐसे विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश में निवास करते हों और सम्बद्ध समिति की सदस्यता स्वीकार करें।

(ग) रचनात्मक विषय के पाठ्यक्रम समिति की स्थिति में, सदस्य ऐसी रीति से नियुक्त किए जायेगें कि रचनात्मक वर्ग के प्रत्येक विषय का प्रतिनिधित्व कम से कम तद्विषयक् एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाय।

(घ) जहां खंड (ख) के अधीन परिषद् के सदस्यों द्वारा किसी विशिष्ट विषय या विषयों के विशेषज्ञों के नाम पर्याप्त संख्या में प्रस्तावित न किये जायं, वहां अध्यक्ष को उस विषय या उन विषयों के विशेषज्ञ को अपेक्षित सीमा तक नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

(ड़) परिषद् का कोई सदस्य या बाहरी विशेषज्ञ दो से अधिक पाठ्यक्रम समितियों में कार्य नहीं करेगा।

(च) सभापति को किसी पाठ्यक्रम समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति को निरसित करने का अधिकार होगा यदि यह ज्ञात हो जाय कि सदस्य पाठ्यक्रम समिति के उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है जिसमें वह नियुक्त किया गया था, परन्तु ऐसी किसी नियुक्ति को निरसित नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बद्ध सदस्य को यह बताने का अवसर न दे दिया जाय कि वह सम्बद्ध विषय का विशेषज्ञ है।

स्पष्टीकरण- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, किसी विषय के विशेषज्ञ का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन्टरमीडिएट कक्षाओं में उस विषय को पढ़ाने के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।

4- यदि परिषद् के ऐसे सदस्यों की संख्या जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों, या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किसी विषय के बाहरी विशेषज्ञों की संख्या ऐसे विषय के पाठ्यक्रम समिति के गठन के लिये अपेक्षित सदस्य संख्या से अधिक हो तो परिषद् द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

5- इस अध्याय के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट समितियों के सदस्यों की समयावधि नहीं बढ़ायी जायेगी और वह वही होगी जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 के अधीन परिषद् के सदस्यों की है परन्तु कोई भी सदस्य अथवा संयोजक अपने पद से सभापति के नाम त्याग-पत्र देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। वह त्याग पत्र सभापति को प्राप्त होने की तिथि से लागू होगा। समिति का कोई सदस्य या संयोजक जो परिषद् का सदस्य न रहे तत्काल से सम्बद्ध समिति का सदस्य या संयोजक नहीं रह जायेगा। इसके फलस्वरूप हुई रिक्ति की पूर्ति हेतु नियुक्ति अधिनियम एवं विनियम की अर्हता के सदस्य उपलब्ध अथवा अवशेष नहीं रहने की स्थिति में परिषद् के अवशेष सदस्यों में से ही की जायेगी।

6- परिषद् की प्रत्येक समिति का एक संयोजक होगा जो परिषद् द्वारा जब तक कि अन्यथा विहित न हो, सम्बद्ध समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा, परन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक समिति में संयोजक का कार्य नहीं करेगा। किसी समिति के संयोजक के पद पर न रहने की स्थिति में, परिषद् का अध्यक्ष का कार्य चलाने के लिए सम्बद्ध समिति के सदस्यों में से एक प्रतिस्थानी नाम निर्दिष्ट करेगा जब तक कि परिषद् द्वारा किसी अन्य संयोजक का निर्वाचन न कर दिया जाय या परिषद् अध्यक्ष द्वारा प्रतिस्थानी के रूप में नाम निर्दिष्ट संयोजक का अनुमोदन न कर दें।

7- जहां अन्यथा विहित हो उसके सिवाय समस्त समितियों का निर्वाचन गुप्त-मत पत्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा श्एकल संक्रमणीय मतश् द्वारा निर्वाचन की रीति को नियंत्रित करने वाली अनुसूची परिषद् की उपविधियों की उपविधि 4 परिशिष्ट'क में दी गई है।

8- जब कभी निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल धारा 4(1) के अन्तर्गत् समाप्त होने के कारण ऐसे सदस्यों के स्थान रिक्त हो गये हों और बोर्ड का पुर्नगठन किसी कारणवश न हो सका हो और धारा 13 में उल्लिखित किसी समिति का पुनर्गठन करना आवश्यक हो तो इन विनियमों में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी ऐसी समितियों का पुनर्गठन विनियमों में निर्धारित संख्या से कम सदस्यों से भी किया जा सकता है।

<u>अध्याय पांच</u>

<u>पाठ्यक्रमों की समितियां</u>

1- परिषद् निम्नलिखित विषयों में पाठ्यक्रमों की समितियां नियुक्त करेगी, जिनका वर्गीकरण उस रूप में तथा उन परिवद्र्वनों एवं परिवर्तनों के साथ किया जायेगा जो परिषद् समय-समय पर निश्चित करें--

1- हिन्दी

2- गणित

3- गृह विज्ञान

4- अरबी और फारसी

5- उर्दू

6- इतिहास

7- नागरिक शास्त्र

8- भूगोल

9- मराठी और गुजराती

10- अग्रेंजी

11- भौतिक विज्ञान

12- रसायन विज्ञान

13- जीव विज्ञान

14- कृषि (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त कृषि के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के समस्त विषय सम्मिलित है)

15- चित्रकला एवं रंजनकला

16- वाणिज्य (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त वाणिज्य के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के समस्त विषय सम्मिलित हैं)।

17- अर्थशास्त्र

18- संस्कृत

19- सैन्य विज्ञान

20-समाजशास्त्र

21-रचनात्मक(रचनात्मक वर्ग के अन्तर्गत समस्त विषय)

22- बंगला, उड़िया और आसामी

23- शिक्षा, तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान

24- संगीत तथा नृत्य

25- नैपाली और पाली

26- कश्मीरी, पंजाबी और सिंधी

27- कन्नड़ और तेलुगू

28- मलयालम और तमिल

29- शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा (इस समिति में सदस्य इस भांति नियुक्त होगें जैसा परिषद् निर्णय करे)।

30- सामाजिक विज्ञान।

31- कम्प्यूटर

32- मानव विज्ञान

33- व्यावसायिक

2-अध्ययन के ऐसे अन्य विषयों के लिए पाठ्यक्रमों की समितियों का गठन होगा जो समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित किये जायेगें।

3- प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति परिषद् के विचारार्थ सम्बन्धित विषय का पाठ्य विवरण प्रस्तावित करेगी तथा पाठ्य विवरण के अनुरूप परिषद् द्वारा संस्तुति अथवा नियत किये जाने हेतु उचित पुस्तकों को इतनी संख्या भी प्रस्तावित करेगी जितनी समिति ठीक समझे।

4- पाठ्यक्रमों की समितियों की बैठकें प्रतिवर्ष साधारणतः सितम्बर और दिसम्बर मास के बीच होगी और आने वाले वर्ष में परिषद् द्वारा जारी किये जाने वाले प्रालेख पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों के प्रस्ताव तैयार करेगी। समितियों द्वारा किये गये प्रस्तावों को पहले पाठ्यचर्या समिति के पास यथाशीर्ध भेजा जायेगा। पाठ्यचर्या समिति इन प्रस्तावों पर विचार करेगी और उनके सम्बन्ध में अपने संवीक्षण प्रस्तुत करेगी। पाठ्यक्रम समितियों के प्रस्ताव, पाठ्यचर्या समिति के संवीक्षणों सहित परिषद् के समक्ष् उनकी आगामी बैठक में निर्णय हेतु रखे जायेगें।

5- परिषद् द्वारा अन्तिम रुप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रम विवरण-पत्रिका में प्रकाशित किये जायेगें जिसे सचिव द्वारा उस परीक्षा को जिसके लिये वे पाठ्यक्रम विहित किये गये है, तिथि से लगभग दो वर्ष पूर्व जारी किया जायेगाः-

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् हाईस्कूल परीक्षा और इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये पृथक-पृथक या दोनों परीक्षा के लिये संयुक्त विवरण पत्रिका प्रकाशित कर सकती है:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् किसी परीक्षा के समस्त विषयों के सम्बन्ध में विवरण-पत्रिका प्रकाशित करने के बजाय केवल एक या अधिक विषयों के लिये विवरण पत्रिका प्रकाशित कर सकती है।

6-(1) परिषद् अपने द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिन्हें वह आवश्यक समझे, पाठ्य पुस्तकें और अन्य सम्बन्धित सामग्री, यदि कोई हो, तैयार करा सकती है और क्रमशः सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति और अध्यक्ष द्वारा उनका अनुमोदन किये जाने के पश्चात् परिषद् राज्य सरकार के प्राधिकार से उन्हें प्रकाशित करायेगी। तदुपरान्त परिषद् उन्हें पाठ्य पुस्तक के रूप में विहित करेगी।

(2) खंड (1) के अधीन किसी विषय को प्रत्येक पुस्तक को जिसके अन्तर्गत् मौलिक रचनायें और संकलन भी है, तैयार करने के लिये निम्नलिखित बोर्ड गठित किये जायेगें, अर्थात्--

(एक) सम्पादक/लेखक मंडल और,

(दो) परामर्शदाता मंडल।

(3) (क) उप खंड (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पादक/लेखक मंडल में निम्नलिखित होगें-

1- एक अध्यापक जो वास्तव में हाईस्कूल कक्षाओं को सम्बद्ध विषय पढ़ाताहो,

2- एक अध्यापक जो वास्तव में इण्टरमीडिएट कक्षाओं को सम्बद्ध विषय पढ़ाता हो,

3-स्नातकोत्तर,डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय का सम्बद्ध विषय का एक अध्यापक,

4- किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एक अध्यापक,

5- दो शैक्षिक विशेषज्ञ/विषय-विज्ञ।

(ख) हाईस्कूल कक्षाओं के लिये पुस्तक तैयार करने के लिये गठित सम्पादक/लेखक मण्डल में इन्टरमीडिएट कक्षा के किसी अध्यापक को जो सम्बद्ध विषय को पढ़ाता हो, सम्मिलित करना अनिवार्य होगा, किन्तु इण्टरमीडिएट कक्षा के लिये पुस्तक तैयार करने के लिए गठित सम्पादक/लेखक मंडल में सम्बद्ध विषय का हाईस्कूल का कोई अध्यापक सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(ग) अध्यक्ष को उप खंड (क) में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सम्पादक/लेखक मंडल में एक सदस्य और, यदि वह आवश्यक समझे, नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी। उसे सम्पादक/लेखक मंडल में किसी रिक्ति को स्वविवेक से, जब कभी वह हो, भरने की भी शक्ति होगी।

(4) परामर्शदाता मंडल में तीन सदस्य होगें जो सम्बद्ध विषय के उत्कृष्ट विद्वानों में से नियुक्त किये जायेगें।

(5) खंड (2) से निर्दिष्ट मंडलों के गठन के लिये सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति अपेक्षित संख्या के पांच गुने नाम का प्रस्ताव करेगी। अध्यक्ष उक्त नामिका में से प्रत्येक वर्ग के लिये अपेक्षित सदस्यों को नियुक्त करेगा। परन्तु यदि उसकी राय में उच्च प्रतिष्ठ विद्यालयों और विषय विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना आवश्यक हो तो वह नामिका के बाहर से व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

(6) यदि सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति पुस्तक को अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व यह आवश्यक समझे तो वह पाण्डुलिपि को तैयार करते समय सम्पादक/लेखक मंडल को अपना सुझाव दे सकती है।

(7) किसी पुस्तक की पाण्डुलिपि अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाने के पश्चात्, उसे क्रमशः सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और तत्पश्चात् परिषद् उसे राज्य सरकार के प्राधिकार से प्रकाशित करायेगी।

(8) परिषद् द्वारा तैयार की गयी किसी पुस्तक को उसके प्रचलन के अनन्तर चार परीक्षायें हो जाने के पश्चात्, पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, बदला जा सकता है परन्तु उनमें छोटे-मोटे परिवर्तन परिषद् द्वारा जब तथा जैसा आवश्यक हो किये जा सकते हैं।

7- विनियम 6 में किसी बात के होते हुये भी जब भी परिषद् आवश्यक समझे वह राज्य सरकार की स्वीकृति से तथा सरकारी गजट में अख्यापन द्वारा, अपने द्वारा संचालित परीक्षा की एक वर्ष के लिये किसी विषय में पुस्तकों का आमंत्रण कर सकती है। परिषद् यदि आवश्यक समझे तो ऊपर के विनियम 4 के अन्तर्गत् पाठ्यक्रमों की सम्बन्धित समिति के समक्ष् विचारार्थ रखे जाने के लिये समीक्षा भी करा सकती है। ऐसे मामलों में समीक्षकों की नियुक्ति तथा विचारार्थ पुस्तकें प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा शुल्क का भुगतान अग्रलिखित विधि से नियन्त्रित होगा:

(1) पाठ्यक्रम समिति अभीष्ट समीक्षकों से कम से कम तिगुने की नामिका तैयार करेगी और उसे सचिव द्वारा सभापति को प्रस्तुत करेगी। जिन समीक्षकों का नाम नामिका में सम्मिलित किया जायगा वे उस विषय में भली-भांति योग्यता प्राप्त होने चाहिये, जिसमें उन्हें पुस्तक की समीक्षा करनी है। समीक्षकों की नियुक्ति नामिका में से सभापति द्वारा की जायेगी।

(2) पाठ्यक्रम समिति का कोई भी सदस्य उस समिति में विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तक का समीक्षक नहीं होगा।

(3) जहां एक व्यक्ति परिषद् अथवा पाठ्यचर्या समिति अथवा एक विशेष विषय में पाठ्यक्रम समिति का सदस्य है, परिषद् के उस विषय में पुस्तक आमंत्रित करने के निर्णय के एक मास पश्चात् किसी समय तथा परिषद् द्वारा ऐसी पुस्तक को स्वीकृत अथवा नियत किये जाने से पूर्व, उसकी ऐसी कोई पुस्तक जिसका कि वह लेखक अथवा प्रकाशक है अथवा परिषद् के मत में जिनमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वार्थ है, उस विषय में परिषद् की किसी भी परीक्षा के लिये विचार किये जाने योग्य न होगी।

(4) कोई व्यक्ति जिसने विचारार्थ पुस्तक प्रस्तुत की है उस समय तक समीक्षक नहीं होगा, जब तक कि उसकी पुस्तक विचाराधीन है।

(5) समीक्षकों/प्रकाशकों तथा लेखकों के नामों के सम्बन्ध में अत्यधिक गोपनीयता रखी जायेगी।

(6) प्रत्येक समीक्षक पुस्तक से गुण और दोष विस्तार से बतायेगा और यदि कोई पुस्तक अस्वीकृत की जानी है तो अपना स्पष्ट मत लिखित रूप से व्यक्त करेगा।

(7) प्रत्येक समीक्षक उपयुक्त पुस्तकों की गुणागुण के क्रम में लगायेगा।

(8) एक समीक्षक को समीक्षा के लिये हाईस्कूल की 10 तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं की 8 से अधिक पुस्तकें नहीं दी जायेगी। हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं की प्रत्येक पुस्तक की समीक्षा करने का पारिश्रमिक निम्नलिखित के अनुसार होगाः

<u>हाईस्कूल</u>

30 रूपये यदि पुस्तक में 100 पृष्ठ तक है।

45 रूपये, यदि पुस्तक में 101 से 200 पृष्ठ तक है।

60 रूपये, यदि पुस्तक में 200 पृष्ठ से अधिक है।

<u>इन्टरमीडिएट</u>

40 रूपये, यदि पुस्तक 100 पृष्ठ तक है।

55 रूपये, यदि पुस्तक में 101 से 200 पृष्ठ तक है।

75 रूपये, यदि पुस्तक में 200 पृष्ठ से अधिक है।

(9) प्रत्येक पुस्तक की तीन समीक्षकों की नामिका द्वारा समीक्षा की जायेगी।

(10) विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तकों के लिये लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा निम्नलिखित शुल्क, समीक्षा शुल्क के रूप में दिया जायेगाः

<u>हाईस्कूल</u>

भाषा विषयों की प्रत्येक पाठ्य-पुस्तक के लिये 300 रूपये।

भाषा विषयों की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिये 200 रूपये।

अभाषा विषयों की प्रत्येक पुस्तक के लिये 200 रूपये।

<u>इन्टरमीडिएट</u>

भाषा विषयों की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिये 350 रूपये।

भाषा विषयों की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिये 250 रूपये।

अभाषा विषयों की प्रत्येक पुस्तक के लिये 250 रूपये।

(11) निम्नलिखित दशाओं के अतिरिक्त जहां 20 रूपये की कटौती के पश्चात् शुल्क की वापसी हो सकती है, प्रकाशकों तथा लेखकों द्वारा एक बार पुस्तकों की समीक्षा के लिये दिया हुआ शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(क) जहां ऐसे विषयों के पुस्तकों के सम्बन्ध में समीक्षा-शुल्क जमा कर दिया गया है जिसमें समीक्षा शुल्क नहीं लगाया जाता हैः

(ख) जहां प्रकाशकों तथा लेखकों ने निर्धारित समीक्षा शुल्क से कम जमा किया है जिसके कारण उनके द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों पर परिषद् द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है,

(ग) जहां ऐसी पुस्तकों के सम्बन्ध में समीक्षा-शुल्क दे दिया गया है, जो आमंत्रित नहीं की गई थी,

(घ) जहां समीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया है परन्तु पुस्तकें परिषद् को नहीं प्रस्तुत की जा सकी,

प्रतिबंध यह है कि जहां निर्धारित समीक्षा-शुल्क से अधिक दे दिया गया है, अधिक धनराशि साधारणतः 20 रूपये की कटौती के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

8- इस अध्याय के विनियमों के अन्तर्गत् किसी बात के होते हुये भी परिषद् को किसी वर्ष की परीक्षा के लिये कोई पुस्तक अथवा पुस्तकें नियत अथवा स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

9- एक समिति संबंधित विषय अथवा विषयों के संबंध में परीक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध किसी मामले की ओर परिषद् का ध्यान आकृष्ट कर सकती है।

10- परिषद् की प्रार्थना पर किन्हीं दो अथवा अधिक पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें हो सकती हैं और किसी मामले पर, जिससे पृथकतः तथा संयुक्त रूप से संबंधित है, संयुक्त आख्या दे सकती है।

अध्याय-छः

परीक्षा समिति

1- परीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा:-

(क) परिषद् के छः सदस्यों जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी का कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाये।

(ख) परिषद् का सचिव समिति का पदेन संयोजक होगा।

2- परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये, परीक्षा समिति का निम्नलिखित कर्तव्य होगें --

(क) परिषद्, की परीक्षाओं का आयोजन करने के लिये तिथियों की संस्तुति करनाय

प्रतिबन्ध यह है कि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति या घटना की स्थिति में, अध्यक्ष को परीक्षा की किसी तिथि में परिवर्तन करने या किसी विषय या प्रश्नपत्र में परीक्षा को निरसित करने का आदेश देने या उस विषय या प्रश्न-पत्र में फिर से परीक्षा का आयोजन करने की शक्ति होगीय

(ख) परीक्षकों और परिमार्जक बोर्ड की नियुक्ति के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों पर विचार करना और परिषद् के अनुमोदन के लिये परीक्षकों की और परिमार्जकों की सूची तैयार करनाय

(ग) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये सारणीयक (टेबुलेटर) और परितुलनकर्ता (कोलेटरों) के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करनाय

(घ) ऐसे उम्मीदवारों की, जिन पर परिषद् की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का संदेह या रिपोर्ट हो, उत्तर पुस्तकों के मार्जन के लिये मार्जक के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करनाय

(ङ) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रपत्र विहित करनाय

(च) परिषद् की परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र विहित करनाय

(छ) मौखिक और क्रियात्मक परीक्षाओं के, यदि कोई हो, लिये जाने का ढंग निर्धारित करना

(ज) परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों, और संकलन केन्द्रों को स्थापित करने और तोड़ने के लिये अपनायी जाने वाली नीति के सम्बन्ध में संस्तुति करना

प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत नीति के अनुसार क्षेत्रीय सचिव परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक से प्रस्ताव मंगाकर परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों को स्थापित करेगें:-

प्रतिबन्ध यह भी है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों तथा संकलन केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव, अपने द्वारा निम्नांकित रूप में, अपनी अध्यक्षता में गठित उप समिति के माध्यम से तैयार करेगें-

(1) सम्बन्धित जनपद जिला विद्यालय निरीक्षक।
(2) सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य।
(3) मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह भी है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा गठित उपर्युक्त् उप समिति द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अपने द्वारा निम्नांकित रूप में गठित उप समिति की सहायता से निर्मित करेगें।

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक	अध्यक्ष
(2) जिले के दो वरिष्ठतम् प्रधानाचार्य	सदस्य

(प्रधानाचार्य की नियुक्ति चक्रानुक्रम से की जायेगी)

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह भी है कि सचिव को यह शक्ति होगी कि वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा एवं परीक्षा कार्यो के सुव्यवस्थित संचालन हेतु किसी परीक्षा केन्द्र, मूल्यांकन केन्द्र, तथा संकलन केन्द्र अथवा किन्हीं परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों तथा संकलन केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे/उन्हें तोड़ अथवा नवीन रूप में स्थापित कर सकता है।

(झ) अनुग्रहांक देने के लिए नियम बनाना।
(ञ) उम्मीदवारों को श्रुतलेखक देने के लिए नियम बनाना।
(ट) परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षाफल को प्रकाशित करने के लिये प्रबन्ध करना।
(ठ) किसी दुराचरण या उपेक्षा के लिये दोषी पाये गये परीक्षकों, परिमार्जकों सारणीयकों, परितुलनकर्ताओं और मार्जकों को दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में संस्तुति करना।
(ड़) परीक्षा संचालन से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार करना और उन पर संस्तुति देना, जो परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें।

3- परीक्षा-समिति, व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के परिषद् की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति के प्रार्थना-पत्र की छान-बीन के लिये एक उप-समिति नियुक्त करेगी।

अध्याय-छः क

परीक्षाफल समिति

1- परीक्षाफल समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगाः-

(क) परिषद् का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा,

(ख) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी का कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय,

(ग) परिषद् का सचिव पदेन सदस्य-सचिव होगा।

2- परिषद् की स्वीकृति एवं नियंत्रण के अधीन, परीक्षाफल समिति का कर्तव्य होगा कि--

(1) अपने को आश्वस्त करने के पश्चात् कि परीक्षाफल सब मिलाकर तथा विभिन्न विषयों में सामान्य मापदण्डों के अनुरूप है, परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफलों की सन्निरीक्षा एवं उन्हें पारित करना तथा जहां आवश्यकता हो वहां विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक कम करना।

(2) प्रश्न-पत्रों के विरूद्ध आरोपों की सन्निरीक्षा करना जहां तक कि उनसे परीक्षाफल पर प्रभाव पड़ता है।

(3) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना जो क्रियात्मक अथवा लिखित परीक्षा में एक अथवा दो प्रश्न-पत्रों में अथवा एक पूरे विषय में नहीं बैठ सके।

(4) उन परीक्षार्थियों के मामले में निर्णय करना जिन्होनें गलत प्रश्न-पत्रों के उत्तर दिये हों।

(5) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना जिन्हें केन्द्र अधीक्षकों द्वारा परीक्षा आरम्भ होने के आधा घंटा पश्चात् प्रविष्टि की अनुमति दी गयी है।

(6) किसी विशिष्ट परीक्षार्थी की परीक्षा के लिये की गयी विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय करना।

(7) उन मामलों में निर्णय करना जहां कुछ पर्याप्त कारणोंवश परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया था।

(8) उन मामलों में निर्णय करना जहां प्रश्न-पत्र निर्धारित समय से पूर्व खोले गये थे।

(9) उन उम्मीदवारों के सम्बन्ध में निर्णय करना जिनकी उत्तर पुस्तकें खो गई हैं या जो सम्बद्ध परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किये जाने की तिथि से दो मास की अवधि के पश्चात् भी न मिल रही हों।

(10) उन मामलों में परीक्षाफल को रोकना, जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन पत्र में मिथ्या कथन किया हो या परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के उद्‌वेश्य से नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या परीक्षा के दौरान कपट या प्रतिरूपण किया हो या जो नैतिक पतन समन्वित अपराध या अनुशासनहीनता के दोषी पाये गये हों, जो परीक्षा केन्द्र पर घातक शस्त्र या चाकू लाये हों, या जिन्होनें परीक्षा संचालन के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति पर, परीक्षा-कक्ष/विद्‌यालय परिसर के अन्दर अथवा बाहर, हमला किया हो, या हमला करने की धमकी दी हो या जिन्होनें अपभाषा का प्रयोग किया हो या जिन्होनें दोषपूर्ण या मिथ्या आधारों पर नियमों के उल्लंघन में श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त की हो और ऐसी ही अन्य आकस्मिकताओं में जहां ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, और

(11) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जिन्हें परिषद् समय-समय पर उसे प्रतिनिहित करें।

अध्याय - छः (ख)

अनुचित साधनों के मामलों के निस्तारण के लिए समितियाँ

(1) परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में निस्तारण के लिए समितियां होगीं। ऐसी समितियों का गठन नीचे उल्लिखित प्रकार से अध्यक्ष द्‌वारा किया जायेगा। समितियों की संख्या अनुचित साधन प्रयोग के मामलों की संख्या के आधार पर अवधारित होगी--

(एक) परिषद् का एक सदस्य/शिक्षा विभाग के प्रथम श्रेणी का एक कार्यरत् अधिकारी, जो समिति का संयोजक होगा।

(दो) पाठ्‌यक्रम समितियों का एक विषय विशेषज्ञ जो समिति का सदस्य होगा।

(तीन) परिषद् के सचिव द्‌वारा नाम निर्दिष्ट परिषद् के उपसचिव/सहायक सचिव, इसी स्तर के शिक्षा विभाग के अन्य कार्यरत् अधिकारी।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक समिति द्‌वारा निस्तारित किए जाने वाले कार्य का आवंटन यथा समय सचिव द्‌वारा किया जायेगा।

(2) परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये विनियम-1 में निर्दिष्ट समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें:-

1- ऐसे मामलों पर जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन पत्र में मिथ्या कथन किया हो या किसी परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के निमित्त नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो या अनुदानित परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होने के बजाय अनाधिकृत ढंग से अथवा जालसाजी से केन्द्र परिवर्तन कराकर या स्वेच्छा से किसी अन्य परीक्षा केन्द्र से सम्मिलित हुआ हो या संस्थागत् छात्र अथवा व्यक्तिगत् अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र भरने के पश्चात् प्रावधानों के प्रतिकूल विद्यालय परिवर्तन किया हो अथवा परीक्षा में कलम, पेन्सिल अथवा ड्राइंग/ज्यामितीय उपकरण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अविहित सामग्री मुद्रित अथवा हस्तलिखित अपने पास रखने का दोषी पाया गया हो, अथवा परीक्षा में किसी भी माध्यम से अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या सचल दल, केन्द्र व्यवस्थापक अथवा कक्ष निरीक्षक द्वारा नकल करने अथवा अविहित सामग्री रखने का दोषी पाया गया हो परीक्षा के दौरान कपट या समन्वित किसी अपराध या अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया हो या जो परीक्षा केन्द्र पर घातक शस्त्र या चाकू लाये हों या जिन्होनें परीक्षा संचालन के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति पर परीक्षा कक्ष/विद्यालय परिसर के अन्दर अथवा बाहर हमला किया हो या हमला करने की धमकी दी हो या अपभाषा का प्रयोग किया हो या दोषपूर्ण अथवा मिथ्याधारों पर नियमों का उल्लंघन कर किसी श्रुतलेखक की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित हुए हों या उत्तर पुस्तिका में हेरा-फेरी की हो या उत्तर पुस्तिका नष्ट कर दी हो या उत्तर पुस्तिका लेकर भाग गया हो अथवा एक परीक्षा वर्ष में एक से अधिक विद्यालयों से संस्थागत् अथवा व्यक्तिगत् अथवा दोनों प्रकार के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरा हो या इन्हीं आधारों पर परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, विचार करना और शास्ति देना जो निम्नलिखत में से कोई एक या अधिक हो सकती है--

(क) परीक्षार्थी की संबंधित परीक्षा/परीक्षाफल को निरसित करना।

(ख) सम्बन्धित परीक्षा, उत्तरवर्ती परीक्षा से जिनमें परिषद् की उच्चतर परीक्षा भी सम्मिलित है, परीक्षार्थी को अपवर्जित करना।

(ग) परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र परीक्षार्थी से वापस लेना।

<u>टिप्पणी--</u>

उपर्युक्त् विनियमों में प्रयुक्त अविहित सामग्री का तात्पर्य परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में कलम, पेन्सिल अथवा ड्राइंग/ज्यामितीय उपकरण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री मुद्रित अथवा हस्तलिखित सामग्री रखना अविहित सामग्री मानी जायेगी।

2- केन्द्र अधीक्षक, संस्था के प्रधान, अन्तरीक्षक, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध परिषद् की परीक्षा में की गई उनकी किसी चूक, उपेक्षा या अनियमितता पर विचार करना और उनमें से किसी को दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में संस्तुति करनाय

3- ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो पूर्ववर्ती खंडों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, किन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे सम्बन्धित है, और

4- ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जिन्हें परिषद् समय-समय पर उसे प्रतिनिहित करें।

3- विनियम-2 में निर्दिष्ट मामलों में व्यवहार की जाने वाली प्रक्रिया वैसी होगी, जैसी परिषद् विहित करे किन्तु किसी परीक्षार्थी या व्यक्ति को शास्ति या दण्ड दिये जाने के पूर्व, जब तक कि उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, परीक्षार्थी या सम्बद्ध व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करना असाध्य न हो, उसे अभिकथित आरोप के संबंध में, अपने आचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा।

4- विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् की मुख्य परीक्षा से सम्बन्धित विनियम-2 के खंड (एक) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी मामले का, जो ऐसी परीक्षा के अनुवर्ती दिसम्बर की समाप्ति तक समिति द्वारा अनिस्तारित रह गया हो, निस्तारण परीक्षा-समिति द्वारा किया जायेगा।

5- जहां सरकार के शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के किसी कर्मचारी या किसी डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करना अपेक्षित हो, वहां परिषद् सम्बद्ध कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए उस मामले को शिक्षा विभाग के अध्यक्ष या संस्था या डिग्री कालेज के प्रधान या सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निर्दिष्ट करेगा।

अध्याय-सात

(परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता)

(1) मान्यता समिति या समितियों का गठन निम्नवत् होगा-

(क) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 13 की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट छः वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के कम से कम एक सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय।

(ख) परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव पदेन समिति के सदस्य- सचिव होगें।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव यदि वे खण्ड(ख) के अन्तगत नाम निर्दिष्ट न भी हो और संबंधित सम्भाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक समितियों की बैठक में सम्मिलित होगें,जब उनकी अधिकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय।

टिप्पणी- परिषद् की मान्यता समिति की बैठक सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज स्थित कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालयों पर होगी।

(2) परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मान्यता समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें-

(एक) (क) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मानक और नियम विहित करना,

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता प्रत्याहरित करने के सम्बन्ध में नियम बनाना,

प्रतिबन्ध यह है कि मान्यता प्रदान करने तथा मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगें।

(दो) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना,

(तीन) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना,जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किए जाय।

<u>स्पष्टीकरण</u>-''मान्यता प्रदान करना'' का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए प्रथमबार संस्था को मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय में मान्यता प्रदान करने से है।

<u>विनियम-3(क)</u> हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर(मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण-पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आन लाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 मई से 31 मई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन-पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगाः-

1- 15 मई तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची- 31 मई तक

2- 31 मई तक प्राप्त आवेदन-पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची- 10 जून तक

3- आन लाइन प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों का आवेदन करने की तिथि के वरीयता क्रम में संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा उसी क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

जांच समिति द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या एवं संस्तुति प्ेरषित करने की अन्तिम तिथि 20 अगस्त।

आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 15 जून तक परिषद विनियमों में मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अनुसार परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी अथवा विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थाधिकारी को दिनांक 30 जून तक आन लाइन सूचित करेगा। संस्थाधिकारी द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 31 जुलाई तक आन लाइन जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) मान्यता प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा,जब तक कि उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा, जमा किए जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो-

आवेदन शुल्क निम्नांकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगाः-

''0202-शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति

01- सामान्य शिक्षा

102-माध्यमिक शिक्षा

10- मान्यता शुल्क''

(एक) प्रथमबार हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए मान्यता के निमित्त- रूपये 30,000।

(दो) इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त- रूपये 20,000।

(तीन) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वन टाइम मान्यता के निमित्त- रूपयें 30,000 प्रतिवर्ग।

(चार) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त- न्यूनतम 10,000 रूपये के अधीन रखते हुए 5000 रूपये प्रति विषय।

(पांच) विलम्ब शुल्कः- 16 मई से 31 मई तक- रूपये 20,000।

(छः) राजकीय कोषागार में जमा शुल्क का कोष पत्र का चालू वित्तीय वर्ष का होना आवश्यक होगा।

(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

(ड) राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं को आवेदन से छूट रहेगी।

(च) हाईस्कूल के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु कोई आवेदन-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक से प्रशासन योजना अनुमोदित न कर दी गई हो।

4(क) विनियम-3 के खण्ड (क) के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित समिति के माध्यम से संस्था की भूमि, भवन तथा भौतिक संसाधनों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगाः-

1-जिला विद्यालय निरीक्षक - अध्यक्ष

2-सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार - सदस्य

3- जनपद के राजकीय इण्टर कालेज अथवा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के प्रधान - सदस्य

उक्त जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन पत्र पर मान्यता के लिये संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि तक आन लाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर अपनी आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति करेगा और उसे परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव के पास आन लाइन प्रेषित करेगा, तथा उसकी एक प्रति (Hard Copy) समस्त अभिलेखों सहित भी प्रेषित करेगा। आवेदन पत्र की एक प्रति (Hard Copy)अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या का परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अधीन परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी/विसंगति पाये जाने पर संस्थाधिकारी को दिनांक 15 सितम्बर तक आन लाइन/डाक द्वारा अवगत कराया जायेगा। संस्थाधिकारी परिषद द्वारा सूचित कमियों की पूर्ति

विषयक आख्या दिनांक 30 सितम्बर तक आन लाइन/हार्ड कापी जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेगे।

(ख) निरीक्षक द्वारा केवल उन्हीं संस्थाओं के मान्यता आवेदन-पत्र स्वीकार किए जायेगें, जो परिषद् विनियमों/ मानक/शर्तो के प्रावधानों के अनुकूल पूरित होगें तथा जिनके साथ संस्था के प्रबन्धक द्वारा दिया गया शपथ-पत्र संलग्न होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण अथवा मानक के विपरीत भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी दशा में स्वीकर नहीं किए जायेगें।

(ग) विखण्डित।

(5) संस्था द्वारा मान्यता के लिए आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगें तथा प्रत्येक विवरण पर निरीक्षण अधिकारी अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति देगें-

(1) जिस विकास खण्ड में विद्यालय खोलने हेतु मान्यता का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उस विकास खण्ड के कुल हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या।

(2) प्रबन्ध समिति का संविधान, यदि कोई हो।

(3) प्रबन्धक/मंत्री अथवा पत्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम, जैसी स्थिति हो।

(4) परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है।

(5) शिक्षण के वर्ग/विषय अथवा विषयों के नाम,संस्था जिनकी व्यवस्था करना चाहती है।

(6) संस्था हेतु उपलब्ध भूमि भवन तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीडा स्थल विद्यालय/समिति ट्रस्ट के नाम होने का निजी स्वामित्व के संबंध में रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति तथा खतौनी, जो भू-राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो,संलग्न करना अनिवार्य होगा।

समिति/ट्रस्ट द्वारा विद्यालय को प्रदत्त भूमि का रकबा(क्षेत्रफल सहित) का प्रस्ताव एवं शपथ-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जो नोटरी द्वारा मूल रूप में अभिप्रमाणितकियागया हो) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व में मान्यता प्राप्त सहायता एवं असहायता प्राप्त विद्यालय को यथेष्ट प्रमाण भूमि/भवन के संबंध में प्रस्तुत करना होगा।

नोट-नगर क्षेत्र/टाउन एरिया/कैन्टोनमेंट बोर्ड के विद्यालयों के संबंध में निजी भूमि का खसरा सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र क्षेत्रफल सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

’(क) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का संचालन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अधीन गठित सोसाइटी अथवा पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है। जिन संस्थाओं का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा, उनमें ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा सस्था को संचालित करने के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित प्रशासन योजना के अधीन प्रबन्ध समिति के गठन हेतु अपने स्तर से पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित किया जायेगा, किन्तु ऐसे नामित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संस्था के संदर्भ में ट्रस्ट की मूल भावना के विपरीत कोई निर्णय लेने का अधिकार नही होगा।

''(ख) जिन संस्थाओं को परिषद द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, उनकी प्रबन्ध समिति की आम सभा की सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसके लिये आम सभा के कुल सदस्यों में से तीन चैथाई सदस्यों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस निमित्त उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।

(ग) प्रदेश में आवास विकास परिषद अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित अथवा संचालित किये जाने वाले विद्यालयों को सोसायटी अथवा ट्रस्ट के माध्यम से मान्यता प्रदान की जा सकती है। विद्यालय की सोसायटी यदि यह उचित समझती है कि ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय को संचालित करने में सुविधा होगी तो सोसाइटी की आम सभा के 3/4 सदस्यों की लिखित सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। इस निमित्त उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम भू खण्ड का दुबारा रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।

6(घ) नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशंीन तथा संस्था के प्रत्येक कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा जिसका प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा पृथक से दिया जायेगा।

(7) प्राभूत कोष तथा सुरक्षित कोष यथानिर्दिष्ट जमा एवं बन्धक होने का प्रमाण।

(8) प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा के खण्ड में छात्रों की संख्या।

(9) संस्था के भवन का फोटो जो चारों दिशाओं से लिया गया हो।

(10) मानक के अनुसार साज-सज्जा, उपकरण तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।

(11) मान्यता हेतु आवेदन करने वाले संस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदीवारी होना आवश्यक होगा।

(12) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7 कक के प्रावधानों को पूर्णतया अंगीकार करने तथा विद्यालय में पठन-पाठन हेतु शिक्षण की व्यवस्था स्वयं करने का प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(13) संस्थाओं को हाईस्कूल नवीन के साथ इण्टरमीडिएट नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी जिसमें संस्था को वर्गवार इण्टर नवीन अथवा वन टाइम वर्ग की शर्तों को पूर्ण करने के आधार पर ही एक साथ प्रदान की जायेंगी।

(14) निरीक्षक नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन के चारों दिशाओं के सम्मुख खडे होकर फोटों खंिचवायेगा,जिसकी प्रति निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जायेगी। निरीक्षण के समय संस्था की चहारदीवारी की फोटो भी दी जाय।

(15) संस्था के प्रबंधक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रारूप में दस रूपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दिया जाना होगा-

मैं(पूरा नाम).....................................

आत्मज.....................................प्रबन्धक

विद्यालय का नाम.....................................शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूं कि संस्था को आवेदित ....की मान्यता प्रदान करने हेतु मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये है,वे सभी सत्य है। संस्था का प्रयोग छात्रों के पठन- पाठन के लिए ही किया जायेगा।मान्यता प्राप्त होने पर विभाग/परिषद् के निर्देशों/विनियमों का पालन किया जायेगा। आवेदित वर्ग/विषय की कक्षायें मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संचालित किये जायेगें तथा भवन/भूमि का

परिवर्तन कदापि नहीं किया जायेगा। आवदेन-पत्र के साथ संलग्नकों अथवा आवेदन-पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर परिषद्/शासन द्वारा प्रदत्त की गई मान्यता को प्रत्याहरित किया जा सकता है तथा मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो विधिक कार्यवाही की जायेगी,मुझे मान्य होगी।

(ह0) प्रबन्धक

संस्था का पूरा नाम तथा पता

(16) मान्यता आवेदन-पत्र में संस्था द्वारा जिन अभ्यर्थियों के पठन-पाठन के लिए मान्यता आवेदित हो का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संस्था में उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा जिन अभ्यर्थियों के अध्ययन/अध्यापन के लिए मान्यता प्राप्त हो गई। प्रदत्त मान्यता से इतर अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश अनियमित होगा तथा संस्था के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही निरीक्षण अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(17) संस्था को इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता सीधे नहीं दी जायेगी।

(18)(अ) संस्थाओं को हाईस्कूल की नवीन मान्यता वन टाइम निम्नवत् प्रदान की जायेगीः-

(क) जूनियर स्तर पर स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हाईस्कूल की वनटाइम नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी,जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के प्रावधानों के अधीन होगी।

(ख) परिषद द्वारा संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता कक्षा-6 से कक्षा-10 तक प्रदान की जायेगी तथा यह विद्यालय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के प्रावधानों के अधीन हाईस्कूल का भाग माने जायेंगे। ऐसे विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं(कक्षा-6 से 8 तक) के लिये कक्षा-कक्ष एवं एक जूनियर प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा।

(ग) माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल कक्षा-6 से 10 तक मान्यता प्राप्त एवं संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिनियम,1972 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(घ) वर्ष-1991 के उपरान्त जिन संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल (कक्षा-9-10) की मान्यता परिषद द्वारा प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं के संचालन हेतु लगे प्रतिबन्ध को समाप्त समझा जाय।

(ड़) पूर्व में परिषद द्वारा सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल(कक्षा-6 से 8 तक) की कक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करनी आवश्यक होगी,जिसकी सूचना परिषद में देनी अनिवार्य होगी। ऐसे विद्यालयों में जूनियर स्तर तक (कक्षा-6 से 8) के मान्य छात्र संख्या के अनुसार कक्षा-कक्ष एवं जूनियर स्तर के प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा किन्तु ऐसे विद्यालयों में प्राइमरी कक्षायें मान्य एवं संचालित नहीं होगी।

(ब) इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता सर्वप्रथम दस विषयों (अनिवार्य विषय हिन्दी सहित) में प्रदान की जायेगी। इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु शर्ते पूर्ण करने की दशा में एक या इससे अधिक वर्गो में एक साथ मान्यता प्रदान की जा सकती है।

(19) विद्यालय को एक बार में इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता उन समस्त वर्गो में दी जा सकती है,जिनके लिए वह अपेक्षित शर्तो की पूर्ति करता हों।

(20) जिला विद्यालय निरीक्षक 31 मई तक आनलाइन प्राप्त समस्त मान्यता आवेदन-पत्रों पर अपनी निरीक्षण आख्या परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आनलाइन तथा (भ्ंतक बवचल) उसी वर्ष की 20 अगस्त तक प्राप्त करायेंगे।

20(अ) परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।

(21) जिन संस्थाओं को परिषद्/शासन द्वारा सशर्त मान्यता (प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ) प्रदान की गई है, ऐसी संस्थाओं द्वारा अगली कक्षाओं/वर्ग/विषय के मान्यता आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा,जब तक शासन/परिषद् द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों की पूर्ति न कर दी गयी हो।

(22) संस्था मान्यता आवेदन-पत्र के संबंध में निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी गई समस्त सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करेगी।

(23) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहाँ शासकीय अनुदान का दुरूपयोग किया जा रहा हो, अनुशासनहीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।

5(24) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (नवीन अथवा वर्ग अथवा विषयों) कक्षाओं की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं को अन्य शर्तो के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा,जिसका उल्लेख निरीक्षण अधिकारी अपनी निरीक्षण आख्या में विशेष रूप से करेंगे:-

(क) विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।

(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाय। सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।

(ग) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिक दृष्टि से इन्हें रखा जाना अनिवार्य हो तो इन्हें सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(घ) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।

(ड़) निरीक्षण अधिकारी द्वारा अग्निशमन यंत्र तथा भवन की दृढ़ता एवं सुरक्षा उपायों का प्रमाण-पत्र केवल समुचित जा ॅंच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशात्नात्मक कार्यवाही की जायगी।

(6) कोई अन्य सूचना जो परिषद् द्वारा आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में मा ॅगी जाय,संस्था निरीक्षण प्राधिकारी के माध्यम से परिषद् को प्रस्तुत करेगी।

(7) निरीक्षक अपनी आख्या में संस्था को मान्यता दी जाय अथवा नहीं,का स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही आख्या में यह भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र अथवा टाउन एरिया का है। निरीक्षण अधिकारी आख्या की प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगे।

(8) संस्थाओं को मान्यता हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर शिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी हिन्दी माध्यम से इतर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु कक्षा कक्ष एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(9) परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्ते होगीः-

(अ) हाईस्कूल नवीन मान्यता वनटाइम।

(क) अनिवार्य शर्ते-

1- **पंजीकरण**- समिति का पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

2- **प्रशासन योजना-** विद्यालय की प्रशासन योजना सक्षम् अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।

3- **प्राभूत कोष**- प्राभूत कोष के रूप में 15,000-00 रूपये केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।

4- **सुरक्षित कोष**- सुरक्षित कोष के रूप में 3000-00 रूपये केवल विद्यालय के नाम जमा तथा निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा।

5- **भवन-** संस्था के पास भवन के लिये निम्नलिखित माप के लिन्टर्ड पक्के कक्ष होंगे-

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्गमीटर के पांच शिक्षण कक्ष।

(ख) 6×5 मी0 या 30 वर्गमीटर के एक कक्ष वैकल्पिक विषय हेतु।

(ग) 4×3 मी0 माप के दो प्रशासकीय कक्ष।

(घ) 9×6 मी0 मीटर या 54 वर्गमीटर माप के तीन प्रयोगशाला (जूनियर,गृहविज्ञान एवं विज्ञान) कक्षा का होना अनिवार्य होगा।

(ड़) 6×5 मी0 या 30 वर्ग मीटर माप का संगीत,सिलाई,कला,कृषि तथा वाणिज्य आदि के लिये एक कामन कक्ष होना अनिवार्य है।

(च) 8×6 मी0 या 48 वर्ग मीटर माप का पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय हेतु एक कक्ष।

भूमि- विद्यालय/समिति/ट्रस्ट के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगाः-

1-शहरी क्षेत्र(नगर निगम/नगरपालिका/कैन्टूनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 650 वर्गमीटर,जिसमें 162 वर्गमीटर क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी

की परिधि में भी हो सकता है,परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो,अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर-पार न हो।

2-ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर जिसमें 648 मीटर भूमि का क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है,परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो,अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर-पार न हो।

टिप्पणी- पूर्व में विद्यालयों को परिषद द्वारा मान्यता तत्समय प्रचलित जिन नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों की भूमि/क्रीड़ास्थल वर्तमान मानक के अनुरूप होने की दशा में मान्य होंगे। अर्थात् उक्त विनियम संशोधन पूर्वगामी प्रभाव से (Retrospective Effect) लागू माने जायेंगे।

6- आवेदन शुल्क- मान्यता हेतु निर्धारित आवदेन शुल्क का मूल कोष पत्र संलग्न होना आवश्यक होगा।

नोटः- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) सामान्य शर्तेः

1- काष्ठोपकरणः- 200 सेट सज्जा होना अनिवार्य होगा तथा यह व्यवस्था जूनियर कक्षाओं के साथ होगी।

2- शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था छात्र संख्या के अनुरूप पूर्ण होना आवश्यक है।

3- पुस्तकालयः - 5,000 रूपये मूल्य के जूनियर/ हाईस्कूल स्तरीय पुस्तकों (पाठ्य-पुस्तकों से इतर) का होना आवश्यक होगा।

4- सामान्य शिक्षण सामग्रीः- जूनियर कक्षाओं के साथ हाईस्कूल स्तरीय रू0 5,000 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।

5- विज्ञान शिक्षण सामग्रीः- जूनियर कक्षाओं के साथ रू0 20,000 की वैज्ञानिक यंत्रादि/उपकरण होना आवश्यक होगा।

6- गृह विज्ञान शिक्षण सामग्रीः- रू0 10,000 रू0 मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।

7- संगीत,कृषि एवं सिलाई विषय के उपकरणः- रू0 5,000 मूल्य के उपकरण होने आवश्यक होगें।

8- छात्र संख्याः- जूनियर स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा-6,7,8 में कम से कम 150 छात्र होने आवश्यक होगें(बालिका विद्यालयों में यह संख्या 85 से कम न होगी)।

टिप्पणीः

1- पुस्तकालय, सामान्य शिक्षण सामग्री, विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि एवं सिलाई विषय हेतु सामग्री/उपकरण का सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा अथवा इतनी ही धनराशि अलग-अलग मद में केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बन्धक होने पर ही स्वीकार होगा।

2- निरीक्षक द्वारा विद्यालय के निरीक्षणोपरान्त लगाये गये समस्त प्रमाण निरीक्षक द्वारा स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।

(ब) इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग(केवल दस विषयों में) तथा अतिरिक्त विषय हेतु

(क) अनिवार्य शर्तेः-

1- पंजीकरण समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2- हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तो का पूर्ण होना आवश्यक होगा।

भवनः-

(क) प्रत्येक वर्ग के लिए (कक्षा 11 व 12 के लिए) 8 मी0×6 मी0 या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष होने आवश्यक होगें। बालिका विद्यालयों के लिए कक्षा कक्षों की माप 8 मी0 × 5 मी0 या 40 वर्ग मीटर मान्य होगी।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु होना आवश्यक होगा।

(घ) कृषि वर्ग हेतु 1 एकड़ भूमि केवल विद्यालय के नाम होना अनिवार्य होगा।

(ड़) विज्ञान एवं कृषि वर्ग हेतु प्रयोगशालायें कामन होगाीं।

3- प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोषः इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष 5,000/-तथा सुरक्षित कोष 2,000 /- (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य है।

4- विखण्डित।

<u>(ख) सामान्य शर्तें-</u>

(1) छात्र संख्या- इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु हाईस्कूल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या एवं उप विभाग का विवरण आवश्यक होगा किन्तु यह प्रतिबंध हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की एक साथ मान्यता हेतु आवेदित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।

2- शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक होगा।

3- **<u>काष्ठोपकरण-</u>** कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए। वैज्ञानिक वर्ग के प्रत्येक विद्यालय के लिए तीन-तीन प्रयोगात्मक मेजें होना आवश्यक है।

4- **<u>पुस्तकालय-</u>** इण्टरमीडिएट स्तर के 5,000/- मूल्य की पुस्तके (पाठ्य-पुस्तकों से इतर) प्रत्येक वर्ग के लिए होना आवश्यक होगा।

5- **<u>सामान्य शिक्षण सामग्री-</u>** इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 2,000/- रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

6- **<u>विज्ञान उपकरण-</u>** इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग हेतु 25,000/- रू0 मूल्य के विज्ञान उपकरण होना आवश्यक होगा।

7- **<u>गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री-</u>** इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 5,000/- रू0 मूल्य की सामग्री होना आवश्यक होगा।

8- **<u>कृषि उपकरण-</u>** इण्टरमीडिएट कृषि हेतु 10,000/- रू0 के उपकरण/कृषि यंत्रादि होने आवश्यक होगे।

9- कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

नोटः- इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों में मान्यता हेतु भूमि के स्वामित्व,प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(स) इण्टरमीडिएट नवीन (वन टाइम) हेतु (मानविकी, वैज्ञानिक,वाणिज्य एवं कृषि वर्ग)
मानविकी वर्ग हेतु

<u>अनिवार्य शर्ते -</u>

1- पंजीकरण- समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत् पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2- हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ-साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः-

<u>भवनः-</u>

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्‌यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक नृत्य कला कक्ष।

(घ) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप का गृहविज्ञान, भूगोल, सैन्यविज्ञान, काष्ठ शिल्प,ग्रन्थशिल्प तथा चर्मशिल्प आदि के लिए एक प्रयोगशाला अलग-अलग होना आवश्यक होगा।

(ड़) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप का एक कम्प्यूटर कक्ष जिसमें 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्‌युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

3- **<u>प्राभूत कोष,सुरक्षित कोष,छात्र संख्या के प्रतिबन्ध-</u>** इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोटः- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

<u>सामान्य शर्तेः</u>

1- **<u>काष्ठोपकरण-</u>** कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए।

2- शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक हैं।

3- **<u>पुस्तकालय-</u>** इण्टरमीडिएट स्तर के 5,000/- रू0 मूल्य की पुस्तके (पाठ्‌य पुस्तकों से इतर) होना आवश्यक होगा।

4- **<u>सामान्य शिक्षण सामग्री-</u>** 2,000/- रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

5- गृहविज्ञान, भूगोल, सैन्यविज्ञान, काष्ठशिल्प, ग्रन्थशिल्प तथा चर्मशिल्प- प्रत्येक विषय के लिए 5,000/- रू0 मूल्य की शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

वैज्ञानिक वर्ग

अनिवार्य शर्तेः-

1- **पंजीकरण-** समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2- हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ-साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः-

भवनः-

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर,विद्युत अभियंत्रण के तत्व/यांत्रिक अभियंत्रण के तत्व आदि के लिए अलग-अलग प्रयोगशालायें होना अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी। प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोटः- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तेः

1- काष्ठोपकरण,पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें।

2- शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।

3- विज्ञान उपकरण हेतु 25,000/- रूपये मूल्य का वैज्ञानिक उपकरण होना आवश्यक होगा।

4- प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजे होना आवश्यक होगी।

वाणिज्य वर्गः-

अनिवार्य शर्तेः

1- **<u>पंजीकरणः-</u>** समिति, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2- हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ-साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः-

<u>भवनः</u>

(क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर का एक कम्प्यूटर कक्ष अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।

(दो)- प्राभूत कोष,सुरक्षित कोष, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोटः- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तेः

1- काष्ठोपकरण,पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें।

2- शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक हैं।

<u>कृषि वर्गः</u>

<u>अनिवार्य शर्तेः</u>

1- पंजीकरणः समिति, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

2- हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ-साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः-

<u>भवनः</u>

1- 8×6 मीटर या 48 मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।

2- 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

3- 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु।

4- 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप का एक कृषि कक्ष।

5- सिंचाई के साधनों से युक्त कृषि योग्य उपजाऊ भूमि न्यूनतम एक एकड़।

(दो) प्राभूत कोष,सुरक्षित कोष,परीक्षाफल,छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।

नोटः-उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

सामान्य शर्तेः

1- काष्ठोपकरण,पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें।

2- शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है ।

3- कृषि के उपकरण एवं यंत्रादि हेतु 10,000/- तथा वैज्ञानिक सामग्री एवं पशुशाला आदि के लिये 2,500/- रू0 मूल्य के संसाधन होने आवश्यक होगे।

4- प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजें होनी आवश्यक होगी।

कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु मानक (हाईस्कूल/ इण्टर)

1- प्रयोगशाला में एक मशीन पर दो से ज्यादा छात्र कार्य नहीं करेगें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

मशीनों की संख्या उसी आधार पर निश्चित की जाय।

2- प्रयोगशाला में न्यूनतम व्यवस्था अनिवार्य रूप से निम्नवत् होगीः-

(क) प्रति विद्यालय 5 कम्प्यूटर (P3) मशीन।

(ख) एक DMP (132 कालम) ।

(ग) UPS प्रति मशीन 500 VA के आधार पर होना आवश्यक है।

(घ) पाठ्यक्रम के अनुसार साफ्टवेयर की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है,जैसे-हाईस्कूल के लिए विन्डोज MS Office G.W. basic इण्टरमीडिएट के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त Tarbse, c++

(ड़) प्रयोगशाला के लिए प्रति मशीन के लिए न्यूनतम 2.5 वर्ग मीटर का स्थान विद्यालय में होना अनिवार्य हैं। प्रयोगशाला साफ-सुथरी एवं पक्के कमरे में हो।

(च) प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।

(छ) प्रति कम्प्यूटर मशीन पर कार्य करने हेतु एक समान मेज तथा दो स्टूल की आवश्यकता होगी।

3- छात्र संख्या के आधार पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं का आनुपातिक वृद्धि किया जाना चाहिए।

केवल कम्प्यूटर विषय को मान्यता के संदर्भ संस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिये जाने पर कि उनके संस्था में कम्प्यूटर शिक्षा मानकीय अपेक्षानुसार दी जा रही है तथा इसकी पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कर दी गयी हो तो ऐसी संस्थाओं की कम्प्यूटर विषय की मान्यता का मान्यता-पत्र निर्गत कर दिया जायेगा तथा इसकी सूचना मान्यता समिति की अगली बैठक में दी जायेगी। (राजाज्ञा संख्या-1160/ 15-7-2001-4(203)/2001 दिनांक 31 मार्च, द्वारा प्राविधानित)

(10) यदि परिषद सन्तुष्ट हो कि एक संस्था मान्यता का सुपात्र है तो वह सचिव को आदेश देगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उसके द्वारा रखी जाने वाले सूची में प्रविष्ट कर लें तथा सचिव संस्था और संबंधित निरीक्षक/निरीक्षिका को सूचित करेगा कि किन-किन विषयों में किन शर्तो पर तथा किस परीक्षा के लिए उसे मान्यता प्राप्त हुई है। मान्यता उसी तिथि से दी हुई समझी जायेगी, जिस तिथि से संस्थाधिकारी लिखित रूप में कक्षा संचालन की सूचना परिषद/ निरीक्षक को देगा।

(11) मान्यता प्राप्त संस्था विनियमों एवं निर्धारित शर्तो के अधीन रहते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों का भी अनुपालन करेगीः-

(क)परिषद द्वारा जिस तिथि से संस्था को कोई मान्यता प्रदान की जाती है,वह उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जब संस्थाधिकारी कक्षा संचालन की लिखित सूचना निरीक्षक को देगा। परिषद से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संस्थाओं द्वारा केवल मान्य वर्ग/विषय में ही छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा अन्य किसी भी अमान्य संस्था अथवा कोचिंग संस्था के अनधिकृत छात्रों का

प्रवेश लिया जाना अनियमित एवं अवैध होगा। अनधिकृत रूप से छात्रों का प्रवेश लेने वाली दोषी संस्थाओं को निम्नांकित प्रकार से दण्डित किया जा सकेगाः-

(अ) अमान्य वर्ग/विषय में प्रवेश लेने वाली संस्थाओं से आर्थिक दण्ड के रूप मे ऐसी धनराशि वसूल की जायेगी,जो राज्य सरकार निर्धारित करे।

(ब) अनियमित एवं अनधिकृत रूप से छात्रों का प्रवेश लेने वाली संस्थाओं के विरूद्ध ऐसी अन्य दण्डात्मक कार्यवाही, जिसमें मान्यता का प्रत्याहरण भी सम्मिलित होगा, भी की जा सकेगी,जिसे राज्य सरकार उचित समझे।

(स) आर्थिक दण्ड की धनराशि संस्था के प्रबंधक/ प्रधानाचार्य से भू-राजस्व की भांति वसूली जायेगी।

(ख) संस्था में सभी शिक्षण कर्मी परिषद द्वारा विहित अर्हता परिषद विनियमों के अध्याय-दों के विनियम-1 के परिशिष्ट- क में विहित अर्हता के अनुसार नियुक्त होने चाहिए।

(ग) संस्था शिक्षा संहिता के ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते है तथा अधिनियम एवं विनियमों के प्राविधानों से असम्बद्ध नहीं है।

(घ) संस्था विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी।

(ड़) संस्था द्वारा मान्य कक्षायें विद्यालय परिसर के अन्दर ही चलाई जायेगी।

(च) संस्था मान्य वर्ग/विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षायें संचालित नहीं करेगी और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करायेगी। केवल मान्य वर्ग/विषयों की कक्षाये ही संचालित की जायेगी।

(छ) छात्र संख्या में वृद्धि होने पर नये अनुभाग खोलने के पूर्व कक्षा-कक्ष,काष्ठोपकरण एवं अन्य शिक्षण सामाग्रियों की अपेक्षित व्यवस्था की जायेगी।

(ज) संस्था परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में (परिषद के संकलन एवं मूल्यांकन कार्य आदि सम्मिलित है) अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी तथा परिषद/विभाग द्वारा किसी अधियाचन पर अपने शिक्षक,भवन एवं उपस्करण आदि को परिषद के अधीन प्रस्तुत करेगी तथा परिषद द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन करेगी।

(झ) जब तक कि शासन द्वारा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा आदेश न दिये जाये, वह किसी प्रतिद्वन्द्वी परीक्षा(हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) के लिये परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उनमें बैठने देगी,जबकि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की

परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती हो। यह शर्त मान्यता प्राप्त आंग्ल भारतीय विद्यालयों के सम्बन्ध में इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा पर लागू नहीं होगी।

(ञ) जिन संस्थाओं द्वारा प्राभूत के रूप में अचल सम्पत्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बन्धक है ऐसी अचल सम्पत्ति का विक्रय अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(ट) प्रदेश के सभी हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बालक/बालिका अभ्यर्थियों के प्रवेश लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। अर्थात् प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालक तथा बालिका अभ्यर्थियों का प्रवेश विद्यालय की धारण क्षमता एवं मान्य कक्षाओं के अनुरूप लिया जा सकता है।

नोट-बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी,बालिकाओं के प्रवेश के उपरान्त ही रिक्त सीटों पर बालकों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।

(ठ) परिषदीय परीक्षाओं में सामूहिक नकल/प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने की दोषी पायी गयी किसी भी संस्था की मान्यता परिषद/शासन द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है।

(ड़) संस्था द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने अथवा परिषद/विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में किसी गम्भीर अनियमितता बरतने का दोषी पाये जाने पर संबंधित संस्था की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ढ़) हाईस्कूल नवीन (वनटाइम) अथवा इण्टरमीडिएट नवीन वर्ग की मान्यता प्राप्त विद्यालय से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते अथवा कक्षाए संचालित नहीं करते है तो विद्यालय के प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इण्टर वनटाइम अथवा अतिरिक्त वर्ग अथवा मान्य वर्गो के वैकल्पिक विषयों की मान्यता पर उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।

(ण) विखण्डित।

(त) छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी वर्ग में प्रदत्त मान्यता के वैकल्पिक विषयों में जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री, साज-सज्जा आदि की अतिरिक्त आवश्यकता न हो, एक या एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का उसी वर्ग के अन्तर्गत समान वैकल्पिक विषय/विषयों में परिवर्तन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव द्वारा किया जा सकता है परन्तु ऐसे विषय/विषयों के परिवर्तन की अनुमति मान्यता पत्र निर्गत होने के एक वर्ष तक ही प्रदान की जा सकती है।

(थ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को परिषद नियम संग्रह/पाठ्य विवरण, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त कर निर्धारित पाठयचर्या/पाठ्यक्रम की अद्यतन जानकारी रखना आवश्यक होगा।

(द) मान्यता प्राप्त संस्था,विद्यालय में पठन-पाठन एवं अन्य सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों का स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय रहेगी तथा विद्यालय के छात्रों का परीक्षाफल उन्नत करने के दिशा में सदैव तत्पर रहेगी।

(ध) जिन संस्थाओं का परिषद/शासन द्वारा सर्शत मान्यता प्रदान की गयी है ऐसे विद्यालयों को निर्धारित शर्तो को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शर्तो के निर्धारित अवधि में पूरा न करने की दशा में संस्था की मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है अथवा निलम्बित की जा सकती है।

11(न) मान्यता प्राप्त संस्थायें उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये निम्नांकित शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगी:-

(1) नये भवनों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। तद्नुसार पुराने भवनों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार जीर्णोद्वार कराया जाय।

(2) विद्यालय में आवश्यकतानुसार छः माह के भीतर अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाय।

(3) विद्यालय में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिक दृष्टि से इन्हें रखना आवश्यक हो तो सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(4) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को जनपद के अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय।

(5) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने की दशा में विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(6) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आवेदित नवीन मान्यता के प्रकरणों पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा। जब तक संस्थायें उक्त शर्तो का अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर देती।

(7) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भवनों की दृढ़ता तथा सुरक्षा उपायों का समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा तथा उक्त शर्तों के अनुपालन आख्या संस्तुति सहित शिक्षा निदेशक(मा0) को पे्रषित की जायगी। दृढ़ता एवं सुरक्षा का प्रमाण-पत्र केवल समुचित जांच के

उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(उक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे)

12- कोई संस्था, जिसे परिषद द्वारा हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परिषद की पूर्वानुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं किया जायेगा, जब तक कि बन्द किए जाने के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस,जिसमें संस्था को बन्द करने का कारण उल्लिखित किया जायेगा, परिषद के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय। परिषद संस्था को ऐसी शर्तो पर बन्द किये जाने और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा दे सकती है।

13(क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 16-घ के खंड की उपधारा(3) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला परिषद को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए विचारार्थ भेजता है,तो परिषद प्रबन्धक को कारण बताने को कहेगी कि उसके विरूद्ध ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।

(ख) विनियम 13(क) के अनुसार परिषद द्वारा प्रबन्धक को निर्गत कारण बताओं नोटिस का उत्तर प्रबन्धक द्वारा एक माह के भीतर संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा परिषद को पे्रषित करेगा। परिषद प्रबंधक से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उसे संयुक्त शिक्षा निदेशक की आख्या यथास्थिति अपनी संस्तुति शासन को पे्रषित करेगी। संस्था की मान्यता प्रत्याहरित होने की दशा में परिषद उस संस्था का नाम मान्यता प्राप्त सूची से काट देगी। अथवा संस्था के प्रबंधक को चेतावनी देते हुए यह आदेश देगी कि परिषद द्वारा नियत अवधि के भीतर संस्था दोष अथवा दोषों को यदि दूर नहीं करती है,तो उसकी मान्यता प्रत्याहरित करते हुए उनका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची से काट दिया जायेगा अथवा एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।

(ग) परिषद निदेशक की संस्तुति पर किसी संस्था को मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि संस्था की मान्यता एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में प्रत्याहरित की गई थी तो पुनः उन विषयों में अभ्यर्थियों को तैयार करने का अधिकार दे सकती है।

14- प्रत्येक संस्था निरीक्षण अधिकारी द्वारा गठित पैनल द्वारा अपने विद्यालय के निरीक्षण/आकस्मिक निरीक्षण के लिए तैयार रहेगी। निरीक्षण अधिकारी पैनल निरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध अवकाश प्राप्त संस्थाओं के प्रधान/अध्यापकों, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों का पैनल गठित करेगा। एक पैनल में सदस्यों की संख्या संयोजक सहित तीन से

पांच हो सकती हैं। पैनल निरीक्षण के समय संस्था द्वारा समस्त अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जायेगें। पैनल निरीक्षण की आख्या यथाशीघ्र परिषद/विभाग को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

15- जिला विद्यालय निरीक्षक,निरीक्षण के समय पूर्व में प्राप्त संस्था के फोटो के अनुसार भवन के समक्ष खडे होकर अपना तथा भवन का फोटो खिचवाकर अपनी आख्या के साथ संलग्न करेंगे, जिससे पूर्व फोटो का सत्यापन हो सके।

16- प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न ट्रेड विषयों में किसी एक ट्रेड विषय का अध्ययन अध्यापन कक्षा 9 तथा 12 तक अपने निजी स्रोत से सुविधानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार संस्थाओं द्वारा एक से अधिक ट्रेड विषयों का संचालन किया जा सकता है। संस्थाओं द्वारा जिन ट्रेड विषयों का संचालन किया जायेगा,उसकी प्रथक से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। संस्था सम्बन्धित ट्रेड विषय में स्वतः मान्य माने जायेंगे। संस्था को इस निमित्त कोई शासकीय अनुदान देय नहीं होगा।

अध्याय-आठ
वित्त -समिति

1- वित्त समिति परिषद के वित्त सम्बन्धी समस्त मामलों में परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगी।

2- उसमें निम्नलिखित होगें--

(क) परिषद का एक सदस्य जो राज्य विधान सभा का सदस्य हो-- संयोजक।

(ख) परिषद के छः सदस्यों जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिदिष्ट छः श्रेणीयों में से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय।

(ग) परिषद का सचिव उसका पदेन सदस्य-सचिव होगा।

3- वित्त समिति, परिषद के विचारार्थ, विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य बातों के लिये वसूल किये जाने वाले शुल्क के लिए संस्तुति करेगी।

4- वित्त समिति, परिषद के विचारार्थ, परिषद के विभिन्न लाभकारी कार्यो के लिये पारिश्रमिक दर की भी संस्तुति करेगी।

5- वित्त समिति परिषद द्वारा उसे निदिष्ट किये गये परिषद सम्बन्धी किसी अन्य वित्तीय मामले के सम्बन्ध में विचार करेगी और अपनी संस्तुति देगी।

अध्याय-नौ

पाठ्यचर्या-समिति

1- पाठ्यचर्या समिति में निम्नलिखित होगें--

(1) परिषद के छः सदस्य जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिदिष्ट छः श्रेणीयों में से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय।

(2) विभाग के विशेषज्ञीय संस्थाओं के निदेशक/ प्रधानाचार्य और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि जो परिषद के सदस्य हो।

(3) उन विषयों से भिन्न जिनमें निर्वाचन के पूर्ववर्ती वर्ष में रजिस्ट्रीकृत उम्मीदवारों की संख्या में पचास हजार से कम हो, विभिन्न पाठ्यक्रम समितियों के संयोजक, परन्तु वे परिषद के सदस्य हों।

(4) परिषद का सचिव पदेन सदस्य-सचिव के रूप में।

2- परिषद की स्वीकृति और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, पाठ्यचर्या समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें:-

(क) परिषद की प्रत्येक परीक्षा के लिये अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों की कुल संख्या पर विचार करना।

(ख) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट सोपानों के पाठ्यक्रमों के स्तर को सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना।

(ग) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये ऐसी पाठ्यचर्या की संस्तुति करना जिससे कि विश्वविद्यालय और व्यावसायिक दोनों का मार्ग प्रदर्शन हो सके।

(घ) नये विषयों को सम्मिलित करने और विद्यमान विषयों को निकालने के प्रस्तावों पर विचार करना।

(ड.) विषयों का वर्ग बनाने और एक वर्ग को दूसरे से परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार करना।

(च) सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय में बनाये जाने वाले प्रश्न पत्रों की संख्या निश्चित करना और प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिये समयावधि निश्चित करना।

(छ) सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय और किसी विषय के प्रत्येक भाग के लिये अधिकतम और न्यूनतम अंक प्रस्तावित करना।

(ज) सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् विभिन्न विषयों में लिखित परीक्षा के विस्तार की सीमा की संस्तुति करना।

(झ) शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समितियों की संस्तुति पर विचार करनायऔर

(ञ) संस्था के अध्यापकों, संस्था के प्रधानों और अन्य कर्मचारियों के लिये न्यूनतम अर्हतायें विहित करना।

अध्याय-दस
महिला शिक्षा समिति

1- महिला शिक्षा समिति में परिषद की समस्त महिला सदस्य होगी तथा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (ब) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका समिति की संयोजिका होगी। इसकी बैठकों में संयुक्त शिक्षा निदेशिका (महिला), उ0प्र0 विशेष रूप से आमन्त्रित होगी।

2- महिला शिक्षा समिति, महिलाओं की शिक्षा से सम्बन्धित विषयों या ऐसे मामलों में परिषद को परामर्श देगी, जो उसे परिषद या उसकी किसी समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें।

अध्याय-ग्यारह
छात्रों का निवास

1- जहाँ आवास उपलब्ध है, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था का प्रत्येक छात्र उसके द्वारा व्यवस्थित छात्रावास में अथवा संस्था के प्रधान द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रावास में अथवा माता-पिता अथवा अभिभावक के साथ निवास करेगा।

2- जहाँ किसी मान्यता प्राप्त छात्रावास में आवास उपलब्ध नहीं है, संस्था का प्रधान किसी छात्र अथवा छात्रों की वासगृहों में, जो उनके व्यवस्थापकों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों के लिये आरक्षित हों, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निवास करने की अनुमतिदे सकता है:-

(क) कि वासगृहों का सम्बन्धित संस्था के प्रधान अथवा उस कार्य के लिये नियुक्त किसी अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है, तथा

(ख) कि व्यवस्थापक छात्रों को देखभाल के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था अथवा संस्थाओं के प्रधान अथवा प्रधानों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुकूल चलने को तैयार हैं।

अध्याय बारह
[परीक्षाओं सम्बन्धी सामान्य विनियम]

1- परिषद निम्नलिखित परीक्षायें संचालित करेगी--

(क) हाईस्कूल परीक्षा,

(ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा,

(ग) विखण्डित

(घ) इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा।

2- परिषद की परीक्षा ऐसे केन्द्रों पर तथा उन तिथियों पर तथा ऐसे समय पर होगी जो परिषद समय-समय पर निश्चित करेगी।

(2-क) निरस्त।

3- परिषद की परीक्षाओं के परीक्षण अंशतः मौखिक एवं क्रियात्मक तथा अंशतः लिखित होंगे। मौखिक तथा क्रियात्मक परीक्षण परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित ढंग से परिषद द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा संचालित किये जायेगें। लिखित परीक्षा प्रश्न-पत्रों द्वारा होंगे तथा प्रश्न-पत्र पर, जहां परीक्षा हो रही है, एक साथ दिये जायेगें।

3-(क)-परिषद द्वारा संचालित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा परीक्षार्थी को उस समय तक नहीं दिया जायेगा जब तक वह उक्त परीक्षा के लिए उनसे सम्बन्धित विनियमों के अनुसार प्रत्येक विषय में योग्यता न प्राप्त कर लें:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश पाने के पश्चात् अपात्र समझा जायेगा/जायेगी उसकी अभ्यर्थिता/परीक्षा रद्द कर दी जायेगी और उसका परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र भी वापस ले लिया जायेगा/रद्द कर दिया जायेगा।

3-(ख)-परिषद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं मे संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा-9 तथा 11 में प्रवेश लेते समय अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपनी पात्रता तथा जन्मतिथि से सम्बन्धित वैध एवं प्रमाणित साक्ष्य संस्था के प्रधान को तत्समय उपलब्ध करायेंगे। संस्था के प्रधान संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी का पंजीकरण अपने विद्यालय पर करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 50.00 (पचास रूपये) संस्था के प्रधान को देना होगा। संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकरण शुल्क राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।

संस्था के प्रधान को इस निमित्त रू0 10.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से पारिश्रमिक देय होगाए जिसका पावना.पत्र सचिव को भेजेंगे। उपर्युक्त निर्दिष्ट कार्य में किसी प्रकार की अनियमतितताए अशुद्धता अथवा विलम्ब आदि के लिये संस्था के प्रधान सीधे उत्तरदायी माने जायेंगेए जिसके लिये उनके पारिश्रमिक से कटौती अथवा उनके विरूद्ध अन्य दण्डात्मक कार्यवाही परिषद द्वारा की जा सकेगी।

3(ग) संस्थाओं के प्रधान विद्यालय की निर्धारित क्षमता (मान्य कक्षाओं) के अनुरूप कक्षा 9 एवं 11 में छात्र-छात्राओं का प्रवेश दिनांक 01 अप्रैल से 05 अगस्त के मध्य लेंगे। परिषद की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं अन्य राज्यों से अभिभावकों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण इच्छुक अभ्यर्थियों के कक्षा 11 में प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि 05 अगस्त एवं परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल कम्पार्टमेंट उत्तीर्ण एवं सन्निरीक्षा के फलस्वरूप हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण घोषित अभ्यर्थियों के कक्षा 11 में प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि 20 अगस्त होगी।

संस्था के प्रधान समस्त कक्षा 9 एवं 11 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के विवरण (अग्रिम पंजीकरण) परिषद की वेवसाइट पर दिनांक 01 मई से 25 अगस्त तक के मध्य ऑन लाइन पंजीकृत करायेंगे।

26 अगस्त से 05 सितम्बर तक ऑन लाइन आवेदन की वेबसाइट बन्द रहेगी। इस बीच संस्था के प्रधान ऑन लाइन आवेदित अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षिक विवरणों एवं उनकी फोटो आदि की विद्यालयी अभिलेखों से भली-भाँति जाँच करेगें। 06 सितम्बर से 20 सितम्बर तक वेबसाइट पुनः खोली जायेगी,जिसमें संस्था के प्रधान द्वारा अभ्यर्थियों के विवरण में संशोधन,परिवर्तन/परिवर्धन यदि कोई हो स्वीकार/अपडेट किये जायेगें। उक्त तिथि के पश्चात् अभ्यर्थियों के विवरण में कोई संशोधन, परिवर्तन/ परिवर्धन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

संस्था के प्रधान अभ्यर्थियों की फोटो युक्त नामावली एवं तत्संबंधी आवश्यक प्रपत्रों की एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से विलम्बतम 30 सितम्बर तक परिषद के संबंन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

हाईस्कूल के परीक्षार्थियों के अपूर्ण परीक्षाफल पूर्ण होने के पश्चात उत्तीर्ण घोषित होने अथवा किसी अन्य कारण से रूके हुये परीक्षाफल के घोषित होने के पश्चात उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश संस्था के प्रधान द्वारा कक्षा-11 में परीक्षाफल घोषणा की तिथि के 20 दिनों के अन्दर किया जायेगा। संस्था के प्रधान ऐसे उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का ऑफलाइन विधि से कक्षा-11 में अग्रिम पंजीकरण परिषद द्वारा विहित आवेदन पत्र पर कराकर उसे जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से अग्रसारित कराते हुए सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करेगें।

3-(घ)-परिषद कक्षा-9 तथा 11 में पंजीकृत समस्त अभ्यर्थियों के विवरणों को सम्यक् जाँच करेगी तथा वांछित संशोधन, यदि कोई हो, करेगी तथा इन विवरणों के आधार पर अभ्यर्थियों को पंजीकरण संख्या अनुदानित कर सम्बन्धित संस्था को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रत्येक दशा में आगामी 28 फरवरी तक उपलब्ध करायेगी, तद्नुसार संस्था के प्रधान अपने विद्यालय के प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी पंजीकरण संख्या से अवगत करायेगें। पंजीकरण संख्या अभ्यर्थी का स्थायी अभिलेख होगा तथा आवश्यकतानुसार पंजीकरण संख्या से ही पत्र-व्यवहार किया जायेगा।

3-(ड.)-कक्षा-10 तथा 12 की संस्थागत परीक्षा में वहीं अभ्यर्थी बैठने के पात्र होंगे जिन्होंने सम्ब्रिन्धत संस्था में यथास्थिति कक्षा-9 तथा 11 में अपना पंजीकरण कराया हो। संस्था के प्रधान अपंजीकृत अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं करेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि अन्य परिषदों से कक्षा 10 या 12 में स्थानान्तरित अभ्यर्थी का कक्षा 10 तथा 12 में ही पंजीकरण होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि विनियमों में किसी प्रावधान के होते हुए भी किसी आपातिक स्थिति में राज्य सरकार को परीक्षाओं के आयोजन से सम्बन्धित विनियम में दी गयी किसी भी व्यवस्था को शिथिल करने का अधिकार होगा।

<u>संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए नियम</u>

<u>4(एक)</u>

परिषद द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी का प्रवेश कक्षा 10 एवं 12 में दिनांक 01 अप्रैल से 05 अगस्त के मध्य लिया जायेगा। परिषद द्वारा संचालित कृषि भाग-1 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों एवं अन्य राज्यों से अपने अभिभावकों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप कक्षा 9 एवं 11 उत्तीर्ण होने के पश्चात प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि 05 अगस्त होगी। मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान को परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क अधिक से अधिक प्रत्येक वर्ष की 05 अगस्त तक जमा करेगें। इसके साथ संस्था के प्रधान द्वारा संस्था में मान्य विषय अथवा विषयों को अभ्यर्थी जो परीक्षा के लिये ले रहे है,व्यक्त करते हुये सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों के शैक्षिक विवरणों एवं परीक्षा शुल्क कोषागार मे 10 अगस्त तक जमा कर, जमा शुल्क के विवरणों को परिषद की निर्धारित वेवसाइट पर दिनांक 01मई से 16 अगस्त तक ऑन लाइन अपलोड किया जायेगा।

निर्धारित अवधि तक शुल्क जमा न करने पर संस्था के प्रधान को सम्बन्धित छात्र का नाम संस्था से काटने का अधिकार होगा। किसी संस्था से अपना आन-लाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् किसी संस्थागत छात्र को केवल उस दशा को छोड़कर जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसे उसके अभिभावक के उस स्थान से जहां वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था,किसी दूसरे स्थान को किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये तथ्यों/प्रमाण-पत्र पर अपनी संतुष्टि के उपरान्त ऐसा करने की अनुमति दी गयी हो,विद्यालय परिवर्तन का अधिकार न होगा।

10 अगस्त तक संस्था के प्रधान अभ्यर्थियों के विवरण प्राप्त कर 16 अगस्त तक 100 रूपये प्रति छात्र की दर से विलम्ब शुल्क के साथ कोषागार में जमा कर 20 अगस्त तक ऑन लाइन आवेदन करेगें।

<u>4(दो) (क)</u>-<u>विखण्डित।</u>

(ख) 21 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑन लाइन आवेदन की वेबसाइट बन्द रहेगी। इस बीच संस्था के प्रधान ऑन लाइन आवेदित अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षिक विवरणों एवं उनकी फोटो आदि की विद्यालयी अभिलेखों से भली-भाँति जाँच करेगें।

01 सितम्बर से 10 सितम्बर तक वेबसाइट पुनः खोली जायेगी,जिसमें संस्था के प्रधान द्वारा अभ्यर्थियों के विवरण में संशोधन एवं परिवर्तन/परिवर्धन यदि कोई हो स्वीकार/अपडेट किये जायेगें। उक्त तिथि के पश्चात् अभ्यर्थियों के विवरण में कोई संशोधन एवं परिवर्तन/परिवर्धन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इण्टरमीडिएट कृषि भाग-1 के परीक्षार्थियों के अपूर्ण परीक्षाफल पूर्ण होने के पश्चात उत्तीर्ण घोषित होने अथवा किसी अन्य कारण से रूके हुये परीक्षाफल के घोषित होने के पश्चात उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश संस्था के प्रधान द्वारा कक्षा-12 में परीक्षाफल घोषणा की तिथि के 20 दिनों के

अन्दर किया जायेगा। संस्था के प्रधान ऐसे उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का इण्टरमीडिएट परीक्षा का आवेदनपत्र ऑफलाइन विधि से पूरित कराकर उसे जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से अग्रसारित कराते हुए सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को 15 दिवसों के अन्दर प्रेषित करेगें।

(ग) संस्था के प्रधान का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा ऑन लाइन आवेदित सभी आवेदन-पत्र केवल मान्य विषय/विषयों से विनियमानुसार ही अग्रसारित किये गये है। अनर्ह अथवा विनियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल अग्रसारित किये गये ऑन लाइन आवेदन के लिए संस्था के प्रधान सीधे उत्तरदायी माने जायेंगे तथा उनके विरूद्ध परिषद द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उन्हें परिषद के पारिश्रामिक कार्यों से वंचित किये जाने की भी कार्यवाही की जायेगी।

(तीन) विखण्डित

(चार) विखण्डित

(पाँच) संस्था के प्रधान आवेदन-पत्रों एवं सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्रों के साथ सचिव को यह दिखातें हुए निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भेजेगा:-

(क) कि संस्था में बालक/बालिका का प्रवेश शिक्षा संहिता के नियमों तथा परिषद के विनियमों के अनुसार है,

(ख) कि उसने एक मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन का एक नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण किया है,

(ग) कि उसने पाठ्य विवरण में निर्धारित प्रयोग वास्तविक रूप से किये है।

(छः) ऐसे छात्रों को, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में दो बार अनुत्तीर्ण हो जाते है, पुनः किसी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उपस्थिति

5-(1) मान्यता प्राप्त संस्था, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी, जिनमें परीक्षाओं तथा पाठयानुवर्ती कार्य-कलाप के दिवस भी सम्मिलित है, प्रतिबन्ध यह है कि श्पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजनाश् के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र के सम्बन्ध में कार्य दिवसों की उपर्युक्त संख्या 75 कार्य दिवस होगी तथा इसके साथ सम्बन्धित छात्र को पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित पाठ्य सामग्री की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना होगा।

(2) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कोई छात्र हाईस्कूल के लिए प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक वह दो शैक्षिक वर्षो के दरम्यान प्रत्येक विषय में, जिसमें उसे परीक्षा में सम्मिलित होना है,

वादनों की निर्धारित/आवंटित कुल संख्या के, जिसमें क्रियात्मक कार्य के वादन भी सम्मिलित होंगे, कम से कम 75 प्रतिशत वादनों में उपस्थित न रहा हो।

पुनश्च- आंग्ल भारतीय विद्यालयों से आने वाले छात्रों के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा से पूर्व के वर्ष को प्रथम जनवरी से परिगणित की जायेगी।

(3) मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कोई भी छात्र इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह दो शैक्षिक वर्षों में जिसमें उसकी परीक्षा होनी है, दिये जाने वाले व्याख्यानों में से (जिसमें क्रियात्मक कार्य, यदि कोई हो, के घण्टे भी सम्मिलित है) कम से कम 75 प्रतिशत में सम्मिलित न हुआ हो।

कृषि वर्ग के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में उपस्थिति का प्रतिशत भाग एक तथा दो के लिए अलग-अलग परिगणित किया जायेगा।

(टिप्पणी- काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित सर्टीफिकेट आफ सेकेण्डरी एजूकेशन परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की उपस्थिति की गणना परीक्षा के पूर्व के वर्ष की पहली जनवरी से परिगणित की जायेगी।)

(4) परिगणन के लिए एक घण्टे के व्याख्यान की एक व्याख्यान, दो घण्टे व्याख्यान की दो व्याख्यान और इसी प्रकार परिगणित किया जायेगा। क्रियात्मक कार्य में लगा एक घण्टा एक व्याख्यान के रूप में परिगणित होगा। घण्टे का तात्पर्य स्कूल अथवा कालेज के समय चक्र में शिक्षण के घण्टे से है।

(5) ऊपर के खण्ड (2) और (3) में संदर्भित दो शैक्षिक वर्षो का क्रमिक होना आवश्यक नहीं है। यह संस्थाओं के प्रधानों के विवेकाधिकार पर छोड़ा जाता है कि वे उन छात्रों की उपस्थिति, जिन्होंने कक्षा 9 अथवा 11 में एक से अधिक वर्ष पढ़ा है, कक्षा 10 अथवा 12 की उपस्थिति के साथ किसी एक वर्ष की उपस्थिति को परिगणित कर लें। उन छात्रों को जिन्हें एन0सी0सी0, पी0एस0डी0 अथवा प्रादेशिक सेना के शिक्षा अथवा क्रीड़ा दल, बालचर रैलियाँ अथवा सेन्ट जान एम्बुलेन्स शिविर और प्रतियोगतायें अथवा ग्रामों में कृषि विस्तार सेवा अथवा शैक्षिक परिभ्रमण में जाने की अनुमति दी जाती है, कक्षा में उपस्थिति के लिए वांछित लाभ दिया जायेगा।

पुनश्च--ख्1,इस विनियम के अन्तर्गत कक्षा में उपस्थिति का समस्त लाभ उपस्थिति अथवा व्याख्यान पंजिका में इस सम्बन्ध में टिप्पणी सहित दिखाना चाहिए। इस प्रकार के लाभ के समस्त लेख भली-भाँति रखे जाने चाहिए।

चुने हुये छात्रों के वर्ग के लिए तथा पूरी कक्षा के लिए सही लगायी गई विशेष कक्षा की उपस्थिति के लाभ की अनुमति न होगी।

(6) परिषद् की हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा निरूद्व छात्रों के सम्बन्ध में केवल एक शैक्षिक वर्ष का प्रतिशत परिगणित किया जायेगा। उस शैक्षिक वर्ष की उपस्थिति, जिसके अन्त में छात्र परीक्षा में बैठना चाहता है, परिगणित की जायेगी।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन छात्रों की दशा में जिन्होनें परिषद् की हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन न किया हो, परन्तु उनके नाम संस्था की उपस्थिति पंजी में हो अथवा आवेदन पत्रों के प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् भी परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों, दो शैक्षिक वर्षो का प्रतिशत परिगणित किया जायेगा।

निरूद्व का तात्पर्य किसी भी कारण से हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में रोके जाने से है।

(7) छात्र द्वारा इस परिषद् के अधिक्षेत्र से बाहर किसी संस्था में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष् मान्यता प्राप्त परीक्षा की तैयारी में अर्जित उपस्थिति हाईस्कूल परीक्षा के लिए उपस्थिति के प्रतिशत की गणना परिगणित कर ली जायेगी।

(8) हाईस्कूल परीक्षा में अंको की सन्निरीक्षा के फलस्वरूप सफल घोषित छात्र के सम्बन्ध में प्रथम शैक्षिक वर्ष सन्निरीक्षा का परिणाम सूचित किये जाने के दस दिन पश्चात् प्रारम्भ हुआ समझा जायेगा।

(9) इस परिषद् अथवा अन्य किसी समकक्ष परीक्षा निकाय के रूके हुये परीक्षाफल घोषित होने के बाद (किसी मान्यता प्राप्त संस्था के कक्षा-11 में प्रवेश पाने वाले छात्र की उपस्थिति की गणना परीक्षाफल घोषित होने के दसवें दिन से होगी।

(10) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों का नितान्त असंतोषजनक कार्य करने वालों को छोड़कर परीक्षार्थियों को रोकने की अनुमति नहीं है, जिन्होंने परिषद की किसी परीक्षा में प्रवेश की शर्तो को पूरा कर लिया है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस विनियम के अन्तर्गत कक्षा को पूरी संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक छात्र नहीं रोके जायेंगे। मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान छात्रों को रोकने के अधिकार का प्रयोग लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के तीन सप्ताह पूर्व तक कर सकते है और उनके इस निर्ण के विरूद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी। मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान, सचिव को एक बार स्थिति की सूचना देने के पश्चात् अपने निर्णय को संशोधित नहीं करेंगे।

(11) ऊपर के खण्ड (1) में सम्मिलित शर्तो के होते हुए भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान ऐसे छात्रों को परिषद की होने वाली परीक्षा में बैठने से रोक सकते है, जो शारीरिक शिक्षा,एन0सी0सी0 अथवा पी0एस0डी0 के लिए दिए हुए समस्त सामान तथा वर्दिया नहीं लौटाते हैं अथवा उनके खो जाने पर परिषद की परीक्षा से पूर्व 15 फरवरी तक उनका मूल्य नहीं दे देते है।

(12) न्यूनतम उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधान उपस्थिति की कमी का मर्षण अधिकतम--

क हाईस्कूल परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए 10 दिन का, और इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए प्रत्येक विषय में दिए गए 10 व्याख्यान (क्रियात्मक कार्य के घण्टो सहित यदि हो) कर सकता है, ऐसे समस्त मामलों की सूचना जिसमें इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) को परिषद के सभापति के रूप में दी जायेगी।

तथापि उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में जिनकी केवल एक वर्ष की उपस्थिति ही परिगणित होनी है, मर्षण की यह सीमा केवल आधी अर्थात पांच दिन अथवा पांच व्याख्या ान, जैसी स्थिति हो, रह जायेगी।

पुनश्च- (क) 75 प्रतिशत दिन अथवा व्याख्यान जिनमें एक परीक्षार्थी को उपस्थिति रहना है अथवा (ख) उनकी उपस्थिति में कमी परिगणित करने में एक दिन अथवा व्याख्यान को भिन्नता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

<u>विषय परिर्वतन</u>

6- मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान कक्षा 9 में विषय/विषयों में परिवर्तन की तथा कक्षा 11 में एक ही वर्ग में अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विषय परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। कक्षा 10 में एक ही विषय/विषयों तथा कक्षा 12 में एक ही वर्ग में विषय अथवा विषयों के अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन की साधारणतः अनुमति नहीं दी जाती है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में मुख्य रूप से अनुत्तीण अथवा रोके गये परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिवर्तन की आज्ञा दी जा सकती है और इस प्रकार ऐसे मामलों की सूचना परिषद को कारणों सहित दी जानी चाहिए। एक से अधिक विषय परिवर्तित करने की आज्ञा बहुत ही कम दी जानी चाहिए। परीक्षार्थी के एक विषय की उपस्थिति, जिसे वह बाद में संस्था के प्रधान की अनुमति से परिवर्तित करता है। नये विषयों की उपस्थिति के साथ नये विषय में इसकी उपस्थिति का प्रतिशत परिगणित करने के लिए परिगणित की जायेगी। परीक्षा में बैठने का आवेदन-पत्र सचिव के पास अग्रसारित कर देने के पश्चात् विषय में परिवर्तन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।

<u>छात्रों का प्रवेश एवं प्रोन्नति</u>

7- कोई छात्र जिसने कभी किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा नहीं पायी है अथवा जिसने कक्षा-10 में प्रोन्नति होने से पूर्व मान्यता प्राप्त संस्था को छोड़ दिया परन्तु जिसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में हाईस्कूल परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गयी है और उसमें बैठ नहीं सका, कक्षा-10 में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार कोई छात्र जिसने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के

पश्चात् मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन नहीं किया अथवा कक्षा-12 में प्रोन्नति होने से पूर्व जिसने मान्यता प्राप्त संस्था को छोड़ दिया परन्तु जिसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में इण्टरमीडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गयी और उसमें बैठ नही सका, कक्षा-12 में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

7-(क) मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान का, छात्रों का कक्षा-9 से 10 अथवा 11 से 12 में प्रोन्नति करने का निर्णय प्रत्येक वर्ष के मार्च के अन्त तक अन्तिम रूप से करना होगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी

प्रवेश के नियम

8. व्यक्तिगत परीक्षार्थी अथवा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में निर्धारित और अपेक्षित उपस्थिति के बिना परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों पर परिषद् की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

(1) कोई व्यक्ति,जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठना चाहता है,आगामी परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व 05 अगस्त तक परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क सहित उस संस्था के प्रधान द्वारा जो परीक्षा का पंजीकरण केन्द्र है,आवेदन करेगा। संस्था के प्रधान प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी के विवरण, जिसमें अभ्यर्थी का नाम,पिता का नाम, माता का नाम तथा उपहृत किये गये विषयों का उल्लेख हो प्राप्त कर अधिक से अधिक 10 अगस्त तक राजकीय कोषागार में जमा कर परिषद की निर्धारित वेवसाइट पर दिनांक 01 मई से 16 अगस्त तक ऑन लाइन आवेदन करेगें। 10 अगस्त के पश्चात् संस्था के प्रधान अभ्यर्थियों के विवरण प्राप्त कर 16 अगस्त तक 100 रूपये प्रति छात्र की दर से विलम्ब शुल्क के साथ कोषागार में जमा कर 20 अगस्त तक ऑन लाइन आवेदन करेगें।

21 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑन लाइन की वेबसाइट बन्द रहेगी। इस बीच संस्था के प्रधान ऑन लाइन आवेदित अभ्यर्थियों के विवरण की भली-भाँति जांच करेगें। 01 सितम्वर से 10 सितम्वर तक वेबसाइट पुनः खोली जायेगी,जिसमें संस्था के प्रधान द्वारा अभ्यर्थियों के विवरण में संशोधन एवं परिवर्तन/परिवर्धन यदि कोई हों स्वीकार/अपडेट किये जायेगें। उक्त तिथि के पश्चात् अभ्यर्थियों के विवरणों में कोई संशोधन एवं परिवर्तन/परिवर्धन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(क) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए विनियम-2, अध्याय चैदह में वर्णित अथवा हाईस्कूल परीक्षा के लिए विनियम 10(1), अध्याय बारह में वर्णित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र की यथार्थ प्रतिलिपि।

(ख) परीक्षार्थी को अंतिम संस्था, यदि कोई हो, द्वारा दी गयी छात्र पंजी की मूल प्रति।

(ग) जिस श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए शिक्षा विभागीय पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित हो उनकी पत्राचार पाठ्यक्रम के अनुसरण के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र की यथार्थ प्रतिलिपि जो परीक्षा की तिथि पर वैध और मान्य हो।

उन संस्थाओं के प्रधान जो परिषद् के परीक्षाओं के पंजीकरण केन्द्र है,ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के विवरण जो पात्र है,जांच करके तथा सचिव द्वारा विहित प्रपत्रों की पूर्ति करके उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑन लाइन आवेदन किया जायेगा। किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में कार्यरत् अभ्यर्थी को अपने सेवा योजक से परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथ्यों को छिपाना संज्ञेय अपराध होगा और इससे परीक्षाफल निरस्त किया जा सकता है।

(व्यक्गित परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र प्राप्त करने की विधि)

(1) विखण्डित।

(2) विखण्डित।

(3) विखण्डित।

<u>अग्रसारण अधिकारियों का पारिश्रमिक</u>

9- ऐसी संस्था के प्रधान, जो परिषद को परीक्षा का पंजीकरण केन्द्र है, अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति को इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये जाये इस अध्याय के विनियम 8 में विहित विधि से आवेदन-पत्र की समय से प्राप्ति, विहित अर्हताओं तथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र आदि की जांच तथा समय से प्रेषण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। इस हेतु उन्हें पांच रूपये प्रति परीक्षार्थी की दर से पारिश्रमिक देय होगा जिसमे से वे दो रूपये प्रति परीक्षार्थी की दर से उपर्युक्त कार्य में अपनी सहायता करने वाले व्यक्ति को देगें। अग्रसारण अधिकारी आवेदन-पत्र सचिव को भेजने के पश्चात् पारिश्रमिक पावना-पत्र सचिव को भेजेगें। ऊपर निर्दिष्ट कार्य में अशुद्धता अथवा विलम्ब आदि के लिए अग्रसारण अधिकारी के पारिश्रमिक में कटौती अथवा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही परिषद द्वारा की जा सकेगी। अग्रसारण अधिकारी परीक्षार्थी से किसी प्रकार का अग्रसारण शुल्क नकद नहीं लेंगे। परीक्षार्थी से परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क, चन्दा अथवा दान नहीं लिया जायेगा।

<u>व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की पात्रता</u>

10(1) परिषद अथवा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा-9 की परीक्षा अथवा अन्य राज्यों के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षार्थी उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही हाईस्कूल में व्यक्तिगत परीक्षा के रूप में बैठने के लिये पात्र होगें किन्तु शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित जू0हा0स्कूल (कक्षा 8) अथवा समकक्ष परीक्षा

उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी, जो किन्ही कारणों से कारागार में निरूद्ध होने के कारण कक्षा-9 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके, को हाईस्कूल में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठने हेतु कक्षा 9 उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी।

(क) प्रदेश के विभिन्न कारागारों में निरूद्व बन्दियों को हाईस्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा प्रदान कर दी जाय। ऐसे बन्दियों को कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। चूंकि कक्षा 10 को परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के सम्मिलित होने की न्यूनतम् अर्हता कक्षा 9 उत्तीर्ण होना है, ऐसी स्थिति में कारागार में निरूद्ध बन्दियों को कक्षा 9 की परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता से मुक्ति प्रदान की जाय।

(ख) कारागार में निरूद्ध ऐसे बन्दी, जो कक्षा 10 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें इण्टरमीडिएट की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित कराया जाय। ऐसे परीक्षार्थी पत्राचार शिक्षण की अनिवार्यता से मुक्त रहेंगे।

(ग) कारागार में निरूद्ध बन्दियों के परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के कोष-पत्र एवं नामावली सहित संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा अग्रसारित किये जायेंगे। जेल अधीक्षक द्वारा अग्रसारित समस्त आवेदन-पत्र संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास प्रेषित किये जायेंगे जिसे उनके द्वारा परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किया जायेगा।

(घ) कारागार में निरूद्ध बन्दियों की परीक्षायें कारागार महानिरीक्षक की संस्तुति पर विभिन्न केन्द्रीय/जिला कारागारों पर आयोजित की जाय, जहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षक की तैनाती करेंगे।

(ड0) कारागार में निरूद्ध बन्दियों के उत्तर पुस्तक प्रश्न पत्र आदि की व्यवस्था संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जायेगी।

(च) लिखित उत्तर पुस्तकों के बण्डल जेल अधीक्षक द्वारा संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को ही प्राप्त कराया जायेगा।

(2) विखण्डित।

(3) आगामी होने वाली हाईस्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट हाने की अनुमति उन परीक्षार्थियों को नहीं दी जायेगी, जिन्हें कक्षा-10 के लिये प्रोन्नित प्राप्त होने में सफलता नहीं मिली है।

आंग्ल-भारतीय विद्यालय

11- किसी आंग्ल-भरतीय विद्यालय को छोड़ने वाला परीक्षार्थी हाईस्कूल परीक्षा में उस शैक्षिक वर्ष के पूर्व तक प्रविष्टि न हो सकेगा, जिसमें कि वह कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा में प्रवेश का पात्र होता, यदि वह आंग्ल-भारतीय विद्यालय में अध्ययन करता रहता। आंग्ल-भारतीय विद्यालय में छात्र के रूप में अध्ययन करने वाले अथवा किसी ऐसे छात्र का आवेदन-पत्र, जिसका अंतिम विद्यालय आंग्ल-भारतीय विद्यालय था, आंग्ल-भारतीय विद्यालयों के निरीक्षक द्वारा उस संस्था के आचार्य के लिए अग्रसारित होना चाहिये, जिसे परीक्षार्थी अपने केन्द्र के रूप में चुनता है।

राज्य से बाहर के परीक्षार्थी

12-विनियम-10 अध्याय-बारह के अधीन परिषद के प्रादेशिक अधिक्षेत्रों के बाहर रहने वाले परीक्षार्थियों को परिषद की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जा सकती है। संबन्धित राज्यों के मण्डलीय विद्यालय निरीक्षक/सक्षम शिक्षा अधिकारी ऐसे परीक्षार्थियों की अर्हता संबंधी प्रपत्र उस संस्था के प्रधान को अग्रसारित करेंगें, जिन्हें परीक्षार्थी अपने पंजीकरण केन्द्र के रूप में चुनता है। संस्था के प्रधान विनियमानुसार ऐसे इच्छुक/अर्ह परीक्षार्थी के विवरण जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम तथा उपहृत किये गये विषयों का उल्लेख हो 05 अगस्त तक प्राप्त कर 10 अगस्त तक राजकीय कोषागार में जमा कर परिषद की निर्धारित वेवसाइट पर दिनांक 01 मई से 10 अगस्त तक ऑन लाइन आवेदन करेंगे। 10 अगस्त के पश्चात संस्था के प्रधान ऐसे अभ्यर्थियों के विवरण प्राप्त कर 16 अगस्त तक 100 रुपये प्रति छात्र की दर से विलम्ब शुल्क के साथ कोषागार में जमा कर 20 अगस्त तक ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे।

केन्द्र परिवर्तन और विषय परिवर्तन

13- साधारणतः व्यक्तिगत परीक्षार्थी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विषय अथवा केन्द्र परिवर्तित करने की आज्ञा न दी जायेगी।

किसी समकक्ष परीक्षा में एक साथ बैठना

14- किसी परीक्षार्थी को जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परिषद की किसी परीक्षा तथा अन्य निकाय द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा में बैठना चाहता है, परिषद की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा क्रियात्मक कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र

15- इन विनियमों के शर्तो के होते हुए भी कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी परिषद की किसी परीक्षा के लिए क्रियात्मक कार्य अथवा क्रियात्मक परीक्षा वाले विषय को ले सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि यदि चुना हुआ विषय भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान अथवा जीव विज्ञान अथवा औद्योगिक रसायन अथवा कुलाल विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान अथवा चित्रकला और मूर्ति कला अथवा सैन्य

विज्ञान अथवा भू-गर्भ विज्ञान है तो उसे परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था में परीक्षा के लिये उस विषय में निर्धारित समस्त क्रियात्मक एवं लिखित कार्य उसी सत्र में जिसमें वह परीक्षा में बैठना चाहता है, पूरा करना चाहिये और इस सम्बन्ध में संस्था के प्रधान का एक प्रमाण-पत्र परीक्षा की तिथि से पूर्व की जनवरी के अन्त तक प्रस्तुत करना चाहिये। किसी परीक्षार्थी को जो एक बार परीक्षा में बैठ चुका है तथा अनुत्तीर्ण हो चुका है, उस विषय के क्रियात्मक कार्य अथवा क्रियात्मक परीक्षा के सम्बन्ध में जिसमें वह पहले ही परीक्षा दे चुका है, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी समिति

16- अभिप्रेत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र जो अग्रसारण अधिकारियों से यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर प्राप्त हों, विनियम 3 अध्याय छः के अधीन नियुक्त उप समिति के पास संनिरीक्षा के लिए भेजे जायेंगे। संनिरीक्षा के पश्चात् उप समिति द्वारा ये आवेदन-पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत किये जायेंगे।

अतिरिक्त विषयों में प्रवेश की पात्रता

17- इन विनियमों की शर्तो के होते हुए भी निम्नलिखित श्रेणी के परीक्षार्थी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकते है:-

(1) कोई परीक्षार्थी जिसने हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, बाद की हाईस्कूल परीक्षा में एक अथवा अधिकतम पांच विषयों में (कम्प्यूटर विषय छोड़कर) प्रविष्ट हो सकता है और ऐसा परीक्षार्थी यदि सफल हो जावे तो वह अतिरिक्त लिए उत्तीर्ण विषय अथवा विषयों में परीक्षा उत्तीण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा और उसे कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी।

(2) कोई परीक्षार्थी जिसने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है बाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में एक अथवा अधिकतम चार विषयों (कम्प्यूटर वर्ग तथा व्यवसायिक वर्ग के विषयों को छोड़कर) बैठ सकता है और वह परीक्षार्थी यदि सफल हो जाये तो उसके द्वारा उपहृत किये गये विषय अथवा विषयों में उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र पाने का अधिकारी होगा और उसे कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक वर्ग तक ही सीमित हो।

(3) इस विनियम के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी उन विषय अथवा विषयों का चयन नहीं कर सकेगें, जो उनके द्वारा पूर्व की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में जिसमें वह उत्तीर्ण हुए थे, लिये गये थे। साथ ही परीक्षार्थी आधुनिक भारतीय, विदेशी तथा शास्त्री भाषा समूहो के प्रत्येक समूह में से केवल एक ही भाषा का चयन कर सकेगें।

(4) परीक्षार्थी, इस विनियम में अन्तर्गत एक बार में केवल एक ही परीक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) में प्रविष्ट हो सकेगें।

(5) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी इस विनियम के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होगें।

(6) इस विनियम के अन्तर्गत परीक्षार्थी के किसी विषय अथवा विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर कोई अनुग्रहांक (ग्रेस) देय नहीं होगा।

(7) निम्नलिखित परीक्षाओं को परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त हैः-

1-बोर्ड ऑफ इण्टरमीडिएट एजूकेशन (आन्ध्र प्रदेश)

2-असम हायर सेकेण्डरी एजूकेशन काउन्सिल,गुवाहाटी।

3-गर्वमेन्ट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेन्ट ऑफ प्री-यूनीवर्सिटी एजूकेशन,बंगलोर।

4-काउन्सिल ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन,उडीसा।

5-बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन उत्तराखण्ड,रामनगर, नैनीताल।

6-गुजरात सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर।

7-केरला बोर्ड आफ पब्लिक एक्जामिनेशन,तिरूवनन्तपुरम।

8-महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, पुणे।

9-काउन्सिल आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन मणीपुर, इम्फाल।

10-वेस्ट बंगाल काउन्सिल आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, कोलकता।

11-माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।

12-उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।

13-बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना।

14-सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन,नई दिल्ली।

15-छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन,रायपुर।

16-काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन,नई दिल्ली।

17-दयालबाग एजूकेशन इन्स्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग आगरा।

18-गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन,गोवा।

19-बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा,भिवानी।

20-हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड,कांगड़ा।

21-जे0एण्ड के0 स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन,जम्मू।

22-झारखण्ड एकेडमी काउन्सिल,राँची।

23-माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश,भोपाल।

24-मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, मेघालय।

25-मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, ऐजाल।

26-नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, कोहिमा।

27-पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड,मोहाली।

28-माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान, अजमेर।

29-स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एक्जामिनेशन (सेकेण्डरी) एवं बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एक्जामिनेशन तमिलनाडू।

30-त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन अगरतला।

31-राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेण्डरी(उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम पांच विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।

32-भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षायें जिनके सम्बन्ध में सचिव,माध्यमिक शिक्षा,उ0प्र0 शासन का समाधान हो गया है,परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।

33- डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा संचालित प्री-डिग्री सर्टीफिकेट फार डेफ स्टूडेन्ट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा पांच विषयों के साथ उत्तीर्ण की गयी हो।

34- ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा-10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) की परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) के समकक्ष माना जायेगा।

नोटः-आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0आई0 के समकक्ष नही माने जायेंगे।

#35-प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।

+36- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में,जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हो,सहित उत्तीर्ण की गई हो।

उक्त विनियम संशोधन वर्ष-1998 से प्रभावी माना जाय।

#दिनांक 28 मई, 2016 के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्याः परिषद-9/279 दिनांक 27.मई, 2016 द्वारा जोड़ा गया।

+दिनांक 08अक्टूबर, 2016 के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्याः परिषद-9/707 दिनांक 04.अक्टूबर, 2016 द्वारा संशोधित।

श्रेणियाँ

18- इन विनियमों में, जहाँ इससे प्रतिकूल प्रावधान हो, उसे छोड़कर परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के नाम तीन श्रेणियों में रखें जायेंगे। कोई परीक्षार्थी जो सम्पूर्ण योगांक के 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंको से उत्तीर्ण होता है, सम्मान सहित उत्तीर्ण हुआ भी दिखाया जायेगा।

19- जो परीक्षार्थी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, बाद की एक अथवा अधिक परीक्षाओं में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकता है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसे ऐसे प्रत्येक अवसर पर सचिव को आश्वस्त करना होगा कि उसने परिषद की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तो की पूर्ति कर दी है।

19-(क)-हाईस्कूल (कक्षा 9 एवं 10) तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में अभ्यर्थी केवल एक ही माध्यम (संस्थागत अथवा व्यक्तिगत) से आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। किसी भी दशा में अभ्यर्थी को एक परीक्षा वर्ष में एक से अधिक संस्था/संस्थाओं से संस्थागत अथवा व्यक्तिगत अथवा दोनों प्रकार से आवेदन-पत्र भरने अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। तथ्यों को छिपाना अपराध होगा। इस विनियम के उल्लंघन का दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा उनके विवरण यदि परिषदीय अभिलेखों में अंकित हो गये हैं, तो उन्हें विलुप्त करा दिया जोयगा अथवा अभ्यर्थी के परीक्षा में अनियमित रूप से सम्मिलित होने की दशा में परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

20- परिषदीय परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को निम्न व्यवस्थाओं के अनुसार अनुग्रहांक देय होगा--

(क) <u>हाईस्कूल परीक्षा के संदर्भ में:-</u>

(1) हाईस्कूल स्तर पर छः लिखित विषयों में से किन्ही पांच विषयों में उत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। जिस विषय में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो उसे उसी वर्ष की मई माह में इम्प्रूवमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इम्प्रूवमेंट परीक्षा में उत्तीर्ण होने की दशा में परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण हुये विषय में उसी वर्ष कक्षा-11 में आगे अध्ययन करने की सुविधा रहेगी।

(2) हाईस्कूल स्तर पर दो विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को उनकी इच्छानुसार किसी एक विषय में कम्पार्टमेन्ट परीक्षा देने की अनुमति मई माह में प्रदान की जायेगी। यह सुविधा केवल एक विषय तक ही सीमित रहेगी। अंक-पत्र में इस आशय का अंकन नहीं किया जायेगा कि परीक्षार्थी ने कम्पार्टमेन्ट परीक्षा दी है। ऐसे परीक्षार्थियों को हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने की दशा में उसी वर्ष कक्षा-11 में प्रवेश दिया जायेगा।

(ख) <u>इण्टर परीक्षा (समान्य तथा व्यावसायिक) के संदर्भ में:-</u>

(1) परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रविष्ट परीक्षार्थी यदि किन्ही दो विषयों जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती है में अनुत्तीर्ण रहे और दोनों विषयों में उसे पृथक-पृथक 25 प्रतिशत या अधिक अंक मिले हो तो उसे उन अनुत्तीर्ण हुए विषयों में पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित उत्तीर्णाक तक अंक पाने के लिए उसके सम्पूर्ण योग के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक अक अनुग्रहांक के रूप में देकर उत्तीण घोषित किया जायेगा और श्रेणी दी जायेगी।

(2) परिषद की परीक्षा में प्रविष्ट किसी परीक्षार्थी को जो ऐसे विषयों का चयन करता है जिसमें लिखित के साथ-साथ प्रयोगात्मक परीक्षा भी होती है को अनुग्रहांक हेतु प्रयोगात्मक वाले दो विषयों जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहता है, में लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग-अलग 25 प्रतिशत या

अधिक अंक पाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार प्रयोगात्मक वाले विषयों में परीक्षार्थी द्वारा लिखित तथा प्रयोगात्मक दोनों खण्डों में अलग-अलग 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही वह अनुग्रहांक पाने के लिए हकदार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षार्थी को एक खण्ड लिखित अथवा प्रयोगात्मक खण्ड में से किसी एक ही खण्ड में अनुग्रहांक देय होगा।

किसी भी दशा में परीक्षार्थी को दोनों खण्डों (लिखित तथा प्रयोगात्मक) में अनुत्तीर्ण होने पर अनुग्रहांक देय नही होगा। ऐसे परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण हुए विषय में पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित उत्तीर्णाक तक अंक पाने के लिए उसके सम्पूर्ण योग के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक अंक अनुग्रहांक के रूप में देकर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा और श्रेणी दी जायेगी। प्रयोगात्मक विषयों में लिखित तथा प्रयोगात्मक खण्डों हेतु पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित पृथक-पृथक पूर्णाक के आधार पर 25 प्रतिशत अंको का निर्धारण किया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी को दो विषयों में आठ अंक की सीमा तक ही अनुग्रहांक उनकी अर्हतानुसार देय होगा।

(4) इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित कोई परीक्षार्थी यदि किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हो उसे अनुत्तीर्ण हुए विषय में उसी वर्ष मई माह में आयोजित होने वाली कम्पार्टमेन्ट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

कृषि वर्ग हेतु निर्धारित किसी एक प्रश्नपत्र में अथवा व्यवसायिक वर्ग हेतु निर्धारित ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण हुए प्रश्नपत्र में कम्पार्टमेन्ट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी। छात्र के अंकपत्र-सह-प्रमाणपत्र में इस आशय का अंकन नहीं किया जायेगा कि परीक्षार्थी ने कम्पार्टमेन्ट परीक्षा दी है।

(दिनांकः 06 जून,2020 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/17 दिनांकः 29 मई,2020 द्वारा संशोधित एवं परीक्षा वर्ष 2020 से प्रभावी)

(ग) हाईस्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों के अंक-पत्र तथा प्रमाण-पत्र में प्रथम,द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का उल्लेख नहीं किया जायेगा। अंक-पत्र में केवल विषयवार अंकों का उल्लेख करते हुये पास अथवा फेल के कुल प्राप्तांक का उल्लेख भी नहीं रहेगा।

परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में श्रेणी प्रदान की योजना निम्नवत् होगीः-

सम्मान सहित उत्तीर्ण होने के लिए वांछित न्यूनतम अंक : सम्पूर्ण योग का 75 प्रतिशत

प्रथम श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम अंक : योगांक का 60 प्रतिशत

द्वितीय श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम अंक : योगांक का 45 प्रतिशत

तृतीय श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम अंक : योगांक का 33 प्रतिशत जहाँ इसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

नोट-1- एक विषय में योगांक का 75 प्रतिशत होने पर विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी।

2- कृषि तथा व्यवसायिक वर्ग की परीक्षा के लिए विस्तृत योजना पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक विवरण पत्रिका में पृथक से दिए गए है।

(घ) विखण्डित।
(ड.) विखण्डित।
(च) विखण्डित।
(छ) विखण्डित।
(ज) विखण्डित।
(झ) विखण्डित।
(ञ) विखण्डित।
(ट) विखण्डित।

<u>संनिरीक्षा उसकी कार्य-विधि</u>

21- हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थी जो अपनी उत्तर-पुस्तके संनिरीक्षित कराना चाहते है, निम्नलिखित नियमों के अनुसार करा सकते हैः-

(क) कोई परीक्षार्थी जो परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रविष्ट हुआ है, विषयों के अपने अंको की संनिरीक्षा के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है।

#(ख) सन्निरीक्षा हेतु आवेदन-पत्र के साथ रू0 500.00 विषय के प्रति प्रश्न-पत्र की दर से निर्धारित शुल्क का कोष-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रयोगात्मक की सन्निरीक्षा हेतु रू0 500.00 का शुल्क प्रति प्रयोगात्मक विषय पृथक से देय होगा। उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थान से आवेदन-पत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में यह शुल्क सचिव के कार्यालय में रेखित पोस्टल आर्डर अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की इलाहाबाद शाखा पर रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए। व्यावसायिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए सन्निरीक्षा शुल्क रुपये 500/- प्रति प्रश्नपत्र तथा प्रयोगात्मक विषय हेतु रु0 500/- पृथक से देय होगा। # विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/1097 दिनांकः 12 मार्च,2019 द्वारा संशोधित एवं वर्ष 2019 की परीक्षा से प्रभावी।

*(ग) समस्त आवेदन-पत्र परीक्षाफल घोषणा की तिथि से 25 दिन की अवधि के अन्दर परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन (Online) माध्यम से प्राप्त हो जाने चाहिए।

निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। क्षेत्रीय कार्यालयों में सीधे अथवा कोरियर अथवा डाक से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*(घ) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तकों की सन्निरीक्षा हेतु आवेदित समस्त मामलों का निस्तारण करते हुए उसका परिणाम परीक्षा वर्ष की 15 जुलाई तक परिषद की वेबसाइट पर घोषित कर दिया जायेगा।

*(दिनांकः 06 जून, 2020 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/17 दिनांकः 29 मई,2020 द्वारा संशोधित एवं परीक्षा वर्ष 2020 से प्रभावी)

(ड.) संनिरीक्षा का तात्पर्य उत्तर पुस्तकों का पुनर्मूल्यांकन नहीं है। संनिरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकों में यह देखा जायेगा कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तक में क्या अलग-अलग प्रश्नों में दिये गये अंको का योग करने, उन्हें अग्रेनीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि नहीं हुई है। संनिरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तकों में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

<u>शुल्क</u>

22- परिषद द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित शुल्क लिए जायेंगे--

+1- हाईस्कूल परीक्षा	(क)किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 500 रूपये। (ख)प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 700 रूपये
2- विखण्डित	....
+3-इण्टरमीडिएट परीक्षा	(क)किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 600 रूपये। (ख)प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 800 रूपये।
4-(क) विखण्डित (ख) विखण्डित	....
+(ग)इण्टरमीडिएट कृषि(भाग-1) परीक्षा	किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 600 रूपये।
+(घ)इण्टरमीडिएट(भाग-1)परीक्षा	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से रू0 800।
+(ड.) इण्टरमीडिएटकृषि(भाग-2)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था के

परीक्षा	प्रत्येक परीक्षार्थी से 600 रूपये
+(च)इण्टरमीडिएट कृषि (भाग-2) परीक्षा	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 800 रूपये।
(छ) विनियम 9 (क) अध्याय चैदहके अन्तर्गत	केवल अंग्रेजी में इण्टरमीडिएट परीक्षा 25 रूपये।
(ज) विनियम 9 (क) अध्याय चैदहके अन्तर्गत	शेष विषयों में इण्टरमीडिएट परीक्षा 100 रूपये।
5-हाईस्कूल की पूरक परीक्षा अथवा एक विषय में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों से शुल्क	250 रूपये।
*6- इण्टरमीडिएट की एक विषय कम्पार्टमेंट परीक्षा में प्रविष्टि होने वाले परीक्षार्थी से शुल्क	300 रूपये।
7-मार्च/अप्रैल की मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक विषयों की परीक्षा	200 रूपये प्रति विषय।
8- परीक्षार्थियों के परीक्षाफल की संनिरीक्षा का शुल्क	100 रूपये विषय के प्रति प्रश्नपत्र।

+(विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/336 दिनांक 11 जुलाई, 2019 द्वारा संशोधित)।

9-(क)

किसी संस्थागत परीक्षार्थी द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त व्योरेवार अंकों के प्रेषण का अनिवार्य शुल्क	1 रूपये इस शुल्क का आधा सम्बन्धित संस्था के प्रधान द्वारा रख लिया जायेगा, जो परिषद से सुसंगत सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक परीक्षार्थी को उसके व्योरेवार अंक ठीक ढंग से मुद्रित प्रपत्र में प्रेषित करेगें। संस्था के प्रधान द्वारा रखे गए शुल्क का विवरण निम्नवत् होगा। (क) नामावली बनाने हेतु 12.5 प्रतिशत। (ख) संख्या सूचक चक्र निर्माण हेतु 12.5 प्रतिशत। (ग) प्राप्तांक पत्रों को तैयार करने तथा उसकी जांच हेतु 50 प्रतिशत। (घ) प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक टिकट तथा लेखन-सामग्री इत्यादि की मदों में व्यय हेतु 25 प्रतिशत।

यंत्रीकरण वाले संस्थाओं को स्थिति में शुल्क को केवल 25 प्रतिशत धनराशि संस्था के प्रधान अथवा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा जैसी स्थिति हो, रोक ली जायेगी, जिसका प्रयोग प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक व्यय तथा लेखन-सामग्री आदि की मदों में व्यय हेतु किया जायेगा।

#(ख) किसी संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा के अंक-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क: 100 रूपये।

10-(क)

किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त ब्योरेवार अंकों के प्रेषण का शुल्क	02 रूपये इस शुल्क का आधा सम्बन्धित केन्द्र के अधीक्षक द्वारा रख लिया जायेगा, जो परिषद के सचिव से सुसंगत सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी को उसके ब्योरेवार अंक ठीक ढंग से मुद्रित पत्र में प्रेषित करेंगे। केन्द्र अधीक्षक द्वारा रखे गये शुल्क की धनराशि का विवरण निम्नवत् होगा। (क) नामावली बनाने हेतु 12.½) प्रतिशत (ख) संख्या सूचक चक्र के निर्माण हेतु 12.½) प्रतिशत (ग) प्राप्तांक पत्रों को तैयार करने तथा उसकी जांच हेतु 50 प्रतिशत। (घ) प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक टिकट तथा लेखन-सामग्री आदि की मदों में व्यय हेतु 25 प्रतिशत।

यंत्रीकरण वाले संस्थाओं को स्थिति में शुल्क को केवल 25 प्रतिशत धनराशि संस्था के प्रधान अथवा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा, जैसी स्थिति हो, रोक ली जायेगी जिसका प्रयोग प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक व्यय तथा लेखन-सामग्री आदि की मदों में व्यय हेतु किया जायेगा।

(ख) विखण्डित

(ग) विखण्डित

11-

विलम्ब शुल्क	100 रूपये (किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा देय जो परिषद की किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति का अपना आवेदन-पत्र विनियमों में निर्धारित तिथि के पश्चात् परन्तु अधिकतम 16 अगस्त तक देता है।)

12-

	प्रवेश-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	2 रूपये।

13-

	परिषद द्वारा एक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को निर्गत प्रमाण-पत्र में नाम परिवर्तन कराने का शुल्क	20 रूपये।

#14-

	इस अध्याय के विनियम 28 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	100 रूपये प्रत्येक परीक्षा के लिए।

#15-

	जिस वर्ष में परीक्षा हुई थी उसकी 31 मार्च से 5 वर्ष के अन्दर न लिए गए प्रमाण-पत्र का शुल्क	200 रूपये।

#16-

	किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिए प्रब्रजनप्रमाण-पत्र निर्गत होने का शुल्क	200 रूपये।

#17-

	संस्था के प्रधानों को परीक्षाफल पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपियां प्रेषित करने का शुल्क	50 रूपये प्रथम 100 परीक्षार्थियों **अथवा** उसके अंश के लिए बाद के 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिए 15 रूपये।

#दिनांक 30.4.2016 के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्याः परिषद-9/94 दिनांक 29.4.2016 द्वारा संशोधित एवं 30.4.2016 से प्रभावी।

18-

	व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र अग्रसारण हेतु शुल्क	5 रूपये।

शुल्क की वापसी

23- किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति के लिए एक बार दिया हुआ शुल्क निम्नलिखित को छोड़कर वापस न होगा:

(क) दशाये, जिसमें पूरे शुल्क की वापसी हो जायेगी --

[एक] परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी की मृत्यु।

[दो] कोई परीक्षार्थी, जो आगे हाने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क देने के पश्चात् संनिरीक्षा के फलस्वरूप अथवा अपने रोके हुए परीक्षाफल के मुक्त होने पर सफल घोषित कर दिया जाता है।

[तीन] कोई परीक्षार्थी, जो पूर्व परीक्षा के लिए दिये गये शुल्क, जिसमें वह अस्वस्थता के कारण प्रविष्ट न हो सका, के रोके जाने की समय से सूचना प्राप्त न होने के कारण नया शुल्क जमा कर देता है।

(ख) दशायें, जिसमें एक रूपया कम करके वापसी होगी :

[एक] जब कोई परीक्षार्थी भूल से शुल्क को श्0202-शिक्षा खेल-कला और संस्कृति, 01-सामान्य शिक्षा, 202-माध्यमिक शिक्षा, 02-बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्कश् शीर्षक में जमा कर दें यद्यपि वह किसी अन्य निकाय द्वारा संचालित परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता/चाहती है।

[दो] ऐसे परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जिनका आवेदन-पत्र परिषद अथवा अग्रसारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो।

[तीन] जब कोई परीक्षार्थी परिषद की किसी परीक्षा के लिए विहित शुल्क से अधिक जमा कर दें।

[चार] जब परिषद की किसी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलती से शुल्क जमा कर दिया जाय।

पुनश्च-(क) 'शुल्क' का तात्पर्य केवल परीक्षा शुल्क से है और उसमें अंक शुल्क अथवा विलम्ब शुल्क सम्मिलित नहीं है।

(ख) शुल्क की वापसी का आवेदन-पत्र शुल्क को कोषागार में जमा करने के दो वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत हो सकेगा।

(ग) शुल्क की वापसी के लिए उस अभ्यर्थी के सम्बन्ध में किसी आवेदन-पत्र की आवश्यकता नहीं हैं जिसका आवेदन-पत्र परिषद द्‌वारा रद्द कर दिया गया है।

<u>शुल्क-स्थगन</u>

24- आवेदन-पत्र देने पर परिषद किसी परीक्षार्थी को, जो किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने से असमर्थ रहा, आगामी होने वाली परीक्षा में प्रवेश की अनुमति उसके शुल्क की स्थगित रखकर निम्नलिखित दशाओं में दे सकता है।

(एक) विखण्डित।

(दो) विखण्डित।

(तीन) परीक्षार्थी परीक्षा के समय भंयकर रूप से रूग्ण था और उसको समर्थ चिकित्सा प्राधिकारी ने यथाविधि प्रमाणित किया है। परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क स्थगित रखने के आवेदन-पत्र संस्था के प्रधान अथवा सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक द्‌वारा परिषद के सचिव कार्यालय में परीक्षा वर्ष की 1 मई तक पहुँच जाने चाहिये।

पुनश्च- (क)- एक बार स्थगित किया गया शुल्क पुनः स्थगित नहीं हो सकेगा।

(ख)- मुख्य परीक्षा के तुरन्त बाद में हाने वाली पूरक परीक्षा का शुल्क स्थगित करने का आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर होगी। अधिक जमा किये शुल्क की वापसी न होगी।

<u>प्रवेश-पत्र तथा उन्हें प्राप्त करने की विधि</u>

25- सचिव अपने को आश्वस्त करने के उपरान्त कि परीक्षार्थी ने परिषद की परीक्षा में

प्रवेश हेतु समस्त अपेक्षाओं को पूर्ति कर दी है, उसे प्रवेश-पत्र देगा जिसे परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को प्रस्तुत करके परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने प्रवेश-पत्र परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों से लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से 48 घन्टे पूर्व प्राप्त कर लेंगे, ऐसा न करने पर उन्हें प्रतिदिन अथवा उसके अंश पर 1 रूपये अर्थदण्ड देना होगा।

यदि सचिव आश्वस्त हों कि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र खो गया अथवा नष्ट हो गया है तो निर्धारित शुल्क दिये जाने पर उसकी द्‌वितीय प्रतिलिपि दे सकते हैं।

<u>वहिष्करण एवं निष्कासन</u>

26- इन विनियमों की शर्तो के होते हुए भी--

(एक) कोई परीक्षार्थी जो एक शैक्षिक वर्ष के भीतर किसी समय वहिष्कृत कर दिया गया है, उस शैक्षिक वर्ष में होने वाली परीक्षा में प्रवेश नहीं पा सकेगा।

(दो) किसी ऐसे परीक्षार्थी की, जिसकी परिषद की किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए उसका प्रार्थना-पत्र भेज दिए जाने के पश्चात् संस्था से निष्काषित कर दिया गया है और जिसका किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश नहीं हुआ है, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

ज्ञातव्य-(क) यदि उपयुक्त दण्ड उसे परीक्षाकाल में अथवा उसके पश्चात् परन्तु उस शैक्षिक वर्ष की समाप्ति से पूर्व दिया जाता है जिसमें परीक्षा होती है, तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) किसी परीक्षार्थी को जो परिषद द्वारा मान्य किसी परीक्षा निकाय से पारित है, किसी परीक्षा में उस अवधि को समाप्ति से पूर्व, जिसके लिए वह दण्डित है, प्रवेश नहीं मिल सकेगा।

27- (विखण्डित)

<u>प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति</u>

28- परिषद, आवेदन-पत्र देने पर तथा इस अध्याय के विनियम 22(14) के अनुसार निर्धारित शुल्क देने पर किसी परीक्षार्थी को प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति निम्नलिखित दशाओं में दे सकता है--

(एक) प्रमाण-पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में।

(दो) प्रमाण-पत्र के खराब हो जाने, विरूपित होने अथवा कट-फट जाने की दशा में परिषद की अवरूद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है।

(तीन) प्रमाण-पत्र की प्रविष्टियां धूमिल हो जाने की दशा में जो अन्य प्रकार से मजबूत हैं और परिषद को निरस्त किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है।

(चार) आगामी विनियम 32 के प्रविधान के अनुसार अस्वामिक प्रमाण-पत्र नष्ट कर दिये जाने की दशा में।

प्रतिबन्ध यह है कि वर्ग (एक) एवं (दो) और (चार) में परीक्षार्थी अपने आवेदन-पत्रों के साथ शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। यदि परीक्षार्थी की आयु 20 वर्ष या इससे कम है तो शपथ-पत्र उसके पिता (यदि वह जीवित हैं) के द्वारा अथवा उसके अभिभावक द्वारा (यदि पिता जीवित नहीं है) निष्पादित किया जायेगा। दोनों ही दशाओं में परीक्षार्थी को शपथ-पत्र की यथा विधि अभ्पिुष्टि करनी होगी।

यह भी प्रतिबन्ध है कि वर्ग (एक) के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के द्वारा इस सत्य को इस राज्य के एक दैनिक समाचार-पत्र के एक संस्करण में विज्ञप्ति कराना होगा और इस समाचार-पत्र के संस्करण की प्रति जिसमें विज्ञप्ति निकली है परिषद के कार्यालय को पूर्व प्रतिबन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी।

<u>प्रव्रजन (Migration) प्रमाण-पत्र</u>

29- व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों को निर्धारित शुल्क देने पर निम्नलिखित प्रपत्र में सचिव द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेगे।

<u>माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश</u>

<u>प्रव्रजन (Migration) प्रमाण-पत्र</u>

व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के रूप में परिषद् की परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के लिये :

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... पुत्र/पुत्री.............................. अनुक्रमांक..........................ने .... में हुयी हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा ....केन्द्र से व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की।

परिषद् को उसके उत्तर प्रदेश से बाहर किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था में प्रविष्ट होने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

इलाहाबाद - सचिव।

ज्ञातव्य - संस्थागत् परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्टि होने वाले परीक्षार्थियों के लिये प्रव्रजन प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। जिस संस्था में परीक्षार्थी ने अध्ययन किया उसका जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित स्थानानतरण प्रमाण पत्र प्रव्रजन प्रमाण पत्र का कार्य करता है।

30- इस अध्याय के विनियम 28 के होते हुये भी परीक्षार्थी द्वारा प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये जमा किया हुआ शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

<u>प्रमाण-पत्रों का वितरण</u>

31- प्रमाण पत्रों का वितरण परिषद् की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रमाण पत्र आचार्य अथवा केन्द्र जैसी स्थिति हो, को भेजा जायेगा, जो परीक्षार्थी को देगें। जो परीक्षार्थी डाक से अपना प्रमाण-पत्र चाहते हैं वे आचार्य/केन्द्र अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक टिकट तथा लिफाफा भेजकर अथवा निर्धारित प्रावधानानुसार प्राप्त कर सकेगें।

<u>अस्वामिक प्रमाण-पत्र</u>

32- आवेदन पत्र तथा इस अध्याय के विनियम 22 (15) के अन्तर्गत् निर्धारित शुल्क देने पर परिषद् किसी परीक्षार्थी को जिसमें उस वर्ष की 31 मार्च से जिसमें की परीक्षा हुई थी पांच वर्ष के भीतर न लिये गये मूल प्रमाण पत्र को निर्गत कर सकती है। इसके लिये आवेदन सचिव के यहां से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र पर संस्थागत् परीक्षार्थी के संबंध में संस्था के प्रधान द्‌वारा तथा व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के संबंध में केन्द्र के अधीक्षक द्‌वारा एक शपथ पत्र सहित जिसमें यह उल्लेख हो कि उसके प्रमाण पत्र की मूल प्रति अथवा दूसरी प्रतिलिपि नहीं प्राप्त की है, दिया जाना चाहिये।

यदि परीक्षार्थी 20 वर्ष या उससे कम आयु का है तो शपथ पत्र उसके पिता (यदि जीवित हों) के द्‌वारा अथवा उसके अभिभावक द्‌वारा (यदि पिता जीवित न हों) निष्पादित किया जायेगा। दोनों दशाओं में परीक्षार्थी को शपथ पत्र को यथाविधि अभिपुष्टि करनी होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी परीक्षार्थी ने निर्धारित अवधि के भीतर अथवा प्रमाण-पत्र संबंधित संस्था के प्रधान अथवा केन्द्र अधीक्षक से प्राप्त नहीं किया है वह उसे 05 वर्ष की अवधि के बीतने के पश्चात् तुरन्त परिषद् कार्यालय में वापस भेज दें। छात्र को परिषद् द्‌वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उसे प्रमाण पत्र दिया जायेगा। परिषद् द्‌वारा समस्त अस्वामिक प्रमाण पत्रों को परिषद् कार्यालय से उनके निर्गत होने की तिथि से 20 वर्ष बीतने के पश्चात् नष्ट कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् यदि कोई परीक्षार्थी अपना प्रमाण-पत्र चाहता है तो उसे उक्त प्रमाण-पत्र की द्‌वितीय प्रतिलिपि हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र देना होगा।

न्यूनतम आयु

*33- यदि किसी परीक्षार्थी की आयु उस वर्ष की प्रथम जुलाई को जिसमें वह परीक्षा में सम्मिलित होना चाहे 14 वर्ष अथवा उससे अधिक नहीं हो तो यह 1971 तथा उसके आगे की हाईस्कूल परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

(*राजाज्ञा संख्या मा0-630/15-7-1608-56-72 दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 द्‌वारा अन्य आदेश जारी होने तक निलम्बित है।)

34- (निरस्त)

पत्राचार शिक्षा

35- विभाग द्‌वारा स्थापित पत्राचार शिक्षा संस्थान द्‌वारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन और परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत् रूप से प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों को अध्ययन में सुविधा देने के लिए पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी।

पत्राचार शिक्षा संस्थान का प्रमुख दायित्व

पत्राचार शिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था करना, पाठ लेखन, परिमार्जन, मुद्रण एवं आवश्यकतानुसार आवृत्तियों में मुद्रित पाठों के प्रेषण की व्यवस्था करना, अभ्यर्थियों को निर्देशन प्रदान करने की व्यवस्था करना, पत्राचार पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक उपयुक्ता प्रमाण पत्र देना तथा समय-समय पर निदेशक/शासन द्‌वारा अधिसूचित अन्य कार्यो का सम्पादन करना होगा।

36-(1) परिषद् परीक्षाओं की, जिस परीक्षा की जिस वर्ग के, जिस श्रेणी के, व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के लिए जिन विषयों में पत्राचार शिक्षा व्यवस्था किये जाने की अधिसूचना शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

द्वारा की जाय, उस परीक्षा के, उस वर्ग के, उस श्रेणी के ऐसे व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के लिए जो विनियम 37 के अन्तर्गत् नहीं आते हैं, पत्राचार शिक्षा हेतु अपना पंजीकरण कराकर पत्राचार शिक्षण अन्तर्गत् दिये गये पाठों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा।

(2) उपर्युक्त् श्रेणी के व्यक्तिगत् परीक्षार्थियों के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु पंजीकरण की व्यवस्था की जायेगी। पत्राचार पाठयक्रम अनुसरण की अवधि सामान्यतः दो शैक्षिक सत्र होगी। अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।

37-(1) पत्राचार शिक्षण की अनिर्वायता से निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तिगत् परीक्षार्थी मुक्त रहेगें--

क- हाईस्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में--

(1) विगत् वर्षो की हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

(2) विनियम 17 अध्याय 12 के अन्तर्गत् अतिरिक्त विषय/विषयों के परीक्षार्थी।

(3) रिक्त।

(4) ऐसे परीक्षार्थी जिन्होनें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 9 तथा 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो किन्तु परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन न किये हों (किन्तु संस्था की उपस्थिति पंजी में नाम हो) अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् भी परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों।

(5) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 9 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी।

(6) हिन्दी से भिन्न किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी।

(7) नेत्रहीन (अन्धे) तथा चलने फिरने में शारीरिक रूप से अक्षम परीक्षार्थी।

(8) भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत् परीक्षार्थी।

ख- इण्टरमीडिएट परीक्षा के सम्बन्ध में:

(1) विगत वर्षो की इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

(2) विनियम 17 अध्याय 12 के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय/विषयों के परीक्षार्थी।

(3) रिक्त।

(4) विखण्डित

(5) हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कारागार बन्दी, जो किन्हीं कारणों से कारागार में न्यूनतम् 01 अथवा अधिक वर्षो से निरूद्ध हों।

(6) हिन्दी से भिन्न किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी।

(7) नेत्रहीन (अन्धे) तथा चलने-फिरने में शारीरिक रूप से अक्षम परीक्षार्थी।

(8) भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत परीक्षार्थी।

प्रतिबन्ध यह है कि पत्राचार शिक्षण व्यवस्था की अनिवार्यता से मुक्ति प्राप्त उपयुक्त (क) और (ख) के अभ्यर्थी चाहें तो निर्दिष्ट विधि से निर्धारित शुल्क जमा करके पत्राचार के अंतर्गत लिये गये विषयों में पाठ प्राप्त कर सकते है।

(2) इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने इच्छुक ऐसे परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 11 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, पत्राचार शिक्षा हेतु अपना पंजीकरण कराके पत्राचार शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनुसरण करना तथा तत्सम्बन्धी अनुसरण प्रमाण-पत्र परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करा अनिवार्य होगा। प्रतिबन्ध यह हे कि ऐसे परीक्षार्थियों के लिये पत्राचार शिक्षण की अविध एक शैक्षिक सत्र से अधिक न होगी।

38- (1) पत्राचार शिक्षण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर पंजीकरण पत्राचार शिक्षण तथा अन्य शुल्क वसूल किया जायेगा।

(2) पत्राचार शिक्षा संस्थान के विभिन्न पारिश्रमिक कार्यो के लिये मानदेय तथा पारिश्रमिक का भुगतान शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर किया जायेगा।

39- पत्राचार शिक्षा संस्थान,उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना के अन्तर्गत राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत छात्रों को नियमित संस्थागत छात्र के रूप में माना जायेगा।

प्रमाण-पत्र में नाम परिवर्तन

40- परिषद सफल उम्मीदवारों द्वारा विहित प्रक्रियानुसार आवेदन-पत्र देने तथा इस अध्याय के विनियम 22 (13) में निर्धारित शुल्क दने पर प्रमाण-पत्र में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन नाम परिवर्तन कर सकता है-

(क) आवेदन-पत्र उचित सरणी द्वारा दिया जायेगा तथा जिस वर्ष में परीक्षा हुई थी उसकी 31 मार्च से तीन वर्ष के भीतर परिषद के सचिव के कार्यालय में पहुॅच जाना चाहिए। आवेदक को एक टिकट लगे हुए कागज पर शपथ-पत्र देना होगा, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा यथाविधि प्रमाणित होना चाहिए, जिसमें नाम में परिवर्तन के वैध कारण दिये होंगे तथा जो एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा यथा विधि प्रमाणित होगा और परीक्षार्थी जहाँ वह निवास करता है, वहाँ के स्थानीय दैनिक पत्र की तीन विभिन्न तिथियों के संस्करणों में अपने नाम के परिवर्तन को विज्ञापित करेगा, इससे पूर्व कि उसे परिवर्तित नाम का नया प्रमाण-पत्र प्राप्त हो। सम्बन्धित तिथियों के समाचार -पत्रों की प्रतियां आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(ख) परिषद द्वारा नाम परिवर्तन के आवेदन-पत्र निम्नलिखित को छोड़कर अन्य किन्हीं कारणों के स्वीकार नहीं किये जायेंगे-

नाम में भद्दापन हो अथवा नाम से अपशब्द की ध्वनि निकलती हो अथवा नाम असम्मानजनक प्रतीत होता हो अथवा अन्य ऐसी स्थिति होने पर ।

(ग) परीक्षार्थियों द्वारा नाम के पहले या बाद में उप नाम जोड़ने, धर्म अथवा जाति सूचक शब्दों को जोड़ने अथवा सम्मान जनक शब्द या उपाधि जोड़ने जैसे किसी भी प्रकार के आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार धर्म अथवा जाति परिवर्तन के आधार पर अथवा विवाहित छात्र/छात्राओं के विवाह के फलस्वरूप नाम परिवर्तन हो जाने पर परिषद द्वारा नाम में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(घ) उत्तर प्रदेश शासन से कर्मचारियों को नाम परिवर्तन के आवेदन-पत्र सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष द्वारा सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ के पास भेजा जाना चाहिए।

(ड.) भारतीय संघ के राज्य (उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त) सरकारी कर्मचारियों के नाम में परिवर्तन आवेदन-पत्र पर किया जायेगा, यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा

इसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया है और उसकी सूचना परिषद को सम्बन्धित विभाग के राज्य सचिव अथवा विभाग के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाती है।

(च) केन्द्रीय शासन के कर्मचारी के आवेदन-पत्र देने पर नाम में परिवर्तन कर दिया जायेगा यदि इसी प्रकार का परिवर्तन केन्द्रीय शासन द्वारा कर दिया गया है और उसकी सूचना परिषद को सम्बन्धित मंत्रालय के राज्य सचिव अथवा गृह विभाग के मंत्रालय द्वारा दे दी जाती है।

(छ) यदि किसी परीक्षा के लिए नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो अन्य

परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र में जो परीक्षार्थी को पहले अथवा बाद में निर्गत हुए हों,बिना नये शपथ-पत्र के परन्तु प्रति प्रमाण-पत्र के लिए 20 रूपये शुल्क देने पर नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा।

(ज) शपथ-पत्र तथा नाम में परिवर्तन का प्रार्थना-पत्र परीक्षार्थी के पिता अथवा यदि उनकी मृत्यु हो गयी हो, अभिभावक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

<u>अध्याय तेरह</u>

<u>हाईस्कूल परीक्षा</u>

(प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा-9 तथा 10)

हाईस्कूल परीक्षा के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को नीचे दिये हुए अनुसार सात विषयों में एक प्रश्नपत्र में परीक्षा ली जायेगी (वर्ष 2010 की परीक्षा से प्रभावी)--

(एक) हिन्दी अथवा प्रारम्भिक हिन्दी (हिन्दी से छूट पाने वाले छात्रों के लिए)।

(दो) एक आधुनिक भारतीय भाषा (गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, नैपाली)।

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा अंग्रेजी,।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी)।

(तीन) गणित अथवा प्रारम्भिक गणित अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए)।

टिप्पणी--

(क) वे छात्र/छात्रायें जो किसी विकलांगता, पूर्ण नेत्रहीनता अथवा विकलांग हाथ से पीड़ित हों, जिससे वे अनिवार्य विषयों गणित में ज्यामितीय आकृतियां न खींच पाते हों अथवा विज्ञान/गृहविज्ञान में क्रियात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं, इन विषयों के स्थान पर छठे विषय के रूप में निर्धारित अतिरिक्त विषयों की सूची में से अन्य अतिरिक्त विषय चयन करने की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की है कि ऐसे छात्र/छात्रा अपनी विकलांगता के समर्थन में मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा साथ ही यदि अग्रसारण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसी विकलांगता से पूर्णतया सन्तुष्ट हों।

(ख) विकलांग तथा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे के हिसाब से अतिरिक्त समय देय होगा।

(ग) निकाला गया। (परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 7 सितम्बर, 2002 में लिये गये निर्णय अनुसार निकाला गया।)

(घ) मूक बधिर छात्र दूसरी अनिवार्य भाषा के स्थान पर एक अन्य विषय वैकल्पिक विषयों की सूची में से उपहृत कर सकते हैं।

[चार] विज्ञान

[पाँच] सामाजिक विज्ञान

[छः] निम्नलिखित विषयों में से कोई एक अतिरिक्त विषय-

(क) एक शास्त्रीय भाषा- (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या- दो पर नहीं लिया गया है।)

(संस्कृत, पालि, अरबी, फारसी,)

अथवा

एक आधुनिक भारतीय भाषा- (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या- दो पर नहीं लिया गया है।)

(गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली।)

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा- (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है।) - अंग्रेजी।

(ख) संगीत गायन
(ग) संगीत वादन
(घ) वाणिज्य
(ड.) चित्रकला
(च) कृषि
(छ) गृह विज्ञान (बालको के लिये तथा उन बालिकाओं के लिये जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है।)
(ज) सिलाई
(झ) रंजन कला
(ञ) कम्प्यूटर
(ट) मानव विज्ञान

[सात] नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी, उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य तथा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित टेªड्स में से कोई एक--

1- टेक्सटाइल डिजाइन
2- पुस्तकालय विज्ञान
3- पाक शास्त्र
4- फोटोग्राफी
5- बेक्रिग एवं कन्फेक्शनरी
6- मधुमक्खी पालन
7- पौधशाला
8- आटोमोबाइल

9- धुलाई-रंगाई
10- परिधान रचना
11- खाद्य संरक्षण
12- एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण
13- आशुलिपि एवं टंकण
14- बैकिंग
15- टंकण
16- फल संरक्षण
17- फसल सुरक्षा
18- रेडियो एवं टेलीविजन
19- मुद्रण
20- बुनाई तकनीक
21- रिटेल टे॰डिंग
22- सुरक्षा
23- मोबाइल रिपेरिंग
24- दूरिज्म एवं हास्पिटालिटी
25- आई0टी0/आई0टी0ई0एस0

टीप- पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निर्धारित ट्रेड विषयों का विद्यालय स्तर पर आन्तरिक मूल्यांकन किया जायेगा तथा मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को ए0, बी0 तथा सी0 ग्रेड प्रदान किये जायेंगे जिसका उल्लेख उनके अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र में किया जायेगा तथा विद्यालय द्वारा चयनित ट्रेड स्वतः मान्य माने जायेंगे। शासन की संकल्पना के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न ट्रेड विषयों का अध्ययन प्रत्येक छात्र (कक्ष 9 से 12 तक) के लिये अनिवार्य होगा। संस्था को ट्रेड विषयों के संचालन हेतु कोई शासकीय अनुदान देय नहीं होगा।

(2) उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के अनुसार कक्षा 9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम पृथक-पृथक निर्धारित है कक्षा 9 के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यालय स्तर पर आंतरिक परीक्षा ली जायेगी। कक्षा 10 के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर हाईस्कूल परीक्षा की सार्वजनिक परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित होगी। प्रत्येक विषय में एक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा।

(3) हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों में प्रयोगात्मक कार्यों का आन्तरिक मूल्यांकन 05 प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग के आधार पर किया जायेगा, और ग्रेड को अंक पत्र में प्रदर्शित किया जायेगा।

(4) नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य तथा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में विद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रदान किया जायेगा जिसका उल्लेख अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र में होगा।

(5) समस्त अध्यापकों के द्वारा जो हाईस्कूल परीक्षा के लिये तैयार कराने वाली कक्षाओं के शिक्षण में नियुक्त है, डायरियां रखी जायेगी, जिनमें उनके द्वारा पढ़ाये गये प्रत्येक विषय में हुआ

कार्य दिखाया जायेगा और इन डायरियों का मौखिक अथवा क्रियात्मक परीक्षकों अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा, जो परिषद द्वारा प्रतिनियुक्त किये जायेें,निरीक्षण किया जायेगा।

(6) उप सात्रिक परीक्षाओं के लिये बनाये गये प्रश्न-पत्रों तथा समस्त परीक्षार्थियों को लिखित उत्तर पुस्तकों का भी परीक्षण इस ढंग से तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि परिषद निर्देश दे।

(7) समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिन विद्यालयों को हिन्दी माध्यम से शिक्षण दिये जाने हेतु पूर्व में मान्यता/अनुमति मिली है उन्हें अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षण दिये जाने की अनुमति दी जा सकती है। हाईस्कूल परीक्षा के समस्त परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथाव अंग्रेजी माध्यम से देगें। परिषद के सभापति तथा विभाग के ऐसे अन्य अधिकरी, जिन्हें वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें, स्वमति से उन परीक्षार्थियों की, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है उर्दू में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दे सकते है। भाषाओं को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में बनाये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह भी है कि परिषद द्वारा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को ब्रेल लिपि में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी जा सकती है।

टिप्पणी- (1) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर भाषाओं तथा तत्समबन्धी लिपि में देगें जिससे प्रश्न-पत्र का सम्बन्ध है, जब तक कि प्रश्न-पत्र में ही उसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

(2) परिषद के सभापति ने विनियम 7 अध्याय तेरह के अनुसरण में संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द अधीक्षकों को निम्नलिखित वर्गो के परीक्षार्थियों की परीक्षाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में अंग्रेजी में प्रश्न-पत्रों का उत्तर देने की अनुमति देने का अधिकार दे दिया है।

(3) हाईस्कूल परीक्षा में वर्ष 2010 की परीक्षा से क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। जिसके अनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी जिन विषयों में उत्तीर्ण हो जांय उन्हें अगले वर्ष पुनः उन विषयों में परीक्षा नही देनी पड़ेगी। मात्र उन विषयों में परीक्षा देनी होगी जिनमें वे अनुत्तीर्ण हों। प्रतिबन्ध यह होगा कि तीन वर्षों के भीतर ऐसे छात्रों को संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना होगा, इसके बाद छात्र केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा दे सकेंगे।

(4) परिषद द्वारा वर्ष 2010 से आयोजित हाईस्कूल परीक्षा से छात्रों के अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र में अंको के साथ ग्रेडिंग को भी प्रदर्शित किया जायेगा।

[एक] परीक्षार्थी जिनकी मातृ भाषा हिन्दी न होकर एक अन्य भाषा है।

[दो] परीक्षार्थी, जिन्होंने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषय (गणित सहित) लिए है।

[तीन] आंग्ल भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थी।

[चार] परीक्षार्थी जिन्हें परिषद के विनियमों के विनियम 8 अध्याय तेरह के अन्तर्गत परिषद की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी लेने से छूट मिल गई है।

(3) परिषद के सभापति ने ऊपर के नियम के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश की ऐसे परीक्षार्थियों को जिनकी मातृ भाषा उर्दू है, परिषद की परीक्षाओं में उर्दू माध्यम का प्रयोग करने का अनुमति देने का अधिकार प्रतिनिहित कर दिया है।

(4) परिषद के सभापति ने ऊपर के विनियमों के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश को दृष्टि-बाधित परीक्षार्थियों को ब्रेल लिपि में प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार प्रतिनिहित कर दिया है।

(5) ऐसे समस्त मामले जिनमें संस्थाओं के प्रधानों अथवा केन्द्र अधीक्षंको अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति दी जाती है, परिषद को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

[8] इन विनियमों की शर्तो के होते हुये भी हाईस्कूल परीक्षा में निम्नलिखित वर्गो के परीक्षार्थियों को परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी से छूट दी जा सकती है:

(1) विदेशी राष्ट्रिक को तथा

(2) भारतीय राष्ट्रिक को जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी

का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं थें, जिससे कि वे हाईस्कूल परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को ले सके।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परीक्षार्थियों को हिन्दी का निम्न स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भिक हिन्दी अथवा अन्य वैकल्पिक विषय, जो नियमानुकूल हो, अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर लेना चाहिये।

ज्ञातव्य--

(1) इस विनियम में उल्लिखित छूट परिषद के सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है जिसे वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे।

<u>अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी नियम</u>

परिषद की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी से छूट के नियम अध्याय तेरह विनियम 8 में दिये हुए है। उपर्युक्त विनियमों के अन्तर्गत परिषद ने अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी निम्नांकि नियम बनाये है--

1- परीक्षार्थी, जिन्होंने एक आंग्ल भारतीय अथवा पब्लिक स्कूल में कम से कम 3 वर्ष अध्ययन किया हो तथा स्तर आठ अर्थात कैम्ब्रिज सर्टीफिकट परीक्षा अथवा इण्डियन स्कूलन सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा संचालित इण्डियन स्कूल सर्टीफकेट परीक्षा जिस वर्ष में होता है, उससे चार वर्ष पूर्व का स्तर उत्तीर्ण कर लिया है।

2- परीक्षार्थी जो एक ऐसे राज्य के स्थायी निवासी है, जहाँ हिन्दी प्रादेशिक भाषा नहीं है तथा जिनके अभिभावक हाईस्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में परीक्षा वर्ष से पहले की वर्ष के 1 सितम्बर, को कम से कम 5 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रब्रजन कर चुके है।

3- परीक्षार्थी जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है, परन्तु जिन्होंने अस्थायी रूप से अन्य राज्य को प्रब्रजन किया है और वहाँ निवास किया है, यदि वे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष तक अध्ययन करने तथा उस विद्यालय में उच्च हिन्दी न लेने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते है:

<u>अनिवार्य हिन्दी से छूट प्रदान करने के लिये अधिकृत अधिकारी</u>

1- सन्दर्भित विनियमों के पुनश्चः (1) के अनुसारण में परिषद के सभापति ने निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखित राष्ट्रिकों को अनिवार्य हिन्दी से छूट देने का अधिकार दे दिया है:

(क) जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश- भारतीय राष्ट्रिक, जो (व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के परीक्षार्थी)।

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान- विदेशी राष्ट्रिक, जो उनकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं।

(ग) उन संस्थाओं के प्रधान, जो परीक्षा केन्द्र है- विदेशी राष्ट्रिक, जो उस केन्द्र से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं।

2- संस्थागत परीक्षार्थियों को, जो अनिवार्य हिन्दी से छूट पाने के अधिकारी हो, यथोचित प्राधिकारी से कक्षा में प्रवेश के समय आवेदन करना चाहिए।

3- व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में छूट के लिए प्रार्थना तथा आदेशों की प्राप्ति परीक्षा में प्रविष्टि होने के आवेदन-पत्र भरने से पूर्व ही प्राप्त करनी चाहिये।

विभिन्न प्रकार की हिन्दी लेने के सम्बन्ध में निर्देश

1- प्रारम्भिक हिन्दी (कक्षा 8 के स्तर की) लेकर हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इण्टरमीडएट परीक्षा में निर्धारित हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी लेनी होगी।

2- उत्तर प्रदेश से हिन्दी के साथ कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी प्रदेश से बिना हिन्दी के अथवा कम अंकों वाली निम्न स्तर की हिन्दी के साथ हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी या मैट्रीकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट परीक्षा में निर्धारित हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी लेनी होगी।

3- इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी से छूट नहीं दी जायेगी।

अध्याय चैदह
इण्टरमीडिएट परीक्षा

1- इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश के लिये या परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व प्रत्येक परीक्षार्थी को परिषद की हाईस्कूल परीक्षा अथवा विनियम द्वारा उसके (हाईस्कूल परीक्षा) समकक्ष घोषित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
2- निम्नलिखित परीक्षाएं इण्टरमीडिएट परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये परीक्षार्थियों को प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती है-

1-बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन(आन्ध्र प्रदेश)
2-बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन गुवाहाटी, असम।
3-बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड,पटना।
4-सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली।
5-छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन,रायपुर।
6-काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन,नई दिल्ली।
7-दयालबाग एजूकेशन इस्ट्टीयूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी) आगरा।
8-गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन,गोवा।
9-गुजरात सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड, गांधीनगर गुजरात।
10-बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा, भिवानी।
11-हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन,धर्मशाला, कांगड़ा।
12-जे0एण्ड के0 स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन,जम्मू।
13-झारखण्ड एकेण्डमी काउन्सिल,राॅची।
14-कर्नाटका सेकेण्डरी एजूकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, बंगलौर।
15-केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, तिरूवनन्तपुरम।
16-महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी एजूकेशन,पुणे।

17-बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन,मध्य प्रदेश,भोपाल।
18-बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
19-मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, मेघालय।
20-मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, ऐजाल।
21-नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, कोहिमा।
22-बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, उड़ीसा, कटक।
23-पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड,मोहाली।
24-बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन राजस्थान,अजमेर।
25-स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, (सेकेण्डरी) एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एक्जामिनेशन,तमिलनाडु।
26-त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अगरतला।
27-वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन,कोलकता।
28-बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर,नैनीताल।
29-उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद,लखनऊ द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा,अरबी और मंुशी परीक्षा फारसी।
30-माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद,उ0प्र0 द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा।
31-राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी(माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।

32-भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल(मैट्रीकुलेशन) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षायें जिसके सम्बन्ध में सचिव,माध्यमिक शिक्षा,उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।

33-ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसाय प्रमाण-पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा-10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल (कक्षा-10) के समकक्ष माना जायेगा।

नोटः-आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य हाईस्कूल (कक्षा-10) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0आई0 के समकक्ष नही माने जायेंगे।
34- गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार,उत्तराखण्ड़ द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा।

नोट- उक्त विनियम संशोधन दिनांक 8 मार्च 2014 से प्रभावी माना जाय। दिनांक 09.7.2016 के राजकीय गजट मे प्रकाशित विज्ञप्ति संख्याःपरिषद-9/300 दिनांक 02 जून, 2016 द्वारा संशोधित।

$35- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में,जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हो,सहित उत्तीर्ण की गई हो।

उक्त विनियम संशोधन वर्ष-1998 से प्रभावी माना जाय।
$दिनांक 08अक्टूबर, 2016 के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्याः परिषद-9/707 दिनांक 04.अक्टूबर, 2016 द्वारा संशोधित।

2-क-रिक्त।

3- कोई परीक्षार्थी उस समय तक इण्टरमीडिएट परीक्षा में नही प्रविष्ट हो सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा हाईस्कूल अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए दो शैक्षिक वर्ष न बीत गये हों।

3-क- विकलांग तथा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे के हिसाब से अतिरिक्त समय देय होगा।

3-ख-रिक्त।

4- रिक्त।

(5) इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित के अनुसार पांच विषयों में परीक्षा ली जायेगी-

इन विषयों के अतिरिक्त खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा विद्यालय स्तर पर करायी जायेगी जिसमें 50 अंकों का केवल एक प्रश्नपत्र होगा। इसके अतिरिक्त 50 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा भी संस्था के प्रधान द्वारा ली जायेगी।

प्रत्येक परीक्षार्थी को खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा में न्यूनतम् उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत पाना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों द्वारा इस विषय की लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में अर्जित अंकों का अंकन उनके अंकपत्र/प्रमाणपत्र पर किया जायेगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की खेल एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा अग्रसारण/पंजीकरण अधिकारी द्वारा ली जायेगी। पूर्णरूप से दृष्टिबाधित अथवा विकलांग परीक्षार्थियों को खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा से मुक्ति रहेगी।

(क) मानविकी वर्ग

1- एक अनिवार्य विषय: हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी

(2-5) निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय-

(एक) भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम अथवा नेपाली)।

(दो) एक आधुनिक विदेशी भाषा- अंग्रेजी।

(तीन) एक शास्त्रीय भाषा- संस्कृत, पाली, अरबी अथवा फारसी।

ज्ञातव्य-

(1) परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में दो से अधिक भाषाएं न ले सकेंगे।
(2) संस्कृत इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह उपर्युक्त में क्रमांक एक वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं ली गयी है।
(3) कश्मीरी का पाठ्यक्रम पारित होने तक परीक्षार्थी इसे उपहृत नहीं कर सकेंगे।
(4) इतिहास
(5) नागरिक शास्त्र
(6) गणित
(7) अर्थशास्त्र
(8) संगीत गायन अथवा संगीत वादन अथवा नृत्यकला
(9) चित्रकला आलेखन अथवा चित्रकला प्रावैधिक अथवा रंजनकला
(10) समाजशास्त्र
(11) विखंडित
(12) गृह विज्ञान
(13) भूगोल
(14) कम्प्यूटर
(15) सैन्य विज्ञान
(16) मनोविज्ञान अथवा शिक्षा शास्त्र अथवा तर्कशास्त्र
(17) काष्ठ शिल्प अथवा ग्रन्थ शिल्प अथवा सिलाई
(18) मानव विज्ञान

नोट- क्रम चैदह पर अंकित विषय कम्प्यूटर में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही सम्मिलित हो सकेंगे। परन्तु इस विषय के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते है।

(ख) वैज्ञानिक वर्ग

1- एक अनिवार्य विषय: हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी

(2-5) निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय--

(एक) भौतिक विज्ञान
(दो) रसायन विज्ञान

(तीन) जीव विज्ञान

(चार) गणित

(पांच) कम्प्यूटर

(छः) विखंडित

(सात) मानव विज्ञान

(आठ) मानविकी वर्ग के विषयों में से कोई एक विषय

1- क्रम पांच के विषय में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही प्रवेश पाने के पात्र होंगे परन्तु इन विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकेंगे।

2- यदि क्रम चार अथवा पांच अथवा सात के विषय उपहृत किया है तो मानविकी वर्ग से क्रमशः (छः) अथवा (चैदह) अथवा (अट्ठारह) नहीं ले सकेगंे।

(ग) वाणिज्य वर्ग

(1) एक अनिवार्य विषय: सामान्य हिन्दी

(2) व्यवसाय अध्ययन

(3) लेखाशास्त्र

(4-5) ऐच्छिक विषय निम्नलिखित में से कोई दो विषय लेने होंगे-

(एक) अर्थशास्त्र

(दो) अंग्रेजी

(तीन) गणित

(चार) कम्प्यूटर

(विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/264 दिनांक 19 सितम्बर, 2020 द्वारा संशोधित)।

कृषि भाग-एक (प्रथम वर्ष) परीक्षा-

1- हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी

2- (क) शस्य विज्ञान (सामान्य कृषि क्षेत्र की फसलें, भूमि एवं खाद)

(ख) वनस्पति विज्ञान

(ग) भौतिक विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान

(घ) कृषि अभियंत्रण के तत्व

(ड.) गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी

भाग-दो (द्वितीय वर्ष) परीक्षा-

1- हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी

2- (क) शस्य विज्ञान (सिचाई, जल निकास एवं वनस्पति उत्पादन)

(ख) अर्थशास्त्र

(ग) जन्तु विज्ञान

(घ) पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान

(ड.) रसायन विज्ञान

नोट- हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी विषय की परीक्षा कृषि भाग-एक (प्रथम वर्ष) में नहीं ली जायेगी। इस विषय की परीक्षा कृषि भाग-दो (द्वितीय वर्ष) में एक वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर ली जायेगी।

कृषि वर्ग की परीक्षा की विस्तृत योजना

कृषि भाग एक- (प्रथम वर्ष) परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक सिद्धान्त में	न्यूनतम उत्तीर्णांक सिद्धान्त में	अधिकतम अंक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक योग में
1	2	3	4	5	6
1- कृषि--					
(क) प्रथम प्रश्न-पत्र शस्य विज्ञान (सामान्य कृषिक्षेत्र की फसले, भूमि एवं खाद तथा क्रियात्मक)	50	17	50	16	33
(ख) द्वितीय प्रश्न-पत्र वनस्पति विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
(ग) तृतीय प्रश्न-पत्र भौतिक विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
(घ) चतुर्थ प्रश्न-पत्र कृषि अभियंत्रण तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
(ड.) पंचम प्रश्न-पत्र गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी	50	17	..	..	..
योग-	250	..	200	..	..

कृषि भाग दो- (द्वितीय वर्ष) परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक सिद्धान्त में	न्यूनतम उत्तीर्णांक सिद्धान्त में	अधिकतम अंक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक योग में
1	2	3	4	5	6
1- हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी (50-50) के	100	33	..	..	..
2- कृषि-					
(क) षष्ठम् प्रश्न-पत्र शस्य विज्ञान (सिचाई, जल निकास तथा वनस्पति उत्पादन) तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
(ख) सप्तम् प्रश्न-पत्र अर्थशास्त्र	50	17	..	..	..
(ग) अष्टम् प्रश्न-पत्र जन्तु विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
(घ) नवम् प्रश्न-पत्र पशुपालन तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
(ड.) दशम् प्रश्न-पत्र रसायन विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	17	50	16	33
योग-	350	..	200	..	

नोटः- हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी विषय की परीक्षा कृषि भाग-एक प्रथम वर्ष में नहीं ली जायेगी। इस विषय की परीक्षा कृषि भाग-दो द्वितीय वर्ष में एक वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर ली जायेगी।

पुनश्च- (1) कोई परीक्षार्थी कृषि इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रमाण-पत्र का अधिकारी परीक्षा के दोनो भागों को उत्तीर्ण करने के पश्चात् होगा। परीक्षा के द्वितीय भाग (द्वितीय वर्ष) के अन्त में सफल परीक्षार्थी को श्रेणी का निर्धारण परीक्षा के प्रथम तथा द्वितीय भागों के संयुक्त अंकों के आधार पर होगा।

(2) परीक्षार्थियों को समस्त विषयों में तथा सिद्धान्त के प्रत्येक प्रश्न-पत्र और परीक्षा के भाग-1 के विषय की क्रियात्मक परीक्षा में भी पृथकतः उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। कोई परीक्षार्थी जब तक कि वह परीक्षा का प्रथम भाग उत्तीर्ण न कर ले तब तक वह परीक्षा के भाग 2 में प्रविष्ट न हो सकेगा।

(3) परीक्षा के भाग 1 में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी।

(4) परीक्षा के भाग 2 में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पृथकतः सिद्धान्त के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में तथा परीक्षा के लिए निर्धारित प्रत्येक क्रियात्मक परीक्षा में प्राप्त करने होगें।

(6) समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में शिक्षण का भाध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिन विद्यालयों को हिन्दी माध्यम से शिक्षण दिये जाने हेतु पूर्व में मान्यता/अनुमति मिली है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षण दिये जाने की अनुमति दी जा सकती है। इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम से देगें। परिषद के सभापति तथा ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें वे इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें, स्वविवेक से उन परीक्षार्थियों को जिनकी मातृभाषा हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा है और जिन्होनें हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा तक हिन्दी का अध्ययन नहीं किया है उर्दू माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देने की अनुज्ञा दे सकते हैं। भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्नपत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में बनाये जायेंगे।

टिप्पणी-(1) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर भाषाओं तथा तत्सम्बन्धी लिपि में देंगे, यदि प्रश्नपत्र में ही उसके विपरीत उल्लेख न हों।

(2) विखंडित
(3) विखंडित
(7) रिक्त।
(8) विखण्डित।
(9) निरस्त।
9-(क)-रिक्त।

अध्याय चैदह (क)

इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा

(1) इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित विषयों तथा ट्रेड में परीक्षा ली जायेगी:

(एक) सामान्य हिन्दी

(दो) 41 वैकल्पिक विषयों में से कोई एक विषय

1- अरबी
2- अर्थशास्त्र
3- आसामी
4- इतिहास
5- उर्दू

6- उड़िया
7- अंग्रेजी
8- कन्नड़
9- गणित
10- गृह विज्ञान
11- गुजराती
12- चित्रकला
13- तर्क शास्त्र
14- तमिल
15- तेलगू
16- नागरिकशास्त्र
17- नैपाली
18- पाली
19- पंजाबी
20- फारसी
21- बंगला
22- भूगोल
23- मनोविज्ञान
24- मराठी
25- मलयालम
26- समाज शास्त्र
27- संगीत वादन
28- संगीत गायन
29- संस्कृत
30- सिन्धी
31- सैन्य विज्ञान
32- शिक्षा शास्त्र
33- जीव विज्ञान
34- भौतिक विज्ञान
35- रसायन विज्ञान
36- व्यापारिक संगठन एवं पत्र-व्यवहार
37- औद्योगिक संगठन
38- अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल
39- गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी
40- शस्य विज्ञान
41- मानव विज्ञान

(तीन) समान्य आघारिक विषय (50-50 अंको के दो प्रश्न-पत्र)

(चार) निम्नलिखित व्यावसायिक धाराओं (टे्ड्स) में से कोई एक--

1- खाद्य एवं फल संरक्षण

2- पाक शास्त्र

3- परिधान रचना एवं सज्जा

4- धुलाई तथा रंगाई

5- बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी

6- टैक्सटाइल डिजाइन

7- बुनाई तकनीक

8- नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध

9- पुस्तकालय विज्ञान

10- बुनियादी स्वास्थ्य कार्मिक (पुरूष)

11- रंगीन फोटोग्राफी

12- रेडियों एवं रंगीन टेलीवीजन

13- आटोमोबाइल्स

14- मुद्रण

15- कुलाल विज्ञान

16- मधुमक्खी पालन

17- डेरी प्रौद्योगिकी

18- रेशम कीट पालन

19- बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी

20- फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी

21- पौधशाला

22- भूमि संरक्षण

23- एकाउन्टेंसी एवं अंकेक्षण

24- बैकिंग

25- आशुलिपि तथा टंकण

26- विपणन तथा विक्रय कला

27- सचिवीय पद्धति

28- बीमा

29- सहकारिता

30- टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी

31- कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीकी

32- इम्ब्राइडरी

33- हैण्ड ब्लाक प्रिंटिग एवं बेजीटेबुल ड्राइंग

34- मेटल क्राफ्ट

35- कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स (डाटा इन्ट्री प्रोसेस)

36- घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव

37- रीटेल टे॰डिंग
38- सुरक्षा
39- मोबाइल रिपेयरिंग
40- टूरिज्म एवं हास्पिटालिटी।
41- आई0टी0/आई0टी0ई0एस0

(2) व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड्स में रोजगारपरक प्रशिक्षण कराया जायेगा जो स्म्बन्धित ट्रेड में दिये गये प्रौद्योगिक कार्य के अनुसार होगा। रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रयोगशाला तथा कार्य-स्थल दोनों स्थानों पर होगा।

(3) इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही प्रवेश के पात्र होगें परन्तु व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्टि हो सकेंगे।

(4)इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा का परीक्षा के परीक्षार्थियों को हिन्दी से छूट नहीं प्रदान की जायेगी।

(5)इण्टरमीडिएट व्यवसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी को परिषद की हाईस्कूल अथवा कोई परीक्षा, जो विनियमों द्वारा उसके समकक्ष घोषित की गई है, उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(6)शिक्षण एवं प्रश्न-पत्रों का उत्तर देने का माध्यम हिन्दी होगा, यदि कोई परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देना चाहता है तो उसकी अनुमति होगी।

(7)अध्याय बारह के विनियम लागू होंगे जहाँ तक कि ये इस अध्याय के विनियमों के प्रतिकूल नहीं है।

(8)व्यवसायिक शिक्षा के परीक्षार्थी का परीक्षा अंतिम वर्ष में होगी।

टीप- शासन की संकल्पना के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न ट्रेड विषयों का अध्ययन प्रत्येक छात्र (कक्षा 9 से 12 तक) के लिये अनिवार्य होगा तथा इस निमित्त विद्यालयों को ट्रेड विषयों की पृथक से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। संस्था को ट्रेड विषयों के संचालन हेतु कोई शासकीय अनुदान देय नहीं होगा।

अध्याय-सोलह

प्रकीर्ण

1- परिषद की परीक्षाओं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना परीक्षाओं की विवरण-पत्रिका में दी जायेगी जो प्रति वर्ष परिषद के सचिव, द्वारा निर्गत होता है और जो निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से नियत मूल्य देकर प्राप्त हो सकती है।

2- उत्तर प्रदेश की शिक्षा संहिता के नियम परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षा संस्थाओं पर लागू होंगे, जहाँ तक कि वे इन विनियमों के प्रतिकूल नहीं है।

3- परिषद समय-समय पर ऐसे प्रपत्र एवं पंजी तैयार करेगी जैसा कि आवश्यक समझे जायेंगे। इस प्रकार तैयार किये गये प्रपत्र इन विनियमों से संलग्न कर दिए जायेंगे और ऐसे परिवर्तनों के साथ जैसे कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, उनमें उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों से व्यवहृत होंगे।

(इण्टरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, 1921 की धारा 20 के अन्तर्गत बनाई गई परिषद की उपविधियाँ)।

1- परिषद की समस्त बैठकों में सभापति सहित परिषद का कोरम उसके कुल सदस्यों का एक-तिहाई होगा।

2- यदि कोरम उपस्थित नहीं है तो बैठक के लिये विज्ञापित समय से 30 मिनट पश्चात् कोई बैठक न होगी।यह बात परिषद की समितियों तथा परिषद द्वारा नियुक्त उपसमितियों अथवा उसकी विभिन्न समितियों के सम्बन्ध में भी लागू होगी।

3- यदि किसी बैठक के दौरान, कोई सदस्य कोरम की अनुपस्थित की ओर ध्यान आकृष्ट करता है तो सभापति बैठक को भंग कर देगा।

4- प्रत्येक प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णीत होगा और मतों के एक समान विभाजित होने की दशा में सभापति का एक द्वितीय मत होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 3 (3) के अन्तर्गत परिषद के सदस्यों के आमेलन, धारा 13 (1) के अन्तर्गत परिषद के सदस्यों के उसकी समितियां में निर्वाचन तथा अधिनियम की घारा 13 (3) के अन्तर्गत व्यक्तियों के समितियों में आमूलन के लिये, निर्वाच आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। निर्वाचन के ढंग को एकल संक्रणय मत द्वारा अनुशासित करने वाली अनुसूची परिशिष्ट क में दी है।

5- यदि कोई सदस्य परिषद की किसी बैठक में सभापति के आदेश अथवा व्यवस्था का निरन्तर अवहेलना करता है अथवा उसकी चुनौती देता है तो सभापति बैठक का मत ले सकता है कि क्या ऐसे सदस्यों को उस दिन के लिये निलम्बित नहीं कर दिया जाय। यदि उपस्थित सदस्य निलम्बन का निर्णय करते है तो सभापति अपराधी सदस्य को निलम्बित घोषित कर देगा और ऐसे सदस्य को अविलम्ब प्रत्याहरण के लिये बाध्य होना पडेगा।

6- कोई प्रस्ताव जो परिषद द्वारा अमान्य कर दिया गया है, अमान्य किये जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर सभापति की अनुमति के सिवाय पुनः प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

7- परिषद की समस्त बैठकों का सभापतित्व परिषद के पदेन सभापति द्वारा किया जायेगा। सभापति की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सभापति का निर्वाचन करेंगे।

8- परिषद उसकी समितियों तथा उप-समितियों की बैठके, जब तक कि विशेष कारणों से सभापति इसके प्रतिकूल आदेश न दें, इलाहाबाद में ही होगी।

9- विखण्डित।

10- परिषद की बैठकों की लिखित सूचना, बैठक की कार्य-सूची-पत्र के साथ परिषद के समस्त सदस्यों को बैठक से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व भेजी जायगी।

10 (क) अधियाचित बैठकों की लिखित सूचना कार्य सूची-पत्र के साथ परिषद के समस्त सदस्यों की अधियाचना प्राप्ति की तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जायगी।

10 (ख) जिन सदस्यों ने अधियाचना की है उनमें से यदि इतने सदस्य अधियाचना को वापस करने को लिखकर देते है जिससे अधियाचना में अन्य सदस्यों की संख्या परिषद के 1, 1/4 सदस्यों से कम हो जाती है, अधियाचना रद्द हो जायगी। प्रतिबन्ध यह है कि अधियाचना को वापस लेने का पत्र सचिव को अधियाचना के एक सप्ताह के अन्दर भेज दिया जाय।

11- सभापति की सहमति के बिना, कार्य-सूची-पत्र में दी हुई कार्यवाही के अतिरिक्त किसी बैठक में कोई अन्य कार्यवाही न होगी।

12- परिषद की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव का नोटिस सचिव के पास बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व अवश्य पहुच जाना चाहिए।

13- प्रस्ताव के लिए उचित नोटिस दिया गया है, इस विषय के समस्त प्रश्नों का निर्णय सभापति द्वारा किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

14 (क) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव जिसका यथाविधि नोटिस नहीं दिया गया है, परिषद की बैठक में नहीं रखा जायेगा--

(1) किसी वाद-विवाद को स्थगित करने का,
(2) किसी बैठक को स्थगित करने का,
(3) किसी बैठक को भंग करने का,
(4) कार्यवाही के क्रम को परिवर्तित करने का,
(5) किसी मामले को विभाग, अथवा विश्वविद्यालय अथवा शासन के किसी प्राधिकारी को विचारार्थ भेजने का,
(6) विचार के आगामी विषय पर बढ़ने का,
(7) कोई समिति नियुक्त करने का,
(8) बैठक की एक समिति में विघटित करने का,
(9) यह प्रस्तावित करना कि प्रश्न अब प्रस्तुत किया जाय।

(ख) ऊपर के (1), (2), (6) अथवा (9) के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव पर बहस के बिना मत लिया जायगा।

(ग) (1), (2), (3), (4), (6), (8) और (9) के अन्तर्गत प्रस्ताव केवल अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जा सकेंगे।

15- प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकारात्मक रूप में होगा और श्किश् शब्द से प्रारम्भ होगा।

16- प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन होना चहिए अन्यथा वह गिर जायगा। प्रस्ताव का अनुमोदन, सभापति की अनुमति से अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है।

17- जब कोई प्रस्ताव, जो ठीक रूप में है, अनुमोदित हो जाता है, बहस किये जाने से पूर्व सभापति द्वारा कथित होगा।

18- यदि सभापति द्वारा प्रस्ताव के कथित होने के उपरान्त कोई सदस्य प्रस्ताव पर बोलने को नहीं खड़ा होता है, तो सभापति उस पर मत लेने की अग्रिम कार्यवाही करेगा।

19- एक प्रस्ताव और उसके एक संशोधन से अधिक बैठक के सामने एक ही समय पर नहीं प्रस्तुत किये जायेंगे।

20- एक बार निबटाया हुआ प्रस्ताव पुनः उसी बैठक अथवा उसकी स्थगित बैठक में नहीं रखा जायेगा।

21- कोई ऐसा संशोधन नहीं प्रस्तावित किया जायेगा जो मूल प्रस्ताव को प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक करें।

22- प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव से सम्बद्ध होना चाहिए जिस पर वह प्रस्तावित किया गया है।

23- कोई संशोधन नहीं प्रस्तावित किया जायेगा जो मौलिक रूप से बैठक द्वारा पहले निपटाया हुआ प्रश्न उठता है अथवा जो उसके पहले से स्वीकृत किसी निश्चय से असम्बद्ध हो।

24- जो संशोधन ठीक रूप से हों, उन्हें किस क्रम से लिया जायगा यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा।

25- किसी संशोधन का अनुमोदन प्रस्ताव की भांति होना चाहिए अन्यथा वह गिर जायेगा। संशोधन का अनुमोदन सभापति की अनुमति से अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है।

26- एक संशोधन जो ठीक रूप में है, जब प्रस्तावित तथा अनुमोदित हो जाता है अध्यक्ष द्वारा कथित होगा।

27- भंग करने अथवा स्थगन के प्रस्तावक को उत्तर का अधिकार नहीं है।

28- जब सभापति यह जान लेगा कि बैठक को संशोधित करने का अधिकारी कोई अन्य सदस्य नहीं बोलना चाहता है, तो मूल प्रस्ताव का प्रस्तावक पूरे वाद-विवाद का उत्तर देगा।

29- प्रस्तावक द्वारा उत्तर आरम्भ करने के पश्चात् कोई सदस्य प्रश्न पर नहीं बोलेगा।

30- जब बहस समाप्त हो जाती है, तो सभापति उसका सार प्रकट करने के उपरान्त, यदि चाहे तो इस प्रकार प्रश्न पर मत ले सकता है--

(1) यदि कोई संशोधन अस्वीकृत हो जाता है, तो सभापति प्रस्ताव और संशाधन को कहेगा और बैठक का मत लेगा।

(2) यदि संशोधन है, तो मूल प्रस्ताव सभापति द्वारा पुनः रखा जायेगा और पहले की उपविधियों को अधीन कोई दूसरा संशोधन जो ठीक है, उसके पश्चात् प्रस्तावित किया जायेगा।

(3) यदि कोई संशोधन स्वीकृत हो जाता है तो संशोधित प्रस्ताव सभापति द्वारा रखा जायेगा और तब उस पर मौलिक प्रश्न के रूप में बहस होगी, जिस पर मूल प्रस्ताव के कोई और संशोधन, जो ठीक रूप में हो, जहाँ तक कि वे लागू हो सकेंगे, पहले के उपविधियों के अधीन प्रस्तावित किये जा सकते है। जब इस प्रकार समस्त संशोधनों पर कार्यवाही हो जायेगी, तब सभापति संशोधित प्रस्ताव पर मौलिक प्रस्ताव के रूप में मत लेगा।

31- भंग करने अथवा स्थगन का प्रस्ताव किसी भी समय एक स्पष्ट प्रश्न के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है, परन्तु एक संशोधन के रूप में नहीं और न किसी भाषण में रूकावट डालने के लिए हो।

32- यदि भंग करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो बैठक के विचाराधीन कार्यवाही समाप्त हो जायगी।

33- यदि स्थगन का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो बैठक स्थगित हो जायेगी और कार्यवाही स्थगित बैठक में पुनः प्रारम्भ की जायेगी।

34- बहस को किसी निर्दिष्ट तिथि तथा समय के लिए स्थगन का प्रस्ताव भी इसी प्रकार प्रस्तावित किया जा सकता है और यदि स्वीकृत हो जाय तो विचाराधीन प्रश्न पर बहस निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक स्थगित हो जायेगी और कार्य-सूची-पत्र के अन्य विषयों को लिया जायेगा। यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, तो बहस पुनः आरम्भ होगी।

35- कोई बैठक अथवा बहस, जो किसी स्थगन के बाद फिर आरम्भ होती है अथवा चलती रहती है स्थगन से पूर्व की समझी जायेगी।

36- कार्यवाही के अगले विषय के लिये बढ़ने का प्रस्ताव किसी समय उसी ढंग से तथा उन्हीं नियमों के अन्तर्गत, जो स्थगन के लिये है, किया जा सकता है। यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो विचाराधीन प्रस्ताव तथा उसका संशोधन यदि कोई हो, गिर जायेगा।

37- प्रस्ताव अथवा संशोधन रखे जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य सभापति से प्रश्न करने की प्रार्थना कर सकता है और यदि सभापति को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर पर्याप्त बहस हो चुकी है तो प्रस्तावक से उसका उत्तर मांगते हुये बहस को समाप्त कर सकता है और प्रश्न पर मत ले सकता है।

38- कोई भी सदस्य प्रस्ताव अथवा संशोधन रखते समय 15 मिनट से अधिक अथवा अनुमोदन करते समय अथवा किसी प्रस्ताव या संशोधन पर बोलते समय अथवा उत्तर देते समय 10 मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।

39- सभापति कार्यवाही में किसी समय स्वविवेक से अथवा किसी सदस्य की प्रार्थना पर प्रस्ताव अथवा संशोधन का, जो बैठक के समाने है, क्षेत्र और प्रभाव समझा सकता है। यदि वह चाहे तो वाद-विवाद की समाप्ति पर वाद-विवाद का सार भी प्रकट कर सकता है।

40- कोई सदस्य, जब कोई दूसरा बोल रहा है, अपने द्वारा प्रयुक्त किसी वाक्यांश का स्पष्टीकरण करने के लिये, जो वक्ता द्वारा गलत समझा गया हो, सभापति की अनुमति से खड़ा हो सकता है, परन्तु वह अपने को केवल ऐसे स्पष्टीकरण तक ही सीमित रखेगा।

41- कोई सदस्य, सभापति का ध्यान किसी वैधानिक प्रश्न पर उस समय भी दिला सकता है जिस समय अन्य सदस्य बैठक को सम्बोधित कर रहा हो, परन्तु ऐसे वैधानिक प्रश्न पर कोई भाषण नहीं दिया जायेगा।

42- सभापति किसी भी वैधानिक प्रश्न का एक मात्र निर्णायक होगा और वह किसी भी सदस्य को व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो बैठक को भंग अथवा उसी दिन कुछ घंटे या अगले दिन के लिए स्थगित कर सकता है।

43- सभापति की अनुमति से किसी सदस्य द्वारा जिसने किसी प्रस्ताव अथवा संशोधन का नोटिस दिया है, प्रस्ताव अथवा संशोधन वापस लिया जा सकता है।

44- एक सदस्य के नाम कोई प्रस्ताव अथवा संशोधन, जो बैठक में अनुपस्थित हो, किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया जा सकता है।

45- किसी प्रश्न पर मत लेने पर सभापति परिषद के मत का संकेत स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में जानने को हाथ उठवायेगा और अपने मत के अनुसार उसका परिणाम घोषित करेगा।

46- किसी विवादग्रस्त मामले पर समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा किसी समय और बिना पूर्व नोटिस के रखा जा सकता है।

46-(क) परिषद अथवा उसकी समिति की बैठक मे उप-समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव निम्नलिखित को छोड़कर नहीं रखा जायगा--

(1) परिषद की परीक्षाओं में काफी बडे पैमाने पर अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में उसी स्थान पर जांच करने के लिए किसी केन्द्र के एकआध मामलों में अथवा थोडे से मामलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा जांच की जायगी।

(2) उन मामलों के विस्तार से जांच, जिनकी सावधानी से संनिरीक्षा की जानी है तथा जो परिषद अथवा उसकी समितियों की बैठक में नहीं निपटाये जा सकते है।

46-(ख) ऐसी उप समिति में परिषद के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें परिषद तथा उसकी समितियां प्रत्येक दशा में ठीक समझे, इस प्रतिबन्ध के साथ कि सदस्यता साधारणतया तीन से अधिक न होगी।

टिप्पणी- उपविधि 46-क तथा 46-ख परिषद द्वारा तदर्थ समिति की नियुक्ति में लागू न होगी।

47- किसी समिति के नियुक्ति के प्रस्ताव में उस उद्देश्य का कथन, जिसके लिए समिति को कार्य करना है तथा उसके सदस्यों की संख्या होनी चाहिये। संख्या बढ़ाने अथवा घटाने के संशोधन बिना पूर्व नोटिस के रख जा सकते है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो प्रसताव रखने वाला सदस्य उन व्यक्तियों के नाम बतायेगा, जिन्हें वह समिति में रखना चाहता है। तब यदि आवश्यक हुआ, तो नाम लिया जायगा और वांछित संख्या में सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से होगी जो अधिकतम मत प्राप्त करते है।

48- किसी समिति का संयोजक समिति की नियुक्ति के समय नियुक्त किया जाएगा।

49- परिषद द्वारा नियुक्त किसी समिति के निश्चय एक आख्या में समाविष्ट किये जायेंगे। आख्या परिषद को उसकी आगामी बैठक में यथाविधि नोटिस देकर प्रस्तुत की जायेगी।

50- परिषद के सचिव द्वारा संयोजकों के परामर्श से समितियों तथा उप-समितियों की बैठकों की तिथियाँ नियत की जायेगी।

समिति की बैठकों की निम्नलिखित सूचना समस्त सदस्यों को बैठक के कार्य-सूची पत्र के साथ बैठक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार उप-समितियों की बैठकों की लिखित सूचना समस्त सदस्यों को बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व प्रेषित की जायेगी।

51- परिषद की समस्त साधारण समितियों की बैठके यथासंभव परिषद की बैठकों से पूर्व तुरन्त होगी।

52- समिति अथवा उप-समिति का संयोजक समिति को प्रत्येक बैठक की आख्या की एक प्रति सचिव को उपस्थित सदस्यों की सूची सहित प्रेषित करेगा।

53- किसी समिति अथवा उप-समिति का कोरम उसके सदस्यों के एक-तिहाई से कम न होगा।

54- यदि किसी समिति अथवा उप-समिति की बैठक कोरम की कमी के कारण नहीं होती है, बैठक किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित कर दी जायेगी जब कि उपस्थित सदस्य कोरम को अनुपस्थिति में भी मूल बैठक में विज्ञापित कार्यवाही करेंगे। किसी बैठक की कार्यवाही, जो कोरम की कमी के कारण नहीं हो पाती है, पत्र-व्यवहार द्वारा भी हो सकती है।

55- पाठ्यक्रम समितियाॅ अपनी कार्यवाही अंशतः बैठक द्वारा तथा अंशतः पत्र-व्यवहार द्वारा पूरी कर सकती है।

56- परिषद की समितियों अथवा उप-समितियों की बैठकों में प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा। मतों के समान विभाजन की दशा में सभापतित्व करने वाले व्यक्तियों का एक द्वितीय मत होगा।

56-(क)

56-(ख) विखंडित

56-(ग)

57-(घ) जब तक कि कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय को पाठ्यक्रम समिति का सदस्य है, उस समय तक कोई पुस्तक, जिसका वह लेखक अथवा प्रकाशक है अथवा जिसमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वार्थ है, उस विषय में परिषद की किसी भी परीक्षा में स्वीकृत अथवा संस्तुत न होगी।

57- परिषद की बैठक के बाद यथासम्भव शीघ्रता से बैठक के कार्य वृत का आलेख सचिव द्वारा सभापति को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। तब कार्यवृत मुद्रित कराया जायेगा और समस्त सदस्यों में परिचलित कराया जायेगा। उपस्थित सदस्य कार्यवृत

निर्गत होने के 15 दिन के भीतर सचिव को उसकी शुद्धता सम्बन्धी आपत्तियों की सूचना देंगे। कार्यवृत तथा आपत्तियाँ, यदि कोई हों, परिषद की आगामी बैठक में रखी जायेगी और तब कार्यवृत की अन्तिम रूप में पुष्टि की जायेगी।

58- किसी मामले में, सभी इन उप-विधियों में व्यवस्था न हो, सभापति का कार्यविधि के सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था देने का अधिकार होगा।

परिशिष्ट 'क'

(अध्याय चार के विनियम-7 तथा उपविधि 4 के सन्दर्भ में)

अनुसूची

एकलसंक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन विधि के सम्बन्ध में उपबन्ध

1- निम्नलिखित अनुच्छेदों में--

(अ) "उम्मीदवार" का अर्थ बैठक में यथाविधि योग्यता प्राप्त नामित व्यक्ति है।

(आ) "सभापति" का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश का सभापति है।

(इ) "अविरामी उम्मीदवार" का अर्थ निर्वाचित न हुए अथवा किसी नियत समय पर मतदान के लिए न छोडे गये सदस्य से है।

(ई) "निश्शेषित पत्र" का अर्थ वह मत-पत्र है, जिस पर अविरामी उम्मीदवार के लिए और वरीयता का अभिलेख न हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि पत्र उस दशा में भी निश्शेषित समझा जायेगा; यदि

(1) दो अथवा अधिक उम्मीदवारों, चाहे वे अविरामी हो या नहीं, के नामों के आगे वहीं संख्या अंकित है और वरीयता के क्रम में वे अगले ही स्थान पर है।

(2) वरीयता के क्रम में अगले उम्मीदवार का नाम, चाहे वह अविरामी हो अथवा नहीं, अंकित है--

(क) एक ऐसी संस्था द्वारा जो मत-पत्र की किन्हीं संख्याओं के बाद क्रम से न हो, अथवा

(ख) दो अथवा दो से अधिक संख्याओं द्वारा।

(उ) "प्रथम वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है जिसके नाम के आगे मत-पत्र पर संख्या 1 अंकित हो, "द्वतीय वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है, जिसके नाम के आगे संख्या 2 तथा "तृतीय वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है, जिसके नाम के आगे संख्या 3 हो और इसी प्रकार।

(ऊ) “मूलमत” का अर्थ किसी भी उम्मीदवार के सम्बन्ध में किसी मत-पत्र से प्राप्त मत से है जिस पर ऐसे उम्मीदवार के लिए प्रथम वरीयता का अभिलेख हो।

(ए) “सचिव” का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सचिव से है और उसमें अपर सचिव भी सम्मिलित है।

(ऐ) “कोटा” का अर्थ मतों के निम्नतम-मूल्य से है जो उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए पर्याप्त हो।

(ओ) “अतिरिक्त” का अर्थ उस संस्था से है, जो किसी उम्मीदवार के मूल तथा स्थानान्तरित मतों के कोटे से अधिक होना है।

(औ) “स्थानान्तरित मत” का किसी उम्मीदवार के सम्बन्ध में अर्थ ऐसे मत से है जो मत-पत्र पद दिया गया है, जिस पर द्वितीय अथवा बाद के वरीयता के मत का अभिलेख ऐसे उम्मीदवार के लिए है और एसे उम्मीदवार के लिए जिसका मूल्य अथवा मूल्य का अंश प्राप्त होना है।

(अं) “अनिश्शेषित पत्र” का अर्थ है वह मत-पत्र जिस पर एक अविरामी उम्मीदवार के लिए और वरीयता का अभिलेख हो।

2- परिषद अथवा सम्बन्धित समितियों के सदस्य जो यथाविधि संयोजित बैठकों में उपस्थित होंगे, निर्चावन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम मौखिक रूप से प्रस्तावित किये जायेंगे और उम्मीदवारी की वापसी बैठक में उसी रूप से होगी:

3- यदि प्राप्त नामों की संख्या अथवा वापस लिये गये नामों को यदि कोई हों, घटा कर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के समान हों, तो अध्यक्ष इस प्रकार नामित उम्मीदवारों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा।

4- यदि उपर्युक्त के अनुसार यथाविधि नामित सदस्यों की संख्या वापस लिये गये नामों को घटा कर, यदि कोई हो, भरी जाने वाली रिक्तयों से अधिक है तो निर्वाचन होगा और मत-पत्रों की संनिरीक्षा तथा गणना सचिव द्वारा ऐसे अन्य व्यक्तियों की सहायता से की जायेगी जो सभापति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

5- सचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत निर्वाचन के संचालन के लिए समस्त आवश्यक कार्य करेगा।

6- निर्वाचन अधिकारी सभापति को एक परिलेख प्रस्तुत करेगा जिसमें यथाविधि निर्वाचन सदस्यों के नाम दिखाये जायेंगे।

7- सचिव नामन एवं मत-पत्रों को एक मुहरबन्द पैकेट में रखेगा जो छः मास की अवधि तक संरक्षित रखा जायगा।

8- मतदान मत-पत्र द्वारा होगा। प्रत्येक मत-पत्र में निर्वाचन के लिये यथाविधि नामित समस्त सदस्यों के नाम मुद्रित होंगे।

9- यदि कोई सदस्य असावधानता से कोई मत-पत्र खराब कर देता है तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी को लौटा देगा, जो ऐसे असावधानता से अस्पष्ट होने पर उसे दूसरा मत-पत्र दे देगा और खराब हुए पत्र को अपने पास रख लेगा और यह खराब हुआ पत्र तुरन्त ही रद्द कर दिया जायेगा।

10- प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा। अपना मत देने में प्रत्येक सदस्य--

(क) अपने मत-पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने संख्या लिखेगा जिसे वह मत देता है।

(ख) इसके साथ अपनी पसन्द अथवा वरीयता का क्रम जितने उम्मीदवारों के लिए वह चाहें, उनके विभिन्न नामों के सामने 2,3,4, आदि संख्या क्रमानुसार लिख कर प्रकट करेगा।

11- मत-पत्र अवैध हो जायगा--

(क) जिस पर सदस्य अपने हस्ताक्षर करता है अथवा कोई शब्द लिखता है अथवा कोई ऐसा चिन्ह बनाता है जिससे वह पहचानने योग्य हो जाय, अथवा

(ख) जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रपत्र पर नहीं है, अथवा

(ग) जिस पर संख्या 1 नहीं अंकित है अथवा

(घ) जिस पर संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवों के नाम के सामने अंकित की गई है, अथवा

(ड.) जिस पर संख्या 1 तथा कुछ अन्य संख्याएं एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित की गयी है, अथवा

(च) जो अचिन्हित है अथवा अनिश्चय के कारण रद्द है।

12- निर्वाचन अधिकारी इस अनुच्छेदों के प्रतिबन्धों को पूरा करने में--

(क) समस्त अपूर्णकों की अवहेलना करेगा।

(ख) पहले से निर्वाचित अथवा मतदान से निकाले गये उम्मीदवारों के लिए अभिलिखित वरीयता की ओर ध्यान न देगा।

13- मतदाता के लिए नियम समय के यथाशीघ्र बाद में, निर्वाचन अधिकारी मत-पत्रों की जांच करेगा और उसमें से अवैध पाये जाने वाले मत-पत्र अध्यक्ष द्वारा संत्यापित होने के पश्चात् अलग रख दिये जायगें। शेष पत्रों को वह प्रत्येक उम्मीदवार के लिये प्राप्त प्रथम वरीयता के अनुसार बण्डलों में विभाजित करेगा। तब वह प्रत्येक बण्डल के मत पत्रों की संख्या की गणना करेगा।

14- इन नियमों द्वारा नियत कार्यविधि की सुविधा के लिए प्रत्येक मत-पत्र सौ रूपये के मूल्य का समझा जायेगा।

15- तब निर्वाचन अधिकरी समस्त बंडलों के पत्रों का मूल्य जोडेगा और योग में भरी जाने वाली रिक्तयों की संख्या में एक जोड़ कर भाग देगा और भाज्यफल में एक जोड़ देगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए पर्याप्त संख्या होगी जो इसके पश्चात् श्कोटाश् कहलायेगा।

16- यदि इन अनुच्छेदों के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किसी समय निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों को संख्या के समान कुछ उम्मीदवारों ने कोटा प्राप्त कर लिया तो ऐसे उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जायेगा तथा और आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

17-(1) प्रत्येक उम्मीदवार जिसके बंडल का मूल्य प्रथम वरीयता की गणना करने पर कोटा के समान अथवा उससे अधिक होगा, निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(2) यदि ऐसे किसी बंडल में पत्रों का मूल्य कोटा के समान है, तो पत्रों पर अन्तिम रूप से हुई कार्यवाही मान कर उन्हें अलग रख दिया जायेगा।

(3) यदि ऐसे किसी बंडल में पत्रों का मूल्य कोटा से अधिक है तो अतिरिक्त को अविरामी उम्मीदवारों के लिए जो मतदाता के वरीयताक्रम में मत-पत्रों में अगले स्थान पर है, नीचे लिखे अनुच्छेदों में निर्दिष्ट रूप में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

18-(1) यदि और जब भी इन अनुच्छेदों में नियत किसी कार्य के फलस्वरूप किसी उम्मीदवार के कुछ अतिरिक्त मत आते हैं तो ये अतिरिक्त मत अनुवर्ती उप अनुच्छेदों में नियत ढंग से स्थानान्तरित किये जायेंगे।

(2) यदि एक से अधिक उम्मीदवार के अतिरिक्त मत है तो पहले सर्वाधिक अतिरिक्त पर और अन्य पर अधिकता के क्रम में विचार होगा इस प्रतिबन्ध के साथ कि मतों के

प्रथम गणना में आये प्रत्येक अतिरिक्त मत पर द्‌वितीय गणना में आये हुए से पहले विचार होगा और इसी प्रकार क्रम चलेगा।

(3) जहाँ दो अथवा ज्यादा अतिरिक्त मत बराबर है, निर्वाचन अधिकारी अनुच्छेद 23 के अनुसार निर्णय देगा कि पहले किस पर विचार किया जाय।

(4) (क) यदि किसी उम्मीदवार के स्थानान्तरित किए जाने वाले अतिरिक्त मत केवल मूल मतों से ही है तो निर्वाचन अधिकरी उस उम्मीदवार के बंडल के समस्त पत्रों की जांच करेगा, जिसके अतिरिक्त मत स्थानान्तरित होने है और अनिश्शेषित -पत्रों को उप-बंडलों में उन पर अभिलिखित अगली वरीयता के अनुसार विभाजित करेगा। वह निश्शेषित-पत्रों के लिए एक अलग उप-बंडल भी बनाएगा।

(ख) वह ऐसे उप-बंडल में पत्रों का तथा समस्त अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य निर्धारित करेगा।

(ग) यदि अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य अतिरिक्त मतों के समान अथवा उनसे कम है, तो वह समस्त अनिश्शेषित पत्रों को उस मूल्य पर जिस पर वे उन उम्मीदवारों द्‌वारा प्राप्त हुए थे, जिनके मतों का स्थानान्तरण हो रहा है, स्थानान्तरित कर देगा।

(घ) यदि अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य अतिरिक्त मत से अधिक है तो वह अनिश्शेषित पत्रों के उप-बंडलों को स्थानान्तरित कर देगा और वह मूल्य जिस पर प्रत्येक मत स्थानान्तरित किया जायेगा, अतिरिक्त मतों को अनिश्शेषित पत्रों की पूर्ण संख्या से विभाजित करके निर्धारित करेगा।

(5) यदि किसी उम्मीदवार के स्थानान्तरित किये जाने वाले अतिरिक्त मत स्थानान्तरित किये जाने वाले तथा मूल मतों से उत्पन्न होते है, तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार को अन्तिम बार स्थानान्तरित उप-बंडल के सभी पत्रों की पुनः जांच करेगा और अनिश्शेषित पत्रों के उप-बंडलों में उन पर अभिलिखित आगामी वरीयता के अनुसर विभाजित करेगा। तब वह उप-बंडल पर उसी प्रकार की कार्यवाही करेगा जैसा कि अन्तिम पूर्व अनुच्छेद के सम्बन्ध में प्रावधानित है।

(6) प्रत्येक उम्मीदवार को, स्थानान्तरित पत्र ऐसे उम्मीदवार को पहले से प्राप्त पत्रों के साथ एक उप-बंडल के रूप में जोड़ दिए जायेगे।

(7) किसी निर्वाचित उम्मीदवार के बंडल अथवा उप-बंडलों के समस्त पत्र, इस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं हुए है, अन्तिम रूप से विचार किए हुए के रूप में अलग रख दिए जायेंगे।

19-(1) यदि, यथापूर्व निर्देशानुसार, समस्त अतिरिक्त मतों के स्थान्तरित होने के बाद वांछित संख्या से कम सदस्य निर्वाचित होते है, तो निर्वाचन अधिकारी मतदात में सबसे नीचे के उम्मीदवारों को हटा देगा और उसके निशेषित पत्रों को अविरामी उम्मीदवारों में उन पर अभिखित अगली वरीयता के अनुसार बांट देगा। कोई भी अशिशेषित पत्र अंन्तिम रूप से विचार किए हुए के रूप में अलग रख दिए जायेंगे।

(2) किसी हटाये हुए उम्मीदवार के पत्र जिनमें उसके मूल मत होंगे, पहले स्थानान्तरित होंगे, प्रत्येक पत्र का स्थानान्तरित मूल्य एक सौ रूपया होगा।

(3) तब एक हटाये गये उम्मीदवार के पत्र जिनमें उसके स्थानान्तरित मत होंगे, स्थानान्तरण के उस क्रम में स्थानान्तरित होंगे जिसमें और जिस मूल्य पर उसने उन्हें प्राप्त किया था।

(4) ऐसा प्रत्येक स्थानान्तरण एक पृथक स्थानान्तरण समझा जायेगा।

(5) इस अनुच्छेद द्वारा निर्देशित विधि सबसे कम मत पाने वाले एक के बाद एक उम्मीदवार के हटाये जाने में उस समय तक दुहराई जायगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति या तो किसी उम्मीदवार के कोटा से निर्वाचन द्वारा अथवा जैसा बाद में प्राविधानित है उसके अनुसार नहीं हो जाती है।

20- यदि इन नियमों के अन्तर्गत पत्रों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का मूल्य कोटा के समान अथवा उससे अधिक होता है, तो उस समय चलने वाला स्थानान्तरण पूरा किया जायगा, परन्तु उसके आगे अन्य पत्र उसे स्थानान्तरित नहीं किए जायेंगे।

21-(1) यदि इन नियमों के अन्तर्गत पत्रों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप किसी उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा के समान अथवा उससे अधिक होगा तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(2) यदि किसी उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा के समान होगा, तो वे समस्त पत्र जिन पर इन मतों का अभिलेख होगा, अन्तिम रूप से विचार किए गए रूप में अलग रख दिए जायेंगे।

(3) यदि किसी ऐसे उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा से अधिक होगा तो उसके अधिक मतो को किसी अन्य उम्मीदवार के हटाये जाने से पूर्व प्राविधानित रूप में बांट दिया जायगा।

22-(1) जब अविरामी उम्मीदवारों की संख्या, बिना भरी हुई रिक्तियों की संख्या के बराबर रह जाय, तो अविरामी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(2) जब केवल एक रिक्त स्थान बिना भरा रह जाय और किसी अविरामी उम्मीदवार के मतों का मूल्य अन्य अविरामी उम्मीदवारों के समस्त मतों के कुल मूल्य से, न स्थानान्तरित हुए अतिरिक्त मतों सहित, अधिक हो जाता है, तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(3) जब केवल रिक्त स्थान बिना भरा रह जाय और केवल दो अविरामी सदस्य रहे और उन दोनों उम्मीदवारों में से प्रत्येक के मतों का मूल्य एक समान हो और कोई अतिरिक्त मत स्थानान्तरित कराने योग्य न बचे तो एक उम्मीदवार आगामी अनुवर्ती अनुच्छेद के अन्तर्गत हटाया हुआ घोषित किया जायगा और दूसरा निर्वाचित हुआ घोषित किया जायगा।

23- यदि जब एक से अधिक अतिरिक्त मत बांटने को रहे, दो या अधिक अतिरिक्त मत समान हो अथवा जब किसी समय किसी उम्मीदवार को हटाना आवश्यक हो जाय और दो या दो से अधिक उम्मीदवार के मतों का मूल्य एक ही हो और उन्हें सबसे कम मत प्राप्त हों, तो प्रत्येक उम्मीदवारों के मूलमतों का ध्यान रखा जायगा और उस उम्मीदवार के जिसे सबसे कम मूल मत प्राप्त हुए है, अधिक अतिरिक्त मत सबसे पहले बांटे जायेंगे, अथवा वह सबसे पहले हटाया जायगा, जैसी भी स्थिति हो। यदि उनके मूल मतों का मूल्य समान है तो निर्वाचन अधिकारी चिट्ठी डाल कर निर्णय करेगा कि किस उम्मीदवार के अतिरिक्त मत बांटे जायेंगे अथवा किसे हटाया जायगा।

24-(1) निर्वाचन को समितियों में ले जाने से पूर्व, परिषद इन समितियों के लिए निर्वाचन का क्रम नियत करेगी, जिसका जहाँ तक कार्यान्वित करने योग्य होगा, पालन किया जायगा।

(2) जब कोई व्यक्ति, अध्याय चार, विनियम 6 में निर्दिष्ट किन्ही दो वर्गो की अधिकतम संख्या की समितियों में जिसकी अनुमति है, निर्वाचित हो जाता है, तो वह उस वर्ग की शेष समितियों में निर्वाचन का उम्मीदवार होने का पात्र न रहेगा।

(3) परिषद यह निर्दिष्ट करेगी कि किसी पाठ्यक्रम समिति में नामित उसके कौन से सदस्य उस विषय के विशेषज्ञ है। परिषद यह भी निर्णय करेगी यदि ऐसी समिति का कोई सदस्य, परिषद के सदस्य के अतिरिक्त उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है और ऐसे उम्मीदवार का नामन अवैध हो जायगा।

25- यदि किसी पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए परिषद का केवल एक सदस्य ही नामित होता है तो वह तुरन्त निर्वाचित धोषित कर दिया जायगा और शेष रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन चलता रहेगा।

26- यदि पाठ्यक्रम समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए परिषद के दो अथवा अधिक ऐसे सदस्य उम्मीदवार है जो विशेषज्ञ नहीं है, तो प्रारम्भिक निर्वाचन ऐसे सदस्यों में से जो विशेषज्ञ नहीं है, एक को छोड़कर अन्य सब को हटाने के लिए किया जायगा। तब निर्वाचन सामान्य रूप से चलेगा।

27- जब एक पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों के निर्वाचन में केवल एक रिक्त स्थान की पूर्ति होनी रह जाय और कोई भी परिषद का सदस्य निर्वाचित न हो तो परिषद का अधिकतम मत प्राप्त करने वाला सदस्य अंतिम निर्वाचित सदस्य के अधिक मतों का स्थानान्तरण करके निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि इस समय तक परिषद के समस्त सदस्य हटाये जा चुके है, अंतिम हटाया जाने वाला सदस्य निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

28- रचानात्मक विषयों की पाठ्यक्रम-समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अन्य पाठ्यक्रम समितियों के निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यविधि नीचे लिखी सीमा तक आशोधित की जायेगी:-

(1) दस रिक्तियां रचनात्मक वर्ग के प्रत्येक दस विषयों के लिए पृथक निर्वाचन द्वारा भरी जायगी।

(2) तब ग्यारहवीं रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, मूल नामित में से, जो पहले चुने जा चुके है उन्हे छोड़कर होगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि ऊपर के (1) के अन्तर्गत परिषद का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ है,तो यह निर्वाचन केवल उन्हीं उम्मीदवारों तक सीमित रहेगा जो परिषद के सदस्य है।

29- पाठ्यचर्या- समिति के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में, इन नियमों में निर्दिष्ट कार्यविधि इस प्रकार और विनियमित की जायगी:-

(1) सामान्य रूप से प्रारम्भ में नामन आमन्त्रित किए जायेगें। परिषद का सदस्य किसी उम्मीदवार को नामित करते समय, जो एक से अधिक पाठ्यक्रम- समितियों का सदस्य है, उस पाठ्यक्रम समिति का नाम निर्दिष्ट करेगा जिसके कि चुनाव के लिए उसका नामित व्यक्ति सदस्य समझा जायगा। उसी उम्मीदवार के अनेक नामन, उसकी इच्छा के अनुरूप, यदि वह परिषद का उपस्थित रहने वाला सदस्य है और अन्यथा अध्यक्ष द्वारा, एक नामन में परिवर्तित कर दिए जायेंगे।

(2) यदि उसी पाठ्यक्रम-समिति के दो से अधिक सदस्य उम्मदीवार है, तो प्रारम्भिक निर्वाचन उनमें से केवल एक ही उम्मीदवार को निर्वाचित करने के लिए होगा।

(3) पाठ्यक्रम-समितियों के उम्मीदवारों की संख्या, नामनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त पाठ्यक्रम-समितियों की संख्या के समान हो जाने के पश्चात् पहले इन उम्मीदवारों में से 12 सदस्य निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन होगा।

(4) शेष तीन रिक्तियों की पूर्ति के लिए तब चुनाव मूल नामनों में से संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।

30- नियम 26, 28 तथा 29 में उल्लिखित समस्त चुनाव अथवा निरसन एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।

31- निर्वाचन अधिकारी अपने उपक्रम में अथवा अन्यथा एक अथवा अनेक बार मतों की पुनर्गणना करेगा यदि गणना की शुद्धता से संतुष्ट न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यहाँ समाविष्ट कुछ भी निर्वाचन अधिकारी के लिए उन्हीं मतों को एक से अधिक बार गणना करने के लिए बाध्य कर रही हैं।

32- इन नियमों की व्याख्या से उठने वाला कोई भी प्रश्न अध्यक्ष द्वारा निर्णीत होगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

33- इन नियमों में न आने वाले मामले सभापति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।